अष्टम माला, खंड 48, अंक 30

मंगलवार, 11 अप्रैल, 1989
21 चैत्र, 1911 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र

(आठवीं लोक सभा)

(खंड 48 में अंक 21 से 30 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा]

विषय सूची

8 तेरहवां सत्र, 1989/1910-1911 (शक)

, 11 अप्रैल, 1989/21 चैत्र, 1911 (शक)

पृष्ठ

त्तर 1—23

ांकित प्रश्न संख्या : 574, 582, 583, 585, 587, 588, 590, 593, और 581

उत्तर 23—217

ारांकित प्रश्न संख्या : 575 से 580, 584, 586, 589, 591, 592 और 594

ारांकित प्रश्न संख्या : 5591 से 5772

में जनता दल विधान मंडल पार्टी के गठन के बारे द्वारा घोषणा 217—220

पर रखे गए पत्र 220—223

ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी 223

64वां प्रतिवेदन

विधान संबंधी समिति 223

22वां प्रतिवेदन

ालाबन्दी और उन्हें बन्द किए जाने आदि पर रोक ा कानून बनाए जाने के बारे में याचिका 223

ीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण 224—335

मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतों का समाचार

वी० किशोर चन्द एस० देव 224—228

ारी सरोज खापर्डे 224

के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही ा था।

विषय	पृष्ठ
श्री एम० आर० सैकिया	228—229
श्री पराग चालिहा	220—231
श्री हरीश रावत	231—235
कार्य-मंत्रणा समिति	
69वां प्रतिवेदन	235—236
नियम 377 के अधीन मामले	236-240
(एक) उड़ीसा के बोलनगीर जिले को पेय जल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
श्री नित्यानन्द मिश्र	236—237
(दो) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के गांवों को केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति किए जाने हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	237
(तीन) राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों के लिए राज्य सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री शंकर लाल	237—238
(चार) कोयल-कारो पन बिजली परियोजना पर तत्काल कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता	
श्री सरफराज अहमद	238
(पांच) उत्तर प्रदेश में एटा जिले में पटियाली तहसील के गंज डुंडवाड़ा में गंगा नदी के किनारों के साथ एक स्थायी बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मोहम्मद महफूज अली खां	238
(छः) धुबरी जिले (असम) में चपर से चन्द्रडिंगा तक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किए जा रहे भू-कटाव की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता	
श्री अब्दुल हमीद	238—239
(सात) केरल में पारपत्र जारी किए जाने में होने वाले विलम्ब को दूर किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
श्री पी० जे० कुरियन	239

(आठ) बिहार के हजारीबाग जिले में कालेश्वरी पहाड़ियों का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास किये जाने की आवश्यकता

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश 239—240

ठक्कर आयोग के अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव 240—297

श्री रामेश्वर नीखरा 240—243

श्री सैफुद्दीन सोज 243—249

श्री पी० चिदम्बरम 249—254

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी 254—258

श्री टी० बशीर 258—260

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी 260—267

श्री शिवराज वी० पाटिल 267—272

श्री शरद दिघे 272—276

श्री हरुभाई मेहता 276—282

श्री गिरधारी लाल व्यास 282—284

श्री सोमनाथ रथ 284—286

सरदार बूटा सिंह 286—297

लोक–सभा

मंगलवार, 11 अप्रैल, 1989/21 चैत्र, 1911 (शक)

लोक-सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

महाराष्ट्र में औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करना

[अनुवाद]

*574. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में औद्योगिक एककों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस मंजूर करने के लिए केन्द्रीय सरकार से कुछ आवेदन पत्रों की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 को समाप्त छमाही के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या और उनका ब्यौरा क्या है और उनमें से कितने आवेदन पत्र मंजूर किए गए ; और

(ग) इन एककों का उद्योगवार ब्यौरा क्या है और ये एकक किन-किन जिलों में स्थापित किये जाएंगे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) से (ग) 31-3-1989 को समाप्त हुए पिछले छः महीनों के दौरान महाराष्ट्र राज्य में उद्योगों की स्थापना करने के लिए राज्य सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों सहित विभिन्न उद्यमियों से उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 के अधीन औद्योगिक लाइसेंसों की मंजूरी हेतु 208 आवेदनपत्र प्राप्त हुए थे। इसमें से 38 आवेदनपत्र स्वीकृत किए गये हैं तथा सम्बन्धित आवेदकों को आशय पत्र मंजूर कर दिए गए हैं जबकि 45 आवेदनों को नामंजूर कर दिया गया है अन्यथा निपटा दिया गया है और 125 आवेदनों पर कारंवाई हो रही है। जारी किए आशय पत्रों से संबंधित विस्तृत सूचना भारतीय निवेश केन्द्र के मासिक न्यूज लैटर में प्रकाशित की जाती है तथा एक प्रति संसद पुस्तकालय को भेजी जाती है।

[हिन्दी]

श्री बाला साहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, कुल 208 में से 38 मंजूर किये गये,

45 रिजेक्ट किये गए और 125 पर विचार हो रहा है। मैं मन्त्रीजी से जानना चाहूंगा कि जो मंजूर किए हैं उनमें से कितने निजी उद्योग वाले हैं, कितने सरकारी उद्योग वाले हैं और कितने सहकारी वाले है और जिस समय आप उद्योग मंजूर करते हैं तो पिछड़े इलाकों के लिए कितने मंजूर होते है ?

उसमें से कितने को-आपरेटिव क्षेत्र में लगेंगे, कितने निजी क्षेत्र में लगेंगे और सरकारी उपक्रमों की संख्या कितनी है मैं यह भी जानना चाहूंगा कि प्रत्येक उद्योग में रोजगार के कितने अवसर उपलब्ध होंगे, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा। यदि इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी शामिल हों तो उनकी संख्या कितनी है, इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितने उद्योग लगने जा रहे हैं, शहरी क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों की संख्या कितनी है, जिनकी आपने मंजूरी दी है और इनमें कितने लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावना है। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ग्रामीण क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों और शहरी क्षेत्र में लगने वाले उद्योगों की पृथक पृथक जानकारी दें।

[अनुवाद]

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, पिछले छः माह के दौरान, कुल 208 आवेदन प्राप्त हुए; 38 आशय पत्र जारी किए गए, 45 आवेदन अस्वीकार किए गए अथवा अन्यथा निपटाए गए और 125 आवेदनों पर कार्यवाही चल रही है। महोदय मैं आपके माध्यम से सभा को सूचित करना चाहता हूं कि 125 आवेदनों में से 77 आवेदन गत दो माह के दौरान ही प्राप्त हुए हैं, जो कि अभी निर्धारित अवधि के अन्दर हैं।

महोदय, पिछड़े तथा अन्य क्षेत्रों के विषय में मैं माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा। सरकारी क्षेत्र में और गैर सरकारी क्षेत्र में हमें अनेक आवेदन प्राप्त हुए हैं; मैं पता लगाकर माननीय सदस्य को जानकारी दे दूंगा।

श्री बालासाहिब विखे पाटिल : अध्यक्ष महोदय, जांच करते समय, स्वीकृति प्रदान करते समय और आशय पत्र तथा लाइसेंस जारी करते समय उन्हें देखना चाहिए कि कितने मामले पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित है, कितने व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा और क्या कालीन क्षेत्र को लाभ पहुंचेगा या नहीं।

मैं एक अन्य प्रश्न पूछना चाहूंगा। महाराष्ट्र में अनेक कताई मिलों को आशय-पत्र जारी किए गए हैं। परन्तु गत चार वर्षों से कोई भी केन्द्रीय वित्तीय संस्था इस तर्क पर ऋण नहीं दे रही कि सातवीं योजना का लक्ष्य पूरा किया जा चुका है। लाइसेंस जारी करते समय, सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऋणों का वितरण सही ढंग से होना चाहिए ताकि विशेष रूप से सहकारी मिलों का नुकसान न हो। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इस प्रश्न पर किस सीमा तक ध्यान दिया जाएगा। महाराष्ट्र में वनस्पति उत्पादन की बहुत गुंजाइश है। मैं जानना चाहता हूं कि वनस्पति उत्पादन के लिए लाइसेंस जारी करने के बारे में भारत सरकार की क्या नीति है।

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : वर्ष 1985 में पंजीकृत योजनाओं की कुल संख्या 151 थी, जिनमें से पिछड़े क्षेत्रों के लिए 67 योजनाएं थी। वर्ष 1986 में कुल पंजीकृत योजनाएं 277 थीं और इनमें पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित 132 योजनाएं थीं। वर्ष 1987 में पंजीकृत योजनाओं की संख्या कुल 217 थी जिनमें 73 योजनाएं पिछड़े क्षेत्रों के लिए थीं। वर्ष 1988 में पंजीकृत योजनाओं की कुल संख्या 209 थी और इनमें पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित 95 योजनाएं थीं। फरवरी, 1989 तक, पंजीकृत योजनाओं की कुल संख्या 19 थी और इनमें पिछड़े क्षेत्रों से सम्बन्धित योजनाएं थीं।

महोदय, 32 आवेदन खाद्य प्रसंस्करण मन्त्रालय के पास लम्बित हैं। हमारे मन्त्रालय के पास नहीं।

डा० दत्ता सामंत : महोदय, महाराष्ट्र मन्त्रालय में सौ साल पुराने उद्योग हैं। बम्बई, पुणे और भाषा क्षेत्रों में ऐसे उद्योग है। इन उद्योग को बन्द करने की प्रवृत्ति देखने में आ रही है। लगभग 240 बड़े उद्योग और 1400 लघु उद्योग बन्द किए जा चुके हैं। हिन्दुस्तान लीवर का एक कारखाना बन्द कर दिया गया है। दूसरी ओर उन्होंने वही माल बनाने के लिए अपोलो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस दिया है। पोदार मिल्स, खटाऊ मिल्स और बाम्बे मिल्स बन्द कर दी गई है परन्तु दूसरे कारखानों ने नए उत्पाद तैयार करने शुरू कर दिए हैं। महोदय, यह सब हो रहा है। पुराने उद्योगों को बन्द करके और नए कारखाने खोलकर, सरकार आदि से पैसा लेकर बड़े घराने लाभ उठा रहे हैं। सरकार को नए लाइसेंस जारी करते समय एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि महाराष्ट्र में या अन्य किसी स्थान पर इन कारखानों में काम कर रहे व्यक्तियों को नौकरी से न हटाया जाए। आपको कुछ अधिक देने की आवश्यकता नहीं है। यह बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस बात को ध्यान मे रखेगी और इस पर अमल करेगी।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, आप भलीभांति जानते हैं कि सरकार की नवीनतम नीति के अनुसार, हम बम्बई और अन्य महानगरों में 50 कि० मी० के दायरे में स्थित कारखानों को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम केवल ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ही लाइसेंस दे रहे हैं··· **(व्यवधान)**

डा० दत्ता सामंत : आप कारखानों को बन्द करने की प्रवृत्ति को क्यों बढ़ावा दे रहे हैं ?··· **(व्यवधान)**

श्री जे० वेंगल राव : हम किसी कारखाने को बन्द करने को प्रोत्साहन नहीं दे रहे हैं······ **(व्यवधान)** बड़े घरानों को एकाधिकार तथा प्रतिबन्धात्मक व्यापार प्रक्रिया के अन्तर्गत मंजूरी लेनी पड़ती है, तभी उन्हें लाइसेंस मिलता है।

श्री अनूप चन्द शाह : क्या मैं माननीय मन्त्री जी से पूछ सकता हूं कि पिछले एक वर्ष में वनस्पति बनाने के लिए महाराष्ट्र को कितने लाइसेंस दिए गए है ?

श्री जे० वेंगल राव : वनस्पति प्रतिबंधित उत्पाद है। उदाहरण के तौर पर, पूर्वोत्तर राज्यों और हिमाचल प्रदेश में हमने एक-एक लाइसेंस दिए हैं। महाराष्ट्र के जनजातीय क्षेत्र में, हमने एक सहकारी समिति के लिए एक लाइसेंस दिया है।

लघु क्षेत्र के उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्य

+

*582. **श्री लक्ष्मण मलिक :**

श्री कमला प्रसाद सिंह : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान लघु उद्योगों के लिए निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिए गए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कुछ बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां अपने लाइसेंसों की सीमा का उल्लंघन करके लघु क्षेत्र के लिए निर्धारित उत्पादों का उप-ठेका देकर उत्पादन करा रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कानून/नियमों/विनियमों में कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री० एम० अरुणाचलम) : (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) तथा (ख) सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में लघु उद्योगों के सन्दर्भ में उत्पादन, रोजगार तथा निर्यात के लिए निर्धारित किए गये लक्ष्य तथा अनुमानित उपलब्धि नीचे दी गयी है :

	उत्पादन (1984-85 की कीमतों पर) (करोड़ रुपये)		रोजगार (लाखों में)		निर्यात (करोड़ रुपये)	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य≠	उपलब्धि*
1985-86	55225	57100	95	96	2630	2769
1986-87	61130	4500	100	101.4	2950	3648
1987-88	66630	72880×	106	107≠	3300	उ०न०

≠=1984-85 की कीमतों पर

*=चालू कीमतों पर

×=अनन्तिम

उ० न० =उपलब्ध नहीं।

(ग) तथा (घ) केवल लघु उद्योग उपक्रमों द्वारा उत्पादनार्थ विशिष्ट वस्तुओं का आरक्षण उद्योग (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 5 के अधीन किया जाता है। लघु उद्योग उपक्रम से भिन्न कोई और औद्योगिक उपक्रम यदि लघु उद्योगों के लिए आरक्षित किसी वस्तु का उत्पादन आरक्षण की तारीख के पहले से कर रहा था तो वह सी० ओ० बी० लाइसेंस लेने के बाद उसका उत्पादन जारी रख सकता है। सी० ओ० बी० लाइसेंस में अनुमत क्षमता की मात्रा उस मात्रा के बराबर रखी जाती है जो वस्तु के आरक्षण की तारीख से पहले के तीन वर्षों में उपक्रम के उत्पादन की अधिकतम मात्रा हो।

लघु उद्योग क्षेत्र में उत्पादन हेतु आरक्षित वस्तुओं का विपणन बड़े एककों द्वारा किए जाने से सरकार की आरक्षण नीति का उल्लंघन नहीं होता।

आरक्षण नीति के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने के वास्ते सरकार ने एक समिति बनायी है जिससे कि लघु उद्योग क्षेत्र हेतु आरक्षित क्षेत्रों में बड़े मझोले एककों के प्रवेश/प्रसार को रोका जा सके। आरक्षण नीति में किये गये प्रावधानों का उल्लंघन उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 24 के अधीन दण्डनीय है।

श्री लक्ष्मण मलिक : मैंने माननीय मन्त्री जी के विवरण का अध्ययन किया है। आप जानते हैं कि लघु उद्योग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है और इससे रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। इस क्षेत्र को अब आवश्यक कच्चा माल उपलब्ध न होने की गम्भीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। भारी संख्या में लघु उद्योग इकाइयां रूग्ण है और बंद कर दी गई हैं। मन्त्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सरकार ने लघु उद्योग के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बड़े और मध्यम उद्योगों के पदार्पण एवं विस्तार को रोकने के लिए एक समिति गठित की है। इस सन्दर्भ में, मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि पिछले तीन वर्षों में समिति को कितनी शिकायतें मिली है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है।

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : समिति के समस्त 21 मामले आए। इनमें से 12 मामलों में आरोप सिद्ध नहीं हुए। शेष मामले समिति के समक्ष विचाराधीन है। लघु उद्योगों के विषय में, मैं सभा को बताना चाहता हूं कि 835 मद आरक्षित है। वे आरक्षित और अनारक्षित कुल 500 मद तैयार कर रहे हैं। रोजगार के अवसर वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ रहे है।

श्री लक्ष्मण मलिक : अधिकांश लघु उद्योगों की अर्थ व्यवस्था खराब है अधिकांश को ऋण नहीं मिल रहा है। बैंकों से समुचित ऋण नहीं मिलता है और कभी-कभी बैंक ऋण देने में असाधारण विलंब करते हैं। माननीय मन्त्री जी से यह जानकर मुझे खुशी हुई है कि सातवीं योजना के पहले तीन वर्षों में लघु उद्योगों के लिए निर्धारित उत्पादन लक्ष्य, नौकरी प्रदान करने तथा निर्यात सम्बन्धी लक्ष्य प्रशंसनीय और सन्तोषजनक हैं। क्या मन्त्री जी को मालूम है कि यदि बैंक और वित्तीय संस्थाएं लघु उद्योगों को अपना पूरा सहयोग दें तो वहां उत्पादन बढ़ाने की भारी गुंजाइश है? यदि हां तो क्या उन्होंने बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को निदेश दिए हैं कि वे लघु उद्योगों को ऋण मंजूर करने में अनावश्यक विलंब न करें?

श्री जे० वेंगल राव : मैंने निर्यात सम्बन्धी उपलब्धियों और निर्धारित लक्ष्य के बारे में संपूर्ण जानकारी सभा पटल पर रख दी है। जहां तक ऋण का सम्बन्ध है, मुझे मालूम है कि वित्तीय संस्थाओं में इस बारे में कुछ समस्याएं हैं. इसके लिए, वित्त मन्त्री ने अपने वक्तव्य में कहा था कि वह लघु उद्योगों के लाभ के लिए विशेष तौर पर 300 करोड़ रु० की पूंजी से एक बैंक खोल रहे हैं। मेरे विचार में वित्त मन्त्रालय यथाशीघ्र इस आशय का विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मन्त्री द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, योजना के पहले तीन वर्षों में लघु उद्योगों का उत्पादन, निर्यात एवं रोजगार प्रदान करने सम्बन्धी कार्य सन्तोषजनक है। परन्तु अगले दो वर्षों में, विशेषतौर पर इस वर्ष, यह सन्तोषजनक नहीं होगा क्योंकि पिछड़े जिलों में लघु उद्योगों को दी जाने वाली राज-सहायता बन्द कर दी गई है। राज-सहायता बन्द हो जाने के कारण पिछड़े क्षेत्रों में नया उद्योग नहीं खुल रहा है और विद्यमान उद्योग भी रूग्ण हो रहे हैं। क्षेत्रीय असन्तुलन को सही करने की सरकार की नीति और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पिछड़े जिलों में स्थापित उद्योग रूग्ण हो रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि क्या सरकार पिछड़े जिलों में, कारखानों और विशेष तौर पर लघु उद्योगों को दी जा रही राज-सहायता को बन्द करने के निर्णय पर पुनः विचार करने को तैयार है।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय। जब वित्त मन्त्रालय सहमत नहीं है तो हमारा मन्त्रालय क्या कर सकता है? वित्त मन्त्रालय ने इस वर्ष के बजट में इस प्रयोजनार्थ समुचित प्रावधान नहीं किया है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, यह सरकार का दायित्व है। उन्हें कम से कम इतना तो कहना ही चाहिए कि वह इस मामले को वित्त मन्त्रालय के साथ उठाएंगे···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपनी असमर्थता जाहिर की है। बिना पैसे के वह नहीं कर सकते।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, हमने न केवल इस मामले को उठाया है बल्कि प्रधान मंत्री और वित्त मन्त्री के साथ इस बारे में बहस भी की है। किन्तु वित्तीय स्थिति अत्यन्त खराब है······ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वह धन के बिना काम नहीं चला सकते।

प्रो० पी० जे० कुरियन : महोदय, मैं एक पिछड़े जिले से हूं और वहां के उद्योग रुग्ण होने जा रहे हैं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही।

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही : महोदय, दोहरा लक्ष्य निर्धारित किया जाना चाहिए। एक मात्रा या संख्या के बारे में होना चाहिए तथा दूसरा उत्पादन या उपलब्धियों के बारे में होना चाहिए। इस लिए, मैं माननीय मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि उक्त क्षेत्र में आंकड़ों सम्बन्धी लक्ष्य जो भी हो उत्पादन के लक्ष्य से उसकी तुलना किस प्रकार की जा सकती है। क्या उत्पादन के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है और यदि हां तो उसकी उपलब्धि क्या है? रिपोर्ट भी मौजूद हैं किन्तु जिला उद्योग केन्द्र आदि के सदस्यों के रूप में हमारा अनुभव यह है कि उत्पादन के सन्दर्भ में बहुत से ऐसे लघु एकक हैं जो स्थापित किए जाने के तुरन्त बाद रुग्ण हो जाते हैं। इस बारे में सरकार का विचार क्या करने का है? इन्हें तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराने तथा बाजार सम्बन्धी आवश्यक समर्थन देने के लिए किसी भी एजेंसी द्वारा कोई अनुवर्ती कार्यवाही नहीं की जाती। इस सम्बन्ध में मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है?

श्री एम० अरुणाचलम : महोदय, लघु उद्योग सेवा संस्थान उद्यमियों को मार्ग निर्देश देता है, परामर्श सेवाएं प्रदान करता है, उन्हें विभिन्न संगठनों द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं और रियायतों के बारे में जागरूक करने में सहायता प्रदान करता है, और तकनीकी लोगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। एन० एस० आई० सी० भी यही काम कर रहा है और वह विपणन में भी सहायता कर रहे हैं।

दूरदर्शन धारावाहिक

[हिन्दी]

*583. **श्री कमला प्रसाद रावत :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दूरदर्शन के कुछ और धारावाहिक कार्यक्रमों की व्यापक आलोचना की जानकारी है जो विदेशी धारावाहिक कार्यक्रमों की नकल मात्र हैं और वे न तो भारतीय अभिरुचि के उपयुक्त हैं और न ही मान्य मूल्यों के अनुरूप हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार धारावाहिक कार्यक्रमों के चयन सम्बन्धी अपनी नीति के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा करने का है?

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) सरकार को किसी ऐसी व्यापक आलोचना की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : अध्यक्ष महोदय, आजकल के जो सीरियल आ रहे हैं—जैसे कि कक्काजी कहिन उसमें अफसरों और नेताओं की दुहाई लेता हुआ, दलाली ऐंठता हुआ और फ्लैट एवं अन्य साजों और सज्जा का सामान जुटाता हुआ दिखाई देता है। इस तरह की बातें आजकल के सीरियल में आ रही हैं। अतः मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहूंगा कि वह सीरियल आखिर समाज को कौन सी दिशा दे रहे हैं ? इसी तरह से सवेरे के कार्यक्रम बिल्कुल नीरस होते हैं। दोपहर के कार्यक्रमों में मात्र अचार और मुरब्बे बताने के सिवाय कुछ नहीं होता है। अगर इन कार्यक्रमों में कुछ सुधार किया जाये तो और अच्छे हमारे टी० वी० कार्यक्रम हो सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अचार और मुरब्बे से भोजन स्वादिष्ट नहीं बनता है ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : माननीय सदस्य की टिप्पणियां सामान्य स्वरूप की हैं। किंतु मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि प्रायोजित धारावाहिक चयन समिति को बिल्कुल स्पष्ट मार्गनिर्देश दिए गए हैं। उन्हें कार्यक्रमों का चयन इस प्रकार से करना होता है कि आधारभूत सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों को बढ़ावा मिले, सभी धर्मों के प्रति समान आदर हो, हिंसा का त्याग हो और सही प्रकार के मूल्यों आदि के लिए इस माध्यम से इस्तेमाल से देश की समृद्ध सांस्कृतिक विविधता का प्रदर्शन हो। ऐसी बात नहीं है कि दिशा निदेश नहीं दिए जाते। जांच के लिए अत्यन्त कड़ी प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसकी समीक्षा की जाती है और उसके बाद ही किसी धारावाहिक का चयन किया जाता है। अब यह बात है कि किसी धारावाहिक विशेष के प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया है अलग-अलग व्यक्तियों की अलग-अलग हो सकती है। हम जानते हैं कि कार्यक्रमों में सुधार की गुंजाइश रहती है। हम उस उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए सतत प्रयास करते रहेंगे।

[हिन्दी]

श्री कमला प्रसाद रावत : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जैसा उत्तर दिया है, यह बात सही है कि हमारे देश में विभिन्न विचारधाराओं के लोग हैं। कुछ सीरियल ऐसे हैं, जिन से समाज को कोई मतलब नहीं होता है, जैसे कि फौजी सीरियल चल रहा है। फौजी सीरियल फौज वालों के लिए तो ठीक है, लेकिन उससे पूरे समाज को क्या मिलता है। जहां तक मेरी जानकारी है, जहां लोग ऐसा बताते हैं और जहां तक मैंने देखा है, इसमें और भी सुधार किया जा सकता है। उन लोगों को कहा जाए कि कुछ अच्छे सीरियल चुनें। ऐसी बातें जिससे समाज को नई दिशा मिले, नई रोशनी मिले। इसमें सुधार किया जा सकता है और काफी कामयाबी मिल सकती है। जैसे कौमी-एकता, इससे अच्छा काम हो सकता है और इसी तरह के अच्छे टी० वी० सीरियल हो सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, हमारे पास केवल एक ही चैनल है और हमें जनसमूह के विभिन्न वर्गों की रुचि का ध्यान रखना पड़ता है। विशेष रूप से 'फौजी' धारावाहिक को सशस्त्र सेना के जवानों और सेवानिवृत्त सैनिकों आदि द्वारा बहुत सराया गया है। यह हमारी रक्षा तैयारी और राष्ट्रीय एकता को दर्शाता है। माननीय सदस्य की यह टिप्पणी सही नहीं है कि धारावाहिक सामाजिक भलाई में कोई योगदान नहीं करते। हम लोग जैसे धारावाहिक में मध्यम वर्गीय समाज की समस्याओं को उजागर किया गया है। कई ऐसे धारावाहिक है जिनमें सामाजिक बुराईयों को दूर करने का प्रयास दर्शाया गया है। पर्यावरण और वन्य जीवन पर आधारित तथा ज्ञानवर्धक और अमीर खुसरों और 'मिर्जा गालिब' जैसे शिक्षाप्रद धारावाहिक हैं जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देते हैं। 'रामायण' महाभारत 'भारत एक खोज' आदि जैसे धारावाहिक की तो बात ही क्या जो हमारे समाज की सांस्कृतिक, नैतिक और दार्शनिक विचारधारा का प्रतिपादन करते हैं। महोदय यह हमारा सतत प्रयास रहा है कि धारावाहिकों के स्तर को ऊंचा उठाया जाए और हमारे कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करके राष्ट्र निर्माण किया जाए।

श्री शान्ताराम नायक : महोदय, मैं उन लोगों में से एक हूं जो दूरदर्शन द्वारा प्रसारित अधिकांश धारावाहिक पसन्द करते हैं। वे बहुत अच्छे होते हैं। मैं तो यह कहूंगा कि उनमें से 80 प्रतिशत धारावाहिक बहुत अच्छे होते हैं, केवल 20 प्रतिशत के बारे में अलग-अलग राय हो सकती है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उतना नहीं होता तो आप गुड क्यों कहते।

[अनुवाद]

श्री शान्ताराम नायक : किंतु मैं एक बात कहना चाहता हूं कि पहले कुछ ऐसे धारावाहिक थे जो अन्धविश्वास को बढ़ावा देते थे। शायद एक या दो धारावाहिक ऐसे थे जिन्हें बन्द करवाने के लिए हमें इस सदन में विरोध करना पड़ा था अब मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस समय सरकार के समक्ष किसी ऐसे टीवी धारावाहिक का प्रस्ताव है जिससे अन्धविश्वास को दूर करने में सहायता मिलेगी। यदि सरकार के समक्ष ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार विशेष रूप से ऐसे धारावाहिक आमंत्रित करेगी ताकि समाज में व्याप्त अन्धविश्वासों को या तो दूर किया जा सके या काफी हद तक कम किया जा सके।

श्री एस० कृष्ण कुमार : जब किसी धारावाहिक विशेष संबंधी शिकायतों के विरुद्ध इस सदन में और इसके बाहर आवाज उठाई गई तो हमने जनमत को ध्यान में रखते हुए उस कार्यक्रम को बन्द कर दिया ताकि इस प्रचार माध्यम से अन्धविश्वासों को बढ़ावा न मिले। हमारे यहां काफी बड़ी संख्या में धारावाहिक प्रसारित किए जा रहे हैं और बहुत से तैयार हो रहे हैं और मुझे विश्वास है कि उनमें से अधिकांश बातों के साथ-साथ अन्धविश्वासों पर प्रहार करते है और युक्ति संगत विचारों को बढ़ावा देते हैं। मैं किसी एक विशेष धारावाहिक का सीधे उल्लेख नहीं कर सकता।

डा० दिग्विजय सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से आश्वासन चाहता हूं, केवल इसीलिए नही कि यह देश की सर्वप्रथम समस्या है जनसंख्या विस्फोट बल्कि इसलिए भी क्योंकि मंत्री

महोदय स्वयं इस विषय के प्रति प्रतिबद्ध हैं। मैं यह अनुभव करता हूं कि एक ओर तो सरकार परिवार नियोजन के इस कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए आगे और प्रोत्साहन नहीं देना चाहती और प्रचार माध्यम से अधिक कार्यक्रम आयोजित करना ही एक मात्र अच्छी बात है तथा दूसरी ओर इस तथ्य के बावजूद कि अपने इस कार्यक्रम को राष्ट्रीय कार्यक्रम का रूप दिया जो आज भी विश्व में सबसे पुराना राष्ट्रीय कार्यक्रम है। 1987 में भी इस सदन में यह जानकारी दी गई है कि जनसंख्या वृद्धि की वार्षिक दर 2.12 प्रतिशत है। अतः देश की इस सबसे बड़ी समस्या को प्रचार साधनों पर अधिक कवरेज क्यों नहीं दिया जाता?

श्री एस० कृष्ण कुमार : महोदय, पिछले कुछ महीनों और वर्षों के दौरान परिवार नियोजन उन्मुखी सन्देशों और कार्यक्रमों में काफी वृद्धि की गई है। परिवार नियोजन विभाग को सर्वाधिक प्राथमिकता दी गयी है। हम उनसे सम्पर्क बनाए रखते हैं न केवल परिवार नियोजन कार्यक्रम के संबंध में बल्कि जच्चा और बच्चा स्वास्थ्य सम्बन्धी सहायक कार्यक्रमों के बारे में भी और महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम ही है कि ये सन्देश, दूरदर्शन सहित हमारे प्रचार साधनों से अधिकाधिक प्रसारित किए जाते हैं।

कारबाइड कारखाने

+

*585. श्री ई० अय्यपू रेड्डी :

श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कारबाइड कारखानों की संख्या कितनी है और राज्यवार ऐसे कितने कारखाने हैं जो रुग्णता की अवस्था में पहुंच गए हैं, और बन्द पड़े हैं,

(ख) इन कारखानों को पुन: चालू करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) फिलहाल देश में संगठित क्षेत्र ग्यारह कैल्शियम कारबाइड फैक्टरियां हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित तीन कैल्शियम कारबाइड फैक्टरियां इस समय बन्द पड़ी हैं।

(1) मे० आन्ध्र प्रदेश कारबाइड लि०, कुरनूल, आन्ध्र प्रदेश।

(2) मे० घनश्याम सीमेंट एण्ड मिनरल इण्डस्ट्रीज लि०, बेलारी, कर्नाटक।

(3) मे० आइलैक लि०, बम्बई महाराष्ट्र।

आन्ध्र प्रदेश कारबाइड लि० के पुन: स्थापन के लिए, जो आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड द्वारा फैक्टरी को बिजली की सप्लाई बन्द करने के कारण बन्द पड़ा है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक के प्राप्त पत्र के आधार पर हमने आन्ध्र प्रदेश सरकार और आन्ध्र प्रदेश जिला बिजली बोर्ड को सिफारिश की है कि वे कम्पनी द्वारा देय बिजली की बकाया राशियों को पर्याप्त रूप से माफ करने पर विचार करें। आई० डी० पी० एल० पुन: स्थापन प्रस्ताव पर भी विचार कर रहा है।

बन्द पड़े अन्य दो एककों के पुन: स्थापन के लिए या तो राज्य सरकार से या सम्बन्धित वित्तीय संस्थानों से यदि कोई हो, कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय, दो रूग्ण एकक आन्ध्र प्रदेश में हैं और वे मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में है। (व्यवधान) महोदय, जहां तक पहले एकक का संबंध है माननीय मंत्री, जब वह मुख्य मंत्री थे.......

श्री जे० वेंगल राव : मैं इसे सही कर रहा हूं। एक उनके निर्वाचन क्षेत्र में है तथा दूसरा बेल्लारी में है।

श्री अय्यपू रेड्डी : मैं जानता हूं कि यह बेल्लारी में है किन्तु कार्बाइड लिमिटेड मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है— (व्यवधान)

डा० दत्ता सामंत : महोदय, इस परियोजना के कारण बम्बई में 200 लोग मारे गए।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : महोदय जहां तक पहले एकक का सम्बन्ध है, यह मंत्री महोदय द्वारा जब वह मुख्य मंत्री थे, आरम्भ किया गया था और अब यह रुग्ण हो गया है। मैंने इस बारे में कई पत्र लिखे हैं। इस एकक को पुन: चालू करने के लिए कई कदम उठाने होंगे। विवरण में कहा गया है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से बिजली की बकाया राशि माफ करने का अनुरोध किया गया है। मैं आन्ध्र प्रदेश राज्य और आन्ध्र प्रदेश बिजली बोर्ड की ओर से आश्वासन देता हूं कि आवश्यक माफी दी जाएगी। मुख्य मंत्री ने भी मुझे इस आशय का आश्वासन दिया है। किंतु समस्या पुनर्वास की है। क्या मंत्री महोदय, पुनर्वास कार्यक्रम को कार्यान्वित करने तथा इस उद्योग को तुरन्त पुनर्जीवित करने के लिए भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और निजी उद्यमी जो इसका भार साधक है, और आन्ध्र प्रदेश के प्रतिनिधि की एक बैठक बुलाएंगे ?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया, जब मैं मुख्य मंत्री था तो मैंने इस एकक की आधारशिला रखी थी। मैंने इस एकक का उद्‌घाटन किया था। किंतु दुर्भाग्य से तेलुगु देशम सरकार के शासनकाल में इसे बन्द कर दिया गया (व्यवधान) मुझसे झगड़ा न करें।

महोदय, यह परियोजना आन्ध्र प्रदेश औद्योगिक विकास निगम और एक प्राइवेट पार्टी के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना है। यह विद्युतोन्मुखी उद्योग है। यह आन्ध्र प्रदेश सरकार की सिरदर्दी है न कि केन्द्रीय सरकार की।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैंने उनसे पूछा है कि क्या वह सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने के लिए तैयार है ताकि इस उद्योग को पुन: चालू करने की समस्या पर शीघ्र विचार किया जा सके ?

श्री सी० माधव रेड्डी : वह सिर दर्दी मोल लेने को तैयार नहीं है।

श्री जे० वेंगल राव : जैसा कि मैंने कहा, मैं माननीय सदस्य से यह अनुरोध कर रहा कि वह कि वह अपने मुख्यमंत्री को बैठक बुलाने की सलाह दें।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : मंत्री महोदय भी जानते है कि कांग्रेस पार्टी का नेता ऐसा व्यक्ति है जिसका संयुक्त उद्यम से सम्बन्ध है वह प्रदेश कांग्रेस कमेटी के भी अध्यक्ष थे। इसलिए उन्हें कोई

ठोस योजना प्रस्तुत करनी होगी अथवा उन्हें आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा वहां के औद्योगिक विकास निगम के साथ सहयोग करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इस उद्योग को पुनः चालू करने के उद्देश्य से सभी प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाएंगे अथवा बुलाने पर विचार करेंगे। यह मेरा पहला प्रश्न था।

मेरा दूसरा प्रश्न पनयाम सीमेंट के बारे में है। उन्होंने एस्टेलिन संयंत्र स्थापित कर लिया है। वे न केवल कैल्सियम कार्बाइड का ही उत्पादन कर रहे है अपितु एस्टेलिन ब्लैक का भी उत्पादन कर रहे हैं। यहां भी बिजली की कमी के कारण उन्हें परेशानी हो रही है। उद्योग को बंद किया रहा जा है। यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि यह उद्योग बंद न हो।

श्री जे० वेंगल राव : जैसा कि मैंने कहा यह मामला पूर्णतः राज्य सरकार से संबंधित है। केन्द्र को परियोजना से कुछ लेना देना नहीं है। मैं उस समय मुख्यमंत्री था। उन्हें तत्सम्बन्धी ब्यौरे की जानकारी नहीं है। वास्तविक कारण कांग्रेस पार्टी को नहीं समझा जाना चाहिए। संबंधित व्यक्ति एक विधायक और भूतपूर्व मंत्री श्री राजशेखर रेड्डी थे। किन्तु उनके प्रति वैमनस्य होने के कारण मुख्यमंत्री ने उनसे पूरे अधिकार छीन लिए हैं।

श्री ई० अय्यपू रेड्डी : क्योंकि उन्होंने बिजली के बिल का भुगतान नहीं किया था।

श्री सी० माधव रेड्डी : मंत्री महोदय यह कह रहे हैं कि यह राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। प्रश्न यह है कि एक उद्योग रुग्ण हो रहा है तथा उसे पुनः कैसे चालू किया जाए। आप केवल इसी प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते और यह क्यों नहीं बताते कि क्या आप रुग्ण उद्योग अधिनियम के अधीन कार्यवाही कर रहे हैं क्योंकि मामला बोर्ड को सौंपा जा रहा है, तथा क्या कोई पुनिर्नयोजन योजना तैयार की जा रही है। इन बातों पर विचार किया जाना है। उसके बजाय आप राजनीति में आ रहे हैं। इसमे क्या फर्क पड़ता है कि मुख्यमंत्री आप थे या श्री रामाराव। अन्ततः यदि उद्योग बंद हुआ तो श्रमिक बेरोजगार हो जाएंगे। मैं समझ नहीं पाया कि वह कैसा उत्तर दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार रुग्ण उद्योग अधिनियम के अधीन कोई ठोस कदम उठाने जा रही है?

श्री जे० वेंगल राव : इसके लिए बोर्ड है। और इसे बी० आई० एफ० आर० के पास जाना चाहिए। वे निर्णय लेंगे।

मिदनापुर और खड़गपुर में कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम

*587. **श्री नारायण चौबे :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में मिदनापुर में एक नया दूरदर्शन प्रसारण केन्द्र स्थापित करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इस केन्द्र के कार्यक्रम कितने क्षेत्र में देखे जा सकेंगे;

(ग) इस प्रसारण केन्द्र से ऐसे कौन से लाभ मिलेंगे जो खड़गपुर प्रसारण केन्द्र से नहीं मिल सके;

(घ) क्या मिदनापुर, खड़गपुर आदि स्थानों के दर्शक कलकत्ता से प्रसारित दूरदर्शन कार्यक्रम नहीं देख पाते हैं; और

(ङ) यदि हां, तो यह सुनिश्चित करने हेतु सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है कि दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम मिदनापुर और खड़गपुर के दर्शकों द्वारा देखे जा सकें ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) (ख) (ग) (घ) और (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले के मुख्यालय शहर, मिदनापुर में हाल ही में स्थापित अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगभग 700 वर्ग किलोमीटर अनुमानित क्षेत्र को कवरेज प्रदान करता है। मिदनापुर शहर तथा निकटवर्ती क्षेत्रों में, जहां पहले खड़गपुर के अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर से सीमावर्ती सेवा प्राप्त होती थी, टी० वी० सेवा सुदृढ़ करने के अलावा यह ट्रांसमीटर अब तक बिल्कुल कवर न हुए कुछ क्षेत्रों को भी कवरेज प्रदान करता है।

दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से निर्मित तथा टेलीकास्ट प्राथमिक(क्षेत्रीय) सेवा कार्यक्रम, कलकत्ता, आसनसोल, मुर्शिदाबाद और कुर्सियांग में उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर द्वारा रिले किया जाता है। जो दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से माइक्रोवेव सर्किट के माध्यम से संयोजित है। जबकि मिदनापुर जिले के भागों को कलकत्ता का उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर भी कवरेज प्रदान करता है, दूरदर्शन केन्द्र, कलकत्ता से कार्यक्रम रिले करने हेतु मिदनापुर और खड़गपुर में टी० वी० ट्रांसमीटरों को लिंक करने के लिए सातवीं योजना में कोई प्रस्ताव नहीं है। इस सुविधा का प्रावधान टी० वी० विस्तार की भावी योजनाओं के अन्तर्गत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

श्री नारायण चौबे : महोदय, विवरण में उन प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया गया है, जो मैं पूछना चाहता था। हाल ही मिदनापुर में एक अल्पशक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर लगाया गया है। अल्पशक्ति वाला एक अन्य ट्रांसमीटर मिदनापुर से केवल 15 किलोमीटर दूर खड़गपुर में है। आप एक और अल्पशक्ति ट्रांसमीटर मिदनापुर में लगा रहे हैं। किंतु मिदनापुर, खड़गपुर, बर्दवान आदि में कोई उच्च शक्ति वाला टी० वी० ट्रांसमीटर नहीं है और इसी कारण हम लोग कलकत्ता दूरदर्शन के कार्यक्रम नहीं देख पाते। कलकत्ता से प्रसारित कार्यक्रमों को दिखाने के मामले में, आप हमें 21वीं शताब्दी की ओर ले जा रहे हैं। थाइलैंड से बंगलादेश से प्रसारित कार्यक्रम तो हम देख पाते हैं किन्तु कलकत्ता से प्रसारित होने वाले कार्यक्रम नहीं देख पाते। हम कलकत्ता से प्रसारित होने वाले कार्य नहीं देख सकते। मैं नहीं जानता था कि इसका क्या कारण है।

स्वाभाविक हैं, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मिदनापुर में एक अन्य अल्पशक्ति ट्रांसमीटर लगाने का मुख्य कारण क्या है जबकि वहां से केवल 10 किलोमीटर दूर खड़गपुर में एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर पहले ही से है ?

श्री एस० कृष्ण कुमार : मिदनापुर जिले में पहला अल्पशक्ति ट्रांसमीटर खड़गपुर में लगाया गया था क्योंकि वह एक बहुत प्रमुख औद्योगिक और विकसित क्षेत्र है और वहां की जनसंख्या 1 लाख से भी अधिक है। उसके पश्चात ये शिकायतें मिलने पर कि खड़गपुर ट्रांसमीटर से मिदनापुर जिले के कई क्षेत्रों को फायदा नहीं पहुंचा है, मिदनापुर में एक अतिरिक्त अल्पशक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य मिदनापुर में दी गई इस सुविधा पर आपत्ति नहीं कर रहे हैं।

जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रमों के प्रसारण के सम्बन्ध में पश्चिम बंगाल का स्थान जोकि बंगला भाषा में अधिक कार्यक्रम प्रसारित करता है। भारत के राज्यों

में, पंजाब के बाद दूसरा है। पश्चिम बंगाल की 95% जनता राष्ट्रीय कार्यक्रम देख पाती है और 85% जनता ही बंगला कार्यक्रम देख पाती है। पंजाब के अलावा भारत के अन्य सभी राज्यों में उन राज्यों के कुछ प्रतिशत लोग अपनी भाषा के कार्यक्रम देख पाते हैं।

तीसरे, प्रत्येक राज्य विशेष के केवल उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को ही राज्य मुख्यालयों के मुख्य स्टूडियो केन्द्र से माइक्रोवेव के जरिए जोड़ा गया है। जहां तक पश्चिम बंगाल का संबंध है, कलकत्ता, आसनसोल, मुर्शिदाबाद, और कुर्सियांग में उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को माइक्रोवेव के जरिए कलकत्ता से जोड़ा गया है। इस मामले में मिदनापुर और खड़गपुर में अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों को माइक्रोवेव से नहीं जोड़ा गया है क्योंकि देश में अन्य कहीं भी अल्पशक्ति ट्रांसमीटर को इस तरह नही जोड़ा गया है। केवल उच्च शक्ति ट्रांसमीटरों को ही जोड़ा गया है।

बंगला ट्रांसमीशन से पश्चिम बंगाल की केवल 15 प्रतिशत जनता कवर नहीं हुई है। दूरदर्शन विस्तार के भावी कार्यक्रमों में मिदनापुर और खड़गपुर में भी बंगला भाषा के कार्यक्रम देखे जा सकेंगे।

श्री नारायण चौबे : आंकड़े बहुत खतरनाक पहलू हैं। मैं नहीं समझता कि यह आंकड़े सही हैं कि केवल 15 प्रतिशत व्यक्ति ऐसे कार्यक्रम नहीं देख पाते। आप कह सकते हैं कि अधिकारी आपको आंकड़े देने में सहायता कर रहे हैं। मिदनापुर की जनसंख्या 80 लाख है 60-70 लाख लोगों के पास टेलीविजन है। पश्चिम बंगाल में 6 करोड़ मजदूर हैं। स्वाभाविक है कि आप बड़े आराम से कह सकते हैं कि 85 प्रतिशत लोगों तक कार्यक्रम पहुंचते हैं। शेष 15% के सम्बन्ध में आप उत्तर दे सकते हैं मैं नहीं जानता······

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : और कोई काम नहीं है आपको? पोपुलेशन एक्सप्लोजन कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री नारायण चौबे : मिदनापुर ने भारत के स्वतन्त्रता संघर्ष मे बड़ी गौरवपूर्ण भूमिका निभाई है। इसीलिए वहां टेलिवीजन नहीं है।

इस जिले की जानबूझकर उपेक्षा की जा रही है। मैं टेलिवीजन विस्तार की भारी योजना के लिए संसाधनों की उपलब्धता के बारे में जानना चाहता हूं।

[हिन्दी]

कब बाप मरेगा, कब बैल मिलेगा ?

[अनुवाद]

जब पिता मरेगा तो बैलों को आपस में बांटा जाएगा। आप उच्च शक्ति ट्रांसमीटर कब लगाने जा रहे है ताकि हम कलकत्ता के कार्यक्रम देख सकें ?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : उन बेचारों ने क्या कसूर किया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : बैल मिलने के लिए पिताजी को क्यों मरवा रहे हैं ?

[अनुवाद]

श्री एस० कृष्ण कुमार : यह तथ्य यह है कि मिदनापुर में एक अल्पशक्ति ट्रांसमीटर लगाया गया था'''जैसा कि माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, यह मूल ट्रांसमीटर से केवल 15 किलोमीटर की दूरी पर लगाया गया है—मिदनापुर जिले में केन्द्र सरकार द्वारा ली गई अतिरिक्त दिलचस्पी का द्योतक है। इसकी विवेचना इस तरह की जानी चाहिए। (व्यवधान) मेरे द्वारा दिए गए तथ्य बिलकुल ठीक हैं। पश्चिम बंगाल की केवल 15% जनता तक बंगला कार्यक्रम पहुंचाए जाना शेष है। पंजाब के अलावा देश के सभी राज्यों से यह प्रतिशत सबसे कम है। हमने दूरदर्शन के विकास के लिए स्थायी कार्यक्रम बनाए हैं और समूची ट्रांसमीशन प्रणाली के वैज्ञानिक वितरण के आधार पर यथा समय अल्पशक्ति ट्रांसमीटरों के स्थान पर उच्च शक्ति ट्रांसमीटर लगाए जाएंगे। उस समय इस पर भी विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

डा० सुधीर राय : महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि व्यावहारिक रूप से बर्दवान जिले में भी यही स्थिति है, जो कृषि तथा उद्योग दोनों ही तरह से विकसित है।

श्री बासुदेव आचार्य : यहां की संस्कृति भी समृद्ध है।

अध्यक्ष महोदय : यहां जनसंख्या भी अधिक है।

डा० सुधीर राय : बर्दवान जिला कलकत्ता से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। किंतु हम कलकत्ता केन्द्र से प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम नहीं देख पाते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हमें दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने के लिए कलकत्ता जाना पड़ता है।

डा० सुधीर राय : हम केवल राष्ट्रीय कार्यक्रम देख पाते हैं। इससे सरकार के इस दृष्टिकोण का पता चलता है कि बेहतर होगा कि प्रादेशिक संस्कृति को दबा दिया जाए। अतः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या वह कुछ प्रबंध करेंगे ताकि बर्दवान की जनता कलकत्ता केन्द्र द्वारा प्रसारित सभी टी० वी० कार्यक्रमों का आनंद उठा सके।

अध्यक्ष महोदय : इसका भी यही उत्तर है। मैंने आपको यही बताया है।

पेट्रो-रसायन उद्योग संबंधी समिति

*588. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के पेट्रो-रसायन उद्योग द्वारा प्रस्तुत विभिन्न प्रस्तावों की जांच के लिए कोई समिति गठित की गई थी, और

(ख) यदि हां, तो इस समिति की सिफारिशें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ऐसे सभी प्रस्तावों की जांच करने के लिए रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग में कोई

समिति गठित नहीं की गई है। फिर भी, कुछ प्रमुख पेट्रो-रसायन परियोजनाओं के गुणावगुणों की जांच करने के लिए कभी-कभी तदर्थ समितियां नियुक्त की जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती हूं कि क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय अवधि में पेट्रोरसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गम्भीर है और यदि हां तो आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में ऐसे उद्योगों में कितनी धनराशि लगाने का विचार है। क्या सरकार के समक्ष चालू पेट्रो-रसायन उद्योगों के विस्तार और आधुनिकीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है ? चालू संयन्त्रों के आधुनिकीकरण और विस्तार से उत्पादन क्षमता में कितनी वृद्धि होगी ? आठवीं योजना के दौरान कौन-कौन सी नई परियोजनाएं शुरू की जाएंगी ?

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, योजना आयोग ने प्रो० आबिद हुसैन की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। समिति 12 जुलाई, 1988 को नियुक्त की गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और यह सरकार के पास विचाराधीन है।

श्रीमती बसवराजेश्वरी : महोदय, मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहती थी कि क्या किसी समिति का गठन किया गया था। माननीय मंत्री ने कहा है कि एक समिति का गठन किया गया है। बहरहाल, मैं मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूं कि पेट्रो-रसायन उद्योग शुरू करने के लिए आज तक कितने आवेदन-पत्र लम्बित पड़े हैं और यदि हां तो सरकार ऐसे लाइसेंसों को कब स्वीकृति प्रदान करेगी।

श्री जे० वेंगल राव : महोदय, मैं इस प्रश्न का जवाब दे चुका हूं कि क्या सरकार एक समिति का गठन करेगी। मैं पहले ही कह चुका हूं कि योजना आयोग ने यह समिति गठित की थी। वास्तव में इसके द्वारा की गई सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं। लम्बित आवेदन पत्रों के सम्बन्ध में पूर्ण जानकारी मिलने के बाद मैं अपनी बहन को बता दूंगा।

श्री पराग चालिहा : मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या असम में दूसरा पेट्रो-रसायन उद्योग लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है और यदि हां तो उसकी क्या स्थिति है।

श्री जे० वेंगल राव : समिति की एक सिफारिश में असम में गैस पर आधारित पेट्रो-रसायन उद्योग लगाने का प्रावधान है। इसका भी जिक्र किया गया था।

श्री बसुदेव आचार्य : पश्चिम बंगाल में हल्दिया पेट्रो-रसायन काम्प्लैक्स का प्रश्न कई बार उठाया गया है। 11 वर्ष बाद जी अभी तक यह स्वीकृति नहीं दी गई क्या मैं माननीज मंत्री से यह जान सकता हूं कि हल्दिया में पेट्रो-रसायन उद्योग लगाने हेतु स्वीकृति के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को कितने समय तक इन्तजार करना होगा ?

श्री जे० वेंगल राव : यह प्रश्न आठवीं योजना के बारे में है। परन्तु मानीय सदस्य पांचवीं योजना अवधि से सम्बन्धित प्रश्न पूछ रहे हैं। इसका उत्तर मैं कैसे दे सकता हूं ? **(व्यवधान)**

दिल्ली परिवहन निगम को होने वाले घाटे के बारे में उच्च
अधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशें

[हिन्दी]

\+

*590. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया :**

श्री विनेश गोस्वामी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायमूर्ति आर० बी० मिश्र की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने दिल्ली परिवहन निगम को लगातार होने वाले घाटे के कारणों पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो समिति ने इस सम्बन्ध में क्या सिफारिशें की हैं;

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न ही पैदा नहीं होते हैं।

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मैं माननीय सदस्य का अत्यधिक सम्मान करता हूं। परन्तु मुझे खेद है कि मेरे प्रश्न का उत्तर देने में उन्होंने आधा मिनट भी नहीं लगाया। **(व्यवधान)**

[[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अक्लमन्द को इशारा ही काफी होता है।

[अनुवाद]

श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया : महोदय, मेरा प्रश्न यह था :

"(क) क्या न्यायमूर्ति आर० बी० मिश्र की अध्यक्षता में गठित उच्च शक्ति प्राप्त समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने दिल्ली परिवहन निगम को लगातार होने वाले घाटे के कारणों पर विचार किया है।"

प्रथम भाग का उत्तर देते समय मन्त्री जी ने—क्या समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति मिश्र थे—कहा है : "जी, हां।" परन्तु भाग (ख) में उल्लिखित घाटे के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है : "जी, नहीं।" परन्तु भारतीय जनता पार्टी प्रमुख श्री एम० एल० खुराना ने एक वक्तव्य दिया था जिसमें कहा गया है कि दिल्ली परिवहन निगम को हुये घाटे के बारे में न्यायमूर्ति मिश्र समिति ने चर्चा की थी। मिश्र समिति ने कहा है कि पी० टी० सी० मद्रास के पास 2,277 बसों का बेड़ा है और 8.5 व्यक्ति प्रति बस कार्यरत है और घाटा केवल 5.50 करोड़ रुपए है। जबकि दिल्ली परिवहन निगम के पास 4,269 बसों का बेड़ा है और 9.7 व्यक्ति प्रतिबस कार्यरत है और घाटा 164 करोड़ रुपए है। यह आश्चर्य की बात है कि एक ओर तो मिश्रा समिति का उल्लेख हुए यह कहा जाता है कि उन्होंने मामले की पूरी छानबीन की है जबकि उत्तर में वह कहते हैं कि इस पर कभी विचार नहीं किया गया। सही व्यक्ति कौन है ?

श्री जे० वेंगल राव : मैं सही व्यक्ति हूं क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि वह मेरा अत्यधिक सम्मान करते हैं। मिश्र समिति की नियुक्ति केवल वेतनमानों में संशोधन, सरकारी

मंहगाई भत्ता प्रणाली में अन्तर तथा चौथे वेतन आयोग द्वारा प्रस्तुत मंहगाई भत्ता प्रणाली में अन्तर के लिए की गई थी, दिल्ली परिवहन निगम के घाटे के सम्बन्ध में नहीं। यह बात इस समिति के निदेश पदों में नहीं थी। यही कारण है कि मैंने इस प्रकार उत्तर दिया है। यदि उन्हें और जानकारी चाहिए तो उन्हें प्रश्न जल-भूतल परिवहन मन्त्री से पूछना चाहिए, वह उत्तर देंगे।

अध्यक्ष महोदय : घाटे तथा मुनाफे के लिए।

अध्यक्ष महोदय : डा० वी० वेंकटेश—अनुपस्थित।

श्री गुरुदास कामत—अनुपस्थित।

श्री जे० वेंगल राव : हमने सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार किए हैं...

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, श्रीमान। आपसे यही आशा की जाती है।

श्री श्रीनिवास प्रसाद।

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा पुर्जों का आयात

*593. **श्री वी० श्री निवास प्रसाद :**

श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त अधिकांश पुर्जों का आयात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा प्रयुक्त ऐसे पुर्जों का ब्यौरा क्या है जिनका आयात किया जाता है और इन पुर्जों का आयात किन-किन फर्मों से किया जाता है;

(ग) मोटर गाड़ियों के मूल्यों को बढ़ने से रोकने तथा कम करने के लिए सरकार को पुर्जों का आयात किए जाने के स्थान पर देश में उन्नत मोटर गाड़ी पुर्जों के निर्माण हेतु सक्षम उद्योग स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, मारुति कार, ओमनी तथा जिप्सी के लिए आयात किए जा रहे हिस्से-पुर्जों को बताने वाली एक सूची अनुलग्नक के रूप में सलग्न है। इन हिस्से-पुर्जों का आयात सुजुकी मोटर कम्पनी, जापान से किया जा रहा है।

(ग) सरकार ने स्वदेशी आटो-कम्पोनेंट इण्डस्ट्री को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन तथा आधुनिकीकरण करने के लिए बढ़ावा दिया है। इसे प्राप्त करने के लिए किए गए कुछ उपायों में ये शामिल हैं :

(1) आटोमोबाइल कम्पोनेंट इण्डस्ट्री को लाइसेंस मुक्त करना।

(2) लघु उद्योग क्षेत्र से अनेक आटोमोबाइल कम्पोनेंट को आरक्षण मुक्त करना।

(3) जिग्स, फिक्सचर्स, डाइज, पैटर्न, मोल्ड्स, प्रेस टूल्स तथा प्रेस टूल्स के हिस्सों पर आयात शुल्क में कटौती करना।

(4) आटो कम्पोनेंट के लिए बांड बैंकिंग योजना लागू करना।

(5) विद्यमान एककों द्वारा आधुनिकीकरण तथा उन्नयन के लिए जानकारी के चयनात्मक आयात के बारे में उदार नीति अपनाना।

अनुलग्नक

मारुति उद्योग लिमिटेड द्वारा आयात किए जा रहे पुर्जें

(क) कार और ओमनी के लिए

1. कवर एग्जास्ट मैनीफोल्ड
2. कारबुरेटर असेम्बली
3. कोन रॉड असेम्बली
4. वाशर मोटर एण्ड पम्प असेम्बली
5. बीयरिंग्स
6. केस डिस्ट्रीब्यूटर
7. ऑयल पेन
8. ट्रांसमिशन मॉउटिंग्स
9. इंजिन माउंटिंग्स
10. कोन रॉड बीयरिंग्स
11. गियर्स
12. थर्मोस्टेट
13. रिंग सैट पिस्टन
14. बेल्ट टाइमिंग
15. हब
16. बियरिंग क्रेंक थ्रस्ट
17. फ्रेम्स
18. सिन्क्रोनाइजर स्लीव्ज
19. हाइ टैन्सन कोड्स
20. मॉल्डिंग रूफ
21. सर्टेन होजेज
22. सर्टेन फास्टनर्स

(ख) जिप्सी के लिए

1. कवर एग्जास्ट मैनीफोल्ड
2. केस डिस्ट्रीब्यूटर
3. कारबुरेटर असेम्बली
4. एक्सटेंशन कॉम्प० सेन्टर फ्लोर साइड आर० एण्ड एल०
5. सैटा असेम्बली फ्रन्ट डोर आर० एण्ड एल०

6. कार असेम्बली रियर बम्पर
7. लॉक असेम्बली रियर गेट
8. फैन इंजिन कूलिंग
9. केबल असेम्बली चोक
10. केबल असेम्बली क्लच
11. ग्राउण्ड फार्म
12. रियर शॉक एब्जार्बर
13. स्टेबिलाइजर असेम्बली फ्रन्ट
14. रैड असेम्बली फ्रन्ट स्टेबिलाइजर
15. ट्रिप काम्प० फ्रन्ट डियर ओपनिंग
16. रिंग सेट ओपनिंग
17. थर्मोस्टेट
18. बेल्ट टाइमिंग
19. सिन्क्रोनाइजर हब
20. बियरिंग क्रैंकशैफ्ट
21. बियरिंग क्रैंकथ्रस्ट
22. हब असेम्बली लॉकिंग
23. सीपट्स ट्रांस्फर सेट
24. बियरिंग्स
25. सिन्क्रोनाइजर रिंग
26. ब्रेक असेम्बली सेन्टर
27. रियर एक्सेल असेम्बली
28. ट्रांसमिशन गियर्स
29. शीट फ्रन्ट फ्लोर साइलेन्सर
30. वॉशर मोटर हाई टेन्शन कॉर्ड सेट
31. इंजिन माउंटिंग्स
32. स्पीडोमीटर असेम्बली
33. स्विच असेम्बली कोम्बि
34. पैनल्स
35. फास्टनर्स

श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं यह बात समझता हूं कि मारुति उद्योग लिमिटेड यात्री कारों की कीमतों में वृद्धि के बारे में चिन्तित है और यह महसूस करता है कि इसे केवल देश में एक बहुत मजबूत तथा क्वालिटी आटोमोबाइल कम्पोनेन्ट उद्योग का विकास करके ही रोका जा सकता है। बजट के बाद स्टैंडर्ड मारुति कार की कीमत 6'00 रुपए की वृद्धि के साथ 8600 रुपये तय की गई थी। इसमें अन्य प्रभार जोड़ने होंगे। जब 1983 में मारुति उद्योग लिमिटेड की स्थापना की गई थी तो जनता कार की कीमत 47000 रुपये रखी गई थी। यहां तक कि मारुति उद्योग लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक ने भी बताया कि जब तक बजट, वित्तीय तथा आधारभूत प्रोत्साहनों द्वारा स्वदेशी कम्पोनेन्ट उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जाता तब तक आटोमोबाइल उद्योग अन्तिम उत्पाद यानि कि कार के मूल्य में वृद्धि को नहीं रोक सकेगी।

इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि देश में मजबूत तथा गुणवत्तात्मक आटोमोबाइल कम्पोनेन्ट्स बनाने के लिए कौन से कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है।

श्री जे० वेंगल राव : जैसाकि माननीय सदस्य ने कहा है, कार की कीमत बढ़ गई है। कार की वास्तविक गत्पादन लागत केवल 50,000 है, बाकी कर हैं।

स्वदेशीकरण के बारे में सभी वाहनों के लिए 83.23% स्वदेशीकरण है। कार के लिए हमने 86.23% स्वदेशीकरण प्राप्त कर लिया है। 1990-91 में स्वदेशीकरण 92% हो जायेगा।

[हिन्दी]

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : अध्यक्ष महोदय, पब्लिक अन्डरटेकिंग्स में स्थापित मारुति उद्योग कारों में एयर कंडीशनर लगाता है और उसके 22000 रुपए लेता है। उसी मेक का, उसी कम्पनी का, उसी क्वालिटी का वही एयर कंडीशनर मार्केट में 16000 रुपए का मिलता है। अगर कोई वह 16000 रुपए का लगवा लेता है तो मारुति उद्योग उसका गारंटी पीरियड समाप्त कर लेता है। इसे मारुति उद्योग की लूट कहें, बेईमानी कहें, धोखाधड़ी कहें, माननीय मन्त्री महोदय कैसे इस पर रोक लगाएंगे।

[अनुवाद]

श्री जे० वेंगल राव : यदि माननीय सदस्य मुझे लिखें तो मैं निश्चित रूप से पता लगाऊंगा कि वे इतना अधिक कैसे ले रहे हैं और इसका हल क्या है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ऐसा है कि स्पेयर्स में करके दुगना-तिगुना कर लेते हैं, इसकी बात तो करनी है। हां मिश्रा जी आप बोलिए।

डा० प्रभात कुमार मिश्र : अध्यक्ष महोदय, मैं यही प्रश्न करना चाहता था, लेकिन इसका जवाब नहीं आया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री बनवारी लाल पुरोहित—अनुपस्थित।

अब मैं सूची फिर पढ़ता हूं।

श्री जगन्नाथ पटनायक—अनुपस्थित।

श्री आर० एम० भोये—अनुपस्थित।

श्री राम प्यारे सुमन—अनुपस्थित।

श्री नरसिंह सूर्यवंशी—अनुपस्थित।

प्रो० रामकृष्ण मोरे—अनुपस्थित।

प्रो० नारायण चन्द पराशर—अनुपस्थित।

श्री वाई० एस० महाजन—अनुपस्थित

डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी।

रसोई गैस की बेनामी एजेंसियां

*581. **डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न स्थानों पर रसोई गैस की बेनामी एजेंसियों की जानकारी मिली है;

(ख) उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों पर इस प्रकार की एजेंसियों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन मामलों में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) देश में "बेनामी आधार पर चलायें जा रहे, एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों के पांच मामलों का तेल कम्पनियों ने पता लगाया है।

(ख) उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में ऐसे मामले नही पकड़े गये हैं; और

(ग) पांच वितरण केन्द्रों में से तीन केन्द्र पहले ही समाप्त कर दिये गये हैं और शेष दो मामलों में संबंधित तेल कम्पनी द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

[हिन्दी]

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेनामी गैस एजेंसियों के बारे में जो प्रजेंट सिस्टम है इन्क्वायर करने का, एग्जामिन करने का, पता लगाने का, उसमें जिस आदमी के नाम से एजेंसी ली जाती है, उसी आदमी से पूछा जाता है कि क्या यह तुम्हारी है, वह कहता है हां मेरी है। कोई ऐसा मेकेनिजम निकाला जाना चाहिए जिससे बेनामी एजेंसीज का पता लगाया जा सके। वार विडोज रिजर्व लिस्ट बढ़ती जा रही है, हमारे पास स्पेसिफिक केसेस हैं जिनमें डिस्ट्रिक्ट मेजिस्ट्रेट ने इन्क्वारी की है और रिजल्ट निकाला है कि यह बेनामी है, लेकिन आयल कंपनीज का जो प्रजेंट सिस्टम है, उससे बेनामी का पता नहीं लग पाता है। इस तरह से बेनामी एजेंसीज बढ़ती जा रही हैं, लोग मुनाफा कमा रहे हैं और देश को धोखा दे रहे हैं। इसलिए कोई ऐसा मेकेनिजम निकाला जाना चाहिए जिससे बेनामी का पता लग सके, इसमें आफिशियल और नान आफिशियल को भी शामिल करके एक कमेटी बनाई जाए ताकि बेनामी एजेंसीज का पता लग सके।

श्री ब्रह्म दत्त : महोदय, यह समस्या तो है लेकिन इसके निदान के लिए हमने पहले से ही प्रावधान किया हुआ हैं. जब हम किसी को एजेंसी देते है या उसके साथ अनुबन्ध करते हैं। इसके

अलावा समय समय पर निरीक्षण भी करते रहते हैं, हमारे यहां इस कार्य के लिए विजिलेंस सैल है। फिर हर ऑयल कम्पनी भी देखभाल करती रहती है। सबसे बड़ी चैक तो यह है कि जब हमारे पास कोई पब्लिक कम्पलेंट आती है तो हम उस एजेंसी के बारे में सारी मालूमात करते हैं, सबूत हासिल करते हैं और जैसा मैंने उत्तर में बताया, अब तक तीन वितरण केन्द्रों को समाप्त कर दिया गया है। इस सब के बावजूद हमारे प्रयास जारी रहेंगे कि किसी प्रकार की बेनामी ट्रांजैक्शन न होने पाये या बेनामी एजेंसी चलने न पाये।

डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया कि उत्तर प्रदेश में, किसी भी जिले में, बेनामी आधार पर चलने वाले किसी एल० पी० जी० वितरण केन्द्र की जानकारी इन्हें नहीं है, कोई मामला नहीं पकड़ा गया है लेकिन मेरे पास जिला बस्ती की आदर्श गैस एजेंसी का केस है, जिसमें जिला अधिकारी ने शासन को लिखा है कि यह एजेंसी बेनामी चल रही है, काफी छानबीन के बाद उन्होंने अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट भेजी है। यदि केन्द्रीय सरकार उसके बावजूद सदन में यह कहे कि उत्तर प्रदेश में कोई बेनामी एजेंसी नहीं चल रही है तो उससे ऐसा लगता है कि आपकी इन्वेस्टीगेटिंग एजेंसी, विजिलेंस सैल या आयल कम्पनीज की निगरानी या तो काम्पीटेंट नहीं है या वे थौरो एग्जामिनेशन नहीं कर पाते हैं। मेरे पास उस कम्पनी की रिपोर्ट और दूसरे सबूत हैं। बस्ती के एक विधायक द्वारा प्रश्न उठाये जाने पर, इस कम्पनी की जांच करायी गयी और जिला अधिकारी ने इस कम्पनी को अपनी रिपोर्ट में बेनामी घोषित किया है। इसके बावजूद सरकार के पास कोई सूचना न होना समझ में नहीं आता। यदि बस्ती में कोई बेनामी डिस्ट्रीब्यूटरशिप है तो मंत्री जी उसके प्रिवेंशन के लिये क्या कदम उठाने जा रहे हैं।

श्री ब्रह्म दत्त : मान्यवर, दुर्भाग्य यह है कि एक विधायक ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऐसी शिकायत की थी जिसकी उन्होंने जांच करायी। यदि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जांच में ऐसा पायेंगे कि वह एजेंसी बेनामी है तो निश्चित रूप से उसे टर्मिनेट कर दिया जायेगा लेकिन मुझे यह कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है कि अन्य स्रोतों से हमें ऐसी शिकायतें भी मिली हैं, जहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने एजेंसी तोड़ दी, वहां हमारे सामने दिक्कतें पैदा हो गयीं। लेकिन हम असलियत का पता चलने पर कार्यवाही अवश्य करेंगे, यदि कोई बेनामी ट्रांजैक्शन होता पाया जायेगा तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था निस्संकोच की जायेगी।

श्री बीर सेन : अध्यक्ष महोदय, कितनी हमारी रिजर्व्ड कैटेगरीज हैं या अनएम्पलायड ग्रेजूएट्स हैं उन्हें गैस की एजेंसी देते समय यह शर्त लगायी जाती है कि उनके पास डेढ़ लाख रुपया कैश होना चाहिये या वे किसी अपने दोस्त से दिखा दें, मैं समझता हूं कि यह शर्त ऐसी है जिससे खुद-ब-खुद बेनामी ट्रांजैक्शन या बेनामी डीलरशिप को बढ़ावा मिलता है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या माननीय मंत्री जी इस शर्त को हटाने पर विचार करेंगे विशेषकर रिजर्व्ड कैटेगरीज, शेडयूल्ड कास्टस एण्ड शेडयूल्ड ट्राइब्स के सम्बन्ध में इस शर्त को हटाया जायेगा। आप उन्हें बैंकों से रुपया दिलवाने में मदद करें ताकि वे खुद अपने नाम से धंधा करें और उन्हें किसी दूसरे व्यक्ति या फाइनैंशियल ऐड पर डिपेंड न करना पड़े।

श्री ब्रह्म दत्त : माननीय सदस्य तो अब बैंकों के जरिये सहायता की सजैस्शन दे रहे हैं, लेकिन कुल कीमत का 75 परसेंट भाग तो भाग तो पहले ही बैंकों द्वारा दिए जाने की व्यवस्था हमारे यहां है। इसके बावजूद यदि किसी व्यक्ति में क्षमता नहीं होती, उसे इससे भी ज्यादा सहायता की आवश्यकता हो तो उसमें भी हम रिकमैंड करते हैं और बैंकों द्वारा और ज्यादा मात्रा में मदद की जाती है। मेरा

ख्याल है कि माननीय सदस्य उन लोगों को सलाह दें कि बेनामी ट्रांजैक्शन की बजाय, दूसरे तरीकों से शोषित होने की बजाय, वे बैंकों से सहायता लें।

श्री वीर सेन : बैंकों से सहायता दिए जाने का प्रावधान तो है लेकिन आप ने जो शर्त लगा रखी है, मैं चाहता हूं कि आप उस शर्त को क्यों नहीं हटा देते। जब क्रैडिट देने वाले इंस्टीटयूशन्स तैयार हैं तो आपको इस शर्त को हटा देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री ब्रह्म दत्त : शर्त तो मात्र पूंजी-निवेश की है, लेकिन हम बैंकों के जरिये उस पूंजीनिवेश की व्यवस्था कराने में मदद करते हैं। यदि वे लोग खुद प्रयास करें तो उन्हें कोई बाध्य नही कर सकता।

श्री वीर सेन : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न तो बड़ा सीधा है।

अध्यक्ष महोदय : बस हो गया।

श्री राज कुमार राय : अध्यक्ष महोदय, बेनामी के पीछे कई कारण होते हैं, कुछ आदमी तो पैसा नहीं लगा सकते, इसलिए बेनामी ट्रांजैक्शन होते हैं, दूसरे आपने इसमें समय स्पेसिफाइड कर रखा है, एजेंसी देते वक्त आपकी शर्त होती है कि इतने समय तक वह एजेंसी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं की जा सकती, बेची नहीं जा सकती, किसी को पार्टनर नहीं बनाया जा सकता, मैं समझता हूं कि इस वजह से भी बेनामी ट्रांजैक्शन चलते हैं। क्या माननीय मन्त्री जी इस कार्य में लगाये गये समय-सीमा के बंधन को कुछ कन्सेशन देन या हटाने, या कम करने के बारे में विचार करेंगे कि इसके बाद यदि कोई चाहे तो अपनी डीलरशिप किसी के पक्ष में ट्रांसफर कर दे, क्या आप ऐसे आदेश जारी करेंगे, नियम बनायेंगे।

श्री ब्रह्म दत्त : यदि समय कम किया गया फिर तो यह रैकेट बना कर रह जायेगा और हर आदमी पैसा लेकर ट्रांसफर करना चाहेगा।

अध्यक्ष महोदय : क्वैश्चन ऑवर इज ओवर।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

उद्योगों में सुझाव योजना

[अनुवाद]

*575. **श्री जगन्नाथ पटनायक :**

श्री आर० एम० भोये : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में सुझाव योजना के प्रति जागरुकता पैदा करने तथा कर्मचारियों से सुझाव आमंत्रित करने हेतु खुली बैठकें आयोजित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा 1971 और 1975 में जारी किए गए अपने मार्ग-निर्देशों में सरकारी क्षेत्र के उद्यमों में सुझाव योजना लागू करने की आवश्यकता पर बल दिया गया है।

सरकारी उद्यमों के लिए कार्य-निष्पादन में श्रेष्ठता हेतु 1986 में शुरू की गई पुरस्कार योजना में समग्र कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ "सुझाव योजना लागू करना" एक प्राचल के रूप में शामिल किया गया है।

अधिकांश सरकारी उद्यमों में सुझाव योजना लागू है तथा कर्मचारियों से प्राप्त अनेक सुझाव प्रबन्धकों द्वारा स्वीकार तथा कार्यान्वित कर दिए गए हैं।

डाक और तार विभाग के कर्मचारियों की समयबद्ध पदोन्नति

[हिन्दी]

*576. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने डाक और तार विभाग के कर्मचारियों को समयबद्ध पदोन्नति देने के बारे में 29 अगस्त, 1988 को एक आदेश जारी किया था, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को यह आदेश चार महीने की अवधि के भीतर कार्यान्वित करने का निदेश दिया है,

(ग) यदि हां, तो क्या उक्त आदेश को निर्धारित अवधि के अन्दर कार्यान्वित कर दिया गया है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं,

(घ) क्या सरकार उच्चतम न्यायालय के इन आदेशों का तत्काल कार्यान्वित किया जाना सुनिश्चित करेगी, और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) से (ङ) उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि संघ सरकार डाक-तार विभाग में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों को अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती है जो कि भारत सरकार के अन्य विभागों के ऐसे कर्मचारियों को मिल रहे अतिरिक्त लाभ के समान हो सकते हैं। ऐसा किस ढंग से किया जाना है, यह भारत सरकार के विवेक पर छोड़ दिया गया है जिसे सेवा की कार्यकुशलता बनाए रखते हुए बिना किसी हानि के कार्यान्वित किया जाना है।

2. उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए आदेश के अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के लिए विभिन्न विभागों से संबद्ध विभिन्न मुद्दों की विस्तृत जांच की आवश्यकता है। मामले में पहले ही प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उच्चतम न्यायालय से समय सीमा बढ़ाने का आग्रह किया गया है।

पुराने समाचारपत्रों की स्याही मिटा कर उनका कच्चे माल के रूप में उपयोग करना

[अनुवाद]

*577. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट द्वारा विकसित एक प्रक्रिया द्वारा पुराने समाचार पत्रों की स्याही मिटायी जा सकती है और उनका अखबारी कागज के निर्माण के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जा सकता है, जैसा कि 31 मार्च, 1989 के 'डेक्कन हेराल्ड' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या स्याही मिटायी गई लुगदी का अखबारी कागज बनाने के लिए परीक्षण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) क्या विदेशी मुद्रा की बचत और वन सम्पदा के संरक्षण के लिए इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ङ) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला जोरहाट ने पुराने समाचार-पत्रों की स्याही मिटाकर अखबारी कागज का निर्माण करने के लिए प्रयोगशाला स्केल पर एक प्रक्रिया विकसित की है। मार्गदर्शी संयंत्र (पाइलेट प्लांट) और छपाई योग्यता संबंधी परीक्षणों से संतोषजनक मजबूती और मुद्रण गुणवत्ता का पता चला है। इस प्रक्रिया को अभी वाणिज्यिकृत नहीं बनाया गया है तथा इसका और तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है।

मारुति कारों का हंगरी को निर्यात

***578. प्रो० राम कृष्ण मोरे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने कारों के निर्यात के बारे में हंगरी सरकार से समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की शर्तें क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का संयुक्त उद्यम स्थापित करने का भी विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड ने प्रतिवर्ष 5,000 कारों का निर्यात करने के लिए हंगरी के मे० मोगर्ट के साथ एक पांच वर्षीय करार किया है। इस करार के अधीन, मारुति उद्योग लिमिटेड हंगरी से प्रतिवर्ष 500 कारों के मूल्य के बराबर मोटर-गाड़ी के हिस्से-पुर्जों का आयात करेगा।

(ग) जी, नहीं।

"शार्ट डिस्टेंस कालिंग एरिया स्कीम"

***579. प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दूरसंचार दरों के लिए "शार्ट डिस्टेंस कालिंग एरिया स्कीम" को स्वीकार कर लिया है जिसे पहले "यूनिट फी जोन स्कीम" कहा जाता था,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे किस तिथि से लागू किया गया है और देश को कितने "शार्ट डिस्टेंस कालिंग" क्षेत्र में बांटा गया है और तत्संबंधी निर्धारित दूरी का ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं और यह योजना कब लागू की जायेगी ?

संचार मन्त्री (श्री वीर बहादुर सिंह) : (क) इस प्रकार की एक स्कीम दूरसंचार विभाग के विचाराधीन है।

(ख) "शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया" निर्धारित किए जा रहे हैं। इस परिवर्तन के लिए आवश्यक सभी तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी हो जाने के पश्चात् ही इस स्कीम को लागू करने की तारीख निश्चित की जा सकती है।

(ग) "शार्ट डिस्टेंस चार्जिंग एरिया" के निर्धारण का कार्य चल रहा है। इस स्कीम को उस स्थिति में शुरू किया जाएगा जब "शार्ट डिस्टेंज चार्जिंग एरिया" के निर्धारण का काम तथा इसे लागू करने से संबंधित अन्य तकनीकी अपेक्षाएं पूरी हो जाएंगी।

एसिटिक एसिड के निर्माण हेतु संयंत्र स्थापित करना

*580. श्री वाई० एस० महाजन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात नर्मदा वैली उर्वरक निगम लिमिटेड ने मेथेनोल पर आधारित एसिड के 40,000 टन वार्षिक उत्पादन हेतु संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव पेश किया है,

(ख) क्या इस प्रस्ताव के विरुद्ध एक या अधिक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस बारे में क्या निर्णय किया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हाँ।

(ख) प्रस्ताव के विरुद्ध मुख्य रूप से आल इंडिया अल्कोहल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एसोसिएशन (ए० ए० बी० आई० डी० ए०), इंडिया शुगर मिल्स एसोसिएशन (आई० एस० एम० ये०) आल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन (ए० आई० डी० ए०) और कुछ व्यक्तियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उनका मुख्य तर्क यह है कि देश में फालतू अल्कोहल उपलब्ध है और एसिटिक एसिड पर आधारित अल्कोहल के लिए नये लाइसेंस जारी किए जाने से इस उत्पाद की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने यह भी कहा है कि जी० एन० एफ० सी० के प्रस्ताव में 35 करोड़ रुपए से अधिक का विदेशी मुद्रा व्यय शामिल है जबकि अल्कोहल से निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी और मशीनें देश में उपलब्ध हैं।

(ग) मेथनोल/कार बोना इलेशन प्रौद्योगिकी के लिए जी० एन० एफ० सी० का विदेशी सहयोग हेतु आवेदन पत्र विचाराधीन है और उस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा।

पेट्रोरसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एजेंसी का गठन

*584. श्री एस० बी० सिदनाल :

श्री जी० एस० बासवराजू : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पेट्रो-रसायन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक एजेंसी गठित करने का निर्णय किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

सिंगरेनी कोयला खानों और मानगुरु कोयला भंडारों से कोयले का उत्पादन

*586. श्री बी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सिंगरेनी कोयला खानों और मानगुरु के विशाल कोयला भंडारों से कोयले के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इसके लिए प्रस्तावित परिव्यय का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के वर्ष 1988-89 के 18.60 मि० टन के वर्तमान उत्पादन को वर्ष 1989-90 में 21.50 मि० टन तथा 1994-95 में 33.59 मि० टन तक बढ़ाए जाने का एक कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है । इस कार्यक्रम में अन्य बातों के साथ-साथ विद्यमान खानों का पुनर्निर्माण/पुनर्गठन, चालू परियोजनाओं का शीघ्र क्रियान्वयन तथा नई परियोजनाओं का खोला जाना शामिल है ।

वर्ष 1988-89 का मानगुरु क्षेत्र का वर्तमान उत्पादन 2.10 मि० टन है तथा इसे वर्ष 1989-90 तक लगभग 2.52 मि० टन बढ़ा दिया जाएगा और यह 1994-95 तक 4.55 मि० टन हो जाएगा । मानुगुरु क्षेत्र में 600 मीटर की गहराई में कोयले के प्रमाणिक भंडार 450 मि० टन होने का अनुमान है और अतिरिक्त कोयले के भंडारों का पता लगाए जाने के लिए अन्वेषण कार्य प्रगति पर है । इसमें से 214 मि० टन कोयले के भंडार का दोहन पहले से ही कार्यरत खानों द्वारा किया जा रहा है तथा बकाया 236 मि० टन कोयले के भंडार अधिकांशतः गहराई वाली खानों में अवस्थित हैं जिसके लिए खान आयोजना का कार्य प्रगति पर है ।

(ख) योजना आयोग द्वारा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान, इसमें राज्य सरकार के अंशदान को छोड़कर, 580 करोड़ रुपए के परिव्यय की राशि को अनुमोदन किया गया है । वर्ष 1989-90 के वार्षिक आयोजनागत परिव्यय की राशि 211 करोड़ रु० निर्धारित की गई है जिसमें आंतरिक तथा बाह्य बजटीय संसाधन की 50 करोड़ रुपए की राशि तथा राज्य सरकार का 11 करोड़ रुपए का अंशदान शामिल है । वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना में मानुगुरु क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं के लिए 55.99 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है । वर्ष 1990-95 की आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० ने इस क्षेत्र के लिए 185 करोड़ रुपए के परिव्यय की राशि का प्रक्षेपण किया है ।

दूरदर्शन केन्द्रों से प्रसारण

*589. श्रीमती मनोरमा सिंह : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार को हाल के दूरदर्शन से होने वाले घटिया प्रसारणों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) दूरदर्शन के नेटवर्क में विभिन्न टी० वी० ट्रांसमीटरों का समग्र निष्पादन संतोषजनक है। तथापि कुछ ऐसे अवसर आए हैं जब कुछेक ट्रांसमीटरों के कुछ पुर्जे खराब हो जाने के कारण उनमें गड़बड़ी पैदा हुई है। इस प्रकार की गड़बड़ियों पर तत्परता से कार्रवाई की जाती है और प्रभावित ट्रांसमीटरों के निष्पादन को पुनः चालू करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। ऐसे भी अवसर आए हैं जब असामान्य रूप से उच्च सौर प्रक्रिया के कारण दूरस्थ टी० वी० ट्रांसमीटरों से सिगनलों के दीर्घ दूरी प्रेषण अनियमितता के कारण पिछले कुछ महीनों के दौरान कुछ ट्रांसमीटरों के सम्ग्रहण में प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। अब इस स्थिति में सुधार हो गया है।

मद्रास में पेट्रो रसायन परियोजना

*591. डा० वी० वेंकटेश : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने मद्रास में स्थापित की जाने वाली पेट्रो रसायन परियोजना को मंजूरी दे दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या सरकार ने भारतीय उद्यमी तथा उनके विदेशी सहयोगी अर्थात दोनों से विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त की है, और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी रिपोर्ट न मांगने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) मद्रास रिफाइनरीज लि० को निम्नलिखित के निर्माण के लिए 6-2-1987 को एक आशयपत्र प्रदान किया गया है :

(1)	आरथो जाइलीन	30,000 टीपीए
(2)	बेन्जीन	30,000 टीपीए
(3)	प्योरिफाइड टेरेफथेलिक एसिड	150,000 टीपीए

सरकार ने मद्रास में एरोमेटिक/पी०टी०ए० परियोजना के लिए विस्तृत संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने हेतु परियोजना से पहले के कार्यकलापों को शुरू करने के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए मद्रास रिफाइनरी लि० को प्रथम चरण स्वीकृति प्रदान कर दी है।

सरकार ने इस काम्प्लेक्स की स्थापना के लिए एम० आर० एल० के साथ सह संवर्धक रूप में मे० स्पिक का चयन करने की भी स्वीकृति प्रदान कर दी है।

ऐसी कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

मद्रास रिफाइनरी लि० से यथाशीघ्र लेकिन अधिक से अधिक 30 नवम्बर, 1989 तक संभाव्यता रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा कोयले के उत्पादन का लक्ष्य

*592. श्री गुरुदास कामत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० द्वारा वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान कोयले के उत्पादन हेतु कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया;

(ख) वर्ष 1987-88 का लक्ष्य किस सीमा तक प्राप्त किया गया; और

(ग) वर्ष 1988-89 के लिए निर्धारित लक्ष्य दिसम्बर, 1988 तक कितना प्राप्त कर लिया गया था ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के पिछले दो वर्षों का लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(मिलियन टन में)

वर्ष	लक्ष्य उत्पादन	वास्तविक उत्पादन	उपलब्धि
1987-88	27.29	27.30	100.04%
1988-89	28.00	28.04	100.14%
		(दिसम्बर, 1988 तक 18.229)	

एस० टी० डी० टेलीफोन कालों के लिए दो प्रकार की शुल्क दरें लागू करना

*594. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एस० टी० डी० टेलीफोन कॉलों के लिए दो प्रकार की शुल्क दरें लागू करने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यह योजना कब से आरम्भ की जाएगी तथा इससे प्रयोक्ताओं को कितना लाभ होगा ?

संचार मन्त्री (श्री बीर बहादुर सिंह) : (क) राष्ट्रीय एस० टी० डी० कॉलों के लिए मौजूदा "टू-टीयर" दर के स्थान पर "थ्री-टीयर" दर प्रायोगिक आधार पर पहले ही शुरू की जा चुकी है।

(ख) एस० टी० डी० कालों के लिए अब "थ्री-टीयर" लागू होगी। प्रात: 08.00 बजे से सायं 07.00 बजे तक सामान्य एस० टी० डी० दर, सायं 07.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक और प्रात: काल 06.00 बजे से प्रात: 08.00 बजे तक सामान्य एस० टी० डी० दर का 50 प्रतिशत और रात्रि 10.00 बजे से प्रात: 06.00 बजे तक सामान्य दर की लगभग 25 (पच्चीस) प्रतिशत दर लागू होगी। रविवार तथा राष्ट्रीय अवकाश के दिनों में प्रात: 06.00 बजे से रात 10.00 बजे तक एस० टी० डी० काल के लिए सामान्य दर का 50 प्रतिशत प्रभार लिया जाएगा और रात में शेष अवधि के लिए सामान्य प्रभार का लगभग 25 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा।

(ग) यह स्कीम 1-4-1989 से शुरू की गई है। देर रात्रि के समय उपभोक्ता सस्ती दरों पर राष्ट्रीय एस० टी० डी० काल कर सकेंगे।

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाएं

5591. **श्री एन० डेनिस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय देश में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा कितनी परियोजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : देश में राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही परियोजनाओं का विस्तृत विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम के कार्यान्वियाधीन परियोजनाओं की सूची

क्रम सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	रा० प० नि० का कार्यक्षेत्र	क्लाइंट	ठेका देने की तारीख	कार्य का अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
एक	ताप विद्युत परियोजनाएं				
1.	रामागुण्डम स० ता० वि० प० (3×500 मे० वा०) (आ० प्र०)	(1) चरण-2 के लिए मूल पैकिंग (2) राख संचालक संयंत्र	एन० टी० पी० सी०	2/84	1387.00
2.	रिहन्द सु० ता० वि० प० (2×500 मे० वा०) (यू० पी०)	रिहन्द सु० ता० वि० प० के लिए समग्र नागरिक कार्य	एन० टी० पी० सी०	4/84	5150.00
3.	राष्ट्रीय राजधानी विद्युत संयंत्र दादरी (4×210 मे० वा०) (यू० पी०)	कार्य स्थल की स्वीकृति, "लेवलिंग" पुलिया (कलवर्ट्स) आदि सहित कार्यस्थल की तैयारी	एन० टी० पी० सी०	8/87	652.43
4.	फरक्का सु० ता० वि० प० (2×500 मे० वा०) (प० बंगाल)	सी० डब्ल्यू० प्रणाली भाग-1 एवं दो चरण-दो प० सु० ता० वि० प० के लिए नागरिक कार्य	एन० टी० पी० सी०	10/88	863.78

1	2	3	4	5	6
5.	कोरबा कूलिंग टावर्स, कोरबा स० ता० वि० प० (3×500 मे० वा० (म० प्र०)	को स० ता० वि० प० चरण-दो के लिए 6 कूलिंग टावरों का डिजाइन, निर्माण स्थापना एवं उसे चालू करना	एन० टी० पी० सी०	11/84	1200.00
6.	कोरबा (बालको) कैपटीव पावर प्लांट (म० प्र०)	एअर कंडीशनर प्रणाली आदि के लिए उपस्करों का नागरिक सम्बन्धी एवं संरचनात्मक कार्य, आपूर्ति एवं उत्थापन ।	एन० टी० पी० सी०/ बालको	9/84	3100.00
7.	बोकारो "बी० ता० वि० के० (3×210 मे० वा०) (बिहार)	यूनिट 1, 2, एवं 3, चिमनी राख बन्द एवं सड़क कार्यों के लिए नागरिक कार्य	डी० वी० सी०	4×80	3340.00
8.	मैजिया ता० वि० केन्द्र (3×210 मे० वा०) (प० बंगाल)	यूनिट 1, 2, एवं 3 के लिए सामान्य सिविल इंजीनियरिंग कार्य	डी० वी० सी०	11×87	1670.01
9.	तेनघाट ता० वि० प० (2×210 मे० वा०) (बिहार)	चहारदिवारी, हाऊसिंग काम्प्लैक्स मेल/स्थायी स्टोरेज सैण्डो एवं फाउण्डेशन पंकजों का निर्माण	बी० एस० ई० बी०	1/87	1396.94

1	2	3	4	5	6
10.	दुर्गापुर कूलिंग टावर और विविध कार्य, डी० पी० एल० (1 × 110 मे०वा०) (प० बंगाल)	सड़कों एवं निकासी व्यवस्था का निर्माण	डी० पी० एल०	12/84	135.00
क्रम सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	रा० प० नि० कार्यक्षेत्र	क्लाइंट	ठेका देने की तारीख	कार्य का अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
दो	जल विद्युत परियोजनाएं				
1.	सलाल ज० वि० प० (3 × 115 मे० वा०) (जम्मू और कश्मीर)	पावर हाऊस चरण-दो का का निर्माण	एन० एच० पी० सी०	5/82	2660.50
2.	टनकपुर ज० वि० प० (3 × 40 मे० वा०) (यू० पी०)	3 × 440 मे० वा० पी० एच० के लिये पावर हाऊस फोबाई पेनस्टाक्स टी० आर० पी० एवं टी० आर० सी० का निर्माण	एन० एच० पी० सी०	7/85	2210.00
3.	चमेरा ज० वि० प० (हि० प्र०)	बिल्डिंग काम्प्लैक्स-112 यूनिट का निर्माण	एन० एच० पी० सी०	9/87	163.75
4.	टनकपुर-बरेली ट्रांसमिशन लाइन (यू० पी०)	220 के० वी० डी०/सी० पारेषण लाइन (105 कि० मी०) का डिजाइन, निर्माण, स्थापना एवं उसे चालू करना	एन० एच० पी० सी०	7/87	343.64

1	2	3	4	5	6
5.	मखवार ज० वि० प० (हथियारी पावर हाऊस) (2×60 मे० वा०) (यू० पी०)	पावर हाऊस सर्ज टैंक, 2-नम्बर पेनस्टाक एवं एच० आर० सुरंग का निर्माण	उ० प्र० सिंचाई	4/87	2205.85
6.	मनेरी भेली ज० वि० प० (4×76 मे० वा०) (उ० प्र०)	एच० आर० टी०, सर्ज शाफ्ट, पेनस्टाक वाल्व चैम्बर का निर्माण	उ० प्र० सिंचाई	3/81	2559.00
7.	बरंसवाडा पॉवर हाऊस चरण-दो (2×45 मे० वा०) (राजस्थान)	45 मे० वा० (लिलवानी) के दो यूनिटों सहित पावर हाऊस बिल्डिंग के लिए सिविल कार्य	राजस्थान रा० वि० बोर्ड	9/85	600.00
8.	कारबी-लांगपी ज० वि० प० (हथिद्बी बांध) (2×50 मे० वा०) (आसाम)	आनुषंगिक कार्यों सहित कंक्रीट बांध का निर्माण	आसाम रा० वि बोर्ड	9/87	1390.14
9.	राजघाट बांध (3×15 मे० वा०) (उ० प्र०)	चिनाई के बांध (ब्लाक-1-28) का निर्माण	बेतवा नदी बोर्ड	2/81	3140.00
10.	कांगन ज० वि० प० (3×35 मे० वा०) (जम्मू और कश्मीर)	पावर हाऊस कॉम्पलेक्स, फोरबे पेनस्टॉक एवं "टेलरेस का" निर्माण	पी० डी० डी०	2×84	1313.20

1	2	3	4	5	6
11.	अपर इन्द्रावती परियोजना (4×150 मे० वा०) (उड़ीसा)	(क) मूटाम बांध (ख) एच० आ० टी०/सर्ज शाफ्ट का निर्माण	सिंचाई और विद्युत विभाग, उड़ीसा	12/85 3/86	4030.00 1507,69
12.	लोअर परियार ज० वि० प० (3×60 मे० वा०) (केरल)	(क) एल० पी० पी० बांध (ख) एल० पी० पावर हाऊस के लिए सिविल कार्य	केरल रा० वि० बोर्ड	5/87 5/87	1191.45 774.51
13-	तीस्ता ज० वि० प० (2×3×7.5 मे० वा०) (प० बंगाल)	विद्युत केन्द्र-1×111 के लिये पी० एच०, एवं टी० आर० सुरंग का निर्माण	एच० आर० पश्चिमी रा० बि० बोर्ड	12/87	1655.41
14.	रामस ज० वि० प० (4×12.50) (प० बंगाल)	4×12.5 मे० वा० के लिये पावर हाऊस टेस रेस सुरंग एवं सड़क कार्य का निर्माण	पश्चिमी बंगाल रा० वि० बोर्ड	3/87	682.00
15.	बेहरी-ओन-सोन यूनिट (बिहार)	सोन जल विद्युत परियोजना के लिये बेहरी एवं वरुण में पावर हाऊस का निर्माण	बिहार राज्य जल विद्युत कारपोरेशन लिमिटेड	6/86 6/86	450.00 540.00
16.	टेल पुल बांध (बिहार और प० बंगाल)	मिट्टी के बांध "उत्सव मार्ग" डाइकोज रिटेंग दीवारों एवं भूमिगत सस्सीव का निर्माण	डी० वी० सी०	10/79	1050.93

क्रम सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	रा० पा० नि० का कार्यक्षेत्र	क्लाइन्ट	ठेके देने की तारीख	कार्य का अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
तीन	सिंचाई और नदी घाटी परियोजनाएं				
1.	सिंगड़ा बांध (मणिपुर)	मिट्टी बांध का निर्माण	सिंचाई और वन संरक्षण विभाग, मणिपुर	10/75	1600.00
2.	महारानी नहर कार्य (त्रिपुरा)	दायीं और बायीं तट नहरों तथा बायीं द्विशाखन नहर का निर्माण	सिंचाई और वन संरक्षण विभाग त्रिपुरा सरकार	1/87	231.90
3.	खोवई बराज (त्रिपुरा)	खोवई बराज का निर्माण	सिंचाई और वन संरक्षण विभाग, त्रिपुरा	9/84	1800.00
4.	मनुबराज (त्रिपुरा)	मनु नदी पर बराज का निर्माण	सिंचाई और वन संरक्षण विभाग, त्रिपुरा	3/86	988.25
5.	भीम बराज (बिहार)	बराज और अनुषंगिक कार्यों का निर्माण (1/89 में पूरा किया गया।	सिंचाई विभाग, बिहार सरकार	3/81	2250.00
6.	कोसी बराज सुरक्षा कार्य (बिहार)	कोसी बराज के डी०/एस० पर सुरक्षा कार्य	सिंचाई विभाग, बिहार सरकार	1/85	108.00

1	2	3	4	5	6
7.	बाण सागर बांध (मध्य प्रदेश)	बाण-सागर बांध का निर्माण (मुख्य दीवार सहित ब्लाक 27 से 31)	सिंचाई विभाग, म० प्र०, सरकार	9/79	830.00
8.	नोवहन लॉक परियोजना (जम्मू व कश्मीर)	स्पिलवे एवं फिश पास आदि सहित नोवहन लॉक का निर्माण	पी० डी० डी० जम्मू व कश्मीर	10/84 (कार्य 10/87 को स्थगित कर दिए थे)	2013.24
9.	अल-एडावियाह भूमि सुधार परियोजना, इराक (इराक)	अल-एडावियाह भूमि सुधार परियोजना (मुख्य कार्य पूरे हो चुके हैं, पाइप बिछाने का काम प्रगति पर है)	स्टेट आर्गेनाईजेशन फॉर इण्डस्ट्रीज, इराक	8/84	291.00

क्रम सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	रा० प० नि० का कार्यक्षेत्र	क्लाइंट	ठेके देने की तारीख	कार्य का अनुमानित मूल्य (लाख रुपये में)
चार	**औद्योगिक परियोजनाएं और इस्पात संरचनात्मक कार्य**				
1.	विजाग इस्पात संयंत्र (आंध्र प्रदेश)	(क) कोक ओवन तथा बाई पास संयंत्र	वी० एस० पी०	12/81 7/81	5487.73 1971.18
		(ख) सिंटर संयंत्र		10/86	317.58
		(ग) एस० एम० एस० तथा आर० एम० में यू० जी० सी० का निर्माण			

1	2	3	4	5	6
2.	राऊरकेला इस्पात संयंत्र (उड़ीसा)	सिविल कार्यों, फ्लाई ओवर का निर्माण	आर० एस० पी०, सेल	6/84	705.71
3.	दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (प० बंगाल)	212 आवासो (80 डी० टाइप 132 बी० टाइप (और रेलोकेटेड भवनों का निर्माण	डी० एस० पी०, सेल	3/87 2/88	557.02 97.5
4.	केन्द्रीय कार्यशाला (म० प्र०)	केन्द्रीय कार्यशाला परिसर की आयोजना, डिजाइन एवं निर्माण कार्य	एन० सी० एल०	3/84	1262.00
5.	समन्वित जल प्रदाय स्कीम (उत्तर प्रदेश)	18 एम० जीडी क्षमता के वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र की आयोजना डिजाइन एवं निर्माण कार्य	एन० सी० एल०	10/82	2315.21
6.	डब्ल्यू० सी० एल० नागपुर (महाराष्ट्र)	सिलवाड़ा कोयला खान नागपुर में क्षेत्रीय भंडारों का निर्माण	डब्ल्यू० सी० एल०	6/87	130.14
7.	जग्यापेटा खान परियोजना (आंध्र प्रदेश)	पिट रोड, कार्यस्थल कार्यालय, मैगजीन भवन स्टोन क्वैरीज सम्बन्धी कार्यों का निर्माण	बी० एस० पी०	9/83	748.37
8.	माधाराम खान परियोजना (आंध्र प्रदेश)	माधाराम डोलोमाइट क्वैरी का निर्माण	बी० एस० पी०	9/83	650.00

क्रम सं०	परियोजना/यूनिट का नाम	रा० प० नि० निगम का कार्यक्षेत्र	क्लाइन्ट	ठेके देने की तारीख	कार्य की अनुमानित मूल्य (रुपये में)
पांच	भवन गोदाम, सड़कें, पुल और विविध कार्य :				
1.	नवोदय स्कूल*	22 नवोदय स्कूलों का निर्माण	नवोदय समिति	11/87	1919.00
2.	एफ० सी० आई० गोदाम	उ० प्र०, राजस्थान, आ० प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली में 31	एफ० सी० आई०	6/84	3050.00
3.	विजयवाड़ा यूनिट (आ० प्रदेश)	भास्करराव पैट, विजयवाडा में बस टर्मिनल परिसर का निर्माण	आ० प्रदेश एस० आर० टी० सी०	5/87	422.98
4.	एम० ई० सी० एल० काम्पलैक्स नागपुर (महाराष्ट्र)	ए० बी० सी० तथा डी० टाइप क्वाटरों, अध्यक्ष तथा निदेशकों के बंगलों का निर्माण	एम० ई० सी० एल०	5/84	394.47
5.	एम० ई० सी० एल० काम्पलैक्स हैदराबाद (आंध्र प्रदेश)	प्रशासन काम्पलैक्स तथा कालोनी का निर्माण	एम० ई० सी० एल०	10/85	208.53
6.	ओ० एन० जी० सी० कार्य (त्रिपुरा)	भवनों सड़कों का निर्माण और डोजर्स की लीजिंग	ओ० एन० जी० सी०	1/88	355.23

1	2	3	4	5	6
7.	केरी भवन परिसर (अंडमान व निकोबार द्वीप)	केरी पोर्ट ब्लेयर के लिए कार्यालय एवं रिहायशी भवनों का निर्माण	केरी	10/87	300.00
8.	ए० डी० सी० काम्प्लैक्स (त्रिपुरा)	हैड क्वार्टर काम्पलैक्स का निर्माण	टी० टी० ए० डी० सी०	8/88	500.00
9.	पी० टी० आई० काम्पलैक्स दुर्गापुर (प० बंगाल)	रोड ड्रेनेज कार्यों और कैम्पस विकास कार्यों का निर्माण	पी० ई० टी० एस०	5/24	25.00
10.	मिमारी यूनिट (प० बंगाल)	सड़कों (78.00 कि० मी०) और पुलों (चार) का निर्माण	पी० डब्ल्यू० डी० प० बंगाल सरकार	2/87	1291.00

* ये परामर्शी/एजेंसी कार्य हैं।

स्वदेशी पेंसिलिन के अधिक लाइसेंस जारी करना

5592. श्री कनक राम गुप्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 1987 और 1988 में विभिन्न असंगत आंकड़ों पर विचार करते हुए स्वदेशी पेंसिलिन के अधिक लाइसेंस जारी करने के बारे में अनेक संसद सदस्यों से शिकायतें प्राप्त हुई थी; और

(ख) क्या इन शिकायतों पर कोई कार्यवाही की गई है, यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले और यदि नहीं, तो कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) "स्वदेशी पेन्सिलिन के लिए अधिक लाइसेंस" देने के बारे में इस विभाग में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक मूल्य आयोग

[हिन्दी]

5593. श्री डाल चन्द्र जैन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक उत्पादों का मूल्य निर्धारित करने के लिए कृषि मूल्य आयोग के समान एक औद्योगिक मूल्य आयोग स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी नहीं, औद्योगिक लागतों, लागत घटाने उत्पादकता और प्रशुल्कों आदि के बारे में मूल्य ढांचे के विभिन्न पहलुओं पर सरकार को सलाह देने के वास्ते एक औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो पहले से ही विद्यमान है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊनी ड्रेस सम्बन्धी सामग्री खरीदना

[अनुवाद]

5594. श्री अतीश चन्द्र सिन्हा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों ने ऊनी ड्रेस संबंधी सामग्री खरीदने के सम्बन्ध में निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक केन्द्र को ऊनी ड्रेस के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी; और केन्द्रों मे बोली लगाने वाले प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रति मीटर मूल्य की लगाई गई बोली का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के क्षेत्रीय व्यापार केन्द्रों द्वारा सप्लाई के आर्डर दे दिए गए हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संविदा के मूल्य सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और अगर किसी सरकारी क्षेत्र की कम्पनी को सप्लाई के आर्डर दिए गए हों तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा ऊनी कपड़े के डीलरों को सप्लाई करने के लिए कितने आर्डर दिए गए हैं और उन डीलरों के नाम क्या हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ख) सभी क्षेत्रीय व्यापारिक केन्द्रों से सूचना प्राप्त करने में लगने वाला समय और श्रम प्राप्त होने वाले वांछित उद्देश्य के अनुरूप नहीं होगा ।

राज्यों में "युवा संसद" का आयोजन

5595. **श्री पी० ए० एन्टनी** : क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या है जिनमें उनके मंत्रालय द्वारा युवा संसद का आयोजन किया जाता है;

(ख) क्या सम्पूर्ण देश में 'युवा संसद" को लोकप्रिय बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) युवा संसद राज्यों द्वारा स्वयं आयोजित की जाती है। संसदीय कार्य मंत्रालय केवल साहित्य, मार्ग दर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करता है;

(ख) और (ग) वर्ष 1989-90 के दौरान सभी राज्यों में केन्द्रीय विद्यालयों को सम्मिलित करना है। सभी राज्यों को राष्ट्रीय युवा संसद प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए सलाह दी गयी है। वह प्रतियोगिताएं नवम्बर के पश्चात दूरदर्शन पर दिखाई जाएगी।

विभागेत्तर कर्मचारियों को सुविधाएं

5596. **श्री सी० जंगा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभागेत्तर शाखा डाकपाल अपने कुछ अधीनस्थ कर्मचारियों से कम परिलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं यदि हां, तो इस विसंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने सूवर समिति की सिफारिश के अनुसार डाकिये का कार्य करने वाले विभागेत्तर डिलीवरी एजेंटों को प्रति घंटे के हिसाब से अलग दर मंजूर की हैं, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने विभागेत्तर कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान विभिन्न अग्रिम राशि मंजूर करने का निर्णय किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघरों में अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को अलग-अलग कार्य करने होते हैं। जबकि अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को उनके कार्य के लिए अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर में लगाया जाता है,

सभी अतिरिक्त विभागीय एजेंटों के नियन्त्रण अधिकारी डाकघर निरीक्षक या डाकघर अधीक्षक होते हैं।

अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों के भत्ते उनके कार्यभार के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। इस प्रकार अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों की परिलब्धियों में कोई विसंगत नहीं होती।

(ख) जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय एजेंटों को यथा-अनुपात वेतन की अदायगी के लिए अतिरिक्त विभागीय प्रणाली पर गठित समिति की सिफारिशें सरकार ने स्वीकार नहीं की है। अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों के लिए न्यूनतम 40 प्वाइंट का कार्यभार मंजूर किया गया है और प्रत्येक अतिरिक्त विभागीय एजेंट (अतिरिक्त विभागीय शाखा पोस्टमास्टरों को छोड़कर) के लिए चाहे कार्यभार कितना भी हो, न्यूनतम 240/- रुपए प्रतिमाह निश्चित किए गए हैं। इस प्रणाली में जहां पूर्णरूप से भिन्न कार्य प्रणाली में परिलब्धियां निर्धारित की गई है, यथा-अनुपात वेतन निर्धारण को लागू नहीं किया जा सकता।

(ग) और (घ) जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय एजेंट अंशकालिक कर्मचारी होते हैं और उन्हें नियमित विभागीय कर्मचारी के समान नहीं माना जा सकता।

आठवीं योजना में बिहार में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज

[हिन्दी]

5597. **श्री एस० बी० सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने शहरों में स्वचालित टेलीफोन एक्सचेंज विद्यमान हैं;

(ख) स्वचालित/इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज की स्थापना के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार के किन-किन शहरों मे स्वचालित/इलैक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किए जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 375 आटोमेटिक एक्सचेंजों में से 80 एक्सचेंज शहरों में हैं।

(ख) (1) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आटोमेटिक इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज लगाने के मानदण्ड नीचे दिए गए हैं :

—सभी जिला मुख्यालयों में स्थित एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाना।

—400-800 लाइनों की रेंज के सी० बी० एम० एक्सचेंजों को एम० ए० एक्स-II एक्सचेंज में बदलना।

—1-4-85 की स्थिति के अनुसार 800 लाइनों से अधिक क्षमता वाले सी० बी० एम० एक्सचेंजों को एम० ए० एक्स-I एक्सचेंजों में बदलना।

(2) आटोमेटिक बनाने के लिए प्रस्तावित 8वीं योजना में जो मानदण्ड रखा गया है उसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी मैनुअल एक्सचेंजों को आटोमेटिक एक्सचेंजों में बदलना शामिल है।

(3) इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों का आबंटन मौजूदा मैनुअल (इलैक्ट्रो-मैकेनिकल) एक्सचेंजों को बदलने के लिए किया जाता है ताकि सेवा की गुणवत्ता में सुधार एवं आधुनिक दूरसंचार सुविधाओं का विस्तार किया जा सके।

(ग) नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उन शहरों के नाम जहां 8वीं योजना के दौरान आटोमेटिक/इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित किए जाने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हो

1. पटना 2. रांची 3. धनबाद 4. लोयाबाद 5. सिनिधिह 6. गोपालगंज 7. रक्सोल 8. खगरिया 9. किशनगंज 10. पाकुड़ 11. साहिबगंज 12. गेड्डा 13. अधेपुरा 14. जहानाबाद 15. लोहरदगा 16. गुमला 17. औरंगाबाद 18. झूमरी तलैया 19. सीतामढ़ी 20. बरौनी 21. दरभंगा 22. ठाकुरगंज 23. सलमाडी 24. कस्बा 25. बलखंद 26. शेरघाटी 27. नालंदा 28. मधुबन 29. राजगीर 30. कूद्रा 31. बड़चकिया 32. सोनपुह 33. मजेथा 34. ढाका 35. सुगौली 36. अरेराज 37. रामनगर 38. नरकटियागंज 39. लौरिया 40. मस्रक 41. गुड़ बाजार 42. साकरी 43. लौकाहा 44. निर्मली 45. रखोघाटिता 46. बेबी 47. पूसा 48. कटोडी 49. रोसड़ा 50. जनकपुर रोड 51 बैरंगनिया 52. कनीसंदपुर 53. सियोल 54. कोहरया 55. बुंदू 56. भूरी 57. बानमंकी 58. जोगबनी 59. बासेलीगंज।

कोयला खानों में जीवन रक्षक उपकरण

[अनुवाद]

5598. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के अधीन खान बचाव केन्द्रों में खान सुरक्षा उपकरणों तथा अन्य जीवन रक्षक उपकरणों का अत्यन्त अभाव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बचाव केन्द्रों को बचाव उपकरणों से सुसज्जित करने के लिए उपकरण खरीदने हेतु क्या कार्रवाई की गई है।

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं। कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों के बचाव केन्द्रों में आवश्यक जीवन रक्षक सम्बन्धी उपस्कर तथा उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) किन्तु कोल इंडिया लि०, बचाव सेवाओं और बचाव केन्द्रों/बचाव कक्षों को अद्यतन जीवन रक्षक उपस्करों तथा उन्नत प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराके उन्हें सुसज्जित तथा आधुनिकीकृत बनाए जाने के लिए एक उन्नत योजना तैयार की है।

राष्ट्रीय-पन-बिजली निगम द्वारा प्रारम्भ की गई परियोजनायें

5599. **डा० बी० बेंक्टेश** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम पूरे देश में अपनी विभिन्न पन-बिजली परियोजनाओं का निर्माण निर्धारित कार्यक्रमानुसार कर रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं की लागत बढ़ रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में विदेशी सहयोग से अथवा बिना विदेशी सहयोग से प्रारम्भ की गई तथा पूरी की गई परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम द्वारा आठवीं योजना अवधि में प्रारम्भ की जाने वाली परियोजनाओं की अनुमानित लागत विदेशी सहयोग तथा उनके निर्माण स्थल आदि सहित ब्यौरा क्या है; और

(च) परियोजनाओं का निर्माण कार्य अवधि में पूरा करने हेतु क्या कार्य करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय के विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम ने अब तीन परियोजनाओं नामश: लोकतक बैरास्यूल एवं सलाल बिजली परियोजनाओं का निर्माण कर चुका है। नवम्बर, 1985 में राष्ट्रीय पन-बिजली निगम की सूचना के बहुत पहले इन परियोजना को कार्यान्वियन के लिए हाथ में लिया गया था। कार्यान्वियन के दौरान विभिन्न तकनीकी समस्याओं के उठ खड़े होने तथा डिजाईन एवं कार्य क्षेत्र में परिवर्तन जैसे अन्य पहलुओं के कारण और भूमि अधिग्रहण सम्बन्धी समस्याओं के कारण इन परियोजनाओं को पूरा करने के निर्धारित कार्यक्रम को बदलना पड़ा। विभिन्न समस्याओं पर विचार करने के बाद रा० ज० बि० नि० इन परियोजनाओं को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए थे तथा भरपूर कोशिश की थी। रा० ज० वि० नि० द्वारा पूरी कर ली गई या कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं के पूरा होने का निर्धारित कार्यक्रम एवं लागत का ब्यौरा संलग्न विवरण दिया गया है।

(ङ) और (च) कार्यान्वियनाधीन परियोजनाओं के अलावा रा० ज० वि० प० नि० द्वारा 8वीं योजनावधि के दौरान कार्यान्वियन के लिए हाथ में लिए जाने के विचारार्थ परियोजना प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए रा० ज० वि० प० नि० द्वारा किए गए उपायों में ये शामिल हैं दोनों निगम ठेकेदारों/उपस्कर के सप्लाई करने वाली राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार की एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय और सुरंग व्यवस्था तथा अण्डरग्राउंड कार्यों के लिए आधुनिक एवं परिष्कृत उपस्कर का उपयोग।

F S

विवरण-1

क्र० सं० 1.	परियोजना का नाम	किस वर्ष में मजूरी दी गई	परियोजना की लागत (निवल) (करोड़ रु० में)	नवीनतम/अनमानित लागत/अन्तिम लागत (करोड़ रु० में)	वास्तविक	पूरा होने की वास्तविक/परिकल्पित तारीख
1.	2	3	4	5	6	7
प्रचालनाधीन परियोजना						
1.	लोकतक परियोजना (3×35 मे० वा०) मणिपुर (01.01. 1977 से रा० ज० वि० नि० को सौंप दिया गया है)	1970	10.90 (1967 के अनुमान)		मार्च, 1974	अप्रैल, 1983 में पूरा कर लिया गया था और वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हुआ जून, में 1983 था।
		1-संशोधित अनुमति (1974)	32.94		मार्च, 1976	
		2-संशोधित अनुमानित (1979)	80.63		मार्च, 1982	
		संशोधित (1982)	114.79	120.590+ (10.86 करोड़ रु० मूल्य की आई० डी० सी०	मार्च, 1984	

1	2	3	4	5	6	7
2.	बैरास्यूल परियोजना (3×60 मे० वा०), हि० प्र० 20-01-78 से रा० ज० वि० नि० को सौंप दिया गया।	वास्तविक (1970)	20.49	134.47+13.87 करोड़ रुपये की आई० डी० सी०	1974	मई 1980 में प्रथम एवं द्वितीय यूनिट
					–	
		1-संशोधित अनुमानों की मंजूरी (1979)	02.22 करोड़+16.63 करोड़ रु० की आई० डी०सी०		प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार	तीसरी यूनिट दिसम्बर, 1981
		2-संशोधित की मंजूरी (अक्तूबर, 1981)	130.05+117.50 करोड़ रु० की आई० डी० सी०		(द्वितीय संशोधित अनुमानों के अनुसार दिसम्बर, 1981)	
3.	सलाल परियोजना चरम-1	1970	55.15	595.28		
	(3×115 मे० वा०), जम्मू और कश्मीर	1978		(आई० डी० सी० शामिल नहीं है)		प्रथम यूनिट-09-11-87
	(15 मई, 1987 से	1979	222.15		अगस्त, 1982	द्वितीय यूनिट 14-11-87
	एजेंसी के आधार पर रा० ज० वि० नि० नि० को सौंप दिया गया)	1983	490.45		अक्तूबर, 1986	तीसरी यूनिट 20-11-87

1	2		3	4	5	6
निर्माणाधीन परियोजनाएं						
1.	दुलहस्ती ज० नि० परियोजना (3×130 मे० वा०), जम्मू व कश्मीर	1982	161.72+21.73 आई०डी०सी० (पारेषण प्रणाली शामिल नहीं है)	(द्विपक्षीय प्रस्ताव विचाराधीन है)	जनवरी, 1991	(कार्य प्रारम्भ करने के आदेश के 57 महीने बाद, टर्न की आधार पर कार्यान्वयन के लिए विदेशी कन्सोर्टियम के साथ समझौते पर हस्ताक्षर के बाद)
2.	चमेरा जल विद्युत परियोजना (3×180 मे०वा०) हि० प्र० चरण-I	1984	719.40+ 89.89 की आई० डी० सी०	संशोधनाधीन	मार्च, 1990	मई, 1991 (समीक्षाधीन)
3.	तनकपुर जल विद्युत परियोजना (3×40 मे० वा०) (उ० प्र०)	1984	171.65+ 7.10 की आई० डी० सी०	संशोधनाधीन	जून, 1989	मार्च, 1990 (समीक्षाधीन)
4.	कोयलकारों जल विद्युत परियोजना (710 मे० वा०), बिहार	1982	391.83+ 48.08 की आई० डी० सी०	870.79+167.18 आई० डी० सी०+ 32.22 पारेषण प्रणाली के लिए	भूमि की उपलब्धता की तारीख से 8 वर्ष	परियोजना के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध हो जाने के बाद $7\frac{1}{2}$ वर्ष में परियोजना को पूरा कर लिये जाने की सम्भावना है।

विवरण-2

आठवीं योजना के दौरान रा० ज० वि० नि० द्वारा संचालित की जाने वाली संभावित परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र० सं०	परियोजना का नाम	स्थिति	आई०, डी० सी० सहित लागत (करोड़ रुपये में)
1.	चमेरा चरण-दो (330 मेगावाट)	हिमाचल प्रदेश	551.61
2.	उरई (480 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर	1690.98
3.	रंगीत (60 मेगावाट)	सिक्किम	150.93
4.	सलाल चरण-दो (345 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर	287.29
5.	बगालहार (450 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर	997.50
6.	स्वालकोट (600 मेगावाट)	जम्मू व कश्मीर	1256.01
7.	धोलीगंगा (280 मेगावाट)	उत्तर प्रदेश	519.28
8.	वालेश्वरी (120 मेगावाट)	मिजोरम	274.90
9.	तिस्ता चरण-तीन (1200 मेगावाट)	सिक्किम	897.05

पेट्रोल/डीजल से खुदरा बिक्री केन्द्र तथा खाना पकाने की गैस की एजेंसियां

(हिन्दी)

5600. **श्री विजय कुमार यादव :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों और खाना पकाने की गैस एजेंसियों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा खाना पकाने की गैस की एजेंसियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार में आबंटित की गई ऐसी एजेंसियों की संख्या इसकी जनसंख्या के अनुपात से कम है; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1989-90 के दौरान बिहार में ऐसी कितनी एजेंसियों आबंटित करने का निश्चत किया गया है और इन्हें किन-किन स्थानों पर आबंटित किया जायेगा ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-1-1989 को देश भर के खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल/डीजल) की डीलर-शिपों और एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण-2 में दी गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) देखते हुए प्रश्न नहीं उठाता।

विवरण-1

1-1-1989 को एल॰ पी॰ जी॰ खुदरा बिक्री केन्द्रों की डीलरशिपों की संख्या

	राज्य/संघ राज्य	एल॰ पी॰ जी॰ वितरणकेन्द्र	खुदरा बिक्री केन्द्र
1.	अण्डमान निकोबार	1	2
2.	आंध्र प्रदेश	316	1145
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	23
4.	असम	76	294
5.	बिहार	124	8[illegible]5
6.	चंडीगढ़	23	18
7.	दादरा और नागर हवेली	—	2
8.	दमन एण्ड दीऊ	2	28
9.	दिल्ली	197	233
10.	गोआ	26	36
11.	गुजरात	266	920
12.	हरियाण	101	468
13.	हिमाचल प्रदेश	31	73
14.	जम्मू एण्ड कश्मीर	51	112
15.	कर्नाटक	207	891
16.	केरल	138	669
17.	लक्षद्वीप	—	—
18.	मध्य प्रदेश	189	818
19.	महाराष्ट्र	505	1452
20.	मणिपुर	8	22
21.	मेघालय	8	41
22.	मिजोरम	3	8
23.	नागालैंड	10	25
24.	उड़ीसा	71	309
25.	पांडिचेरी	5	23
26.	पंजाब	128	924
27.	राजस्थान	117	812
28.	सिक्किम	2	8
29-	तमिलनाडू	277	1366
30.	त्रिपुरा	9	28
31.	उत्तर प्रदेश	362	1748
32.	पश्चिम बंगाल	195	59

विवरण-2

	राज्य/संघ राज्य	1986-87 आर०ओ०	1986-87 एल०पी०जी०	1987-88 आर०ओ०	1987-88 एल०पी०जी०	1988-89 (दिसम्बर 88 तक) आर०ओ०	1988-89 (दिसम्बर 88 तक) एल०पी०जी०
1.	आंध्र प्रदेश	28	17	45	8	5	13
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	—	5	1	1	—
3.	असम	14	7	14	4	6	2
4.	बिहार	29	8	43	11	14	10
5.	गोआ	1	1	—	1	5	1
6.	गुजरात	25	9	8	3	15	5
7.	हरियाणा	11	8	18	12	2	11
8.	हिमाचल प्रदेश	9	1	3	2	1	1
9.	जम्मू एण्ड कश्मीर	4	4	5	2	1	4
10.	कर्नाटक	30	22	25	7	9	10
11.	केरल	10	23	22	9	3	20
12.	मध्य प्रदेश	10	13	18	12	11	8
13.	महाराष्ट्र	37	43	11	12	13	5
14.	मणिपुर	3	1	2	—	3	—
15.	मेघालय	3	—	8	—	1	—
16.	मिजोरम	3	—	1	2	—	1
17.	नागालैंड	—	1	4	—	—	—
18.	उड़ीसा	5	9	12	3	10	6
19.	पंजाब	32	9	7	8	6	19
20.	राजस्थान	48	15	31	3	21	13
21.	सिक्कम	—	—	—	—	1	—
22.	तमिलनाडु	33	21	46	14	11	17
23.	त्रिपुरा	1	1	—	2	—	—
24.	उत्तर प्रदेश	39	27	45	27	32	30
25.	पश्चिम बंगाल	15	10	11	8	13	11
26.	अंडमान और निकोबार	—	—	—	1	—	—
27.	चंडीगढ़	—	3	—	1	—	—
28.	दादर और नागर हवेली	—	—	—	—	1	—
29.	दिल्ली	3	14	—	16	—	5

इलेक्ट्रॉनिक "पुश बटन टेलीफोन का उत्पादन

(अनुवाद)

5601, श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेलीफोन उद्योग में इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन टेलीफोन का उत्पादन आरंभ हो गया है, और

(ख) इस क्षेत्र में भारतीय टेलीफोन उद्योग की उत्पादन क्षमता कितनी है ?

संचार मंत्रालय राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगों) : (क) जी हां।

(ख) प्रति वर्ष लाइसेंस शुदा क्षमता 10.5 लाख की है। 1989-90 से आगे उत्पादन क्षमता उत्तरोत्तर स्थापित की जा रही है।

अखबारी कागज के आवंटन सम्बन्धी नीति

5602. श्री मोहनभाई पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छोटे समाचारपत्रों सहित समाचारपत्रों की अखबारी कागज का कोटा आवंटित करने के सम्बन्धी सरकार की नीति क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : वर्ष 1989-90 के लिए अखबारी कागज की आवंटन नीति को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा जनता से प्राप्त शिकायत पत्रों को निपटाना

5603. श्री सनत कुमार मंडल : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में कोई ऐसा तन्त्र है जिसके द्वारा क्षेत्रीय प्रबन्धकों के कार्यालय में जनता से प्राप्त उन पत्रों के निपटान पर निगरानी रखी जाती है जिनमें जनता द्वारा कम्प्यूटर द्वारा तैयार किए गए सामाजिक बिलों की धनराशि के बारे में जानकारी मांगी जाती है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है,

(ग) क्या क्षेत्रीय प्रबन्ध कार्यालय विशेषकर दक्षिण दिल्ली में जनता की इस प्रकार की शिकायतों का उत्तर देने में कम से कम छः महीने अथवा इससे भी अधिक समय लेते हैं, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं,

(घ) 1 अप्रैल, 1989 को स्थिति के अनुसार क्षेत्रीय प्रबन्धकों के विभिन्न कार्यालय में जनता से प्राप्त ऐसे कितने पत्र तीन महीने से अधिक अवधि से लम्बित पड़े हुए हैं जिनका जवाब नहीं दिया गया है, और

(ङ) उन्हें निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) क्षेत्रीय प्रबन्धकों, जो प्रशासनिक ग्रेड के अत्यन्त वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, को उनके द्वारा प्राप्त किए गए सभी पत्रादि

का पूर्ण तथा अन्तिम निपटान करने सम्बन्धी कार्यवाई करने का उत्तर-दायित्व सौंपा गया है। इस सम्बन्ध में उन्हें पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई है। मुख्य महाप्रबन्धक के कार्यालय, दिल्ली यूनिट द्वारा मासिक विवरणों के माध्यम से मानीटरिंग की जाती है।

(ग) जी नहीं।

(घ) तीन महीने से अधिक का कोई भी मामला अनुत्तरित नहीं है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

आकाशवाणी पटना से उर्दू में समाचार बुलेटिन प्रसारित किया जाना

5604. **श्री रेणुपद दास** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दानापुर छावनी, पटना स्थित अखिल भारतीय उर्दू संवाददाता संघ के अध्यक्ष ने आकाशवाणी पटना से क्षेत्रीय भाषा कार्यक्रम में उर्दू में समाचार बुलेटिन के प्रसारण के बारे में 13 मई, 1988, 17 नवम्बर 1888 और 8 फरवरी, 1989 को उनके मन्त्रालय को कोई ज्ञापन भेजा था; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। अब आकाशवाणी, पटना से उर्दू में एक 5 मिनट का क्षेत्रीय समाचार बुलेटिन शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तथापि, उर्दू समाचार बुलेटिन वास्तविक रूप से शुरू किए जाने की तारीख, इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त स्टाफ की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

भिलाई (मध्य प्रदेश) में कोयले का "स्टाकयार्ड"

5605. **श्री परसराम भारद्वाज** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई क्षेत्र (मध्य प्रदेश) में या इसके आसपास कोई कोयले का स्टाकयार्ड है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या कोल इंडिया लि० का उस क्षेत्र में कोयले का स्टाकयार्ड स्थापित करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कोल इंडिया लि० ने रायपुर, मध्य प्रदेश में एक स्टाकयार्ड खोलने का निर्णय लिया है जोकि भिलाई क्षेत्र के बहुत समीप अवस्थित है। इस स्टाकयार्ड के लिए रख-रखाव एजेंट का चयन के बारे में निविदा आमन्त्रित किए गए हैं। इस सम्बन्ध में प्राप्त निविदाओं को अन्तिम रूप दिए जाने के बाद ही कोल इंडिया लि० के लिए रायपुर में एक स्टाकयार्ड को चालू किया जाना सम्भव हो सकेगा।

तमिलनाडु में सभी जिला मुख्यालयों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ना

5606. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु में एक लाख से अधिक जनसंख्या वाले सभी जिला मुख्यालयों और शहरों को एस० टी० डी० सुविधा के माध्यम से दिल्ली और मद्रास से जोड़ दिया गया है,

(ख) यदि नहीं, तो अभी कितने जिला मुख्यालयों और शहरों को उक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु चयन किया जाना है,

(ग) क्या इन जिला मुख्यालयों और शहरों को एस० टी० डी० सुविधा से जोड़ने की कोई योजना तैयार की गई है, और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं।

(ख) केवल एक जिला मुख्यालय ऐसा है जहाँ यह सुविधा अभी नहीं प्रदान की जा सकी है अन्यथा तमिलनाडु के उन सभी नगरों में यह सुविधा प्रदान कर दी गई है, जहां कि आबादी एक लाख से अधिक है।

(ग) मार्च, 1990 तक सभी जिला मुख्यालयों के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए जाने की स्कीम है।

(घ) तमिलनाडु में कुड्डालोर ही एक ऐसा जिला है जहां यह सुविधा अभी प्रदान की जानी है। 1989-90 में यहां एक आटोमैटिक एक्सचेंज चालू हो जाने के तत्काल बाद एस० टी० डी० सुविधा दे पाना व्यवहार्य हो सकेगा। अन्तरिम उपाय के बतौर कुड्डालोर में मैनुअल उपभोक्ता ट्रंकडायलिंग सेवा प्रदान की गई है।

आन्ध्र प्रदेश में खुदरा पेट्रोल पम्पों का आवंटन

5607. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में इस समय कितने खुदरा पेट्रोल पम्प हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में कुछ और खुदरा पेट्रोल पम्प खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 31-3-1989 को आंध्र प्रदेश में 1153 खुदरा बिक्री केन्द्र थे।

(ख) और (ग) जी, हां। तेल उद्योग द्वारा नियमित रूप से सर्वेक्षण किए जाते हैं। और खुदरा बिक्री केन्द्र को स्थापित करने के लिए मात्रा और दूरी के मानदण्डों को ध्यान में रखते हुए 1987-88 तक की वार्षिक विपणन योजना के दौरान तेल उद्योग द्वारा आंध्र प्रदेश में 68 और खुदरा बिक्री केन्द्र खोलने की योजना है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

कर्नाटक में दूरसंचार सेवाओं में सुधार

5608. श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में दूरसंचार सेवाओं के स्तर में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ख) इन वर्षों के दौरान कर्नाटक में उपलब्ध कराई गई दूरसंचार सेवाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) कर्नाटक में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए मिशन —बेहतर संचार के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्रवाई की जा रही है :—

1. दूरसंचार सेवाओं को मानीटर करना, जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हैं :—

(एक) प्रति 100 स्टेशनों पर प्रति माह दोष,

(दो) सफल काल दर,

(तीन) ट्रंक कालों की प्रभावी प्रतिशत,

(चार) तारों का वितरण, और

(पांच) कर्मचारियों को उपभोक्ता-उन्मुख प्रशिक्षण देना,

दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्यवाई की गई :—

(एक) अक्सर खराब होने वाले टेलीफोन उपकरणों को बदल दिया गया, और

(दो) अक्सर खराब होने वाली ऊपरी लाइनों तथा केबिलों को बदल दिया गया ।

मिशन बेहतर संचार के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में मानीटर की गई कुछ मदों की तुलना निम्नानुसार है :—

	मार्च 1987	मार्च 1988	मार्च 1989
टेलीफोन दोष/100 स्टेशन/प्रति माह	18.8	14.5	11.1
टेलैक्स —वही	32.9	20.3	14.8
ट्रंक कालों का प्रभावपूर्ण प्रतिशत	91.9	76.0	85.2
सफल काल दर (स्थानीय)	97.7	96.7	99.1
—वही—(एस० टी० डी०)	63.5	71.4	87.6

इस समय देश में कर्नाटक की दूरसंचार सेवाएं सर्वश्रेष्ठ हैं ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्नाटक में दूरसंचार सेवाओं में किए गए विस्तार का ब्योरा निम्नानुसार है :—

मद	1986-87	87-88	88-89
क्षमता में वृद्धि (लाइनें)	19365	12372	17908
डी० ई० एल० में वृद्धि (सीधी एक्सचेंज लाइनें)	18286	11153	15061
लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनों में वृद्धि	113	79	183
एस० ए० एक्स० की वृद्धि	147	49	129
एस० टी० डी० स्टेशनों में वृद्धि	4	6	6

आंध्र प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा

5609. **श्री सोड़े रमैया** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है,

(ख) आंध्र प्रदेश में किन-किन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा अब तक उपलब्ध नहीं कराई गई है, और

(ग) इन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा कब तक उपलब्ध कराई जाएगी ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) आंध्र प्रदेश के जिन स्थानों पर एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध करवाई गई है उनका नाम संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) आंध्र प्रदेश के सभी प्राथमिकता वाले केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है। निधियों और सामग्री के सीमित संसाधनों के कारण फिलहाल सभी एक्सचेंजों के लिए एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

आंध्र प्रदेश में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान किए गए स्थानों का नाम

आदिलाबाद	अनन्तपुर	अंकपल्ली
गुड़ीवड़ा	गुंटूर	काकीनाडा
खम्माम	मछलीपटनम्	अंगोले
पालकोले	पाटनचेरू	राजामुन्द्री
सिकन्दराबाद	तादीपल्लीगुडम्	श्रीकाकुलम
तिरूपति	विजीनगरम्	विशाखापटनम्
— तिरूमाला		—मल्कापुरम्
रैनीगुंठा	महबूबनगर	—वालचेरवू
विजयवाड़ा	कोमलपल्ली	पोरदातुर
—पारेनकी	वारंगल	चिल्कालुरीपेट
—इब्राहीमपटनम्	—हनमकोंडा	गुंटकल

भीमावरम्	काजीपेट	श्रीकलाहस्ती
कुड्डप्पाह	अरमूर	पामिदी
चित्तूर	अदोनी	तनाकू
नंदयाल	नैल्लोर	कोववूर
करीमनगर	तेनाली	सामलकोट
नंदीगाम	कुरनूल	संगारेड्डी
धुगरीरल्ला	लिंगमपल्ली	बोबिल्ली
अनपारती	ऐलरु	कोठागुडम
तुनी	रामचन्द्रपुरम्	वोवयूर
निजामाबाद	नालगोंडा	अमुदालावलसा
कावली	गुडुर	कोवयूर
दोवलेश्वरम्	राउलपल्लम	
चिराला	पेडापुरम्	
हिन्दुपुर	तादपत्री	
भद्राचलम्	मेदर-माटला	

टेलीफोनों का हस्तांतरण/स्थानांतरण

[हिन्दी]

5610. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोन हस्तांतरित/स्थानांतरित करने सम्बन्धी नियम और कानून क्या है,

(ख) सरकार के पास लम्बित ऐसे मामलों की राज्य-वार संख्या कितनी है, और

(ग) इन मामलों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

टेलीफोनों के स्थानांतरित और शिफ्ट करने सम्बन्धी नियम और कानून इस प्रकार हैं :—

(क) टेलीफोन का स्थानांतरण

(1) **उपभोक्ता की मृत्यु होने पर** किसी भी श्रेणी में प्रदान किए गए टेलीफोन को निम्न प्रकार स्थानांतरित किया जाएगा :

(1) **यदि मृतक ने वसीयत-नामा छोड़ा हो :** यदि संपत्ति का वसीयतनामा किसी एक व्यक्ति को किया गया हो तो टेलीफोन उस व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कर दिया जाएगा उस स्थिति में यदि वसीयतनामा एक से अधिक व्यक्तियों के नाम किया गया हो तो टेली-फोन का स्थानांतरण उस व्यक्ति के नाम किया जाएगा जिसके नाम का उल्लेख इस

प्रयोजन से विशेष रूप से किया गया हो। यदि वसीयत-नामा में इस प्रकार के किसी व्यक्ति का नाम न हो तो उस स्थिति में किसी एक व्यक्ति के नाम स्थानांतरित कर दिया जाए जिसके पक्ष में अन्य लाभ प्राप्तकर्ताओं में सहमति दे दी हो।

(2) **वसीयतनामा न होने पर :** टेलीफोन का स्थानांतरण मृतक की विधवा/विधुर के नाम किया जा सकता है। यदि एक से अधिक विधवाएं हों, तो टेलीफोन उनकी परस्पर सहमति से किसी एक के नाम किया जा सकता है। उस स्थिति में यदि विधवा अथवा विधुर जीवित न हो अथवा टेलीफोन न रखना चाहता हो, तो टेलीफोन का स्थानांतरण उस स्थान पर रह रहे किसी एक संतान के नाम उनके परस्पर सहमति से किया जा सकता है।

(2) हायरर के जीवित रहने के दौरान : हायरर के जीवित रहने के समय के दौरान टेलीफोन का स्थानांतरण उनके निकट सम्बन्धियों जैसे पिता-माता, पत्नी, पति, पुत्र, बेटी, भाई-बहन और सौतिला बहन शामिल हैं। परन्तु चचेरे नहीं, श्रेणी का ध्यान किए बिना जिसके अन्तर्गत मूलत: टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया गया था/किया जा सकता है बशर्ते कि असली हायरर के नाम टेलीफोन कनेक्शन कम से कम एक वर्ष तक निश्चित रूप से काम किया हो और यह भी शर्त पूरी होती हो कि यदि टेलीफोन किसी प्राथमिकता अथवा विशेष श्रेणी के अन्तर्गत मंजूर किया गया हो, मूल हायरर को स्थानांतरण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के भीतर किसी विशेष श्रेणी में नया टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया जाएगा।

(3) हायरर का नाम परिवर्तन होने पर : टेलीफोन स्थानांतरण करने की अनुमति उस स्थिति में दी जा सकती है यदि किसी महिला उपभोक्ता ने शादी होने अथवा कोई उपभोक्ता इस उद्देश्य से निर्धारित पद्धति के अनुसार अपना नाम बदलता है।

(4) किसी फर्म, कम्पनी, संगठन, संस्थान जिसमें भारत सरकार, सरकारी संस्थान सार्वजनिक उद्यम और उपक्रम शामिल नहीं है।

(1) **नाम और/अथवा गठन के परिवर्तन होने पर :** नाम और/अथवा कंपनी के गठन में परिवर्तन होने की स्थिति में, आवश्यक हो जाने अथवा अन्य स्थिति में स्थानांतरण किया जा सकता है।

(2) **फर्म के बेचे जाने अथवा भंग किए जाने की स्थिति में :** यदि कोई फर्म किसी अन्य पार्टी को बेच दी जाती है और बिक्री में मुनाफे की राशि 20,000.00 रु० से कम न हो तो टेलीफोन नई फर्म को अन्तरित कर दिया जाएगा। फर्म की साझेदारी भंग होने के मामले में टेलीफोन का स्थानांतरण किसी एक साझेदार के नाम साझेदारों से जो कि फर्म के भंग होने से पहले हिस्सेदार थे, कि सहमति प्राप्त करके किया जा सकता है।

(3) किसी स्वामित्व के फर्म का टेलीफोन किसी व्यक्ति के नाम करने अथवा इसके विपरीत स्थिति में भी टेलीफोन का स्थानांतरण किया जा सकता है।

(5) किसी नियोक्ता का टेलीफोन किसी कर्मचारी के नाम उस स्थिति में स्थानांतरित किया जा सकता है बशर्ते कि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हों :

(क) नियोक्ता एक लिमिटेड कम्पनी से सार्वजनिक अथवा प्राइवेट फर्म हो और

(ख) स्थानांतरण के लिए आवेदन करने की तारीख से पहले कर्मचारी को उस नियोक्ता के अधीन कार्य किया हो।

(6) **सभी समानांतरणों के लिए सामान्य शर्तें**

यदि स्थानांतरण किसी निश्चित घटना के कारण आवश्यक हो तो स्थानांतरण के लिए आवेदन ऐसी घटना होने से एक वर्ष की अवधि के अन्दर करना चाहिए। तथापि, सक्षम प्राधिकारी की यह विवेकशील शक्ति होगी कि वह ऐसे मामलों में गुण-दोष के आधार पर व्यक्तिगत मामलों में एक वर्ष की सीमा में छूट देने का निर्णय लें।

(7) **टेलीफोन के थर्ड पार्टी स्थानांतरण :**

केवल ओ० वाई० टी०—जनरल और "नान ओ० वाई० टी०—जनरल "श्रेणियों के अन्तर्गत स्वीकृत टेलीफोनों को ही तीसरी पार्टियों को स्थानांतरित करने की अनुमति होगी। उस स्थान पर "ओ० वाई० टी०" जमा की राशि के बराबर राशि सहित गैर-वापसी स्थानांतरण शुल्क के 500/- रु० प्रभार्य होंगे। उक्त कनेक्शन को स्थानांतरण प्रभावी होने की तारीख से नया ओ० ०वाई टी० कनेक्शन माना जाएगा।

(2) **टेलीफोन शिफ्ट करना :**

टेलीफोन निम्नलिखित शर्तें पूरी होने पर शिफ्ट किए जाने का पात्र समझा जाएगा (1) टेलीफोन कनेक्शन के लिए शुरू-शुरू में पंजीकरण की तारीख, जिस टेलीफोन एक्सचेंज में यह कनेक्शन शिफ्ट किया जाना है उसमें संबंधित श्रेणी में टेलीफोन देने की अवधि आ चुकी हो अथवा (2) यदि टेलीफोन पिछले तीन वर्षों से काम कर रहा हो।

(ख और (ग) टेलीफोन के स्थानांतरण का अनुरोध तभी माना जा सकता है जब ये शर्तें पूरी होती हों। टेलीफोन शिफ्ट करने के अनुरोध पर कार्रवाई आवेदन-पत्र प्राप्त होने के बाद ही की जा सकती है बशर्ते कि तकनीकी व्यवहार्यता और उपयुक्तता की शर्तें पूरी होती हों। लम्बित मामलों के केन्द्रीय रूप से समेकित रिकार्ड नहीं रखे जाते और ऐसे मामले प्राप्त होने पर उन्हें निपटा दिया जाता है।

मारुति 800 स्टैंडर्ड का मूल्य

[अनुवाद]

5611. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति 800 स्टैंडर्ड ने जब से बाजार में प्रवेश किया है तब से इसके कारखाना मूल्य (एक्स-फैक्टरी मूल्य) में कब-कब कितना परिवर्तन किया गया है; और

(ख) इसी अवधि के दौरान अम्बेसेडर और फियेट स्टैंडर्ड माडलों के कारखाना मूल्य में कितना-कितना परिवर्तन किया गया ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) अलग-अलग समय में मारुति 800 स्टैंडर्ड, प्रीमियर पदमिनी (स्टैंडर्ड) और अम्बेसेडर (स्टैंडर्ड) पैट्रोल के कारखाने से निकलते समय के मूल्य (उत्पादन-शुल्क और डीलरों के कमीशन सहित) में अन्तर को संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

मारुति कारों के आने की तारीख से का मूल्य

(कारखाने से निकलते समय का मूल्य, उत्पादन-शुल्क और डीलरों के कमीशन सहित)

(रुपये में)

क्रमांक	लागू तिथि	मारुति स्टैंडर्ड	प्रीमियर पदमिनी स्टैंडर्ड	अम्बेसेडर (पैट्रोल) स्टैंडर्ड
1.	14-12-83	47500	61274.20	64962.82
2.	1-4-85	49950* 50700**	65490.85	68495.55
3.	29-3-86	57100* 57850**	75158.12	76830.50
4.	4-6-86	63900	75158.12	81085.56
5.	12-3-87	71550	81138.75	83888.94
6.	14-10-87	72550	82989.92	87907.45
7.	1-3-88	73210	88429.17	87907.46
8.	21-5-88	77260	88429.17	96009.45
9.	16-1-89	80000	95025.42	96009.45
10.	1-3-89	86510	95025.42	96009.45
11.	7-3-89	86510	95025.42	103890.10

*नीली और सफेद मारुति-800 स्टैंडर्ड के लिए।

**लाल, ब्राउन और हरी मारुति-800 स्टैंडर्ड के लिए।

एस० टी० डी० सुविधा द्वारा आंध्र प्रदेश को विदेशों से जोड़ना

5612. **श्री एस० पलाकोंड्रायुडु** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 28 फरवरी, 1989 तक एस० टी० डी० सुविधा द्वारा आंध्र प्रदेश को किन-किन देशों से जोड़ा गया है,

(ख) दिसम्बर, 1989 के अन्त तक एस० टी० डी० सुविधा द्वारा किन-किन देशों को आंध्र प्रदेश के शहरों/कस्बों से जोड़े जाने की संभावना है; और

(ग) इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 28-2-89 की स्थिति के

अनुसार संलग्न विवरण में दिए गए आंध्र प्रदेश के नगरों को संलग्न विवरण-2 में दिए गए देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग के जरिए जोड़ दिया गया है।

(ख) इस स्तर पर अभी यह निश्चित रूप से नहीं बतलाया जा सकता कि दिसम्बर, 1989 तक आंध्र प्रदेश के कितने अन्य नगरों और शहरों को अन्तर्राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग के साथ जोड़ा जा सकेगा। क्योंकि आई० एस० डी० सुविधा का विस्तार करना अन्य देशों के भारत के साथ तकनीकी संगतता, परियात तथा उपलब्ध स्विचिंग उपस्कर पर निर्भर करता है। अन्य देशों को इस सुविधा के साथ उस स्थिति में जोड़ा जाता है तब कभी इसकी आवश्यकता होती है और दूसरे छोर के प्रशासन द्वारा उपर्युक्त शर्तें पूरी की जाती हैं।

(ग) इस उद्देश्य से अलग से निधि का आवंटन नहीं किया जाता।

विवरण

आन्ध्र प्रदेश के उन स्थानों के नाम जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है :

आदिलाबाद	अनन्तपुर	अंकापली
गुडीवाड़ा	गुंटूर	काकीनाडा
खम्मास	मछलीपटनम	सीलोले
पलाकोले	पाटनचेरू	राजमुन्दरी
सिकन्दराबाद	तडपालीगुडम	श्रीकाकुलम
तिरुपति	विजयनगरम	विशाखापट्टम
तिरुमाला	महबूबनगर	मल्कापुरम्
रेनीगुंठा	कोंपाली	बालाचीरेबु
विजयवाड़ा	वारंगल	प्रोडाबुअर
पौराणकी	हैनमकोंडा	प्रोडातुर
इब्राहीमपटीनम	कबिमेट	चिल्कारीपेट
भीमावरम	उरमुर	गुंटाकल
कुडापे	अडोनी	टनका
चित्तूर	बंल्लोर	टनाकु
नंदयाल	टेनेली	कोवूर
करीमनगर	कुरनूल	सामणकोट
नंदीगामा	लिंगमपली	संगमरेड्डी
दुगीराला	इलारु	बिक्लरे
अनापारथी	रामचन्द्रपुरम	कोथागुडम
टूनी	सलगोंडा	भ्याकु

निजामाबाद　　　　गुंटूर　　　　अमदालवालया
कव्वाली　　　　गावलपमय　　　　कोवक
डोवीलश्वरम्　　　　छीदापुरम्
चिराला　　　　टडपतारी
हिन्दूपुर　　　　मेडरतला
भद्राचलम

विवरण

28-2-1989 की स्थिति के अनुसार आई० एस० डी० के जरिए जुड़े हुए देश

क्रम सं० देश का नाम

1. अल्बानिया
2. अल्जीरिया
3. अंडूरा
4. अंगोला
5. अंगूला
6. एंटीगुआ
7. अर्जेन्टीना
8. अरुबा
9. एसिसन आइसलैंड
10. आस्ट्रेलिया
11. आस्ट्रिया
12. अजोरस
13. बहमास
14. बहरीन
15. बंगलादेश
16. बारबाडोस
17. बेलिज्यम
18. बेलजे
19. बेमिन
20. बारमूडा
21. बोलिविया
22. बोत्सवाना
23. ब्राजील

1	2
24.	ब्रुनेई
25.	बुल्गारिया
26.	बरकीना फासी
27.	बर्मा
28.	बुरूंडी
29.	केमरून
30.	कनाडा
31.	केनेरी आईसलेंड
32.	कसेमन आईसलेंड
33.	सैन्ट्रल अफरीकन रिपब्लिक
34.	चाद रिपब्लिक
35.	चिल्ली
36.	क्रिसमस आईसलैंड
37.	कोलंबिया
38.	कांगो पीपुल रिपब्लिक
39.	कुक आईसलैंड
40.	कोस्टारिका
41.	क्यूबा
42.	साईप्रस
43.	चेकोस्लोवाकिया
44.	डेनमार्क
45.	जिबूरी
46.	डोमीनिकस
47.	डोमीनिकान रिपब्लिक
48.	इक्वेडर
49.	मिस्र
50.	इथोपिया
51.	फाकलेंड आईसलेंड
52.	फिजी
53.	फिनलेंड
54.	फ्रांस

1	2
55.	गेबून
56.	नाम्बिया
57.	जर्मनी ईस्ट जीडीआर
58.	जर्मनी वेस्ट एफआरजी
59.	घाना
60.	जिबराल्टर
61.	ग्रीस
62.	ग्रेनाडा
63.	गोडलेपे
64.	गोम
65.	ग्वाटेमाला
66.	गुयना
67.	हेती
98.	होडूंरस
69.	हुंगकांग
70.	हुंगरी
71.	आइसलैंड
72.	इंडोनेशिया
73.	ईरान
74.	इराक
75.	आयरलैंड
76.	इटली
77.	आईवरी कोस्ट
78.	जमिका
79.	जापान
80.	जोर्डन
81.	कीनिया
82.	किरीबाटी
83.	कुवैत
84.	लेबनान
85.	लीसोथी
86-	लिबीरिया

1	2
87.	लीबिया
88.	लक्जम्बर्ग
89.	मकाम
90.	मदेरिया
91.	मलागेसे
92.	मलावी
93.	मलेशिया
94.	मालद्वीव
95.	माली
96.	माल्टा
97.	मार्शल आइसलैंड
98.	मार्टिनिक
99.	मारीशस
100.	मेक्सिको
101.	माईक्रोनेसिया
102.	मोनको
103.	मोनकरेट
104.	मोरक्को
105.	मौजाम्बिक
106.	नाम्बिया
107.	नारो
108.	नेपाल
109.	नीदरलैंड
110.	नीदरलैंड एंटीलाइज
111.	न्यूजीलैंड
112.	निकारगुआ
113.	नाइजर
114.	नाइजीरिया
115.	नोरफाक आइसलैंड
116.	नार्वे
117.	ओमान

1	2
118.	पाकिस्तान
119.	पलाऊ
120.	पनामा
121.	पापुआ न्यू गिनी
122.	पेरागुआ
123.	पेरू
124.	फिलीपीस
125.	पोलैंड
126.	पुर्तगाल
127.	पूरटोरिको
128.	कतर
129.	रोमानिया
130.	रूवांडा
131.	समुआ वेस्ट
132.	सनमेरीनो
133.	सऊदी अरेबिया
134.	सेनेगल
135.	सिसली
136.	सियारालीओन
137.	सिंगापुर
138.	सुलेमान आइसलैंड
139.	सोमलिया
140.	साउथ कोरिया
141.	स्पेन
142.	श्रीलंका
143.	सेंट क्रिसटाफर
144.	सेंट लुसिया
145.	सेंट विनसेंट
146.	सुडान
147.	सुरीनाम
148.	स्वाजीलैंड

1	2
149.	स्वीडन
150.	स्विटजरलैंड
151.	सीरिया
152.	ताइवान
153.	बंगानिया
154.	थाईलैंड
155.	टोगोलस रिपब्लिक
156.	टोंगा
157.	ट्रिनाड एंड टोबाग्री
158.	ट्यूनिसिया
159.	टर्की
160.	यूनाइटेफ अरब अमीरात
161.	यू० एस० एस० आर०
162.	यूगांडा
163.	ग्रेट ब्रिटेन
164.	यूनाइटेड इस्टेट
165.	उरगवे
166.	वनाटू (न्यू हेबराइडस)
167.	वेनजुएला
168.	विरजिन आईलैंस
169.	यमन अरब रिपब्लिक
170.	यूगोस्लाविजया
171.	जायरे
172.	जाम्बिया
173.	जिम्बाबे
174.	चीन
175.	अलास्का
176.	हवाई
177.	वेटिकन सिटी

ऐसे स्थानों की सूची—जिन्हें दूरसंचार की दृष्टि से अलग से महत्व दिया गया है।

रामागुंडम सुपर ताप ऊर्जा परियोजना से विद्युत का आबंटन

5613. श्री टी० बशीर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले छह माह के दौरान, माहवार, रामगुंडम सुपर ताप ऊर्जा परियोजना से केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक को कितनी मात्रा में विद्युत आबंटित की गई;

(ख) क्या पिछले कई माह से नागा-अर्जुन सागर काडप्पा ट्रांसमिशन लाइन खराब है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र से अक्टूबर 1988 से मार्च, 1989 की अवधि के दौरान केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक को दी गई बिजली की वास्तविक सप्लाई का मास-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है :

(आंकड़े मि० यू० में)

मास	आंध्र प्रदेश	कर्नाटक	केरल	तमिलनाडु
अक्तूबर, 1988	49.5	55.8	34.8	131.3
नवम्बर, 1988	102.6	83.7	58.1	149.7
दिसम्बर, 1988	155.3	129.0	85.1	153.7
जनवरी, 1989	189.9	137.8	49.0	148.0
फरवरी, 1989	243.5	131.0	37.9	173.0
मार्च, 1989	226.1	161.1	61.0	197.7

(ख) और (ग) 400 के० वी० नागार्जुनसागर काडप्पा ट्रांसमिशन लाइन खराब नहीं रहा, हां बीच-बीच में, अधिक भार के कारण काम करना बन्द हो जाता था। नागार्जुन-सागर-काडप्पा ट्रांसमिशन लाइन का दूसरा सर्किट भी मार्च 1989 में चालू कर दिया गया।

उत्तर प्रदेश के एटा जिले में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों के लिए आरक्षण

5614. श्री कैलाश यादव : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण कस्बों में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानों के आरक्षित श्रेणी में आबंटन के संबंध में तेल कम्पनियों की क्या नीति है;

(ख) क्या जलेसर (एटा जिले) में पेट्रोल/डीजल की खुदरा दुकानें केवल आरक्षित श्रेणी के व्यक्तियों को ही आबंटित की गई हैं; और

(ग) यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) तेल कम्पनियां राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट ग्रामीण क्षेत्रों में, यदि वहां से दूरी 10 कि० मी० या इससे अधिक है तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के निकट यदि दूरी 5 कि० मी० या इससे अधिक है पर कम लागत के मीटर स्प्रिट/हाई स्पीड डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करती है, बशर्ते कि वहां काम करने के दूसरी वर्ष में

कम से कम 25 कि० मी० प्रति माह की मांग हो । तेल उद्योग की वार्षिक विपणन योजनाओं में शामिल स्थानों (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जाति के लिये आरक्षित स्थानों सहित) का श्रेणीकरण प्रत्येक राज्य के आधार पर तेल उद्योग द्वारा बनाये गये 100-पाइंट रोस्टर के आधार पर किया जाता है ।

(ख) उत्तर प्रदेश के एटा जिले में जलेसर में खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने का फिलहाल तेल कम्पनियों का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

रामागुंडम सुपर ताप बिजली परियोजना की अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करना

5615. श्री पी० एम० सईद : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की रामागुण्डम सुपर ताप बिजली परियोजना के दूसरे यूनिट का परीक्षण निर्धारित समय से पूर्व ही पूर्ण कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो दक्षिण भारत में किन-किन अतिरिक्त क्षेत्रों को इससे बनने वाली बिजली का लाभ प्राप्त होगा;

(ग) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की रामागुंडम परियोजना की अधिष्ठापति क्षमता में और वृद्धि करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना का मार्च, 1989 में, निर्धारित समय से पहले, समकालित परीक्षण किया गया था ।

(ख) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना से उत्पादित विद्युत को आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और गोवा राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्र पांडिचेरी के बीच आबंटित किया गया है ।

(ग) और (घ) वर्ष 1990-91 के दौरान, रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना के एक अन्य 500 मेगावाट यूनिट को चालू किये जाने का कार्यक्रम है ।

मुर्शिदाबाद, पश्चिम बंगाल में रसोई गैस की सप्लाई

5616. श्री जयनल आबेदिन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में रसोई गैस की सप्लाई उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किये जा रहे है;

(ग) किन-किन एजेंसियों को इस जिले में रसोई गैस की सप्लाई का उत्तरदायित्व सौंपा गया है;

(घ) क्या इस जिले में और अधिक रसोई गैस एजेंसियां आबंटित करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) मुर्शिदाबाद जिले में निम्नलिखित एल० पी० जी० वितरण केन्द्र काम कर रहे हैं :

1. मैसर्स शिवानी गैस सर्विस, बेहरामपुर

2. मैसर्स एफ. एस. टी. पी. पी. एम्पलाइज कारपोरेशन, फरक्का

3. मैसर्स जंगीपुर गैस सर्विस, जंगीपुर

4. मैसर्स पुजा गैस सर्विस, कांडी

(घ) और (ङ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन ने अपनी 1977-88 की विपणन योजना के अंतर्गत बहरामपुर में "ओपन श्रेणी" में एक एल. पी. जी. वितरण खोलने की योजना बनाई है।

लाइटरों की तस्करी

डिस्पोजेबल

5617. **श्री कादम्बूर जनार्दनन :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये आरम्भ किये गये "डिस्पोजेबल लाइटर" उद्योग को तस्करी के लाइटरों के मूल्य कम होने की वजह से अपना अस्तित्व बनाये रखने के लिए कड़ी स्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लाइटर उद्योग की सहायता करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) डिस्पोजेबल लाइटरों के स्वदेशी उत्पादनकर्ताओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि वे आयातित मूल की इन वस्तुओं के बाजार में उपलब्ध होने के कारण मूल्य सम्बन्धी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तथापि, उपलब्ध सूचनाओं से देश में डिस्पोजेबल लाइटरों की उल्लेखनीय तस्करी का संकेत नहीं मिलता सिवाए इसके कि इस प्रकार के लाइटरों का बहुत थोड़ी मात्रा में यात्री सामान के रूप में आयात हुआ है।

(ख) और (ग) सरकार तस्करी विरोधी तंत्र, देश के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों में वर्जित वस्तुओं की तस्करी पर रोक लगाता है तथा इसका पता लगाता है। इसके अतिरिक्त, इसकी क्षेत्र संगठनों द्वारा डिस्पोजेबल लाइटरों सहित तस्करी की वस्तुओं के खुले प्रदर्शन तथा बिक्री में लगे हुए वाणिज्यिक संस्थानों की सांविधिक जांच की जाती है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा बिजली के बिल

5618. **श्री राज करन सिंह :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा नई दिल्ली में नई सरकारी कालोनियों में बिजली के बिल भेजने में अत्यधिक विलम्ब किया जाता है;

(ख) सरकार कालोनियों में उपभोक्ताओं को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा कितने समय के अन्तराल से बिजली के बिल भेजे जाने चाहिए;

(ग) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा वसन्त बिहार, रामकृष्णपुरम तथा अन्य सरकारी कालोनियों के निवासियों को बिजली के बिल छह महीने से लेकर एक वर्ष तक अथवा इससे भी अधिक अवधि के पश्चात भेजे जाते हैं;

(घ) क्या सरकार को उक्त कालोनियों के निवासियों को इसके परिणामस्वरूप होने वाली वित्तीय कठिनाइयों की भी जानकारी है क्योंकि उन्हें बिल प्राप्त होने के बाद बहुत कम समय में पर्याप्त धनराशि का भुगतान करना पड़ता है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार उपभोक्ताओं को बिजली के बिल समय पर और निश्चित अवधि के बाद भेजने के लिए कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार कुछ नई सरकारी कालोनियों सहित कतिपय क्षेत्रों में बिजली के बिलों को जारी करने की प्रक्रिया में अपेक्षाकृत अधिक समय लगता है क्योंकि नए रिकार्डों को तैयार करना होता और बिजली के बिलों के कम्प्यूटरीकरण में शुरू में समस्याएं होती थी।

(ख) सामान्यतया उपभोक्ताओं को दो महीने तक की बिजली की खपत के लिए बिल डेसू द्वारा भेजे जाते हैं। इन उपभोक्तओं में सरकारी कालोनियों के बिजली उपभोक्ता भी शामिल हैं।

(ग) पहले हाथ से तैयार करने के बजाय बिल को कंप्यूटर से तैयार किए जाने के कारण सरकारी कालोनियों के उपभोक्ताओं एवं अन्य डेसू के आर० के० पुरम क्षेत्र द्वारा सेवित क्षेत्रों के उपभोक्ताओं को 4/6 महीने की बिजली खपत के लिए बिल भेजे जाते थे। आशा है कि आर. के. पुरम क्षेत्र में बिजली के बिल भेजने में होने वाले बिलम्ब में जुलाई, 1989 तक सुधार हो जाएगा।

(घ) डेसू के अनुसार उपभोक्ताओं को यह सुविधा है कि वे दो महीने से अधिक समय की बिजली खपत के लिए बिल राशि किस्तों में जमा कर सकते है।

(ङ) बिजली के बिलों को तैयार करने की प्रक्रिया को बिलों के प्रगतिशील कंप्यूटरीकरण के सरल बनाया जा रहा है, इसके लिए डेसू द्वारा दिसम्बर, 1987 में "इन-हाऊस" कंप्यूटर व्यवस्था लागू किया गया।

मारुति परियोजना में सुजकी के लिए इक्विटी में वृद्धि

5619. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मारुति परियोजना में जापानी सुजकी के लिए इक्विटी बढ़ाने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा कोष पर इसके अतिरिक्त भार का क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) मारुति उद्योग लिमिटेड में सुजकी मोटर कम्पनी % की इक्विटी शेयर प्रतिशतता के वर्तमान स्तर में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रमुख विद्युत परियोजनाओं में संसाधनों की कमी

5620. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई प्रमुख विद्युत परियोजनाओं को संसाधनों के अत्यधिक अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या इस समय चल रही परियोजनाओं जैसे कोयला पन बिजली परियोजना का चौथा चरण, खापरखाड़ा ताप परियोजना और दभोल ताप परियोजना का वित्त पोषण करने के लिए वर्तमान आर्थिक स्थिति पर्याप्त है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) विद्युत परियोजनाओं की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) खापरखेड़ा (चरण-1) ताप विद्युत परियोजना (2×210 मेगावाट) की निधियों की आवश्यकता की पूर्ति राज्य सरकार द्वारा उसकी राज्य योजना के माध्यम से और वित्तीय संस्थाओं से होती है । परियोजना के दूसरे चरण को जिसे योजना आयोग द्वारा जून, 1988 में स्वीकृत किया गया था को संसाधनों की कमी के कारण राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु अभी तक हाथ में नहीं लिया गया है । कोयला जल विद्युत परियोजना (चरण-4) को विश्व बैंक से सहायता के लिए रखा गया है । दभोल ताप विद्युत परियोजनाओं को अभी तक स्वीकृत नहीं किया गया है ।

(घ) विद्यमान ताप विद्युत और जल विद्युत केन्द्रों में से कुछ की विद्यमान प्रतिष्ठापित क्षमता की दक्षता में सुधार, नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्य किया जा चुका/किया जा रहा है । पारेषण और वितरण हानियों में कमी, दक्षता भार प्रबंध और ऊर्जा संरक्षण कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे विद्युत की उपलब्धता में सुधार होगा ।

अखबारी कागज का उत्पादन, आवश्यकता और आयात

5621. **श्री एस० जी० घोलप** :

श्री मोहन भाई पटेल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) देश में अखबारी कागज का वार्षिक उत्पादन और आवश्यकता क्या है;

(ख) मांग को पूरा करने के लिए कितनी मात्रा में अखबारी कागज का आयात किया जाता है;

(ग) देशी और आयातित अखबारी कागज की प्रति टन मूल्य दरें क्या हैं; और

(घ) देश अखबारी कागज के सम्बन्ध में कब तक आत्मनिर्भर हो जाएगा और इस हेतु और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश में अखबारी कागज का वार्षिक उत्पादन और इसकी आवश्यकता प्रतिवर्ष अलग-अलग होती है । वर्ष 1987-88 में स्वदेशी उत्पादन 2.87 लाख मीट्रिक टन था जबकि इसकी तुलना में अनुमानित आवश्यकता 5.09 लाख मीट्रिक टन थी ।

(ख) वर्ष 1987-88 में आयात किए गए अखबारी कागज की मात्रा 2,43,968 मीट्रिक टन थी।

(ग) 27-1-88 से लागू स्वदेशी अखबारी कागज की मिल बिक्री कीमत निम्नानुसार है :

		(रुपए प्रति टन)
1.	नेशनल न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर मिल्स, नेपा नगर म० प्र० (नेपा मिल्स)	8,560 (52 जी० एस० एम०)
	मैसूर पेपर मिल्स लि० भद्रावती, कर्नाटक	10,160 (59 जी० एस० एम०)
3.	हिन्दुस्तान न्यूजप्रिंट लि० न्यूजप्रिंट नगर केरल	10,160 (49 जी. एस. एम.)
4.	तमिलनाडु न्यूजप्रिंट एण्ड पेपर लि० पुगालूर तमिलनाडु	10,893 (49 जी. एस. एम)
5.	रायल सीमा पेपर मिल्स अदोनी, आंध्र प्रदेश	9,390 (49 जी. एस. एम.)

आयातित अखबारी कागज की कीमत (सीमा-शुल्क को छोड़कर) 1-4-1989 की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित थीं :—

(रुपए प्रति टन)

	हाई सीज तेल	बफर
बंगला देश से इतर स्टैंडर्ड	12,715/-	12,765/-
बंगला देश से स्टैंडर्ड	11,910/-	11,960/-
ग्लेजड	12,610/-	12,660/-
सुपर कलैण्डर (कनाडा)	12,010/-	12,060/-

(घ) देश में अखबारी कागज निर्माण की 3 लाख टन मौजूदा वार्षिक क्षमता के अलावा, सरकार ने औद्योगिक लाइसेंसों/आशय-पत्र के जरिए 450 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता का अनुमोदन कर दिया है। ये कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

स्वदेशी अखबारी कागज की विशेषताएं कुल मिलाकर आयातित अखबारी कागज के समान हैं, सभी स्वदेशी अखबारी कागज मिलों के पास आर. एण्ड डी. सुविधाएं है जो पल्पिंग और अखबारी कागज के उत्पादन पर विशेष जोर देते हैं।

ग्रामीण विद्युतीकरण

5622. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि के दौरान राज्य-वार कितने गांवों का विद्युतीकरण किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) योजना आयोग ने सातवीं योजना (1-4-85 से 31-3-90 तक) के लिए 1,18,101 गांवों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा था, पर सूचना मिली है कि 1-4-85 से 29-2-89 तक 70,925 गांवों का विद्युतीकरण कर लिया गया है। कुछ राज्यों में सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य का प्राप्त करने में थोड़ी कमी रह जाने की संभावना है। धीमी प्रगति के ये कारण हैं: दैवीय आपदा, उप-पारेषण साधनों की अपर्याप्तता, पिछड़ापन होने के कारण उपभोक्ताओं की ओर से मांग में कमी आना, दुर्गम पर्वतीय क्षेत्र आदि।

(ग) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अर्थात् 1-3-1989 से 31-3-90 तक जिन गांवों के विद्युतीकरण की संभावना है उनकी राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले सम्भावित गांवों की राज्यवार संख्या

क्रम सं०	राज्य	सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की सभावित संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	619
2.	अरुणाचल प्रदेश	143
3.	असम	2000
4.	बिहार	2700
5.	गोवा	कुछ नहीं
6.	गुजरात	कुछ नहीं
7.	हरियाणा	कुछ नहीं
8.	हिमाचल प्रदेश	कुछ नहीं
9.	जम्मू व कश्मीर	150
10.	कर्नाटक	78
11.	केरल	कुछ नहीं
12.	मध्य प्रदेश	3000
13.	महाराष्ट्र	150
14.	मणिपुर	250
15.	मेघालय	230
16.	मिजोरम	75

1	2	3
17.	नागालैण्ड	40
18.	उड़ीसा	919
19.	पंजाब	कुछ नहीं
20.	राजस्थान	1010
21.	सिक्किम	38
22.	तमिलनाडु	20
23.	त्रिपुरा	190
24	उत्तर प्रदेश	2820
25.	पश्चिमी बंगाल	20[illegible]0
	जोड़ (राज्य)	17432
	जोड़ (संघ राज्य)	36
	जोड़ (अखिल भारत)	16468

भारत और सोवियत संघ के बीच आर्थिक सहयोग

562३. **श्री भद्रेश्वर तांती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सोवियत संघ का विचार इन दोनों देशों के उद्यमों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कार्यदल गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

औद्योगिक मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, हां। आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग सम्बन्धी इंटर गवर्नमेंटल इंडो-सोवियत आयोग ने नई दिल्ली में 7 से 9 मार्च, 1989 तक हुई अपनी 12 वीं बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ अपने ढांचे के भीतर ही एक पृथक कार्य दल की स्थापना करने का निर्णय लिया है ताकि नवीन प्रकार के सहयोग जैसे उत्पादन सहयोग, संयुक्त उद्यम और भारतीय उद्यमियों और सोवियत संघ के उद्यमियों के बीच सीधे सम्पर्क को सरल बनाया जा सके और विकसित किया जा सके।

बंगलौर विमानपत्तन पर एस० टी० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5624. **श्री सी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यात्रियों की सुविधा के लिए बंगलौर विमानपत्तन पर एस० टी० डी० सुविधा वाले सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र उपलब्ध हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो बंगलौर विमानपत्तन पर यह सुविधा उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनिवासी भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योग

[हिन्दी]

5625. **श्री राम पूजन पटेल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1988 और 1989 के दौरान अब तक कितने अनिवासी भारतीयों ने भारत में उद्योग स्थापित किए हैं और उनमें कुल कितना निवेश किया गया है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री० एम० अरुणाचलम) : नवम्बर, 1983 में स्थापित विशेष अनुमोदन समिति की स्थापना समिति की स्थापना से लेकर दिसम्बर, 1988 तक भारत में उद्योग स्थापित करने के लिए अनिवासी भारतीयों को 214 आशय-पत्र औ. स्वी. स. के पंजीकरण जारी किए गए थे। उपलब्ध सूचना के अनुसार, अभी तक इनमें से 24 एककों ने उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है। स्वीकृत देते समय इन 24 एककों के लिए 140.15 करोड़ रुपए की परियोजना लागत की परिकल्पना की गई थी तथा इनमें 16.96 करोड़ रुपए के अनिवासी भारतीय निवेश का अनुमान लगाया गया था।

अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप आदि द्वीपों पर स्थापित किए गए टी० वी० ट्रांसमीटर

[अनुवाद]

5626. **श्री वी० कृष्ण राव :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अण्डमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप द्वीप समूहों के दूरवर्ती द्वीपों में छोटे-छोटे समूहों में रहने वाली जनसंख्या दूरदर्शन के कार्यक्रम देख सकती है; और

(ख) यदि हां, तो इन द्वीपों में कितने ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) अण्डमान निकोबार द्वीप समूह में कार्यरत आठ दूरदर्शन ट्रांसमीटरों तथा लक्षद्वीप समूह में नौ दूरदर्शन ट्रांसमीटरों के एक नेटवर्क के जरिए इन दो द्वीप समूहों में क्रमशः लगभग 99 प्रतिशत तथा 97.5 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध है। सातवीं योजना के अधीन अनुमोदित स्कीम के अंग के रूप में लक्षद्वीप द्वीप समूहों में आठ सीधे संग्रहण सैट स्थापित करने का भी कार्यक्रम है।

औद्योगिक क्षेत्र के लिए गठित की गई "पिछड़ा क्षेत्र विकास समिति"

5627. **श्री बृज मोहन महन्ती :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुमुखी औद्योगिक विकास के लिए सरकार द्वारा गठित की गई "पिछड़ा क्षेत्र विकास समिति" ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(ग) क्या सरकार ने उन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक विकास के लिए मौजूदा केन्द्रीय प्रोत्साहन योजनाओं के संशोधन व पुनरीक्षा हेतु गठित अंतर-मन्त्रालयीय समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी समिति की सिफारिशें अभी सरकार के विचाराधीन हैं।

आंध्र प्रदेश में कोयले की उपलब्धता

5628. **श्री एम० रघुमा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में कितनी मात्रा में कोयला उपलब्ध है;

(ख) क्या यह कोयला ताप बिजली उत्पादन के लिए आंध्र प्रदेश बिजली बोर्ड की मांग सहित राज्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है; और

(ग) यदि नहीं, तो राज्य की कोयले की कुल मांग को पूरा करने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) भारतीय भू-सर्वेक्षण द्वारा आंध्र प्रदेश में कोयले के 10,086 मिलियन टन भंडार होने का अनुमान लगाया है। इसमें से प्रमाणित भंडार केवल 4597 मिलियन टन होने का अनुमान है। वर्ष 1988-89 के दौरान सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि०, जोकि आंध्र प्रदेश में कोयला खानों का परिचालन करती है, का कोयले का उत्पादन 18.60 मिलियन टन रहा।

(ख) और (ग) सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० की खानों में उत्पादित कोयले से देश के सम्पूर्ण दक्षिणी क्षेत्रों, जिसमें आंध्र प्रदेश भी शामिल है, की आवश्यकता पूरी होती है। इस सम्बन्ध में मांग तथा उपलब्धता के अन्तराल को आंशिक रूप से कोल इंडिया लि० के स्रोतों द्वारा की गई सप्लाई से पूरा किया जाता है।

शाहजहांपुर जिला (उत्तर प्रदेश) में दूर संचार व्यवस्था

5629. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर जिले में दूर संचार व्यवस्था बहुत ही खस्ता हालत में है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं ने शाहजहांपुर जिले में एक इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) शाहजहांपुर में टेलीफोन प्रणाली सामान्यतः संतोषजनक है।

(ख) और (ग) जी, हां। तथापि, इस समय शाहजहांपुर में इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज संस्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी, 8 वीं योजना अवधि के दौरान मौजूदा एम० ए० एक्स-II किस्म के एक्सचेंज के स्थान पर 2000 लाइनों वाले आई० सी० पी० (भारतीय क्रास-बार प्रोजेक्ट) किस्म का एक्सचेंज लगाने का प्रस्ताव है।

माचिस उद्योग

[हिन्दी]

5630· **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया** :

श्री विनेश गोस्वामी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1989 के फाइनैंसियल एक्सप्रैस में "काटेज यूनिट्स फीयर्स ओवर विमकोस स्टेप्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या हाल ही में बजट में माचिस उद्योग के सम्बन्ध में घोषित नीति के परिणाम स्वरूप कुटीर उद्योग के उद्यमियों को अपने उद्योग चलाने में गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) क्या माचिस निर्माण करने वाले बड़े उद्योगों को लघु और कुटीर क्षेत्र के एककों की तुलना में अधिक सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(घ) क्या इन लघु उद्यमियों ने सरकार को अपने संकट से अवगत किया है; और

(ङ) यदि हां, तो लघु और कुटीर उद्योग के एककों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में बनाई जा रही माचिसों पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया गया है। उत्पाद शुल्क के ढांचे में परिवर्तन करते समय विभिन्न क्षेत्रों के हितों को ध्यान में रखा गया है। कुटीर क्षेत्र, हस्तनिर्मित लघु क्षेत्र और यांत्रिक क्षेत्र के लिए क्रमशः 31.25, 28.57 और 23.07 प्रतिशत कमी की गई।

(घ) जी, हां।

(ङ) ऊपर (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आंध्र प्रदेश में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग की यूनिटें

[अनुवाद]

5631. **श्री० बी० तुलसीराम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार, आंध्र प्रदेश में जिला-वार स्थापित की गई खादी तथा ग्रामोद्योग यूनिटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 1989 तथा 1990 के दौरान राज्य में जिला-वार स्थापित की जाने वाली ऐसी यूनिटों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) आंध्र प्रदेश का परम्परागत दस्तकारी चीजों को इन यूनिटों द्वारा कितना बढ़ावा दिया जाएगा ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश में स्थापित किए गए खादी तथा ग्रामोद्योग एककों के जिला-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा बनाए गए प्रयोगात्मक कार्यक्रम के अनुसार वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 के दौरान क्रमशः खादी के अधीन 20 एन. एम. सी. एककों व ग्रामोद्योग के अधीन 9467 एककों और खादी के अधीन 34 एन० एम० सी० एककों व ग्रामोद्योग के अधीन 8777 एककों की स्थापना किए जाने का प्रस्ताव है। स्थापित किए जाने वाले एककों के स्थापना स्थल का निर्णय कार्यान्वयन एजेंसियों मुख्यतः राज्य के० वी० आई० बोर्डों तथा के० वी० आई० संस्थाओं

द्वारा लिया जाता है जो कि संभावनाओं तथा कच्चे माल की उपलब्धता, स्थानीय प्रतिभाओं, पानी, बिजली की आपूर्ति, परिवहन तथा विपणन आदि जैसे अन्य स्थानीय कारकों पर निर्भरत करता है ।

(ग) खादी एकक आंध्र फाइन खादी की परम्परागत कला को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे तथा ग्रामोद्योग एकक परम्परागत हस्तशिल्प, जैसे रेशे की सजावटी वस्तुएं जिनके लिए आंध्र प्रदेश प्रसिद्ध है, को प्रोत्साहित करने में मदद करेंगे ।

विवरण

31-3-1988 की स्थिति के अनुसार आंध्र प्रदेश मे स्थापित किए गए के० वी० आई० एककों की जिलेवार संख्या के ब्यौरे

क्रम सं०	जिले का नाम	एककों की संख्या	
		खादी	ग्रामोद्योग
1.	पूर्वी गोदावरी	73	5096
2.	गुंतूर	45	608[illegible]
3.	कुरनूल	104	693
4.	अनंतपुर	46	901
5.	श्रीकाकुलम	33	5330
6.	महबूबनगर	9	1170
7.	नैल्लोर	13	17[illegible]1
8.	कृष्णा	—	7320
9.	चित्तूर	6	994
10.	करीमनगर	39	1094
11.	हैदराबाद	61	1313
12.	विशाखापत्तनम	1	6872
13.	प्रकाशम	2	2437
14,	पश्चिम गोदावरी	—	6509
15.	कुडप्पा	2	998
16.	अदीलाबाद	—	4734
17.	खमाम	—	1027
18.	वारंगल	—	1320
19.	मेडक	—	677
20.	नालगोंडा	—	1216
21.	वरंगल	—	582
22.	रंगा रेड्डी	—	978
23.	विजयनगरम	—	714
24.	निजामाबाद	—	579
	जिलावार ब्यौरा उपलब्ध नहीं है ।	40	23797
	योग :	474	84207

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर पान मसाला और पान जर्दा विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाना

5632. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता समूह ने सरकार से दूरदर्शन/आकाशवाणी से विभिन्न पान मसालों और पान जर्दों के विज्ञापन प्रसारण प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इन मसालों में कैंसर उत्पन्न करने वाले उपादानों को ध्यान में रखते हुए क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) कुछेक उपभोक्ता समूहों ने मीडिया के माध्यम से विभिन्न पान मसालों और पान जर्दों के उत्पादों के विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया है। सरकार ने भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद से परामर्श किया जिसका विचार है कि जब तक ध्यानपूर्वक नियन्त्रित महामारी रोग-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन नहीं किए जाते तब तक इन उत्पादों के अंतिम रूप से कार्सिनोजेनिक प्रभावों को स्थापित करना बहुत मुश्किल है

रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना से केरल को बिजली सप्लाई

5633. **श्री सुरेश कुरुप** :

श्री टी० बशीर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रामागुंडम सुपर ताप विद्युत परियोजना से केरल को कुल कितनी बिजली का आबंटन किया गया है;

(ख) क्या दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 तक केरल को आबंटित उसका बिजली का कोटा नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) रामगुण्डम सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 2100 मेगावाट की अधिकतम क्षमता में से केरल के लिए 245 मेगावाट का हिस्सा आबंटित किया गया है।

(ख) और (ग) : दिसम्बर, 1988 से फरवरी, 1989 की अवधि के दौरान, केरल को 172 मिलियन यूनिट विद्युत सप्लाई की गई जो कि इसके लिए निर्धारित मात्रा से कम है। इसका कारण कलपक्कम तथा नेवेली-दो में अवरत बंदिया होना और नागार्जुन सागर तथा कुडप्पा के बीच केवल एक 400 के० वी० सर्किट उपलब्ध होना था। नागार्जुन सागर तथा कुडप्पा के बीच दूसरे 400 के० वी० सर्किट को मार्च, 1989 में चालू किया गया था।

बारी समिति की सिफारिशें

5634. **डा० ए० के० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री बारी रिपोर्ट के बारे में 2 अगस्त, 1988 के असारांकित प्रश्न संख्या 989 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले की समस्याओं के बारे में चारी समिति की रिपोर्ट ऊर्जा सलाहकार बोर्ड को कब प्रस्तुत की गई थी;

(ख) सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) कौन सी सिफारिशें अस्वीकार की गई और इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) चारी समिति ने "इश्यूज इन कोल" पर अपनी रिपोर्ट ऊर्जा सलाहकार बोर्ड को फरवरी, 1988 में प्रस्तुत की थी।

(ख) और (ग) इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऊर्जा पर सलाहकार बोर्ड ने रिपोर्ट पर विचार किया और इसने सचिवों की विशेष समिति को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कीं। सचिवों की विशेष समिति द्वारा की गई सिफारिशें/टिप्पणियां सितम्बर, 1988 तथा जनवरी, 1989 में प्राप्त हो गई और इन पर विचार किया जा रहा है।

गैस पाइप लाइन बिछाने के लिए राजा मुन्द्री रेलवे पुल को बदलना

5635. **श्री श्रीहरि राव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योगों को जोड़ने के लिए पश्चिम गोदावरी से पूर्व गोदावरी तक पाइप लाइन बिछाने के लिए राजामुंद्री में पुराने रेलवे पुल को बदलने का प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ओ० एन० जी० सी० ने कुछ उपभोक्ताओं को गैस की सप्लाई करने के लिए गोदावरी नदी के पश्चिमी तट पर नरसापुर से कोवूर तक पाइपलाइन बिछायी है चूंकि इस समय पाइपलाइन में कोई फालतू क्षमता नहीं है इसलिए गोदावरी नदी के पूर्वी तट पर कोवूर से राजामुंद्री, तक गैस लाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

फिलामेंट के धागे का निर्माण करने वाले एकक

5636. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में "फिलामेंट धागे का निर्माण करने वाले उद्योगों का ब्यौरा क्या है, और

(ख) क्या फिलामेंट धागे की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु काफी मात्रा में इसका आयात किया जा रहा है।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) प्रमुख एकक जो इस समय एक या अधिक सिंथेटिक

फिलामेंट यार्न जैसे पालियस्टर, नायलन और पॉलीप्रोपिलीन फिलामेंट यार्न का निर्माण कर रहे हैं, ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए जाते हैं।

(ख) जी, नहीं। फिलहाल फिलामेंट यार्न की केवल थोड़ी सी मात्रा का आयात किया जाता है।

विवरण

1. मै० बड़ोदा रेयन कार्पोरेशन लि०
2. मै० सेन्चुरी इन्का लि०
3. मै० गरवारा नाइलोन लि०
4. मै० गुजरात फिलामेंट लि०
5. मै० हरियाणा पेट्रोकेमिकल्स लि०
6. मै० हिन्दुस्तान पाइप उद्योग लि०
7. मै० इंडियन आर्गेनिक केमिकल्स लि०
8. मै० जगजीत कोटन टेक्सटाइल मिल्स लि०
9. मै० जे० के० सिन्थेटिक्स लि०
10. मै० मोदीपोन लि०
11. मै० निरलोन सिन्थेटिक्स फाइबर एण्ड केमिकल्स लि०
12. मै० आर० के० सिल्क मिल्स लि०
13. मै० परासरामपुरिया सिन्थेटिक्स लि०
14. मै० पेट्रोफिल्स कोपरेटिव लि०
15. मै० राजस्थान पेट्रो सिन्थेटिक्स लि०
16. मै० रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि०
17. मै० श्री सिन्थेटिक्स लि०

पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लि०, जो सरकारी सहकारिता क्षेत्र में है, को छोड़कर सभी एकक गैर सरकारी क्षेत्र में है।

ऊर्जा क्षेत्र के लिए केन्द्रीय योजना परिव्यय

5637. **श्री राम प्यारे पनिका** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत क्षेत्र के लिए वर्ष, 1989-90 के लिए कितना केन्द्रीय योजना परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ख) क्या यह वर्ष 1989-90 के परिव्यय से अधिक है अथवा कम है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के लिए बिजली की अनुमानत: कितनी मांग है और योजनागत परिव्यय इस मांग को कहां तक पूरा कर पाएगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) विद्युत विभाग की केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमों हेतु वर्ष 1989-90 की वार्षिक योजना के लिए प्रस्तावित परिव्यय 1948 करोड़ रुपये है जो कि वित्तीय वर्ष 1988-89 के स्वीकृत परिव्यय से 30·25% अधिक है। आशा है वर्ष 1989-90 के परिकल्पित विद्युत कार्यक्रमों हेतु यह राशि पर्याप्त होगी।

गुजरात के राजकोट जिले में ड्रिलिंग

5638. **श्रीमती पटेल रमाबेन रामजी भाई मावणि :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात के राजकोट जिले के जसदान तालुक में अटकाट गांव के नजदीक तेल के कुओं की खुदाई आरम्भ की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या प्रगति हुई और उसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) आगामी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भूकम्पीय सर्वेक्षणों के द्वारा कच्छ-सौराष्ट्र के समुद्र तटीय क्षेत्रों का मूल्यांकन करने तथा तटवर्ती सौराष्ट्र पर किए जा रहे मैगनेटों-टेलुरिक सर्वेक्षणों का मूल्यांकन करने के बाद राजकोट-1 नामक स्थान को ड्रिलिंग करने के लिए हाथ में लिया जाएगा।

भोपाल में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के अनुषंगी एकक

[हिन्दी]

5639. **श्री के० एल० प्रधान :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भोपाल का कोई अनुषंगी औद्योगिक एकक है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे एककों की संख्या कितनी है और इन्हें कब-कब स्थापित किया गया;

(ग) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने हाल के वर्षों में कुछ नए अनुषंगी एकक स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया था; और

(घ) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्री (श्री जी० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) अनुषंगी एककों की संख्या 48 है जो 1974 तक की अवधि में स्थापित किए गये थे।

(ग) और (घ) सुझाव दिये गए है कि 200 से अधिक लघु उद्योग एककों को भी अनुषंगी एककों का दर्जा दिया जाना चाहिए। बी० एच० ई० एल० ने इस मामले की जांच पड़ताल की है और राज्य स्तर की अनुषंगी उद्योग विकास समिति को सूचित किया है कि हिस्से पुर्जों और सामग्रियों को लघु उद्योगों से भी प्राप्त किया जा रहा है और सहायक उद्योगों को मिलने वाली सभी सुविधाएं, लघु उद्योग एककों को भी दी जा रही हैं।

मध्य प्रदेश में चम्बल प्रभाग में दूरदर्शन रिले केन्द्र

5640. श्री कम्मोदीलाल जाटव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के किन-किन प्रभागों में वर्ष 1980 से अब तक कितने दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

(ख) क्या इनमें चम्बल प्रभाग भी शामिल है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और वहां पर एक दूरदर्शन रिले केन्द्र कब स्थापित किया जाएगा ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (एच० के० एल० भगत) : (क) 1980 से अब तक मध्य प्रदेश राज्य के कुल 12 मंडलों में से निम्नलिखित 9 मंडलों में टी० वी० ट्रांसमीटर लगाए जा चुके हैं :

1. बस्तर	2. भोपाल	3. बिलासपुर
4. ग्वालियर	5. इन्दौर	6. जबलपुर
7. रीवा	8. सागर	9. उज्जैन

(ख) जी, नहीं ।

(ग) चम्बल मंडल के भाग, बाबरा के उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर से टी० वी० सेवा प्राप्त करते हैं । ग्वालियर में कार्यान्वयनाधीन उच्च शक्ति (10 किलोवाट) टी० वी० ट्रांसमीटर से भी चम्बल मंडल के भागों को सेवा प्राप्त होने की आशा है । चम्बल मंडल में टी० वी० सेवा का और अधिक सुधार टी० वी० विस्तार की भावी योजनाओं के तहत संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा ।

इदपुआ, केरल में टेलीफोन केन्द्र का विस्तार

[अनुवाद]

5641. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में अलेप्पी में इदपुआ में वर्ष 1989-90 के दौरान टेलीफोन केन्द्र का विस्तार करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस स्थान पर किस प्रकार के उपकरण लगाये जाएंगे और कितनी अतिरिक्त लाइनों की व्यवस्था की जाएगी ?

संचार मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) मौजूदा एम० ए० एक्स-II स्ट्रोजर टाइप के एक्सचेंज की क्षमता का 1989-90 के दौरान 200 लाइनों (200-400) तक विस्तार करने का प्रस्ताव है बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों ।

पिथौरागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि

[हिन्दी]

5642. श्री हरीश रावत : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिथौरागढ़ टेलीफोन एक्सचेंज की अतिरिक्त टेलीफोन कनेक्शन देने की क्षमता नहीं है;

(ख) वहां नए टेलीफोन कनेक्शन प्राप्त करने की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम है;

(ग) क्या इन एक्सचेंज की क्षमता में वृद्धि किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा सूची में दर्ज आवेदकों की संख्या 24 है।

(ग) और (घ) जी, हां। वर्ष 1989-90 के दौरान मौजूदा इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज की क्षमता 400 से 500 लाइनें करके, विस्तार करने का प्रस्ताव है। तथापि, प्रस्तावित कार्य उपस्कर की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना

5643. श्री निर्मल खत्री : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का उत्तर प्रदेश के फैजाबाद जिले में एक विद्युत उपकेन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है;

(ग) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है;

(घ) इसका निर्माण कार्य कब शुरू किया जायेगा और कब तक पूरा हो जायेगा; और

(ङ) इस उपकेन्द्र की विद्युत उत्पादन क्षमता क्या होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड से हाल ही में एक स्कीम प्राप्त हुई है जिसमें निम्नलिखित कार्यों की प्रत्याशा की गई है :

(1) 132/33 के० वी० पावर ट्रांसफार्मर 20 एम० वी० ए०—सं० 1

(2) 33/11 के० वी० पावर ट्रांसफार्मर 3 एम० वी० ए०—सं० 2

(3) 132 के० वी० लाइन—58.14 कि० मी०

(4) 33 के० वी० लाइन—49 कि० मी०

(5) सुलतानपुर में अतिरिक्त 132 के—सं०।

(ग) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित परियोजना लागत 487.1 लाख रुपए है।

(घ) जैसे ही आवश्यक औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी वैसे ही निर्माण कार्य आरम्भ हो जायेगा परियोजना की अनुमानित अवधि 3 वर्ष है।

(ङ) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा प्रस्तावित 132/33 के० वी० के उपकेन्द्र की क्षमता मिल्कीपुर (कुमारगंज) में 20 एम० वी० ए० है।

कोचीन में पेट्रो-रसायन काम्प्लैक्स की स्थापना

[अनुवाद]

5644. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन में एक पेट्रो रसायन काम्प्लैक्स स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) कोचीन रिफाइनरीज लि० को प्रतिवर्ष 87,200 टन बेन्जीन के निर्माण के लिए एक औद्योगिक लाइसेंस और प्रतिवर्ष 12,000 टन टाल्यून के निर्माण के लिए एक आशय क्रमशः 29-11-1988 और 31-7-1987 को प्रदान किया गया है।

फर्रुखाबाद में टेलेक्स सुविधाएं

5645. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फर्रुखाबाद नगर में टेलेक्स सुविधाओं के लिए काफी लंबे समय से मांग की जा रही है, और

(ख) यदि हां, तो इस नगर में टेलेक्स सुविधाएं कब तक उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) फर्रुखाबाद में टेलेक्स सुविधा प्रदान करने के लिए कोई निश्चित मांग प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) नोस्नल टेलेक्स एक्सचेंज की योजना तैयार की जा सकती है बशर्ते कि कम से कम चार टेलेक्स कनेक्शनों के लिए पंजीकरण हुआ हो।

गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों में रसोई गैस वितरण एजेंसियां

5646. **श्री सोमजी भाई डामर** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में झालेद, संतराम-पुरबारिया और लीलखेडा में रसोई गैस वितरण एजेंसियां हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार की इन स्थानों पर रसोई गैस वितरण एजेंसियां देने के लिए कोई योजना है;

(घ) यदि हां, तो कब; और

(ङ) क्या इन अनजातीय बहुल क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के प्रार्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) गुजरात के झालेदु, संतरामपुर, बरिया और लिमखेड़ा में किसी भी तेल कम्पनी का कोई एल० पी०जी० वितरण केन्द्र नहीं है क्योंकि इस समय एल० पी० जी० के आर्थिक रूप से व्यवहार्य वितरणकेन्द्र के लिए इनमें से कोई भी स्थान उपयुक्त नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां। चूंकि ये सभी चारों स्थान आरक्षित संसदीय चुनाव क्षेत्र में आते हैं इसलिए जब भी ये स्थान वितरण केन्द्र खोलने के लिए व्यवहार्य होंगे तो इन्हें तेल उद्योग द्वारा अपनी विपणन योजनाओं में शामिल किया जाएगा और "अनुसूचित जाति" श्रेणी के अन्तर्गत रखा जाएगा।

मध्य प्रदेश के गुना जिले में एथिलीन गैस क्रेकर संयंत्र की स्थापना

[हिन्दी]

5647. **श्री महेन्द्र सिंह :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम ने मध्य प्रदेश के गुना जिले में एक एथिलीन गैस क्रेकर संयन्त्र की स्थापना करने के लिए आशय पत्र/औद्योगिक लाइसेंस के लिए आवेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे आवेदनों पर निर्णय तकनीकी-आर्थिक बातों के आधार पर लिया जाता है।

मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहोर जिलों में नए सार्वजनिक टेलीफोन लगाना तथा टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करना

[अनुवाद]

5648. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन तथा सिहोर जिलों में वर्ष 1988-89 के दौरान कितने नए सार्वजनिक टेलीफोन लगाने और टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और उन स्थानों के नाम और अन्य ब्योरा क्या है जहां ये स्थापित किए जाएंगे;

(ख) क्या निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान तीनों

जिलों में नए लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन घर टेलीफोन एक्सचेंज खोलने के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं :—

जिला	लक्ष्य सं० दू० सा० टे०	ग्राम का नाम	एक्सचेंज लक्ष्य	ग्राम का नाम
विदिशा	1	(i) पिपलधार	शून्य	—
रायसेन	6	(i) खापरखेड़ा	1	(i) बम्होरी
		(ii) सिरसोड़ा		
		(iii) भोण्डिया		
		(iv) पांजरा		
		(vi) तुलसीपार		
सिहोर	3	(i) खाईखेड़ा	2	(i) करधार
		(ii) बामूलियाभाटी		(ii) बागेर
		(iii) जामुनिया फतेहपुर		

(ख) 1988-89 के लिए उपर्युक्त (क) में दिया गया लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर व्यय की गई धनराशि

5649. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 और 1988 में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर कितनी धनराशि व्यय की गई और वर्ष 1989 के दौरान यह धनराशि कितनी हो जाएगी;

(ख) इन तीन वर्षों के दौरान कितने परिस्कृत पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात किया गया;

(ग) क्या इन वर्षों के दौरान पेट्रोलियम उत्पादों के व्यापार घाटे में वृद्धि हुई है; और

(घ) यदि हां, तो पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करने और व्यापार घाटा कम करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) और (ख) कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के लिए आयात योजना वित्तीय वर्ष के आधार पर तैयार की जाती है। 1987-88 तथा 1988-89 के दौरान कच्चे तेल के आयात और पेट्रोलियम उत्पादों के आयात/निर्यात का मूल्य इस प्रकार है :—

मूल्य/करोड़ रुपए

आयात	1987-88* (अनन्तिम)	1988-89 (अनुमानित)
कच्चा तेल/		
पेट्रोलियम उत्पाद	4038	4095
निर्यात	649	423
पेट्रोलियम उत्पाद		

वर्ष 1989-90 के लिए आयात बिल को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) और (घ) घरेलू खपत में वृद्धि होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात में कमी हुई है । अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद शेष मात्रा को निर्यात करने पर विचार किया जाता है ।

आंध्र प्रदेश में अमलापुरम में दूरदर्शन रिले केन्द्र

5650. श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में अमलापुरम में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के अमलापुरम में एक दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित करने के लिए सातवीं योजना के अन्तर्गत इस समय कोई अनुमोदित स्कीम नहीं है ।

(ख) आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के भागों को, विजयवाड़ा में उच्च शक्ति (10 किलोवाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर तथा काकीनाड़ा और राजमुन्दरी में कार्यरत दो अल्प शक्ति ट्रांसमीटरों से दूरदर्शन सेवा प्राप्त होती है । अमलापुरम सहित देश के कवर न हुए शेष भागों को दूरदर्शन सेवा का विस्तार, इस प्रयोजन के लिए निधियों की भावी उपलब्धता पर निर्भर करते हुए चरणबद्ध ढंग से किया जा सकता है ।

बिहार में रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध कराना

[हिन्दी]

5651. श्री कुंवर राम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के कितने शहरों में अब तक रसोई गैस की सुविधा उपलब्ध है; और

(ख) बिहार के शेष शहरों में कब तक यह सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) बिहार राज्य में इस समय 65 कस्बों/शहरों में खाना पकाने की गैस की सुविधा मुहैया करायी गई है।

(ख) तेल कम्पनियां इस समय 20000 या इससे अधिक की जनसंख्या (1981 की जनगणना के अनुसार) वाले उन शहरों में एल० पी० जी० सुविधाएं बढ़ा रही है जहां इसके आर्थिक रूप से व्यवहार्य विपणन के लिए पर्याप्त सुविधाएं मौजूद हों। 1988-89 तक की वार्षिक एल० पी० जी० विपणन योजना के अन्तर्गत तेल कम्पनियों द्वारा बिहार राज्य के 12 और शहरों/कस्बों में एल० पी० जी० वितरण केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

वितरण केन्द्र को वास्तव में चालू करने से पूर्व चूंकि विभिन्न कदम उठाने होते हैं इसलिए यह कहना सम्भव नहीं है कि कब तक इन शहरों/कस्बों में वितरण केन्द्र चालू हो जाएंगे।

बारहवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के परिणामस्वरूप किया गया कारोबार

[अनुवाद]

5652. **श्री विजय एन० पाटिल** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के बारहवें अन्तरर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में भारत उच्चतम स्तर का और हर दृष्टि से विदेशी फिल्मों से तुलनीय भारतीय फिल्म प्रदर्शित करने में सफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो भारतीय फिल्मों के बारे में विदेशी फिल्म विशेषज्ञों द्वारा क्या विचार व्यक्त किए गए; और

(ग) भारत के बारहवें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के फलस्वरूप भारतीय फिल्म उद्योग द्वारा किए गए कारोबार का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) भारतीय सिनेमा की सर्वोत्तम फिल्मों का चयन वार्षिक रूप से पैनोरमा स्कीम के अन्तर्गत किया जाता है तथा उनको अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों/फिल्मोत्सवों में दिखाया जाता हैं। 12 वें अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह के दौरान, भारतीय पैनोरमा, 89 की फिल्मों का प्रदर्शन किया गया था। भारतीय सिनेमा की सर्वोत्तम फिल्मों की तुलना संसार में कहीं भी निर्मित सर्वोत्तम फिल्मों के साथ की जा सकती है।

(ख) कुल मिलाकर, भारतीय पैनोरमा अनुभाग में उपस्थिति अच्छी रही।

(ग) अन्तिम रूप से किए गए अनुबन्धों के आधार पर, 23.00 लाख रुपये का निर्यात होने का अनुमान है। इसके अलावा, स्थापित किए गए सम्पर्कों के आधार पर कुछ और व्यापार किए जाने की उम्मीद है।

पाइपलाइनों से रसोई गैस की सप्लाई

5653. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पाइपलाइनों से रसोई गैस सप्लाई करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किन-किन शहरों में कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार के कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग). बड़ोदा और शिवसागर के नगरों में घरेलू कार्यों के लिए प्राकृतिक गैस की सप्लाई पाइपलाइनों के द्वारा की जा रही है। बम्बई, सूरत, अंकलेश्वर-भरूच और अगरतला जैसे नगरों में इस प्रयोजन के लिए गैस सप्लाई करने के सम्बन्ध में वचन दिए गए हैं।

नान्री

पश्चिम बंगाल में ऊन अधिसूचित उद्योग

5654. **श्रीमती ममता बनर्जी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 1987-88 के दौरान ऊन अधिसूचित उद्योगों का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल राज्य में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1951 के अधीन अधिग्रहित किए गये दो औद्योगिक उपक्रमों अर्थात् मै० बंगाल पॉटरीज लिमिटेड को 1-11-1987 से तथा मै० मोहिनी मिल्स लि० को 22-6-1988 से ऊन-अधिसूचित कर दिया है।

तथापि, बंगाल पॉटरीज के कारीगरों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा याचिका दायर करने पर, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मै० बंगाल पॉटरीज लि० को ऊन-अधिसूचित करने के केन्द्र सरकार के निर्णय के कार्यान्वियन पर रोक लगा दी है तथा यथापूर्ण स्थिति को बनाए रखा। मामला तब से न्यायाधीन है ।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट

5655. **श्री कमल चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक आयोग ने वर्ष 1987-88 के दौरान प्रशासनिक रिपोर्ट सहित कितनी रिपोर्ट प्रस्तुत की;

(ख) उन बड़े औद्योगिक घरानों और व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनका इन रिपोर्टों में उल्लेख है; और

(ग) इन रिपोर्टों के आधार पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम अरुणाचलम) : (क) से (ग) अप्रैल, 1987 से मार्च, 1988 की अवधि के दौरान, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग ने दो प्रशासनिक रिपोर्ट प्रस्तुत की थीं, एक वर्ष 1986 के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट में शामिल करने के लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के कार्यकरण के सम्बन्ध में थी और दूसरी वर्ष 1987-88 के लिये कम्पनी कार्य विभाग की वार्षिक रिपोर्ट के प्रयोजन हेतु एकधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम में यथा अन्तर्विष्ट एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं के उपबन्धों से सम्बन्धित थी। यद्यपि एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 के उपबन्धों के कार्यान्वियन से सम्बन्धित वर्ष 1986 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के पटल पर 5 सितम्बर, 1988 को रखी गई थी जबकि कम्पनी कार्य विभाग की 1987-88 की वार्षिक रिपोर्ट सदन के सदस्यों में 13 अप्रैल, 1988 को परिचालित की गई थी।

ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण

5656. **श्री एच० बी० पाटिल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल स्माल इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड ने देश में ग्रामीण क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने के लिए आकर्षक योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम का उद्देश्य पिछड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित उद्योग पर विशेष बल देते हुए लघु उद्योगों की उन्नति तथा विकास में सहायता करना है : निगम, जनशक्ति को प्रशिक्षित करने, सुधरे हुए औजारों तथा उपकरणों, किराया-खरीद तथा पट्टे की शर्तों पर मशीनों, विपणन तथा कच्चे माल सम्बन्धी सहायता के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करता है ।

आकाशवाणी और दूरदर्शन का पुनर्गठन

5657. **श्री गंगा राम** : । क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी और दूरदर्शन के पुनर्गठन का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) आकाशवाणी और दूरदर्शन के पुनर्गठन के लिए सरकार के विचाराधीन ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा हस्तनिर्मित कागज का निर्माण

[हिन्दी]

5658. **श्रीमती विद्यावती चतुर्वेदी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग हस्त निर्मित कागज के निर्माण और उसके अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देने में कार्यरत हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग और उससे सम्बद्ध संस्थाओं में हस्त-निर्मित कागज का उपयोग किया जाता है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग हस्त-निर्मित कागज का प्रयोग करता है । हमारी सूचना के अनुसार, कुल मिलाकर अन्य सम्बद्ध संस्थाएं भी हस्त-निर्मित कागज का इस्तेमाल करती हैं ।

(ग) उपर्युक्त "ख" को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र के एककों में पूंजी निवेश

[अनुवाद]

5659. **डा० कृपा सिधु भोई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के पहले चार वर्षों के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान संसाधन जुटाने के लिए सरकारी क्षेत्र के एककों द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का वर्ष 1989-90 के दौरान सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिए व्यय की जाने वाली धनराशि में वृद्धि करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों के दौरान, केवल जिस अवधि की जानकारी उपलब्ध हैं, केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में सकल परिसम्पत्ति के रूप में 34826.89 करोड़ रुपये का पूंजी निवेश किया गया था।

(ख) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को समय-समय पर सलाह दी गई है कि वे अधिकाधिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से अपने कार्यचालन को और बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक उपक्रम के लिए उपयुक्त विभिन्न सदुपाय करें। इन वर्षों के दौरान संसाधन जुटाने में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बढ़ी हुई क्षमता का उपयोग करना, बेहतर प्रबंध करना, कुशल आयोजन करना तथा वित्तीय नियंत्रण रखना, अनुसंधान एवं विकास पर पर्याप्त ध्यान देना, लागत एवं समय में वृद्धि होने से बचना आदि, जैसे कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का योजना परिव्यय 1988-89 में 13532.61 करोड़ रुपए से बढ़कर 1989-90 के दौरान 16345.48 करोड़ रुपये तक होने की संभावना है।

ग्राम पंचायतों में टेलीफोन सुविधा

5660. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 तक राज्यवार कितनी ग्राम पंचायतों को टेलीफोन सुविधा उपलब्ध करायी गयी;

(ख) क्या देश में पंचायतों में टेलीफोन उपलब्ध कराने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री [(श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) विभाग की नीति के अनुसार प्रत्येक 5 किलोमीटर के भीतर बसे हुए स्थानों को पूर्णतया आर्थिक सहायता के आधार पर दूर-संचार सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। इस उद्देश्य के लिए देश को 5 किलोमीटर की प्रत्येक षटभुजाकार वाले क्षेत्रों में बांटा गया है और किसी मुख्य ग्राम, पंचायत मुख्यालयों को प्राथमिकता

देकर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाता है। 31-3-1988 की स्थिति के अनुसार देश में कुल ऐसे बसे हुए 50421 षटभुजाकार क्षेत्रों में से 29447 में दूरसंचार सुविधा प्रदान कर दी गई है। इन क्षेत्रों में आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दूरसंचार सुविधा उत्तरोत्तर प्रदान कर दी जाएगी। पंचायत-वार अलग अभिलेख नहीं रखा जाता है।

विभाग की सापेक्ष महत्व की योजना में सन् 2000 तक प्रत्येक ग्राम के लिए एक टेलीफोन उपलब्ध कराने की योजना है।

उड़ीसा में रसोई गैस वितरण एजेंसियां

5661. **श्री राधाकांत डिगाल** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के किन-किन शहरों और कस्बों में प्रत्येक तेल कम्पनी द्वारा रसोई गैस वितरण एजेंसियां स्थापित की गई हैं;

(ख) क्या सरकार का वर्ष 1989 के दौरान उड़ीसा के कुछ और कस्बों में रसोई गैस सुविधा उपलब्ध कराने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) उड़ीसा राज्य के उन शहरों और कस्बों के नाम, जहां इस समय एल० पी० जी० वितरण केन्द्र है, संलग्न विवरण-1 में दिए गए है।

(ख) और (ग) 1988-89 की वार्षिक विपणन योजनाओं में तेल कम्पनियों द्वारा उड़ीसा राज्य के विभिन्न शहरों और कस्बों में 15 और एल० पी० जी० वितरण केन्द्र खोलने की योजना है। इन योजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण-2 में दिया गया है।

विवरण-1

इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि०

क्रम संख्या	स्थान
1.	अंगुल
2.	बालासोर
3.	बरडिल
4.	ब्रह्मपुर
5.	भंज नगर
6.	भवानी पटना
7.	भुवनेश्वर
8.	बिरमितरापुर

1	2
9.	कटक
10.	धीनकनल
11.	झारसूगुड़ा
12.	पाराद्वीप
13.	पुरी
14.	राजगंजपुर
15.	राऊरकेला
16.	सम्बलपुर
17.	सुन्दरगढ़
18.	जिंक नगर
19.	बूरला

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि०

20.	आस्का
21.	आनन्दपुर
22.	बालूगांव
23.	बालांगिर
24.	बालेश्वर
25.	बारीपद्दा
26.	ब्रह्मपुर
27.	भुवनेश्वर
28.	बरजरा नगर
29.	बूरला
30.	भाडरक
31.	बारगढ़
32.	छत्तरपुर
33.	कटक
34.	दमोनजोड़ी
35.	धनकनल
36.	जटनी
37.	जयपोर
38.	केन्द्रपरा
39.	कोरापुट

1	2
40.	कोनजरगढ़
41.	पारादीप
42.	नालकोनगर
43.	फुलबनी
44.	पुरी
45.	परालाखेमुंडी
46.	रायगढ़
47.	राऊरकेला
48.	राजगंजपुर
49.	सम्बलपुर
50.	सुनाबेड़ा
51.	टिटलागढ़
52.	विक्रमपुर
53.	झारसुगुड़ा
54.	जोड़ा
55.	तलछर
भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	
56.	भुवनेश्वर
57.	जजपुर रोड
58.	राउरकेला

विवरण-2

क्रम संख्या	स्थान
1.	राउरकेला
2.	भुवनेश्वर (3 वितरण केन्द्र)
3.	सम्बलपुर
4.	कटक
5.	चौदवार

1	2
6.	दीबागढ़
7.	नौरंगपुर
8.	गनुपुर।
9.	बेरहामपुर (2 वितरण केन्द्र)
10.	खुर्द
11.	पुरी
12.	रायरंगपुर

सीमेंट का उत्पादन

5662. **श्री प्रतापराव बी० भोसले** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने वर्ष 1989-90 के दौरान सीमेंट के उत्पादन का कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह लक्ष्य प्राप्त होने की सम्भावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) सातवीं योजना दस्तावेज के अनुसार, आवधिक वर्ष (1989-90) के लिए सीमेंट के उत्पादन का लक्ष्य 490 लाख मी० टन है।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त (ग) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

सी-डाट एक्सचेंजों की स्थापना

5663. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में सी-डाट एक्सचेंज स्थापित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी जिलावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई सी-डाट एक्सचेंज सिक्किम में स्थापित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सीमिति मात्रा में उत्पादन होने के कारण सिक्किम के लिए सी-डाट एक्सचेंजों की सप्लाई नहीं की जा सकी।

विवरण

31-3-1989 तक संस्थापित 128 पोर्ट सी-डॉट आर० ए० एक्स० की सूची

क्रम सं०	आर० ए० एक्स० का स्थान	जिला	चालू करने की तारीख
आन्ध्र प्रदेश			
1.	कानीगरी	चित्तूर	26-5-88
2.	अरागोंडा	—वही—	25-5-88
3.	बोगरूकनेम	—वही—	22-5-88
4.	यदानी	—वही—	17-7-88
5.	अश्वरापेट	खम्माम	8-1-89
6.	कल्लूर	—वही—	31-12-88
7.	तलाडा	—वही—	15-1-80
8.	प्रशान्तिनीलयम	आनंतपुर	5-3-89
9.	मंडनापुरम	महबूब नगर	27.3.89
10.	कोठाकोटा	—वही—	30-3-89
11.	मेदरामेटला	अंगोले	27-3-89
हरियाणा			
1.	शाहा	अम्बाला (आई० डी० एन०)	31-3-89
पंजाब			
1.	ललरू	पटियाला	30-3-89
हिमाचल प्रदेश			
1.	बरनाला	बिलासपुर	27-3-89
2.	घोटा	अमीरपुर	27-3-89
गुजरात			
1.	बलिसाना	मेसाना	16-1-89
2.	भिलवाना	—वही—	27-12-89
3.	रास	खेड़ा	8-12-88
4.	खंबधार	—वही—	8-12-88
5.	चितल	अमरेली	16-1-89
6.	लिलियामोटा	—वही—	23-3-89

1	2	3	4
जम्मू और कश्मीर			
1.	बेजिलहारा	अनन्तनाग	16-3-89
2.	बांदीपुर	बारामूल्ला	16-3-89
3.	बोटोटे	डोडा	31-2-89
4.	सोपियान	पुलवामा	16-3-89
5.	विजयपुर	जम्मू	17-2-89
कर्नाटक			
1.	कितोर	बेलगांव	21-7-86
2.	बी० सी० चतरा	मैसूर	30-9-88
3.	बेगुर	मैसूर	15-10-88
4.	टेरारकनमबेदी	—वही—	15-10-88
5.	सालिग्राम	—वही—	19-11-88
6.	मुल्लाहल्ली	—वही—	1-10-88
7.	सुलूर	—वही—	1-10-88
8.	कलियानूर	कोलार	31-3-88
9.	बोडोगूर	—वही—	27-3-88
10.	बेहतामंगला	—वही—	31-3-88
11.	राजूपेट रोड	—वही—	13.8-88
12.	आर० टी० टी० सी० बेंगलूर	बेंगलूर	31-3-88
13.	—वही—	—वही—	22-8-88
केरल			
1.	कालरा	त्रिवेन्द्रम	3-8-88
2.	काराकोनम	—वही—	30-7-88
3.	मदनविल्लापेडमथ्ूरा	—वही—	8-8-88
4.	पचापलोडे	—वही—	14-11-88
5.	अरंगकोटूकारा	त्रिचूर	31-12-88
6.	मुल्लूरकेरा	—वही—	31-12-88
7.	अगाथी	लक्षद्वीप	31-3-89
8.	अमीनी	—वही—	31-3-89
9.	चक्रलत	—वही—	31-3-89
10.	कालपेनी	—वही—	31-3-89

1	2	3	4
मध्य प्रदेश			
1.	बंधान	सिधि	22-2-89
2.	सारनी	बैतुल	20-3-89
3.	मिसरोद	भोपाल (आई० डी० एन०)	23-1-89
4.	जैतवाड़ा	सतना	18-3-89
5.	अलिरापुर (आदमपुर)	झबुआ	14-3-89
6.	सांची	रायसेन	16-3-89
7.	कुम्हारी	दुर्ग	11-2-89
8.	चम्नातोरिया	सागर	31-12-89
9.	मालनपुर	भिंड	19-3-88
10.	बेरेसिया	भोपाल	27-3-89
11.	मालाझंड	बालाघाट	31-3-89
12.	सांवर	इंदौर	31-3-89
13.	चुरहट	सिधि	30-5-87
महाराष्ट्र			
1.	अस्ती	वर्धा	20-2-89
2.	देवली	वर्धा	10-2-89
3.	करन्जा	—वही—	20-2-89
4.	सिन्धी	—वही—	26-2-89
5.	समुद्रपुर	—वही—	17-3-89
6.	माजरी खादम	चंद्रपुर	7-2-89
7.	सिन्देवाही	—वही—	18-3-89
8.	गोंडपिपरी	—वही—	11-3-89
9.	नागभिर	—वही—	18-3-89
10.	भद्रावती	—वही—	20-3-89
तमिलनाडु			
1.	तिपोरूर	चिंगलेपुट	13-7-88
2.	नवलूर	—वही—	26-8-88
3.	कालूगोंडापल्ली	धर्मपुरी	10-10-88
4.	गोपीनटमपट्टी	धर्मपुरी	14-11-88

1	2	3	
5.	मोरापुर	—वही—	23-2-89
6.	बहुर	पांडीचेरी	13-2-89
7.	कालापेट	—वही—	24-11-88
8.	एस० पी० कोयल	चिंगलपुट	15-7-88
9.	गुडूवनचेरी	—वही—	3-8-88
उत्तर प्रदेश			
1.	सालोन	रायबरेली	12-2-89
2.	जगदीशपुर	—वही—	14-1-89
3.	अमेठी	सुल्तानपुर	—वही—
4.	गढ़मुक्तेश्वर	गाजियाबाद	31-3-89
5.	सिंभावली	—वही—	31-3-89
6.	काशिया	देवरिया	15-3-89
7.	तैतरीबाजार	बस्ती	26-3-89
8.	सिसवाबाजार	गोरखपुर	31-3-89
9.	जैस	रायबरेली	31-3-89
10.	ए० एल० टी० टी० सी०	गाजियाबाद	अगस्त, 88
11.	—वही—	—वही—	—वही—

गांवों में प्रायोगिक परियोजनाएं

5664. **श्री लक्ष्मण मलिक** : ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्यवार कितने गांवों में पेयजल तथा लघु सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करने हेतु प्रायोगिक परियोजनायें शुरू की गई हैं; और

(ख) सौर ऊर्जा पर आधारित प्रथम प्रकाश व्यवस्था के क्या परिणाम निकले हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) प्रकाशवोल्टीय प्रदर्शन कार्यक्रम के अन्तर्गत पेय जल और सूक्ष्म सिंचाई की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को लगभग 1034 सौर प्रकाशवोल्टीय जल पम्पन प्रणालियां सप्लाई की गई। राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) ऐसी प्रणालियों में से पहली एक प्रणाली यानी रोशनी और अन्य प्रयोजनों के लिए आंध्र प्रदेश के सलोजिपल्ली गांव में पांच वर्ष पूर्व स्थापित की गई 7.3 किलोवाट विद्युत यूनिट आधारित रोशनी प्रणालियों के परिणाम उत्साहवर्द्धक होने की रिपोर्ट मिली है।

विवरण

राज्यवार विवरण (31-12-88 को)

क्रम सं०	राज्य/संघशासित क्षेत्र	पम्प (गांवों की सं०)
1.	आंध्र प्रदेश	70
2.	अरुणाचल प्रदेश	7
3.	असम	64
4.	बिहार	84
5.	गोवा	2
6.	गुजरात	91
7.	हरियाणा	4
8.	हिमाचल प्रदेश	8
9.	जम्मू एवं कश्मीर	1
10.	कर्नाटक	7
11.	केरल	6
12.	मध्य प्रदेश	75
13.	महाराष्ट्र	82
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	25
16.	मिजोरम	4
17.	नागालैंड	11
18.	उड़ीसा	64
19.	पंजाब	5
20.	राजस्थान	6
21.	तमिलनाडु	23
22.	त्रिपुरा	77
23.	उत्तर प्रदेश	240
24.	पश्चिम बंगाल	28
25.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	23
26.	दिल्ली	25
	जोड़ :	1034

सरकारी उपक्रमों में विभाग प्रमुख की नियुक्ति में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व

[हिन्दी]

5665. **श्री राम प्यारे सुमन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के अन्तर्गत किन-किन सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के व्यक्ति विभाग प्रमुख नियुक्त किए गए हैं;

(ख) क्या विभाग प्रमुख की नियुक्ति करते समय अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) क्या इन सरकारी उपक्रमों में कोई समिति गठित की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो किन-किन सरकारी उपक्रमों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को इन समितियों के साथ सम्बद्ध किया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और जितनी उपलब्ध होगी, सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

सोलर कुकर

[अनुवाद]

5666. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रसोई आदि के लिए पानी गर्म करने हेतु किस हद तक सौर ऊर्जा उपयोग में लाई जा रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में कोई विपणन अनुसंधान किया गया है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी परिणाम क्या है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की सभी कर्मचारी कैंटीनों, उनके अतिथि गृहों/रेलवे रसोई घरों आदि में 'सोलर कुकर' इस्तेमाल किये जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) देश में कुल 51 लाख लीटर प्रतिदिन गरम जल की क्षमता की 3289 घरेलू सौर ऊर्जा जल तापन प्रणालियां और 2315 वाणिज्यिक और औद्योगिक जल तापन प्रणालियां पहले ही स्थापित की जा चुकी हैं । अधिकांश घरेलू और जल तापन प्रणालियों और कुछ वाणिज्यिक और औद्योगिक जल तापन प्रणालियों का रसोई के लिए गरम जल उपलब्ध कराने के लिए प्रयोग किया जा रहा है ।

(ख) सर्वेक्षणों से संकेत मिला है कि देश में प्रचुर मात्रा में निःशुल्क रूप धूप होने से सौर जल तापकों और सौर कुकरों की व्यापक संभाव्यता है ।

(ग) अब सामुदायिक खाना बनाने के अनुप्रयोगों के लिए भी सौर कुकर उपलब्ध हैं । सामुदायिक सौर कुकरों का जन-जातीय हॉस्टलों, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना और सैनिक व अर्द्ध-

सैनिक बलों की रसोइयों आदि में प्रयोग आरम्भ किया गया है। केन्द्रीय सरकार के मन्त्रालयों की स्टाफ कैंटीनों, अतिथि गृहों और रेलवे कैंटीनों आदि में भी इनका प्रयोग किया जाएगा।

कलकत्ता टेलीफोन विभाग द्वारा टेलीफोन के संचित बिलों का भेजा जाना

5667. **श्री एम० बी० चन्द्रशेखर मूर्ति** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता टेलीफोन अधिकारी अपने विभिन्न प्रयोक्ताओं को द्विमासिक बिलों के बजाय छह महीने अथवा इससे भी अधिक अवधि के समेकित बिल भेज रहे हैं,

(ख) क्या प्रयोक्ताओं ने संचित बिल भेजने की प्रक्रिया का विरोध किया है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य और ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है, और

(घ) संचित बिल बन्द करने तथा नियमों के अनुसार द्विमासिक बिल भेजने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी नहीं, सामान्यतः टेलीफोन बिल द्विमासिक आधार पर सभी उपभोक्ताओं को जारी किए जाते हैं। फिर भी नये टेलीफोन कनेक्शनों के सम्बन्ध में कभी-कभी फील्ड स्टाफ से टेलीफोन प्रदान करने की सूचना देर से प्राप्त होने के परिणामस्वरूप समेकित बिल जारी करने में कभी-कभार देरी हो जाती है।

(ख) और (ग) उपभोक्ता आम तौर पर ऐसे समेकित बिलों पर आपत्ति उठाते हैं। फिर भी ऐसे मामले बहुत कम हैं। यदि कोई उपभोक्ता ऐसे समेकित बिलों का एक साथ भुगतान करने में असमर्थता व्यक्त करता है तो किस्तों में भुगतान की उनकी प्रार्थना पर भी विचार किया जाता है।

(घ) ऐसे मामलों से बचने के लिए विभिन्न फील्ड यूनिटों से नये कनेक्शन प्रदान करने की सूचना शीघ्र मंगवाने के लिए आवश्यक कदम उठाये जा रहे हैं।

'इंदू रॉ फिल्मों' का निर्यात

5668. **श्री एम० डेनिस** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंदूरा फिल्मों का निर्यात किया जा रहा है ?

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को इन फिल्मों का निर्यात किया जाता है और पिछले तीन वर्षों के दौरान कितनी फिल्मों का निर्यात किया गया; और

(ग) इनके निर्यात में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों में हिन्दुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यु० कम्पनी लिमिटेड (एच० पी० एफ०) का निर्यात इस प्रकार है :

वर्ष	देश का नाम	निर्यात (लाख रुपये में)
1986-87	यू० एस० ए०, मलेशिया, बंगलादेश, दुबई, ओमन और जिम्बाब्वे	36.34
1987-88	बंगला देश, फिलीपीन्स, दुबई और ओमन	7.33
1988-89	यू० एस० ए० अफगानिस्तान, फिलीपीन्स, दुबई, ओमन और मॉरीशस	26.41

कम्पनी उत्पादन लागत को घटाने और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है।

बांस पर आधारित उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन

5669. श्री एन० डेनिस : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बांस पर आधारित उद्योगों को कोई वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बांस पर आधारित इन उद्योगों के उत्पादों के निर्यात की सम्भावना का पता लगाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले बांस पर आधारित उद्योग को निम्नलिखित सहायता/रियायतें दी जाती हैं :

(1) स्वीकृत प्रतिमान के अनुसार ऋण एवं अनुदानों के रूप में वित्तीय सहायता।

(2) राजकोषीय रियायतें, जैसे—आयकर, बिक्री कर, ब्याज राजसहायता आदि से छूट। कागज बनाने के वास्ते बांस को कच्चे माल के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कागज उद्योग को अथवा बांस पर आधारित वस्तुएं बनाने के लिए लघु एककों को कोई विशेष प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। हस्तशिल्प के आयात के लिए, जिनमें बांस से बने हस्तशिल्प भी शामिल हैं, एफ० ओ० बी० मूल्य पर नकद प्रोत्साहन दिया जाता है।

(ग) और (घ) बिक्री व अध्ययन दलों ने बाजार क्षमता का अध्ययन करने तथा हस्तशिल्प, जिनमें बांस से बने हस्तशिल्प भी शामिल हैं, के निर्यात के अवसरों का पता लगाने के वास्ते अमरीका, कनाडा, पश्चिम जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा ब्रिटेन के दौरे किए थे।

बिहार में नये विद्युत संयंत्रों की स्थापना

[हिन्दी]

5670. श्री विजय कुमार यादव : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में गत चार वर्षों में किसी नये विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या बिहार में जो कि विद्युत उत्पादन के मामले में देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, कोई विद्युत संयंत्र स्थापित करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो इस विद्युत संयंत्र की क्षमता कितनी होगी और यह कहां स्थापित किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, हां। बिहार में पिछले चार वर्षों के दौरान निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं चालू की गई हैं :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)
राज्य क्षेत्र	
1. पतरातु यूनिट-10	110
2. मुजफ्फपुर यूनिट-2	110
केन्द्रीय क्षेत्र	
3. बोकारों 'ख' यूनिट-1	210
4. मैथोन गैस टर्बाइन यूनिट-1, 2 और 3	90
	520

(ख) और (ग) (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

आकाशवाणी केन्द्र, कालीकट का विस्तार

[अनुवाद]

5671. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में कालीकट में आकाशवाणी केन्द्र के विस्तार/विकास का कार्य आरम्भ हो गया है; और

(ख) इस परियोजना के लिए कुल कितना आवंटन किया गया है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) आकाशवाणी की सातवीं योजना के अन्तर्गत, आकाशवाणी, कालीकट में "प्रातः सूचना कार्यक्रम (आज सुबह)" यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव है। वर्ष 1989-90 के लिए किया गया आवंटन 60,000/- रुपये है।

तैयार की जा रही आठवीं पंचवर्षीय योजना में कालीकट के ट्रांसमीटर का दर्जा बढ़ाने की एक स्कीम की व्यवस्था है।

टेलीग्राम के संप्रेषण हेतु उपग्रह का उपयोग

5672. **श्री लक्ष्मण मलिक :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का, विशेष रूप से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में टेलीग्राम के तुरन्त संप्रेषण हेतु भारतीय उपग्रह का उपयोग करने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

उत्तर-पूर्व में प्रायोगिक उपग्रह पर आधारित ग्रामीण तार नेटवर्क के ब्यौरे।

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में उपग्रह पर आधारित ग्रामीण तार नेटवर्क की स्थापना के लिए 4.39 करोड़ रुपये की लागत वाली एक अनुसंधान और विकास पायलट परियोजना की मंजूरी दी गई थी। नेटवर्क को प्रमुख केन्द्र के रूप में शिलांग स्थित मौजूदा उपग्रह भू-केन्द्र के समानुरूप तैयार किया गया है और अरुणाचल प्रदेश असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों में 50 ग्रामीण तार टर्मिनल बनाए गए हैं। नेटवर्क का पूरा विस्तार करने के बाद उसके जरिए 1000 टर्मिनलों को सेवा प्रदान की जा सकेगी। इस परियोजना के जरिए ग्रामीण तार टर्मिनलों के लिए आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के विकास की व्यवस्था तथा स्पेस एप्लिकेशन सेंटर (अंतरिक्ष विभाग) और भारतीय टेलीफोन उद्योग के सहयोग से मुख्य भू-केन्द्र के विस्तार की व्यवस्था की जाएगी। उपस्कर का उत्पादन आई० टी० आई० बेंगलूर द्वारा किया जाना है।

सभी 50 टर्मिनलों के 1989-90 के दौरान संस्थापित किए जाने की संभावना है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊनी ड्रेस सम्बन्धी सामग्री की खरीद

5673. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऊनी ड्रेस सम्बन्धी सामग्री की खरीद के बारे में 6 दिसम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3551 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के पूर्वी क्षेत्र व्यापार केन्द्र के एकीकृत श्रेणी के कर्मचारियों के लिए ऊनी ड्रेस सम्बन्धी सामग्री की खरीद के सम्बन्ध में निविदा पर कोई निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न निविदादाताओं से प्राप्त निविदाओं में दिए गए प्रस्तावों और मूल्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ठेका अथवा ठेके दिए जा चुके हैं; और

(घ) यदि हां, तो ठेकेदार अथवा अन्य पार्टियों का ब्यौरा क्या है ऊनी ड्रेस के लिए कुल कितने मीटर ऊनी कपड़ा सप्लाई किया जायेगा, सामग्री सप्लाई करने की कितनी अवधि निर्धारित की गई है और यदि कोई अग्रिम राशि दी गई है, तो कितनी दी गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(क) से (घ) वर्ष 1988 के लिए टेरीवूल कपड़े की अपनी आवश्यकता के लिए ओ० एन० जी० सी० के पूर्वी क्षेत्र व्यापार केन्द्र द्वारा दो गई दो बोली प्रणाली के अन्तर्गत खुले टेंडर में आठ पेशकशें प्राप्त हुई। केवल मैसर्स ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन, धारीवाल का प्रतिनिधित्व करने वाली मैसर्स रामकृष्ण एजेंसिज कलकत्ता की पेशकश को ओ० एन० जी० सी० की टेंडर समिति द्वारा सूचीबद्ध किया गया। तदनुसार 227.50 रुपए प्रति मीटर की दर से इस कम्पनी को 26,130 मीटर की पूरी मात्रा के लिए कार्यादेश दिया गया। (इसमें सभी कर, शुल्क पैक करने तथा निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचाने के प्रभार शामिल हैं) सुपर्दगी की निर्धारित तारीख 17-4-89 है। ठेकेदार को कोई अग्रिम अदायगी नहीं दी गई है।

कानपुर में टेलीफोन के गलत बिलों के बारे में शिकायतें

5674. **श्री बी० श्रीनिवास प्रसाद** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर दूरसंचार जिले के प्रयोक्ता अपने टेलीफोन के सम्बन्ध में गलत बिलों के बारे में शिकायतें करते रहे हैं,

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1989 को समाप्त हुए पिछले तीन माह के दौरान कानपुर टेलीफोन विभाग को ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं,

(ग) क्या कानपुर टेलीफोन विभाग को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि टेलीफोन बिलों के भुगतान के लिए चैकों को स्वीकार नहीं किया जाता या प्रयोक्ता के चैक भुगतान के लिए प्रस्तुत ही नहीं किए जाते जिसके फलस्वरूप टेलीफोन काट दिए जाते हैं,

(घ) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या है; और

(ङ) कानपुर टेलीफोन अधिकारियों द्वारा सही बिल भेजे जाने और चैकों का निपटान सही ढंग से किए जाने के बारे में क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, हां। इस अवधि के दौरान 1096 शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। भारतीय रिजर्व बैंक को निपटान के लिए चैक प्रस्तुत किए जाते हैं और केवल उन मामलों में ही जिनमें बैंक द्वारा चैक मंजूर नहीं किए जाते, भुगतान प्राप्त न होने पर टेलीफोन काटे जाते हैं।

(ङ) सही बिल जारी किए जाएं इसे सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव प्रयास किए जाते हैं। कम्प्यूटर से बिल बनाने का कार्य भी प्रगति पर है। भारतीय रिजर्व बैंक, कानपुर को भी लिखा गया है कि चैकों को शीघ्र निपटान करने के लिए सावधानी बरती जाए।

हिमाचल प्रदेश में लहरी सरेल में "सैक्स" (एस० ए० एक्स०) टेलीफोन एक्सचेंज

5675. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी० टी० ई० "धर्मशाला (हिमाचल प्रदेश) के अन्तर्गत लहरी सरेल में स्थापित सैक्स (एस० ए० एक्स०) टेलीफोन एक्सचेंज के असन्तोषजनक कार्यकरण को वर्ष 1988-89 के दौरान हिमाचल प्रदेश दूरसंचार मण्डल के अधिकारियों की जानकारी में लाया गया है,

(ख) यदि हां, तो इसके उपयुक्त कार्यकरण तथा टेलीफोन प्रयोक्ताओं को सन्तोषजनक सेवा प्रदान करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

मन्त्रालय में संचार राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। लहरी सरैल एम० ए० एक्स० के असन्तोषजनक कार्यकरण के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं।

(ख) शिकायतें प्राप्त होने पर, एस० ए० एक्स० उपस्कर और बाह्य संयंत्र की जांच की गई तथा पाए गए दोष दूर कर दिए गए हैं। यह एक्सचेंज अब सन्तोषजनक ढंग से काम कर रहा है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन

5676. **डा० बी० एल० शैलेश** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन सरकारी उपक्रमों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन गैर-सरकारी विशेषज्ञों द्वारा कराये जाने का निर्णय लिया है जिन्होंने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जैसा कि 10 मार्च, 1989 के इकानोमिक टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस दिशा में कार्य आरम्भ किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) समझौता ज्ञापन तैयार करने तथा समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने वाले उपक्रमों के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करने में मन्त्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति की सहायता करने के लिए बाहरी विशेषज्ञों का एक तदर्थ कार्यदल गठित किया गया है। इस कार्यदल ने पहले ही वर्ष 1989-90 के लिए समझौता ज्ञापनों, जिन पर बहुत शीघ्र ही हस्ताक्षर होने की संभावना है, के सम्बन्ध में सहायता प्रदान की है। वर्ष 1989-90 की समाप्ति के पश्चात इनका मूल्यांकन किया जायेगा।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खानों का बन्द किया जाना

5677. **श्री गुरुदास कामत** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड ने अनेक कोयला खानों को अलाभप्रद घोषित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान इनमें कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या इन खानों को बन्द किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो खान को अलाभप्रद घोषित करने का क्या मानदण्ड निर्धारित किया गया है और कर्मचारियों का भविष्य क्या होगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (घ) कोल इंडिया लिमिटेड ने खानों को बन्द किए

जाने की दृष्टि से किसी भी खान को औपचारिक रूप से अलाभप्रद घोषित नहीं किया है। किन्तु विशेषज्ञों की कुछ समितियों ने सहायक कम्पनियों के व्यक्तिगत मामलों में सिफारिशें की हैं जिनमें अन्य बातों के अलावा कुछ अधिक घाटे की खानों को बन्द किया जाना शामिल है।

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के सम्बन्ध में गठित चारी समिति ने यह निष्कर्ष दिया कि 22 खानों का उत्पादन में बहुत कम योगदान है तथा यह खानें भारी घाटे के लिए जिम्मेदार हैं और इनमें से कुछ खानें बन्द किए जाने योग्य हैं। इस सम्बन्ध में जांच किए जाने के बाद सरकार ने यह निर्णय लिया कि 22 खानों में से 12 खानों को बन्द किया जा सकता है और इन खानों में कार्यरत व्यक्तियों को अन्य खानों में पुन: नियोजित करके कार्य पर लगाया जा सकता है अथवा उन्हें स्वैच्छिक सेवा निवृत्त के लुभावने पैकेज के माध्यम से सेवा निवृत्त किया जा सकता है। संलग्न विवरण में श्री चारी की रिपोर्ट में उल्लिखित खानों की सूची के साथ उन खानों का वर्ष 1987-88 का उत्पादन दिया गया है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड पर बनर्जी समिति ने यह सिफारिश की कि कम उत्पादन वाली भारी घाटे की खानों अथवा पुनर्निर्माण/निवेश किए जाने वाली खानों को स्थायी रूप से बंद किए जाने पर विचार किया जाए और व्यक्तियों को उत्पादकता से सम्बन्धित कार्यों पर लगा दिया जाए।

अभी तक ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० तथा भारत कोकिंग कोल लि० प्रत्येक की 5-5 खानें बन्द की गई हैं। इन दोनों मामलों में खानों को बन्द किए जाने के कारण फालतू व्यक्तियों को अन्य खानों तथा रोजगारों में पुन: नियोजित कर दिया गया है।

बहुत कम उत्पादकता वाली खानों और अधिक घाटा देने वाली खानों को अलाभप्रद खानें समझा जाता है।

विवरण

श्री चारी की रिपोर्ट में वर्णित खानों की सूची

अधिक घाटे वाली खानें

नाम	उत्पादन 1976-77	उत्पादन 1984-85	उत्पादन लागत 84-85 रु०	विक्रय मूल्य 84-85 रु०	प्रति टन घाटा 84-85 रु०	कुल घाटा 84-85 करोड़ रुपए	कोयला उत्पादन 86-87 (हजार टन में)	कोयला उत्पादन 87-88 (हजार टन में)
घेमोमेन/ रतीबती/	358821	164046	923·40	268·14	655·26	10·75	109·5	104·3
चपुई खास	559745	229368	429·27	268·92	160·35	3·68	214·8	201·7
मोहनपुर	191296	110088	460·09	130·01	330·08	3·63	57·8	62·9
श्रीपुर	178960	49753	1004·57	334·75	669·82	3·33	59·0	57·9
कालीपहारी	291572	137064	470·64	235·20	235·44	3·23	120·6	120·0
निघा	337000	210000	458·60	309·91	148·69	3·12	211·1	199·9
चनाकुरी 1*	181624	110613	591·51	322·06	269·51	2·58	94·8	89·3
सीतलपुर	133803	73502	710·80	322·20	388·60	2·86	100·0	47·9
अदजोया	104542	55090	696·33	236·73	459·60	2·53	59·4	57·7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
राना	337300	55476	726·01	269·14	456·87	2·53	63·7	61.0
रानीपुर	209255	84175	613·55	319·63	294·02	2·47	51·5	8·1
सतग्राम	274107	140044	439·21	269·20	170·01	2·38	118·6	84·7
तारा	37393	18557	1144·46	179·01	1265·45	1·72	24·4	34·3
चुलिक	133634	91130	466·57	281·10	185·47	1·69	77·5	84·0
सेलकटका	100538	30844	725·94	281·97	443·97	1·37	—	—
बमुरिया	79162	36808	620·84	255·63	365·21	1·34	49·7	55·0
हयातपुर-ए	216643	18289	628·50	263·12	365·38	1·22	32·1	—
बनमुरिया	242975	49455	548·05	311·49	236·56	1·17	28·3	35·5
सीमलोंग	265836	25072	485·77	132·60	353·17	0·89	16·1	17·0
असबुसा/								
गोपालपुर	42199	17710	534·81	183·40	351·41	0·62	—	—
शैनाली	304370	18340	1700·85	398·76	310·09	0·57	33·0	33·0
कंकरतला	12135	18164	531·71	235·04	296·67	0·54	17.9	13·4

टिप्पणी—*उत्पादन के आंकड़े वर्ष 1977-78 के हैं और न कि वर्ष 1976-77

कोयला क्षेत्र के लिए योजना परिव्यय

5678. श्री गुरुदास कामत : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग द्वारा विभिन्न कोयला परियोजनाओं के लिए वर्ष 1989-90 के लिए मंजूर की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला उत्पादन में कितनी वृद्धि होने की संभावना है;

(ग) क्या कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा कोयला परियोजनाओं की प्रगति वित्तीय खर्च और उत्पादन में वृद्धि पर निगरानी रखने के बारे में कोई व्यवस्था की गई है; और

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान की गई निगरानी और प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) योजना आयोग ने कोल इण्डिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों के लिए वर्ष 1989-90 के लिए 1800 करोड़ रुपए की राशि के परिव्यय का अनुमोदन किया, इसमें से 1040 करोड़ रु0 की राशि सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० के लिए योजना आयोग ने 211 करोड़ रु० के परिव्यय की राशि का अनुमोदन किया; इसमें से 150 करोड़ रु० की राशि सरकार द्वारा बजटीय समर्थन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

(ख) वर्ष 1989-90 में कोयले के उत्पादन में लगभग 15 मि० टन की वृद्धि हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) कोल इण्डिया लि० द्वारा विभिन्न पहलुओं पर जैसे उत्पादन, उत्पादकता, मशीन उपयोगिता, प्रेषण, वित्तीय निष्पादन आदि पर मासिक आधार पर विस्तृत निगरानी की जाती है। पिछले तीन वर्षों में इसमें काफी सुधार हुआ है, जिसे नीचे दर्शाया गया है—

वर्ष	कच्चा कोयला	प्रति व्यक्ति प्रति पाली उत्पादन (टन में)	निवल लाभ/घाटा (—) (करोड़ रु० में)
1985-86	134.11	0.91	(—) 404.18
1986-87	144.74	0.98	(—) 331.75
1987-88	159.05	1.08	(—) 224.64
1988-89 (अनंतिम)	171.55	1.15	

* वर्ष 1988-89 के लेखों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में दूर संचार का विकास

5679. श्री जगन्नाथ पटनायक : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दूरसंचार के विकास में गैर सरकारी क्षेत्र को इसके योगदान में वृद्धि करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गैर-सरकारी क्षेत्र ने दूरसंचार के विकास में अब तक कितना योगदान दिया है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) सरकारी नीति को उदार बनाने की वजह से दूरसंचार के विकास में निजी क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है। निजी क्षेत्र को उपभोक्ताओं के अहाते में स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रोनिक पुशबटन टेलीफोन, ई० पी० ए० बी० एक्स फेसिमाइल उपस्कर पे फोन्स, इलेक्ट्रोनिक टेलीप्रिंटर आदि जैसे अनुमोदित किस्म के दूरसंचार उपस्करों का निर्माण तथा बिक्री करने की अनुमति दे दी गई है। लघु क्षमता के एक्सचेंज और संचारण उपस्करों के अलावा केबिल आदि के निर्माण की भी अनुमति दे दी गई है। विभिन्न कंपनियों ने ऐसी निर्माण सुविधाएं स्थापित की हैं।

लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण

5680. **श्री बनवारीलाल पुरोहित** :

प्रो० रामकृष्ण मोरे : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने लघु क्षेत्र के उद्योग में बढ़ रही रुग्णता को समाप्त करने के लिए व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) लघु क्षेत्र के उद्योगों में बढ़ रही रुग्णता के क्या कारण है;

(ग) क्या सरकार ने लघु क्षेत्र के उद्योगों के विकास में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए अब तक कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां; तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) योजना आयोग ने लघु क्षेत्रों में रुग्णता के सम्बन्ध में विशेष रूप से व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाने का सुझाव नहीं दिया है। योजना मंत्री ने "लघु उद्योग की विपणन समस्याओं सम्बन्धी सर्वेक्षण" के बारे में फिक्की द्वारा आयोजित संगोष्ठी का उद्घाटन करते समय लघु क्षेत्र में बढ़ रही रुग्णता का उल्लेख किया था।

(ख) लघु क्षेत्र में औद्योगिक रुग्णता के लिए अधिकतर संयुक्त रूप से सक्रिय आंतरिक और बाह्य दोनों कारण जिम्मेदार है। इनमें से कुछ कारण ये हैं—त्रुटिपूर्ण योजना, प्रबन्धकीय कमियां, अकुशल वित्तीय नियन्त्रण, संसाधनों का दिशान्तरण, अनुसंधान और विकास की ओर पर्याप्त रूप से ध्यान न देना, प्रौद्योगिकी और मशीनरी का अप्रचलित होना, खराब औद्योगिक संबंध, अपर्याप्त मांग, कच्चे माल और अन्य निविष्टियों की कमी, बिजली की कटौती, कार्यशील पूंजी की अपर्याप्तता, कार्यशील पूंजी की मंजूरी में देरी और सावधिक ऋण और कार्यशील पूंजी की मंजूरी के बीच समय का अन्तर और अन्य मूलभूत बाधाएं।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा देश में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अनेक उपाय किए गए हैं जिनमें संस्थानात्मक सहायता का प्रावधान और रियायती वित्त, उत्पादन सम्बन्धी लाभ, केवल

लघु एककों द्वारा उत्पादन के लिए वस्तुओं का आरक्षण करके और केवल/आंशिक रूप से लघु एककों द्वारा वस्तुओं की खरीद का आरक्षण करके विपणन सहायता, किराया खरीद आधार पर मशीनों की आपूर्ति, तकनीकी परामर्शदायी सेवाओं परीक्षण सुविधाओं, सामान्य सुविधा सेवाओं जैसे प्रोत्साहन और रियायतें, औद्योगिक आवास और अन्य मूलभूत सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

सरकारी क्षेत्र के सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए जमा योजनाएं

5681. **श्री वाई० एस० महाजन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने यह मांग की है कि वर्ष 1989-90 के लिए प्रस्तावित बजट में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए घोषित उस जमा योजना का लाभ उन्हें भी दिया जाए जिसके अन्तर्गत सेवानिवृत्त कर्मचारी अपने सेवानिवृत्त लाभों को तीन वर्ष की अवधि के लिए जमा कर सकते हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शहरों और नगरों की एस० टी० डी० सुविधा

5682. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार ऐसे शहरों और नगरों का ब्यौरा क्या है जहां एस० टी० डी० सुविधा उपलब्ध है,

(ख) क्या उपभोक्ताओं को वांछित स्थानों पर एस० टी० डी० कनेक्शन प्राप्त करने के लिए लम्बे समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, और

(ग) यदि हां, तो उपभोक्ता द्वारा डायल घुमाने पर एस० टी० डी० नम्बर शीघ्र मिल जाये इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31-12-1988 की स्थिति के अनुसार जिन नगरों और शहरों को एस० टी० डी० सुविधा के साथ जोड़ा जा चुका है उनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) एस० टी० डी० सेवा में आगे और सुधार करने की दृष्टि से निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं—

(1) एस० टी० डी० सेवा के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखने के लिए नियमित रूप से आवधिक सेवा गुणवत्ता जांच की जाती है।

(2) ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों (टी० ए० एक्स) के कार्य निष्पादन को नियन्त्रित करने वाले पैरामीटरों को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

(3) संकुलन से बचने के लिए पर्याप्त सर्किट हो इस बात की निगरानी रखी जाती है। अनेक ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों को जोड़कर उपग्रह सर्किट भी प्रदान किए गए हैं।

(4) पुराने इलेक्ट्रोमेकेनिकल ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंजों के स्थान पर आधुनिक इलेक्ट्रानिक आटो एक्सचेंज (डिजिटल टाइप) लगाए जा रहे हैं।

(5) एम० टी० डी० जंक्शनों की उच्च उपलब्धता को दृष्टि से इनकी नियमित जांच की जाती है; और

(6) माइक्रो-प्रोसेस पर आधारित परियात-रिकार्डरों के जरिए एस० टी० डी० जंक्शनों के कार्य-निष्पादन को नियमित रूप से मानीटर किया जाता है।

विवरण

31-12-88 की स्थिति के अनुसार एस०टी०डी० सुविधा वाले स्टेशन

आन्ध्र प्रदेश

अडोनी	अनकापल्ले	अनापार्थी
आरमूर	बालाचेरवू	भीमावरम
बोब्बली	चिलकालूरीपेट	चिराला
डॉलेश्वरम	दुग्गीराला	गुडीवाडा
गुडूर	गुण्टकल	कवाली
कोठागुडम	कोवूर	लिंगमपल्ली
नन्दीगाम	ननिदयाल	पालाकोले
पट्टनचेरू	पेद्दापुरम	प्रोद्दातूर
राजामुंदरी	रामचन्द्रपुर	राबूलापलम
तामलकोट	ताडेपल्लीगुडम	ताडपत्री
टंकू	तेनाली	तुनी
तिरुपति	रेनीगुण्टा	तिरुमाला
विजयवाड़ा	इब्राहिमपट्नम	पोरंकी
वय्यूरू	आदिलाबाद	अनन्तपुर
चित्तूर	कुद्दापाह	एलुरु
गुण्टूर	हैदराबाद	काकीनाडा
करीमनगर	खमाम	कुरनूल
मछलीपट्नम	महबूबनगर	नालगोण्डा
नेल्लूर	निजामाबाद	ओंगल
संगारेड्डी	श्रीकाकुलम	विजयनगरम
विशाखापट्नम	मलकापुरम	श्रीकलहस्ती
वारंगल	हानमकोण्डा	काजीपेट
पामीडी		

अरुणाचल प्रदेश

इटानगर	नाहरलागन	

असम

बोंगई गांव	तिनसुकिया	धुबरी
गुवाहाटी	दिसपुर	झालूकबरी
डिब्रूगढ़	हाफलांग	जोरहाट
सिबसागर	सिल्चर	

बिहार

बोकारो-स्टील सिटी	चास	चिरकुण्डा
डालमियां नगर	फोरबसगंज	सिन्दरी
जमशेदपुर	आदित्यपुर	टैलको
आरा	बेगूसराय	बेतिया
भागलपूर	चाइबासा	छपरा
डाल्टनगंज	दरभंगा	देवगढ़
धनबाद	झरिया	गया
गिरिडीह	हाजीपुर	हजारीबाग
कटिहार	मधुबनी	मुंगेर
मोतीहारी	मुजफ्फरपुर	नवादा
पटना	पूर्णिया	सिवान
रांची	घुवा	समस्तीपुर
सासाराम		

गुजरात

आनन्द	वी० वी० नगर	बिल्लीमोरा
केम्बे	डबोही	ढोलका
ध्रारंगाधारा	द्वारिका	गांधीधाम
जमजमवलिया	खेडा	कालोल
कापडवंज	महुआ	मोरवी
नाडियाड	पाटन	पेटलाद
पोरबन्दर	सावरकुण्डला	तालोड
ऊंझा	वेरावल	विसनगर
वांकानेर	अहमदाबाद	एडवा
बुलसार	गांधीनगर	गोधरा
जामनगर	जूनागढ़	महसाणा

पालनपुर	राजकोट	सूरत
सुरेन्द्रनगर		
गोवा		
मारगांव	वास्को	पंजिम
*मपूसा		
हिमाचल प्रदेश		
धर्मशाला	हमीरपुर	नाहन
शिमला	मण्डी	बिलासपुर
*सोलन		
हरियाणा		
कालका	पानीपत	रेवाड़ी
यमुनानगर	अम्बाला	भिवानी
फरीदाबाद	गुड़गांव	हिसार
करनाल	रोहतक	सिरसा
सोनीपत		
जम्मू और कश्मीर		
सोपोर	बारामुल्ला	जम्मू
श्रीनगर	अनन्तनाग	उधमपुर
केरल		
अदूर	अलातूर	अलवई
अंगामली	आटिंगल	बड़ागारा
चालाकुडी	चंगनचेरी	चंगानूर
चिंगावनम	चीघाट	गुरुवयूर
कुनमकुलम	अंगानूर	इरिंजिलाकुडा
कलाडी	कानहंगाड	कायमकुलम
कोलनचेरी	कोटमंगलम	कोट्टरकारा
कुण्दरा	माला	मंजरी
मन्नार	मन्नारघाट	मुन्नार
मुवत्तुपुझा	नारक्कल	नेडुमंगद
नेय्यतिकारा	नीलाम्बुर	नीलेश्वर
ओट्टापलम	पलाई	पण्डालम
परूर	पय्यानूर	पेरिनतलमन्ना

पेरम्बावूर	पोन्नानी	पुनालूर
शोरतलाई	सोरानुर	तालीपरम्बा
तेलीचेरी	तिरुवल्ला	थोडुपुजा
तिरुर	वैकम	विझिंजम
अल्लेप्पी	कन्नानूर	वालीपट्टनम
एर्णाकुलम	चित्तूर	एडाकोचीन
कलमासेरी	चिकाकरा	त्रिपुणतरा
उद्यमपथर	इदुक्की	कलपेट्टा
कोट्टायम	गांधीनगर	कांजीकुझी
कोजीकोडे (कालिकट)	फेरोक	मालापुरम
पालघाट	औवलाकोडे	पट्टनमथिट्टा
क्विलोन	चिन्नाकाडा	चिवेन्द्रम
त्रिचुर	अलगप्पानगर	चेरपू
ओल्लूर	कोलच्ची	

कर्नाटक

बागलकोट	बाजपे	बंगरापेट
बण्टवाल	गदाग	चन्नापटना
चिकबल्लापुर	दावनगेरे	गुलेगुड
हरिहर	हवेरी	हुबालगुडी
हीरियूर	बोजपेट	किन्नूर
कोलार गोल्ड फील्ड	कोप्पल	कृष्णापुर
कुण्डापुर	नंजनगुड	पुत्तूर
रामानगरम	राणेबेनुर	सिरसी
उदीप्पी	विरजपेट	वाइटफील्ड
बेंगलूर	बेलगाम	बेल्लारी
बीदर	बीजापुर	चिकमंगलूर
चित्रदुर्गा	गुलबर्गा	हासन
धारवाड़	हुबली	विजयानगर
करवाड़	कोलार	मरकरा
मेंगलूर	चेनमबूर	उल्लाल

मैसूर	बेलवाड़ी	रायचूर
सिमोगा	भद्रावती	तुमकुर

मेघालय

जोवाई	शिलॉंग	तुरा

महाराष्ट्र

बारामती	भिवण्डी	भुसावल
कल्याण	अम्बरनाथ	डोम्बीविली
उल्हासनगर	कराड	मनमाड
नावासेवा	पनवेल	सतारा
श्रीरामपुर	तालेगांव-दभाडे	तुर्भे
कालम्बोली	रवेला	अहमदनगर
अकोला	अमरावती	बोम्बे
औरंगाबाद	चिकलथाणा	चन्द्रापुर
धुले	जलगांव	जालना
कोल्हापुर	नागपुर	नासिक
पुणे	देहूरोड	सांगली
शोलापुर	वर्धा	यवतमाल
इचलकरंजी	जयसिंहपुर	कोपरगांव
कोल्पेवाड़ी	मिराज	पुणताम्बा
राहुटा	रत्नागिरि	खपोली
तारापुर	लतूर	

मनिपुर

इम्फाल		

मध्य प्रदेश

बुरहानपुर	धामत्री	इटारसी
जौरा	महाव	भिण्ड
भोपाल	बिलासपुर	दतिया
देवास	धार	दुर्ग
भिलाई	ग्वालियर	मोरार
होशंगाबाद	इन्दौर	जबलपुर

खाण्डवा	मन्दसौर	मुरैना
रायगढ़	रायपुर	रीवा
सागर	सतना	सेहोर
सियोनी	उज्जैन	विदिशा
कटनी		

मिजोरम

आइजोल	लुंगलेह

नागालैण्ड

दीमापुर	कोहिमा

उड़ीसा

अंगुल	बहरामपुर (गंजम)	भद्रक
भुवनेश्वर	मंचेश्वर	पाराद्वीप
राउरकेला	सुनाबेडा	बालासोर
बारीपाडा	छतरापुर (गंजम)	धेनकनाल
कटक	चौद्वार	जगतपुर
कोरापुट	पुरी	सम्बलपुर

पंजाब

अबोहर	जगरांव	खन्ना
मोगा	नाभा	पठानकोट
फगवाड़ा	राजपुरा	रामा
साहनेवाल	अमृतसर	छेहाटा
भटिण्डा	फरीदकोट	फिरोजपुर
होशियारपुर	जालंधर	कपूरथला
लुधियाना	पटियाला	संगरुर
गुरदासपुर	मोहाली	

राजस्थान

बियावर	अजमेर	अलवर
भरतपुर	बीकानेर	धौलपुर
जयपुर	जोधपुर	मन्दौर
कोटा	नागौर	पालीमारवाड़
श्रीगंगानगर	उदयपुर	बूंदी

सिक्किम

गंगटोक

तमिलनाडु

अदुतुरई	अम्बास मुद्रक	अम्बूर
अरकोणम	अरनी	अरपूकोट्टई
अत्तूर	अविनाशी	भवानी
बोदीनय्यक्कानूर	चिदम्बरम	चिंगलपुट
चिन्नालपट्टी	धारापुरम	गोपीसेट्टीपलायम
गुम्मूदीपूण्डी	होसूर	होसूर सिपकोट
कलपक्कम	कंगयेम	कन्याकुमारी
कराइकुडी	करुर	कोडियाकनाल
कोविलपट्टी	कुलीतलाई	कुम्बाकोणम
कुत्तातुरई	महाबलीपुरम	मन्नारगुडी
मराईमलाईनगर	मेट्टूपलयम	मुसिरी
मैलादुतुरई	नागपट्नम	नामक्कल
नेलीकुप्पम	नेवली	पलाटम
पनरुति	पापनासाम	परामुकदी
पेरुनदरै	पोलाची	पोन्नेरी
राजापलायम	रामेश्वरम	रानीपेट
रानीपेट सिपकोट	मेलाविश्राम	राशिपुरम
संकरनकोइल	संकरीदुर्ग	साथायामंगलम
सेंतूर	शेनकोटइ	सिरकाली
सिवाकाशी	सिमानूर	श्रीविल्लीपुत्तूर
तेनकासी	थेनी	तिरुमंगलम
तिंदीवनम	तिरुचेनगोडे	तिरुपुर
तिरुतानी	तिरुवन्नामलाई	तिरुवरुर
तिरुवेल्लूर	उदुमलपेट	उधुकुली
देलीयूर	वालपरै	वेनियमबादी
वेलाकोइल	विल्लुपुरम	कोयम्बटूर
कुरींचि	मदुक्कारै	पेरियनाक्कानिपलयाम

सुलूर	धर्मपुरी	डिण्डीगुल
ऐरोड	कांचीपुरम	मद्रास
मदुरै	नागमलाइपुदुकोटै	ओटाकडई
सिलेमान	तिरुनगर	नागरकोइल
ऊटी	पुदुकोटै	रामनाथपुरम
सलेम	शिवगंगा	तंजोर
तिरुनेलवेली	पलायमकोटिया	त्रिची
मंथानकूर	सोमरसमपेटा	श्रीरंगम
तिरुपरेतुरई	तिरुवरम्बूर	वेल्लूर
तूतीकोरिन	तूतीकोरिर पोर्ट ट्रस्ट	विरुद्धनगर

त्रिपुरा

अगरतला	राधाकिशोरपुर

उत्तर प्रदेश

भदोही	गोपीगंज	हापुड़
कोसीकलां	मलीहाबाद	मोदीनगर
मुगलसराय	मसूरी	नोयडा
रुड़की	शिकोहाबाद	सूरजपुर
टूण्डला	उझानी	आगरा
अलीगढ़	इलाहाबाद	नैनी
अल्मोड़ा	बदायूं	बरेली
बस्ती	बिजनौर	बुलन्दशहर
देहरादून	एटा	इटावा
फैजाबाद	फतेहपुर	फर्रुखाबाद
गोरखपुर	जौनपुर	कानपुर
लखीमपुर-खीरी	लखनऊ	मैनपुरी
मथुरा	मेरठ	मिर्जापुर
मुरादाबाद	मुजफ्फरनगर	नैनीताल
ओरई	पौढ़ी	पीलीभीत
पिथौरागढ़	प्रतापगढ़	रायबरेली
रामपुर	सहारनपुर	शाहजहांपुर

सीतापुर	सुलतानपुर	उन्नाव
वाराणसी	देवबंद	बांदा
पश्चिम बंगाल		
आसनसोल	बागडोगरा	बाहुला
बाड़ाकार	भाटपाड़ा	बोलेपुर
बर्नपुर	डायमण्ड हारबर	दुर्गापुर
हल्दिया	जमूरीहाट	कलीमपोंग
खड़गपुर	नियामतपुर	रानीगंज
रूपनारायणपुरा	सैनथिया	सिलीगुड़ी
त्रिवेनी	बर्दवान	चिनसुरा
कलकत्ता	अलीपुर	बाड़ासात
बज-बज	हावड़ा	कल्याणी
उलूबेरिया	कूचविहार	दार्जिलिंग
कृषनगर	मालदा	मिदनापुर
पुलिया		
संघ शासित प्रदेश		
दिल्ली	चण्डीगढ़	पाण्डिचेरी
येनम	करिकल	करियम्मनकम
पोर्टब्लेयर	सिल्वासा	कावारत्ती
दमन	मिनीमॉय	

महाराष्ट्र में गांवों का विद्युतीकरण

5683. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में दिनांक 31 मार्च, 1989 तक जिला-वार कितने गांवों का विद्युतीकतण किया गया;

(ख) अहमदनगर जिले में कितने गांवों का अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है; और

(ग) अहमदनगर जिले के सभी गांवों का कब तक विद्युतीकरण विशेषकर कृषि प्रयोजनों के लिए कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युतीकृत गांवों का जिले-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) अहमदनगर में अभी 17 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना शेष है।

(ग) जिले-वार कार्यकरणों का निर्धारण केवल राज्य स्तर पर दी गई प्राथमिकता के आधार किया जाता है। तथापि संभावना है कि वित्तीय संसाधन एवं दूसरे निवेशों पर निर्भर करते हुए सातवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक महाराष्ट्र के अहमदनगर नामक जिले में शतप्रतिशत विद्युतीकरण कर लिया जायेगा।

विवरण

दिनांक 28-2-1989 की स्थिति के अनुसार महाराष्ट्र में विद्युतकृत गांवों का जिले-वार ब्यौरा

क्रम सं०	जिले	28-2-89 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गाँवों की संख्या
1.	ग्रेटर बाम्बे	—
2.	थाणे	1731
3.	रायगढ़	1812
4.	रत्नागिरी, सिन्धुदुर्ग	2069
5.	नासिक	1722
6.	धुले	1430
7.	जलगांग	1472
8.	अहमदनगर	1486
9.	पुणे	1674
10.	सतारा	1401
11.	सांगली	686
12.	सोलापुर	1091
13.	कोल्हापुर	1122
14.	औरंगाबाद, जालना	2051
15.	पारभानी	1416
16.	बीड़	1195
17.	नांदेड़	1425
18.	उस्मानाबाद, लतुर	1589
19.	बुलधाना	1267
20.	अकोला	1539

1	2	3
21.	अमरावती	1692
22.	यावातमुल	1736
23.	वर्धा	1003
24.	नागपुर	1642
25.	भान्द्रा	1620
26.	चन्द्रपुर, गढ़चिरौली	2817

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में डाक तथा तार-घर खोलना

5684. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में डाक तथा तार-घरों, मुख्य डाकघरों, उप-डाकघरों और शाखा डाकघरों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का जनता की मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अहमदनगर और उसके समीपवर्ती जिलों में ऐसे कुछ और डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 31-3-1989 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में 86 तार घर (दो विभागीय तार तथा 84 डाकतार घर) काम कर रहे थे। डाकघरों से सम्बन्धित जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जाएगा।

(ख) और (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी।

महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में टेलीफोन केन्द्रों को इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों में परिवर्तित करना

5685. **श्री बालासाहिब विखे पाटिल :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कितने टेलीफोन केन्द्र हैं;

(ख) प्रत्येक टेलीफोन केन्द्र की स्थापित क्षमता कितनी है;

(ग) राज्य में अहमदनगर और उसके अन्य समीपवर्ती जिलों में कितने इलैक्ट्रॉनिक टेलीफोन केन्द्र हैं; और

(घ) अहमदनगर जिले के सभी टेलीफोन केन्द्रों को इलैक्ट्रानिक टेलीफोन केन्द्रों में परिवर्तित करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में इस समय 110 टेलीफोन एक्सचेंज काम कर रहे हैं।

(ख) एक्सचेंज वार सज्जित क्षमता की स्थिति संलग्न विवरण-1 में दी गई है।

(ग) इस समय अहमद नगर में एक इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज तथा पुणे जिले में दो इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज काम कर रहे हैं। अन्य निकटवर्ती जिलों जैसे, औरंगाबाद, जालना, उस्मानाबाद, बीड, शोलापुर और नासिक में कोई इलेक्टॉनिक एक्सचेंज नहीं है।

(घ) अहमद नगर जिले पांच स्थानों के लिए इलैक्ट्रानिक एक्सचेंज आवंटित किये गये है। इन पांचों एक्सचेंजों का ब्योरा उनकी स्विचन क्षमता/किस्म तथा आवंटन वर्ष के विवरण के साथ संलग्न विवरण-2 में दिया गया है। सभी एक्सचेंजों को इलैक्ट्रानिक एक्सचेंजों में बदलना एक दीर्घकालिक लक्ष्य है

विवरण-1

जिले का नाम : अहमदनगर

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	टाइप	सज्जित क्षमता
1	2	2	4
1.	अहमदनगर	एस० एस० 1	4500
2.	अहमदनगर एम० आई० डी० सी०	एस० एस० 2	300
3.	चिचोंडी-पाटिल	एस० एस० 3	25
4.	देहुरी	एस० एस० 3	25
5.	हिर	एस० एस० 3	45
6.	हेयूर	एस० एस० 3	35
7.	पिम्पलगांव मालवी	—वही—	25
8.	[illegible]	—वही—	25
9.	सारोलकासर	—वही—	25
10.	वाल्की	—वही—	35
11.	अकोला	सी० बी० एन०	150
12.	ब्राह्मणादा	एस० एस० 3	25
13.	कोतुल	—वही—	26
14.	राजुर	—वही—	45
15.	रम्भाडी	—वही—	25
16.	जामखेड	सी० बी० एन०	150
17.	खारडा	एस० एस० 3	35

1	2	3	4
18.	नेजन	—वही—	25
19.	भमवोडा	—वही—	25
20.	कारजट	सी० बी० एन०	100
21.	खेड	एस० एस० 3	25
22.	मिराजगांव	—वही—	20
23.	रशीन	—वही—	45
24.	चेनाली	—वही—	45
25.	दहीगांव बोलका	—वही—	25
26.	घमोरी	—वही—	35
27.	कोल्पेवाडी	—वही—	90
28.	कोपड़गांव	एस० एस० 2	700
29.	कुम्भाड़ी	एस० एस० 3	25
30.	पोहेगांव	एस० एस० 3	35
31.	पुण्टाम्बा	—वही—	45
32.	राहाटा	—वही—	90
33.	रावंडा	एस० एस० 3	35
34.	शिरडी	—वही—	130
35.	भोशिवरा	—वही—	35
36.	चंदा	—वही—	85
37.	दहीगांव	—वही—	25
38.	बोढ़ेगांव	—वही—	45
39.	अलका	—वही—	25
40.	कारजगांव	—वही—	25
41.	कुकना	—वही—	90
42.	निवासी	सी० बी० एन०	150
43.	प्रवरा संगम	एस० एस० 3	25
44.	सोनाई	सी० बी० एन०	150

1	2	3	4
45.	वदाला (बाहीरूवा)	एस० एस० 3	35
46.	अलकूटी	—वही—	25
47.	भालवान	—वही—	25
48.	जामगांव	—वही—	25
49.	कन्होर पठार	—वही—	25
50.	नीघोज	—वही—	90
51.	परीनेर	सी० बी० एन०	75
52.	सुपा	एस० एस० 3	35
53.	वाकलीघोकेश्वर	एस० एस० 3	35
54.	वाडजिरे	—वही—	45
55.	कसारा पीम्पसगांव	—वही—	25
56.	खाड़वडी	—वही—	25
57.	मीरी	—वही—	25
58.	पठारडी	सी० बी० एन०	150
59.	तिसगांवा	एस० एस० 3	45
60.	वरगांव नम्बूर	—वही—	45
61.	ब्रह्मणी	—वही—	25
62.	देवलाली प्रवर	—वही—	90
63.	मंजारी	—वही—	45
64.	मनोरी	—वही—	45
65.	एम० पी० के० वी० (राहुरी)	सी० बी० एन०	150
66.	राहूरी	सी० बी० एम०	290
67.	श्री शिवाजी नगर	एस० एस० 3	90
68.	सोनगांव (सतरल)	—वही—	90
69.	तकालीमियां	एस० एस० 3	45
70.	बम्बोरी	—वही—	90
71.	अघवी	—वही—	90

1	2	3	4
72.	चन्द्रपुरी	—वही—	25
73.	धन्धारपाल	—वही—	35
74.	घरगांव	—वही—	35
75.	जवाले काडला	—वही—	90
76.	जोरवे	—वही—	45
77.	मंगलापुर	—वही—	25
78.	सकूर	—वही—	35
79.	संगमनेर	—सी० बी० एम०	600
80.	अमरपुर	एस० एस० 3	25
81.	बालमतकाली	—वही—	45
82.	घोरजाल गांव	—वही—	25
83.	शहुरतकाली	—वही—	45
84.	शिवगांव	—वही— सी० बी० एम०	150
85.	अम्बलगांव	एस० एस० 3	45
86.	बेलवाडी	—वही—	45
87.	कवथी	—वही—	90
88.	कोलगांव	—वही—	25
89.	मंदरगांव	—वही—	25
90.	श्रीगोंडा	सी० बी० एन०	150
91.	श्रीगोंडा फैक्ट्री	एस० एस० 3	35
92.	बेलापुर टाउन	—वही—	90
93.	शिरदी	—वही—	25
94.	कोलहार	—वही—	90
95.	लोनी	—वही—	90
96.	मम्दापुर	—वही—	25
97.	नीमगांव खेरी	—वही—	45
98.	पाथेगांव	—वही—	25

1	2	3	4
99.	प्रवरनगर	—वही—	90
100.	श्रीरामपुर	एस० एस० 2	1000
101.	ताकलीभान	एस० एस० 3	45
102.	उनघोरगांव	—वही—	35
103.	बकादी	—वही—	45
104.	नारायणगांव	—वही—	25
105.	ब्वाले	—वही—	25
106.	गोरेगांव	—वही—	25
107.	तेलकडगांव	—वही—	25
108.	छिचान्दीशिरल	—वही—	25
109.	वोसापुर	—वही—	25
110.	माका	—वही—	25

विवरण-2

क्रम सं०	एक्सचेंज का नाम	क्षमता/प्रकार	आवंटन का वर्ष
1.	अहमदनगर (दूसरा एक्सचेंज)	5000 लाइनें ई० 10 बी	1992-93
2.	संगमनेर	1500 लाइनें सी-डॉट (मैनुअल एक्सचेंज को बदलकर)	1991-92
3.	शिरडी	400 लाइनें एन० ई० ए० एक्स (एस० एक्स० एस० एम० ए० एक्स० 3 को बदलना)	1989-90
4.	भालवानी	मीनि आई० एल० टी०-64 (एस० एक्स० एस० एम० ए० एक्स-3 को बदलना)	1989-90
5.	रावंडा	मीनि आई० एल० टी०-64 (एम० एक्स० एस० एस० ए० एक्स०-3 को बदलना)	

सातवीं योजना में दूरसंचार सुविधाएं

5686. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के दौरान ग्रुप डायलिंग आई० डी० नेटवर्क जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानी से जोड़ने के लिए प्वाइन्ट टू प्वाइन्ट एस० टी० डी० सुविधा और एस० एस० डी० आई० एस० डी० एस० एफ० टी० आरम्भ करने (स्टोर एण्ड फारवर्ड टेलीग्राम प्रणाली और सी० बी० एन० एम० एक्सचेंजों का स्वचलन) के सम्बन्ध में राज्यवार क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये और इस बारे में क्या प्रगति हुई;

(ख) 31 मार्च, 1989 तक सर्किलवार किन स्थानों पर ऐसी प्रत्येक सुविधा उपलब्ध है;

(ग) राज्यवार ऐसे जिलों के नाम क्या है जहां इनमें से कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और इसके क्या कारण है;

(घ) क्या अभी भी राष्ट्रीय औसत से कम ऐसे क्षेत्रों में इन सुविधाओं को प्रदान किये जाने के लिये कार्यक्रम तैयार किया गया है यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी जिलों में इन सुविधाओं के कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जानकारी क्रमश: संलग्न विवरण 1, 2, 3 4 में दी गई है ।

(ग) ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसमें इन सुविधाओं में से कोई न कोई सुविधा उपलब्ध न हों ।

(घ) और (ङ) जी हां, जानकारी संलग्न विवरण-5 में दी गई है ।

विवरण-1

क्रम सं०	सुविधा	निर्धारित लक्ष्य	अब तक हुई प्रगति
1.	ग्रुप डायलिंग	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	—
2.	आई० डी० नेटवर्क	अतिरिक्त निधि उपलब्ध होने पर कोर प्लान में 16 एस० ए० एम० और शेष प्लान में 4 अन्य को शामिल किया गया था । बाद में 9 अन्य एस० एस० ए० को भी शामिल किया गया ।	4 जिलों अर्थात् मथुरा, नैनीताल, बाड़मेर और कोहिमा में कार्य प्रगति पर है ।
3.	प्वाइन्ट-टू-प्वाइंट एस० टी० डी०	कोई लक्ष्य नहीं ।	—
4.	राज्य की राजधानी साथ जिला मुख्यालयों तथा इन्हें एक-दूसरे के साथ जोड़ना	सभी जिला मुख्यालयों में यह सुविधा प्रदान की जानी है ।	अनुबंध-II में जानकारी दी गई है ।

1	2	3	4
5.	एन० एस० डी० और आई० एस० डी० शुरू करना	सभी जिला मुख्यालयों तथा, 1000 लाइनों से अधिक क्षमता के आटो-एक्सचेंजों में यह सुविधा प्रदान की जानी है।	अनुबंध-II में जानकारी दी गई है।
6.	एस० एफ० टी०	15 स्टेशन	16 स्टेशन जैसाकि अनुबंध III में दिया गया है।
7.	सी०बी०एन०एम० एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाना	जिला मुख्यालयों पर स्थित सभी सी० बी० एम० एम० एक्सचेंजों को आटोमेटिक बनाए जाने का लक्ष्य है।	सी० बी० एन० एम० एक्सचेंज वाले सभी जिला मुख्यालयों को आटोमेटिक बना दिया गया है। अनुबंध-IV में दिए

विवरण

31-3-1989 की स्थिति के अनुसार एस०टी०डी० सुविधा वाले स्टेशन

आन्ध्र प्रदेश

अडोनी	अनकापल्ले	अनापार्थी
आरमूर	बालाचेरवु	भीमावरम
बोब्बली	चिलकालूरीपेट	चिराला
डॉलेश्वरम	डुग्गीराला	गुडीवाडा
गुडूर	गुण्टकल	कवाली
कोठागुडम	कोवूर	लिंगमपल्ली
मन्चीरियाल	नन्दियाल	पालाकोले
पट्टनचेरू	पेड्डापुरम	प्रोड्डातूर
राजामुंदरी	रामचन्द्रपुर	रावूलापालम
सामलकोट	ताडेपल्लीगुडम	ताडपत्री
टंकू	तेनाली	तुनी
तिरुपति	रेनीगुण्टा	तिरुमाला
विजयवाड़ा	इब्राहिमपट्नम	पोरंकी
बरूक	आदिलाबाद	अनन्तपुर
चित्तूर	कुड्डापाह	एलुरु
गुन्टूर	हैदराबाद	काकीनाडा
करीमनगर	खमाम	कुरनूल
मछलीपट्नम	महबूबनगर	नालगोण्डा

नेल्लूर	निज़ामाबाद	ओंगोल
संगारेड्डी	श्रीकाकुलम	विजयनगरम
विशाखापट्नम	मलकापुरम	श्रीकलहस्ती
वारंगल	[illegible]	काजीपेठ
*पामीडी	अमुदलावालसा	भद्राचलम'
हिन्दुपुर	कोवूर	मेदर-मेटला
तिरुचियाद		

अरुणाचल प्रदेश

इटानगर	नाहरलागन

असम

बोंगई गांव	तिनसुकिया	धुबरी
गुवाहाटी	दिसपुर	झालुकबारी
डिब्रूगढ़	हाफलांग	जोरहाट
सिबसागर	सिलचर	

बिहार

बोकारो-स्टील सिटी	चास	चिरकुण्डा
डालमियां नगर	फोरबसगंज	सिन्दरी
जमशेदपुर	आदित्यपुर	टेलको
आरा	बेगूसराय	बेतिया
भागलपुर	चाईबासा	छपरा
डाल्टनगंज	दरभंगा	देवगढ़
धनबाद	मढ़िया	गया
गिरिडीह	हाजीपुर	हजारीबाग
कटिहार	मधुबनी	मुंगेर
मोतीहारी	मुजफ्फरपुर	नवादा
पटना	पूर्णिया	सिवान
रांची	धुर्वा	समस्तीपुर
सासाराम	बिहारसरीफ	

गुजरात

आनन्द	बी० बी० नगर	बिलीमोरा
कैम्बे	दबोही	ढोलका
ध्रांगाधारा	द्वारिका	गांधीधाम

अमलमवलियार	खेडा	कालोल
कापडवंज	महुआ	मोरबी
नाडियाड	पाटन	पेटलाद
पोरबन्दर	सावरकुण्डला	तालोड
ऊंझा	वेरावल	विसनगर
वांकानेर	अहमदाबाद	एडवा
बुलसार	गांधीनगर	गोधरा
जामनगर	जूनागढ़	महसाणा
पालनपुर	राजकोट	सूरत
सुरेन्द्रनगर	हालोल	कल्लापरदी

गोवा

मारगाव	वास्को	पंजिम
*मपूसा		

हिमाचल प्रदेश

धर्मशाला	हमीरपुर	नाहन
शिमला	*मण्डी	*बिलासपुर
*सोलन		

हरियाणा

कालका	पानीपत	रेवाड़ी
यमुनानगर	अम्बाला	भिवानी
फरीदाबाद	गुड़गांव	हिसार
करनाल	रोहतक	सिरसा
सोनीपत		

जम्मू और कश्मीर

सोपोर	बारामुल्ला	जम्मू
श्रीनगर	*अनन्तनाग	उधमपुर

केरल

अदूर	अलातूर	अलवई
अंगामली	आर्टिंगल	बड़ागारा
चालाकुडी	चंगनचेरी	चंगानूर

चिंगावनम	चौघाट	गुरुवयूर
कुनमकुलम	कृंगानूर	इरिंजिलाकुडा
कलाडी	कानहुंगाड	कायमकुलम
कोलनचेरी	कोटमंगलम	कोट्टरकारा
कुण्दरा	माला	मंजरी
मन्नार	मन्नारघाट	मुन्नार
मुवतुपुझा	मारक्कल	नेडुमंगद
नैय्यतिकारा	नीलाम्बुर	नीलेश्वर
ओट्टापलम	पलाई	पण्डालम
पहर	पय्यानूर	पेरिनतलमन्ना
पेरम्बावूर	पोन्नानी	पुनालूर
शेरतलाई	सोरानुर	तालीपरम्बा
तेलीचेरी	तिरुवल्ला	थोडुपुझा
तिरुर	वेंकम	विंझिजम
अल्लेप्पी	कन्नानूर	बालीपट्नम
एर्णाकुलम	चित्तूर	एड़ाकोचीन
कलमासेरी	त्रिकाकरा	त्रिपुन्तरा
उथमपहर	इडुक्की	कलपेट्टा
कोट्टायम	गांधीनगर	कांजीकुझी
कोजीकोडे (कालिकट)	फेरोक	मालापुरम
पालघाट	ओवलाकोडे	पट्नमथिट्टा
क्विलोन	चिन्नाकाडा	त्रिवेन्द्रम
त्रिचुर	अलगप्पानगर	चेरपू
ओल्लूर	*कोलच्ची	चित्तूर
चेरथातूर	कोटक्कल	माहे
वकराला		

कर्नाटक

बागलकोट	बाजपे	बंगरापेट
बण्टवाल	गदाग	चन्नापटना
चिकबल्लापुर	दावनगेरे	गुलेपुड

हरिहर	हावेरी	हुवालगुड्डी
हीरियूर	होजपेट	कित्तूर
कोलार गोल्ड फील्ड	कोप्पल	कृष्णापुर
कुन्दापुर	नंजनगुड	पुत्तूर
रामानगरम	राणेबेनुर	सिरसी
उदीप्पी	विरजपेट	वाइटफील्ड
बेंगलूर	बेलगाम	बेल्लारी
बीदर	बीजापुर	चिकमंगलूर
चित्रदुर्गा	गुलबर्गा	हासन
धारवाड़	हुबली	विद्यानगर
करवाड़	कोलार	मरकरा
मेंगलूर	पेनमबूर	उल्लाल
मैसूर	बेलवाड़ी	रायचूर
सिमोगा	भद्रावती	तुमकुर
भटकल	गोनीकोप्पल	गोरेबिदनूर
मेघालय		
जोवाई	शिलोंग	तुरा
महाराष्ट्र		
बारामती	भिवण्डी	भुसावल
कल्याण	अम्बरनाथ	दोम्बीविली
उल्हासनगर	कराड	मनमाड
नावासेवा	पनवेल	सतारा
श्रीरामपुर	तालेगांव-दमाडे	तुर्भे
कालमबोली	रबेला	अहमदनगर
अकोला	अमरावती	बॉम्बे
औरंगाबाद	चिकलथाणा	चन्द्रापुर
धुले	जलगांव	जालना
कोल्हापुर	नागपुर	नासिक
पुणे	देहूरोड	सांगली
शोलापुर	वर्धा	यवतमाल

*इचलकरंजी	*जयसिंहपुर	*कोपरगाँव
*कोल्हेवाड़ी	*मिराज	*पुन्तम्बा
*राहटा	*रत्नागिरि	*अकोला
*तारापुर	लतूर	बर्सी
उस्मानाबाद	कुडाल	नान्देड

मणिपुर

इम्फाल		

मध्य प्रदेश

बुरहानपुर	धामत्री	इटारसी
जौरा	महाव	भिण्ड
भोपाल	बिलासपुर	दतिया
देवास	धार	दुर्ग
भिलाई	ग्वालियर	मोरेना
होशंगाबाद	इन्दौर	जबलपुर
खाण्डवा	मन्दसौर	गुना
रायगढ़	रायपुर	रीवा
सागर	सतना	सेहोर
सिवनी	उज्जैन	विदिशा
*कटनी	अम्बिकापुर	जगदलपुर

मिजोरम

आइजोल	लुंगलेह	

नागालैण्ड

दीमापुर	कोहिमा	

उड़ीसा

अंगुल	बहरामपुर (गंजम)	भद्रक
भुवनेश्वर	मंचेश्वर	पारादीप
राउरकेला	सुनाबेड़ा	बालासोर
बारीपाडा	छतरापुर (गंजम)	ढेनकनाल
कटक	चौद्वार	जगतपुर

कोरापुट	पुरी	सम्बलपुर
जैपोर	जसंनगाड़ा	क्योंझर
फूलबनी	सुन्दरगढ़	

पंजाब

अबोहर	जगरांव	खन्ना
मोगा	नाभा	पठानकोट
फगवाड़ा	राजपुरा	राया
साहनेवाल	अमृतसर	छेहारटा
भटिण्डा	फरीदकोट	फिरोजपुर
होशियारपुर	जालंधर	कपूरथला
लुधियाना	पटियाला	संगरूर
*गुरदासपुर	मोहाली	फाजिल्का

राजस्थान

ब्यावर	अजमेर	अलवर
भरतपुर	बीकानेर	धौलपुर
जयपुर	जोधपुर	मन्धोर
कोटा	नागौर	पालीमारवाड़
श्रीगंगानगर	उदयपुर	बूंदी

सिक्किम

गंगटोक		

तमिलनाडु

अदुतुरई	अम्बास मुद्रक	अम्बूर
अरकोणम	अरनी	अरपूकोट्टई
अत्तूर	अविनाशी	भवानी
बोदीनय्यक्कानूर	चिदम्बरम	चिंगलपुट
चिन्नालपट्टी	धारापुरम	गोपीसेट्टप्पलायम
गुम्मुदीपूण्डी	होसूर	होसूर सिपकोट
कलपक्कम	कंगयेम	कन्याकुमारी
कराइकुडी	करुर	कोडियाकनाल
कोविलपट्टी	कुलीतलाई	कुम्बाकोणम

कुशीतुरई	महाबलीपुरम	मम्मारगुडी
मराईमलाईनगर	मेट्टूपलयम	मुसिरी
मैलादुतुरई	नागपट्नम	नामक्कल
नेलीकुप्पम	नेवली	पलाटम
पनरुति	पापनासाम	पारामुकदी
पेरुनदरै	पोलाची	पोन्नेरी
राजापलायम	रामेश्वरम	रानीपेट
रानीपेट सिपकोट	मेलाविश्राम	राशिपुरम
संकरनकोइल	संकरीदुर्ग	साथायामंगलम
संतूर	शेनकोटह	सिरकाली
सिवाकाशी	सिमानूर	श्रीविल्लीपुत्तूर
तेनकासी	थेनी	तिरुमंगलम
तिंदीवनम	तिरुचेनगोडे	तिरुपुर
तिरुतानी	तिरुवन्नामलाई	तिरुवरुर
तिरुवेल्लूर	उदुमलपेट	उधुकुली
वेलीयूर	वालपरै	वेनियमबाडी
वेलाकोइल	विल्लुपुरम	कोयम्बटूर
कुरीचि	मदुक्कारै	पेरियनायकानिपलयाम
सुलुर	धर्मपुरी	डिण्डीगुल
ऐरोड	कांचीपुरम	मद्रास
मदुरै	नागमलाइपुदुकोटै	ओटाकमंड
सिलेमान	तिरुनगर	नागरकोइल
ऊटी	पुदुकोटै	रामनाथपुरम
सलेम	शिवगंगा	तंजौर
तिरुनेलवेली	पलायमकोटिया	त्रिची
मंचानलूर	सोमरसमपेटा	श्रीरंगम
तिरुपरंकुंरई	तिरुवरम्बूर	वेल्लूर
तूतीकोरिन	तूतीकोरिर पोर्ट ट्रस्ट	विरुद्धनगर
*अन्नूर	देवाकोटै	कोट्टालम
मेलूर	नांगूनेरी	पलानी
शंकरनगर	वल्लर	

त्रिपुरा

अगरतला	राधाकिशोरपुर	

उत्तर प्रदेश

भदोही	गोपीगंज	हापुड़
कोसीकलां	मलीहाबाद	मोदीनगर
मुगलसराय	मसूरी	नौगढ़ा
रुड़की	शिकोहाबाद	सूरजपुर
टूण्डला	उझानी	आगरा
अलीगढ़	इलाहाबाद	नैनी
अल्मोड़ा	बदायूं	बरेली
बस्ती	बिजनौर	बुलन्दशहर
देहरादून	एटा	इटावा
फैजाबाद	फतेहपुर	गाजियाबाद
गोरखपुर	जौनपुर	कानपुर
लखीमपुर-खीरी	लखनऊ	मैनपुरी
मथुरा	मेरठ	मिर्जापुर
मुरादाबाद	मुजफ्फरनगर	नैनीताल
ओरई	पौड़ी	पीलीभीत
पिथौरागढ़	प्रतापगढ़	रायबरेली
रामपुर	सहारनपुर	शाहजहांपुर
सीतापुर	सुलतानपुर	उन्नाव
वाराणसी	देवबंद	बांदा
कन्नौज	गाजीपुर	समरिया
खुर्जा	ललितपुर	

पश्चिम बंगाल

आसनसोल	बागडोगरा	बाहुला
[illegible]	भाटपाड़ा	बोलपुर
[illegible]	डायमण्ड हारबर	दुर्गापुर
हल्दिया	जमूरीहाट	कलीमपोंग
खड़गपुर	नियामतपुर	रानीगंज

रूपनारायणपुरा	चुंचुड़िया	सिलीगुड़ी
त्रिवेनी	बर्दवान	चिनसुरा
कलकत्ता	अलीपुर	बाड़ासात
बज-बज	हावड़ा	कल्याणी
उलूबेरिया	कूचबिहार	दार्जिलिंग
कृष्णनगर	मालदा	मिदनापुर
पुलिया	सूरी	अलीपुरद्वार
फाल्टा		

संघ शासित प्रदेश

दिल्ली	चण्डीगढ़	पाण्डिचेरी
येनम	करिकल	*करियम्मनकम
पोर्टब्लेयर	सिल्वासा	कावारत्ती
दमन	मिनीमॉय	

विवरण-3

राज्यवार—एस० एफ० टी० प्रणाली

क्रम सं०	राज्य का नाम	संस्थापित की गई प्रणालियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	1
3.	हरियाणा	1
4.	हिमाचल प्रदेश	1
5.	जम्मू-कश्मीर	1
6.	मध्य प्रदेश	4
7.	मेघालय (शिलॉंग)	1
8.	उड़ीसा	1
9.	पंजाब	1
10.	तमिलनाडु	1
11.	उत्तर प्रदेश	2
12.	पश्चिम बंगाल	1
		16

विवरण-4

निम्नलिखित जिला मुख्यालयों में अभी भी सी० बी० एन० एम० एक्सचेंज कार्य कर रहे हैं तथा इनको सातवीं योजना के अन्त तक आटोमेटिक किये जाने का कार्यक्रम है।

राज्य का नाम	जिला मुख्यालय का नाम
उत्तर प्रदेश	1. चमोली
	2. फतेहपुर
	3. पौढ़ी
	4. उत्तरकाशी
जम्मू और कश्मीर	1. कारगिल
	2. पुलवामा
	3. लेह
	4. राजौरी
बिहार	1. औरंगाबाद
	2. गोड्डा
	3. गोपालगंज
	4. जहानाबाद
	5. लोहरडगा
	6. मधपुरा
	7. खगरिया
	8. साहेबगंज
	9. गुमला
मध्य प्रदेश	1. पन्ना
	2. राजगढ़
	3. रायसेन
मेघालय	1. विलयमनगर
नागालैंड	1. ओखा
	2. जानेबोतो
त्रिपुरा	1. कैलाशहाट

विवरण-5

क्रम सं०	सुविधा	सभी जिलों में यह सुविधा प्रदान करने की संभावित तारीख
1.	ग्रुप डायलिंग	सातवीं योजना तथा बाद की योजनाओं के दौरान उत्तरोत्तर जहां कहीं व्यवहार्य पाया जायेगा उन स्थानों पर यह सुविधा प्रदान करने की योजना है।
2.	आईएसडी नेटवर्क	आठवीं योजना तथा बाद की योजनाओं के दौरान।
3.	प्वाइंट-टू-प्वाइंट एस० टी० सी०	सातवीं योजना के अन्त तक
4.	जिला मुख्यालयों को राज्य की राजधानियों के साथ एक-दूसरे से जोड़ना	बशर्ते कि उपस्कर उपलब्ध हों तथा समय पर विश्वसनीय माध्यम प्राप्त हो सके।
5.	राष्ट्रीय उपभोक्ता डायलिंग तथा अन्तर राष्ट्रीय डायलिंग शुरू करना	
6.	एस० एफ० टी०	एस० एफ० टी० प्रणालियां न तो जिले वार और न ही राज्य वार प्रदान की जाती हैं। ये प्रणालियां टेलीग्राफ नेटवर्क नोडों में जो कि टेलीग्राफ नेटवर्क आधुनिकीकरण योजना में सम्मिलित हैं, प्रदान की जाती हैं।
7.	सी० बी० एन० एम० एक्सचेंज को आटोमेटिक बनाना	सातवीं योजना के अन्त तक, बशर्ते कि आटो-एक्सचेंज उपस्कर तथा उपयुक्त भवन उपलब्ध हों।

विभागेतर शाखा डाकघर खोलना

5687. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1988-89 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 3,000 नये विभागेतर शाखा डाकघर खोलने का निर्णय लिया था;

(ख) यदि हां, तो कितने डाकघर खोलने की स्वीकृति दी गयी और 31 मार्च, 1989 तक उनमें से वास्तव में कितने डाकघर खोले गये और हिमाचल प्रदेश में जिलेवार किन-किन स्थानों में खोले गये;

(ग) ऐसे डाकघर खोलने सम्बन्धी प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं कि सातवीं योजना के लिए निर्धारित लक्ष्य पूरा किया जा सके ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) 1988-89 के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में 2,900 शाखा डाकघर तथा 100 विभागीय उप-डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव था।

(ख) 1-4-1988 से 31-3-1989 की अवधि के बीच मंजूर किए गए नये डाकघरों की संख्या इस प्रकार है :—

शाखा डाकघर	=	2,476
उप-डाकघर	=	72

31-3-1989 तक वास्तविक रूप में खोले गये डाकघरों से सम्बन्धित संख्या की जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभापटल पर रख दिया जायेगा।

हिमाचल प्रदेश में मंजूर किए गये नए डाकघरों के नाम संलग्न विवरण में दिये गए हैं।

(ग) नए डाकघरों के लिए अपेक्षित पदों का सृजन मौजूदा पाबंदी आदेशों के बारे में वित्त मन्त्रालय से छूट प्राप्त करने के बाद ही किया जाता है। औपचारिकताएं पूरी करने की दृष्टि से अपेक्षित समय में अन्य आवश्यकताएं भी शामिल है।

(घ) वार्षिक योजना 1989-90 के लिए निर्धारित लक्ष्य पर सातवीं योजना के सम्पूर्ण लक्ष्य के साथ विचार किया जाता है बशर्ते कि सर्किलों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या पर्याप्त हो और इसके लिए वित्त मन्त्रालय से अपेक्षित अनुमति प्राप्त हो जाए। इस स्थिति में वार्षिक योजना के लक्ष्य पूरा किए जाने की उम्मीद है।

विवरण

वार्षिक योजना 1988-89

हिमाचल प्रदेश के लिए मंजूर किए गए डाकघर

(क) शाखा डाकघर

क्रम सं०	गांव का नाम	जिला
1.	बेला	हमीरपुर
2.	जंगल रोपा	—वही—
3.	चमनेड	—वही—
4.	शमीरपुर	—वही—
5.	चबूतरा	—वही—
6.	मण्डोड़ा	ऊना
7.	लेड़ा	सीलन
8.	बड़ोग	—वही—
9.	हनुमान बड़ोग	—वही—

1	2	3
10.	सेवड़ा चण्डी	—वही—
11.	मलाऊ	—वही—
12.	मातुली	—वही—
13.	मोलजमसा	—वही—
14.	मारया	चम्बा
15.	प्यूरा	चम्बा
16.	कोटला	बिलासपुर
17.	सैंखारसी	—वही—
18.	मारीकथा	—वही—
19.	बलोह	—वही—
20.	बेतर मिचली	—वही—
21.	गंधालवीं	—वही—
22.	भपसल	—वही—
23.	मलंगर	ऊना
24.	लामलचरी	—वही—
25.	अजोली	—वही—
26.	लुहारली	ऊना
27.	बेहडला	—वही—
28.	स्तोत्तर	—वही—
29.	धर्मपुर	—वही—
30.	मतोली	—वही—
31.	नंगलकलां	—वही—
32.	छुट्टन	—वही—
33.	डेंची	—वही—
34.	बोड़	—वही—
35.	बरुही	हमीरपुर
36.	मेवालपयेर	—वही—
37.	जूली देवी	—वही—
38.	पटलावर	—वही—

1	2	3
39.	जनाली	—वही—
40.	घालोम	—वही—
41.	कलूर	—वही—
42.	जस्माढ़ि	—वही—
43.	थाना	शिमला
44.	रेवाग	—वही—
45.	जाडू शिलाल	—वही—
46.	कामन्द	कुल्लू
47.	करशाईगाड	—वह—
48.	बम्बनौर	—वही—
49.	बाधा	—वही—
50.	मणि	मण्डी
51.	सकसेहा	—वही—
52.	दोनघी	—वही—
53.	भाम्बली	—वही—
54.	डडोली	कांगड़ा
55.	चन्दरकोट	—वही—
56.	ठाकुरद्वारा	—वही—
57.	गठुतर	—वही—
58.	मेवा	—वही—
59.	मैरा	—वही—
60.	बंगोली	—वही—
61.	झाकवा	—वही—
62.	भतेड़	—वही—
63.	दमोली	कांगड़ा
64.	हलेड़	—वही—
65.	बलोल	—वही—
66.	काइब	—वही—
67.	भंगवार	—वही—

1	2	3
68.	भतोरन	—वही—
69.	उस्तेहड़	—वही—
70.	सलाह	—वही—
71.	पालेनहकलू	—वही—
72.	खैरात	—वही—
73.	डेग	—वही—
74.	भदरेड़	—वही—
75.	अरला	—वही—
76.	ढोरन	—वही—
77.	पुनेर	—वही—
78.	अंदपुर	—वही—
79.	झिकलीभेठ	—वही—
80.	मुंबल	—वही—
81.	बंडलेहड़	—वही—
82.	झरुंदी	—वही—
83.	अमरूप नगर	—वही—
84.	पंडपुर	—वही—
85.	हुंगलोह	—वही—
86.	रीसाली	—वही—
87.	गघवाल	—वही—
88.	बलोखा	—वही—
89.	कोपड़ा	—वही—
90.	मटाला	—वही—
91.	देहाव	—वही—
92.	कोशाल	—वही—
93.	भाट्टू	—वही—
94.	फतेहपुर	—वही—
95.	घारम	बिलासपुर

1	2	3
96.	मल्होट	—वही—
97.	सैन	मण्डी
98.	दभोटा	सोलन
99.	लखानू	बिलासपुर
100.	रक्कड़ कालोनी, ऊना	ऊना
101.	घंगरेट	ऊना
102.	जरोट	कांगड़ा
(ख) उप-डाकघर		
103.	खलोनी	शिमला
104.	चमेरा हाइडल प्राजेक्ट, खेरी	चम्बा

हिमाचल प्रदेश में "मल्टी एक्सेस रूरल रिले स्कीम" के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लगाना

5688. **प्रो० नारायण चन्द पराशर :** क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में किन-किन स्थानों पर 31 मार्च, 1989 तक "मल्टी एक्सेस रूरल रिले स्कीम" के अन्तर्गत सार्वजनिक टेलीफोन लगाये गये हैं और प्रत्येक सार्वजनिक टेलीफोन की अधिष्ठापन तिथि क्या है; और

(ख) उक्त योजना के अन्तर्गत शेष सार्वजनिक टेलीफोनों में से प्रत्येक की सम्भावित अधिष्ठापन तिथि क्या है इस और लक्ष्य में निर्धारित तिथि अर्थात् 31 मार्च, 1989 तक अधिष्ठापित किये जाने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) 31 मार्च, 1989 तक हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में कोई एम० ए० आर० आर० प्रणाली संस्थापित नहीं की गई है। इनमें ऐसा विनिर्माताओं द्वारा ऐंटिना की देरी से की गई सप्लाई के कारण हुआ। फिर भी ऐंटिनों की शीघ्र सप्लाई के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि इन्हें अति शीघ्र संस्थापित किया जा सके।

स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को पुन: चालू करना

5689. **श्री वाई० एस० महाजन :**

डा० बी० एल० शैलेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को पुन: चालू करने हेतु गठित आर० सी० दत्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने रिपोर्ट पर कोई निर्णय लिया है;

(ग) स्कूटर इण्डिया लिमिटेड को पुन: चालू करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा किये जाने का विचार है और

(घ) क्या सरकार ने इस एकक को बजाज ऑटो को बेचने का प्रस्ताव रद्द कर दिया है अथवा यह अभी भी विचाराधीन है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) श्री आर० सी० दत्त की अध्यक्षता मे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के आफीसर्स एसोसिएशन के नेशनल कंफेडरेशन द्वारा गठित समिति की "अन्तरिम रिपोर्ट" की एक प्रति सरकार को अगस्त, 1988 में मिल गई थी।

(ख) से (घ) सरकार ने, इस एकक के नवीकरण के लिए स्कूटर्स इण्डिया लिमिटेड के लखनऊ एकक की सहमत परिसम्पत्तियों और सलकक्ष देनदारियों का हस्तान्तरण बजाज आटो लिमिटेड को करने के निर्णय पर पहुंचने से पूर्व उपलब्ध विभिन्न विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है।

पटपड़गंज दिल्ली में औद्योगिक भूखंडों का आबंटन

[हिन्दी]

5690. डा० चन्द्र शेखर त्रिपाठी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने पटपड़गंज, दिल्ली में औद्योगिक भूखंडों का आवंटन करने के लिये गत वर्ष अप्रैल-मई में आवेदन आमंत्रित किये थे।

(ख) क्या उक्त भू खंड अभी तक आबंटित नहीं किये गये है और आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गई धनराशि पर ब्याज भी नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार का दिल्ली प्रशासन को यह अनुदेश जारी करने का विचार है कि यह भूखण्ड तत्काल आबंटित किये जाये; और

(घ) यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन के अनुसार, अभी तक प्लाटों का आबंटन नहीं किया गया है। विज्ञापन में यह कर दिया गया था कि जमा की गई किसी भी धनराशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा।

(ग) और (घ) दिल्ली प्रशासन द्वारा प्लाटों का आबंटन के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को विश्व बैंक से सहायता

[अनुवाद]

5691. श्री एस० बी० सिदनाल :
श्री शान्ति लाल पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक आठवीं योजना अवधि के दौरान तेल और प्राकृतिक गैस की तीन प्रमुख परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहयोग देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कब तक आरम्भ की जायेंगी ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) से (ग) ओ० एन० जी० सी० की चल रही 4 परियोजनाओं के लिए इस समय विश्व बैंक की सहायता दी जा रही है., इनके नाम हैं कृष्णा-गोदावरी खोज परियोजना, साऊथ बेसिन गैस विकास परियोजना कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम प्रोजेक्ट और पश्चिमी गैस विकास। इनमें से दो परियोजनाएं अर्थात् कैम्बे बेसिन पेट्रोलियम प्रोजेक्ट और पश्चिमी गैस विकास को आठवीं योजना अवधि के दौरान भी क्रियान्वित किया जाएगा। इन चल रही परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना के लिए सहायता के लिए विश्व बैंक से नहीं कहा गया है।

आंध्र प्रदेश में अनन्तपुर जिले में टेलीफोन सुविधा

5692. श्री के० रामचन्द्र रेड्डी : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले में किन-किन मंडलों को टेलीफोन सुविधा अभी तक प्रदान नहीं की गई है,

(ख) इन सभी मंडलों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिये कितनी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी,

(ग) अनन्तपुर जिले में सभी मंडल मुख्यालयों में टेलीफोन सुविधा प्रदान करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है, और

(घ) इन मंडलों को कब तक टेलीफोन सुविधा प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) अनन्तपुर जिले में केवल ब्रह्म समुद्रम मंडल में टेलीफोन सुविधा अभी सुलभ की जानी है। अन्य सभी मण्डलों में यह सुविधा पहले ही सुलभ करा दी गई है।

(ख) से (घ) विभाग की मौजूदा नीति के अनुसार लगभग 5 कि० मी० के भीतर प्रत्येक बसे हुए क्षेत्र के अन्तर्गत पूर्णतः आर्थिक सहायता देकर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की योजना है। इस उद्देश्य के लिए देश को 5 कि० मी० की प्रत्येक भुजा वाले षटभुजाकार क्षेत्रों में बांटा गया है और इसमें किसी मुख्य ग्राम, पंचायत मुख्यालय को प्राथमिकता देकर दूरसंचार सुविधा प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाता है। जहां तक ब्रह्म समुद्रम मंडल का सम्बन्ध है, यह उस षटभुजाकार क्षेत्र में पड़ता है जिसमें ग्राम बाइस समुद्रम में दूरसंचार सुविधा पहले से ही सुलभ है। फिलहाल, उसी षटभुजाकार क्षेत्र में घाटे के आधार पर दूसरी दूरसंचार सुविधा प्रदान करने की अनुमति नहीं है। तथापि, उपर्युक्त मंडल में यह सुविधा प्रदान करने पर, सर्किल के सभी षटभुजाकार क्षेत्रों में कम से कम एक दूरसंचार सुविधा सुलभ करा देने के बाद ही विचार किया जाएगा।

तेलुगु फिल्म उद्योग में संकट

5693. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव :

श्री सी० सी० रमैया : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि तेलुगु फिल्म उद्योग वीडियो पायरेसी सहित गंभीर संकट से गुजर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तेलुगु फिल्म उद्योग को पुनर्जीवित करने के लिए इसकी सहायता हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार को, विशेषतया तेलुगु फिल्म उद्योग द्वारा, सामना किए जा रहे गंभीर संकट के बारे में, यदि कोई है, जानकारी नहीं है । तथापि, सूचना प्रसारण मंत्रालय को विभिन्न फिल्म उद्योग संगठनों, जिनमें आंध्र प्रदेश फिल्म चैम्बर आफ कामर्स भी शामिल है, से उनके द्वारा सामना किए जा रहे वीडियो पायरेसी सहित विभिन्न समस्याओं के संकल्प के बारे में अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं । इन संगठनों द्वारा उल्लिखित समस्याएं, विशेषकर तेलुगु फिल्म उद्योग से संबंधित नहीं हैं बल्कि संपूर्ण फिल्म उद्योग की समस्याओं से सम्बन्धित हैं ।

(ख) संपूर्ण फिल्म उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने की दृष्टि से तथा इन समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारों से उपयुक्त सिफारिश करने के उद्देश्य से, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 14 फरवरी, 1989 को एक समिति के गठन की घोषणा की । इस मंत्रालय के, समय-समय पर यथासंशोधित 14 फरवरी, 1989 के आदेश संख्या 105/19/88-एफ (एफ) की एक प्रतिलिपि क्रमश: विवरण-1 और 2 के रूप में संलग्न है जिनमें अन्य बातों के साथ साथ समिति की संरचना और शर्तें दी गई हैं ।

विवरण-1

सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म उद्योग की समस्याओं के अध्ययन की दृष्टि से तथा इन समस्याओं को सुलझाने के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों को उचित सिफारिशें करने हेतु, एतद् द्वारा समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया जाता है :—

1. सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्री जी० के० अरोड़ा) —अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, भारतीय फिल्म फेडरेशन, बम्बई (श्री ए० रमेश प्रसाद) —सदस्य
3. अध्यक्ष, अखिल भारतीय फिल्म निर्माता परिषद, बम्बई (श्री विजय आनन्द) —सदस्य
4. अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय फिल्म वाणिज्य मंडल मद्रास (श्री आर० लक्ष्मण) —सदस्य
5. अध्यक्ष, पूर्वी भारतीय चलचित्र संघ, (श्री एस० एल० जालान) —सदस्य

6. अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्री पी० के० सरकार	—सदस्य
7. राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय (श्री जे० बी० रेड्डी अपर सचिव)	—सदस्य
8. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (श्रीमती मालती ताम्बे वैद्य)	—सदस्य
9. संयुक्त सचिव (प्रसारण) सूचना और प्रसारण मंत्रालय (श्री र० च० सिन्हा)	—सदस्य
19. संस्कृति विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (श्री मनमोहन सिंह संयुक्त सचिव)	—सदस्य
11. शिक्षा विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय (श्री जे० डी० गुप्ता संयुक्त सचिव)	—सदस्य
12. बैंकिंग विभाग, वित्त मंत्रालय (श्री एम० सी० सत्यावादी, संयुक्त सचिव)	—सदस्य
13. औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, (श्री एन० के० सबरवाल, संयुक्त सचिव)	—सदस्य
14. दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय, (श्री के० एस० के मूर्ति, उप महानिदेशक)	—सदस्य
15. विशेष आयुक्त एवं सचिव, सूचना और पर्यटन विभाग, तमिलनाडु सरकार (श्री सी० एन० रामदास)	—सदस्य
16. आयुक्त एवं सचिव, सांस्कृतिक कार्य विभाग, केरल सरकार, (श्री डी० बाबू पाल)	—सदस्य
17. सचिव, सूचना और संस्कृति कार्य विभाग पश्चिम बंगाल सरकार, (श्री डी० भट्टाचार्य)	—सदस्य
18. सचिव, संस्कृति कार्य विभाग, पंजाब सरकार, (श्रीमती दलजीत जयजी)	—सदस्य
19. सचिव, वित्त विभाग, महाराष्ट्र सरकार (श्री वेल्लुरि नारायण)	—सदस्य
20. आंध्र प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि	—सदस्य
21. श्री एस० बी० मिश्र, सचिव, औद्योगिक विभाग, उड़ीसा सरकार	—सदस्य

22. विशेष सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, —सदस्य
(श्री एस० पी० गुप्ता)

23. सचिव, मनोरंजन कर, उत्तर प्रदेश सरकार —सदस्य
(श्री नृपेन्द्र मिश्रा)

24. संयुक्त सचिव (फिल्म), सूचना और प्रसारण मंत्रालय, —सदस्य
(श्री बी० के० जुत्शी)

2. समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित होंगे :—

फिल्म उद्योग को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उनका अध्ययन करना और फिल्म उद्योग के विकास से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों से सिफारिश करना। अध्ययन के मुख्य क्षेत्र होंगे—उद्योग का स्तर फिल्म प्रोडक्शन का वित्त पोषण, फिल्मों का विपणन और वितरण, फिल्म उद्योग की अर्थव्यवस्था पर केन्द्र और राज्यों के करों का प्रभाव, पायरेसी विरोधी कानून और उनको लागू करना, दूरदर्शन से फीचर फिल्मों को टेलीकास्ट करने के लिए रायल्टी की दरें और सिनेमा थियेटरों में लघु फिल्मों के अनिवार्य प्रदर्शन स्कीम की पुनरीक्षा।

समिति किसी अन्य प्रासंगिक या संबंधित मुद्दे को अध्ययन करने और सिफारिश करने के लिए भी स्वतन्त्र होगी।

3. समिति आवश्यक सूचना और तकनीकी विशेषज्ञता के लिए जहां आवश्यक हो, समूहों को स्थापित कर सकती है और यदि आवश्यक हो तो सदस्यों को सहयोजित कर सकती है।

4. समिति, माध्यम विशेषज्ञों और सूचित विचार की अन्य शाखाओं से परामर्श कर सकती है।

5. समिति का मुख्यालय दिल्ली में होगा और जब भी आवश्यक हो इसकी बैठक होगी लेकिन यह देश के अन्य स्थानों का, जहां आवश्यक हो, दौरा कर सकती है।

6. समिति की रिपोर्ट जितनी जल्दी संभव हो सके पेश करेगी लेकिन इसकी अवधि पहली बैठक की तारीख से 6 माह की अवधि के अन्दर ही होगी।

7. समिति अपनी कार्य प्रणाली तैयार करेगी।

8. समिति के गैर सरकारी सदस्य वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के समय-समय पर संशोधित 5 सितम्बर, 1960 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 6/26/ ई० 4/59 के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता लेने के हकदार होंगे।

विवरण-2

आदेश

इस मन्त्रालय के दिनांक 14 फरवरी, 1989 के समसंख्यक आदेश के क्रम, जो फिल्म उद्योग की समस्याओं के अध्ययन करने तथा इन समस्याओं के हल के लिए केन्द्र/राज्य सरकारों से उपयुक्त सिफारिश करने की दृष्टि से गठित समिति के बारे में है, में कर्नाटक सरकार के प्रतिनिधि को भी उपर्युक्त समिति का सदस्य नामित किया जाता है।

आंध्र प्रदेश में पम्प सेटों को बिजली कनेक्शन प्रदान करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को धनराशि का आवंटन

5691. श्री सी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987 88, 1988-89 और 1989-90 के दौरान ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आई ई० सी०) ने आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड को कृषि पम्प सैटों के लिये बिजली कनेक्शन प्रदान कर के लिए कितनी धनराशि आबंटित की;

(ख) क्या आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने बकाया आवेदकों को बिजली के कनेक्शन दि जाने के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) योजना आयो द्वारा किया गया आवंटन तथा ग्राम विद्युतीकरण द्वारा वर्ष 1987-88, 198‑-89 के लिए आन्ध्र प्रदे के लिए किया गया वास्तविक संवितरण और वर्ष 1989-90 के लिए किया गया आबंटन निम्नानुसा है :

(लाख रुपए में)

कार्यक्रम	1987-88 आबंटन (योजना आयोग)	1987-88 संवितरण	1988-89 आबंटन (योजना आयोग)	1988-89 संवितरण (मार्च 84 तक अनन्तिम)	1989-90 आबंटन (योजना आयोग
सामान्य	1006	1113	1100	755	857
न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम	—	105	—	34	—
विशिष्ट परियोजना	3248	3472	2665	1720	*
कृषि/सम्बद्ध या इन्डस्ट्री ऋण		5 3		1416	
जोड़	4254	5253	3765	3925	

* निर्णयाधीन

(ख) से (घ) उपर्युक्त सारिणी से पता चलेगा कि ग्राम विद्युतीकरण बोर्डों को योजना आयो द्वारा व्यवहार्य एवं औचित्यपूर्ण सीमा तक आबंटित निधियों से अधिक निधियां संवितरित करता आ है।

तिरुपति में अमिनो एसिड निर्मित करने वाले संयंत्र की स्थापना

5695. श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में तिरुपति में श्रद्धालुओं द्वारा बाल कटाये जाने के कारण भारी मात्रा में मनुष्य के बाल उपलब्ध हैं,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का तिरुपति में अमिनो एसिड निर्मित करने वाले एक संयंत्र की स्थापना करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) यह जानकारी इस मन्त्रालय के पास उपलब्ध नहीं है।

(ख) और (ग) सरकार का तिरुपति में एमिनो एसिड निर्माण संयंत्र स्थापित करने का विचार नहीं है।

प्लास्टिक की खपत

5696. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक की वर्तमान खपत को किस सीमा तक पूरा किया जा रहा है, और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खपत की किस सीमा तक पूर्ति की गई थी ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) प्लास्टिक के कच्चे माल की घरेलू उपलब्धता स्वदेशी मांग को पूरी तरह से पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और उनकी कुल जरूरत की लगभग आधी मात्रा आयात द्वारा पूरी करनी पड़ती है। प्लास्टिक के कच्चे माल की ओ० जी० एल० के आधार पर आयात की अनुमति है। यद्यपि आयात के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं लेकिन पिछले 3 वर्षों के दौरान प्लास्टिक के कच्चे माल की वास्तविक खपत लगभग निम्न प्रकार रही है :—

वर्ष	प्लास्टिक के कच्चे माल की वास्तविक खपत (टनों में)
1986-87	5,20,000
1987-88	5,60,000
1988-89	6,20,000

कर्नाटक में पन-विद्युत परियोजनाओं को स्वीकृति

5697. श्रीमती बसवराजेश्वरी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक में कुल 2680 मेगावाट क्षमता की कुछ संयुक्त पन-विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को केन्द्र द्वारा कब तक मंजूरी दी जायेगी ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) कर्नाटक में पहले से प्रचालनाधीन जल विद्युत केन्द्रों की प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता 2109 मेगावाट है। राज्य में 1018 मेगावाट की कुल क्षमता वाली सात जल विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत गई हैं और वे क्रियान्वयनाधीन हैं। 18 मे० वा० की कुल क्षमता वाली दो अन्य जल विद्युत स्कीमों का के० वि० प्राधिकार में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन किया जा रहा है। 826 मेगावाट की कुल क्षमता वाली चार जल विद्युत स्कीमों को राज्य सरकार को वापिस लौटा दिया गया है और उनके सम्बन्ध में के० वि० प्राधिकरण की टिप्पणियों के परिप्रेक्ष्य में पुनः प्रस्तुत करने को कहा गया है।

मंजूरी हेतु लम्बित पड़े ताप/पन-बिजली संयंत्र

5698. श्री गुरुदास कामत : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के पास मंजूरी हेतु लम्बित पड़े ताप/पन बिजली संयंत्रों की स्थापना करने सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट का राज्य वार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार को ये परियोजना रिपोर्ट कब प्राप्त हुई थी;

(ग) इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन परियोजनाओं को कब तक मंजूरी दिये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) (क) और (ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) जबकि विद्युत परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृत किए जाने के सभी प्रयास किए जाते हैं, विद्युत परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृति अनेक पहलुओं पर निर्भर करती है जिनमें ये शामिल हैं—परियोजना रिपोर्टों की व्यापकता, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण/केन्द्रीय जल आयोग की विभिन्न टिप्पणियों/प्रक्षेपणों के सम्बन्ध में परियोजना प्राधिकारियों द्वारा शीघ्र उत्तर दिया जाना, ईंधन की उपलब्धता, जल की उपलब्धता, पर्यावरण तथा वन सम्बन्धी स्वीकृति, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण की स्वीकृति आदि जैसे विभिन्न निवेशों तथा स्वीकृतियों की उपलब्धता और निधियों के आबंटन, जल संसाधनों की हिस्सेदारी में अन्तर्राज्यीय विवादों के सामाधान के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा परियोजनाओं को प्रदान की गई सापेक्ष प्राथमिकता। इस प्रकार, इन परियोजनाओं को स्वीकृत किए जाने के बारे में समय-सीमा बता पाना संभाव्य नहीं है।

विवरण

31-3-1989 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति हेतु लम्बित ताप विद्युत/जल विद्युत उत्पादन स्कीमों का राज्यवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

क्रम स०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु०)	परियोजना रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख
1	2	3	4	5
हरियाणा				
1.	भिवानी (ता० वि०)	4×210=840	1001.5	5/87
2.	हिसार (ता० वि०)	4×210=840	1081.5	8/87
3.	पलवल (ता० वि०)	4×210=880	1166.6	5/87

1	2	3	4	5
4.	पानीपत विस्तार (ता० वि०) चरण-4 यूनिट 6	1×210=210	238.2	5/85
5.	बल्लभगढ़ जी० टी० सी० सी० (ता०)	2×100 (जी० टी०) +1×100 (एस टी) =300	308·0	3/89
हिमाचल प्रदेश				
1.	बसपा चरण-दो (ज० वि०)	4×75=300	296.0	7/87
2.	उहल चरण-तीन (ज० वि०)	4×17·5=70	97.6	11/84
3.	कोल बांध (ज० वि०)	4×200=800	26.1	5/87
4.	बनेर (ज० वि०)	4×4=12	26.1	4/87
जम्मू व कश्मीर				
1.	अपरवातू (ज० वि०) (संशोधित)	3×2.5=7.5	18.0	8/87
2.	ननबान बटकूट (ज० वि०)	2×11.3=22.6	50.0	7/87
3.	सोनमार्ग (ज० वि०) (संशोधित)	3×28=84	164.0	11/87
4.	बारी-ब्राह्मण में तेल आधारित गैस टर्बाइन संयंत्र (ता० वि०) (जम्मू)	1×25=25	20.7	2/88
5.	जैनकोटा में तेल आधारित गैस टर्बाइन संयंत्र (ता० वि०) (कश्मीर)	4×25=100	97.6	2/89
6.	हीरपोड़ा (शोपिण) (ज० वि०)	3×3=9	30.0	12/88

1	2	3	4	5
7.	बटकोट (ज० वि०) (सुखरस)	2×18=36	97.0	12/88
8.	नैगाद (ज० वि०)	4×1.5=6	11.0	1/88
9.	इगो मार्चिलांग (ज० वि०)	2×1.5=3	11.5	1/89
10.	चिनानी चरण दो व तीन (ज० वि०)	2×1+2×2=6	20.9	10/81
11.	नई राजोरी (ज० वि०)	3×1=3	8.1	7/87
12.	अपर सिंध यूनिट-3 (ज० वि)	3×35=35	20.6	1/87
13.	सेवा चरण-तीन (ज० वि०)	3×2=6	16.9	2/87
पंजाब				
1.	धूरी (ता० वि०)	2×500=1000	1200.0	10/87
2.	गोयदवाल साहिब (ता० वि०)	2×210=420	760.0	7/88
3.	दोराहा में गैस पावर संयंत्र (ता० वि०)	4×100 (जी० टी०)+ 2×100 (एस० टी०)=600	533.0	11/88
4.	भटिंडा चरण-तीन (ता० वि०) यूनिट 5 व 6 (संशोधित कार्य-स्थल)	2×210=420	650.0	10/88
5.	शाहपुरकंडी (ज० वि०)	2×47=94	102.0	6/71
6.	भटिंडा विस्तार (ता० वि०) यूनिट 5 व 6	2×210=420	439.9 (1) 650.0 (2)	3/82 10/88
7.	रोपड़ चरण-3 (ता० वि०) (यूनिट 5 व 6)	2×210=420	420.0	9/85
8.	एस० वाई० एल० (ज० वि०)	2×18+2×7=50	103.6	8/85
9.	यू० बी० डी० सी० चरण-तीन (ज० वि०)	2×15=30	58.7	5/87
राजस्थान				
1.	जवई मिनी (ज० वि०)	4×0.6=2.4	6.0	5/86
2.	कोटा पम्पड स्टोरेज (ज० वि०)	2×100=200	161.0	9/86

1	2	3	4	5
3.	सूरतगढ़ (ता० वि०)	2×210=420	450.5 483 (संशोधित)	1/85
4.	जाखम (ज० वि०) (संशोधित)	1×5.5=5.5	8.00	12/86
उत्तर प्रदेश				
1.	बेलका (ज० वि०) (संशोधित)	3×1=3	7.3 8.0	9/85 (i) 7/87 (ii)
2.	कोटेश्वर (ज० वि०)	3×100=300 4×100=400	269.6 283.0	11/86 (i) 9/87 (ii)
3.	बोवाला नन्द प्रयाग (ज० वि०)	3×44=132	179.0	1/89
4.	दादरी में गैस आधारित संयुक्त साइकल संयंत्र चरण-1 (ता० वि०)	4×100 (जी० टी०)+ 2×100 (एम० टी०)=600	586.4	11/88
5.	बेलधारा रोड़ (ता० वि०)	2×2 0=630	982.2	12/88
6.	लोहाड़ी नागपाला (ज० वि०)	3×94=282	177.2	3/80
7.	पाला मनेरी (ज० वि०)	3×47.5=142.5	126.1	12/78
8.	बबैल मिनी (ज० वि०)	3×1=3	6.8	9/85 (i) 7/87 (ii)
9.	राजघाट (ज० वि०) (यू० पी०/मध्य प्रदेश)	3×15=45	37.4	5/84
10.	लारा (ज० वि०)	3×24=72	110.7	
गुजरात				
1.	नर्मदा चरण-1 व 2 (ता० वि०) चरण-1 (जिला बड़ौदा)	4×500=2000 2×500=1000	1200.0 1125.0 (संशोधित)	5/82 (i) 7/87 (ii)
2.	सिक्का विस्तार चरण-3 (ता० वि०) (जिला जामनगर)	2×210+420	441.5	11/86
3.	दक्षिणी सौराष्ट्र में पीपीवाव गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल संयंत्र	750	563.2	7/87

1	2	3	4	5
4.	अंकलेश्वर गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल (ता० वि०)	30	56.4	8/88
5.	अहमदाबाद में वटवा गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल संयंत्र (ता० वि०)	100	121.1	8/88
6.	कर्जन एल० बी० सी० (ज० वि०)	2×1.5=3	5.7 (i) 7.0 (ii)	7/86 3/88
7.	बांधव (म० प्र०/गुजरात) (जिला सिधी)	4×500=2000	990.6 1679.4	5/81 6/86
8.	मांड (ता० वि०) मध्य प्रदेश/गुजरात (जिला रायगढ़)	2×210=420	370.9	10/84
9.	गंधार में संयुक्त साइकल गैस आधारित संयंत्र (ता०वि०)	4×100 (जी० टी०)+ 2×100 (एस० टी०)=600	518.0	3/87
10.	उतरान गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल (ता० वि०)	3×30 (जी० टी०)+ 1×45 (एस० टी०)= 135	152.68	10/86 (i) 5/88 (ii)
** दिल्ली				
1.	अपशिस्ट ऊष्मा रिकवरी यूनिट जी० टी० संयंत्र (ता० वि०)	3×30=90	76.9	9/98
मध्य प्रदेश				
1.	महेश्वर (ज० वि०)	5×40=200 7×40=320	241.2 351.0	10/83 (i) 4/88 (ii)
2.	ग्वालियर जी० टी० संयुक्त साइकल संयंत्र (ता० वि)	3×100 (जी० टी०)+ 1×150 (एस० टी०)= 450	420.3	10/88
3.	झाबुआ जी० टी० संयुक्त साइकल संयंत्र (ता० वि०)	3×100 (जी० टी०)+ 1×150 (एस० टी०)=450	428.4	10/88

1	2	3	4	5
4.	राजगढ़ जी० टी० संयुक्त साइकल संयंत्र (ता० वि०)	3×100 (जी० टी०)+ 1×150 (एस० टी०)= 450	432.9	10/88
5.	गुना जी० टी० संयुक्त साइकल संयंत्र (ता० वि०)	3×100 (जी० टी०)+ 1×150 (एस० टी०)= 450	414.0	10/88
6.	अमरकंटक विस्तार (यूनिट-5) (ता० वि०) (शाहदोल जिला)	1×120=120	191.3	9/88
7	कोरबा (पश्चिमी) विस्तार यूनिट 5 (जिला बिलासपुर)	1×210=210	140.5 261.8	11/83 1/89
8.	मतनेर (ज० वि०) (चित्रकूट)	2×40=80	122.0	2/89
9.	नर्मदा सागर (ज० वि०)	8×125=1000	839.0	1/83
महाराष्ट्र				
1.	चंद्रपुर (ता० वि०) (यूनिट)	1×500=500	582.9	3/81 (i) 5/86 (ii)
2.	पारली "सी" (ता० वि०)	2×210=420	426.0 460.8	10/84 (i) 3/86 (ii)
3.	प० महाराष्ट्र (टी० पी० एस०) (बी० एस० ई० एस० लि०)	2×250=500	700.0	8/88
4.	भीरा पम्पड स्टोरेज (ज० वि०) (मैसर्स टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज	1×150=150	82.0	1/89
5.	उरण अपशिष्ट ऊष्मा (यूनिट-3) (ता० वि०)	1×120=120	122.4	4/85
6.	घाटघर पम्पड स्टोरेज (ज० वि०)	2×125=250	191.1	1/84 (i) 1/87 (ii)
7.	कोयना चरण-4 (ज० वि०) (संशोधित)	4×250=1000	378.9	11/87

1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	विजयवाड़ा चरण-तीन (ता॰ वि॰)	1×500=5.0	471.1	9/86
2.	विशाखापट्नम (ता॰वि॰)	2×500=1000	1139.8	9/88
3.	विजेश्वरम में दूसरा गैस आधारित संयुक्त साइकल जी॰ टी॰ संयंत्र (ता॰ वि॰)	3×90/100 =270/300	335 5	9/88
4.	येनुगुवानी लंका में मोबाइल जी॰ टी॰ सैट (ता॰ वि॰)	3×3=9	14.4	3/86
5.	श्रीमपल्ली (ज॰ वि॰)	13×75=975	1110.0	11/88
6	सिंगूर (ज॰ वि॰) (संशोधित)	2×12=20	20.0	2/89
7.	कातिया नहर पर माइक्रो स्कीमें (ज॰ वि॰)	8.4	13.8	7/83
8.	श्री सैलम बाया तट विद्युतघर (ज॰ वि॰)	9×110=990	418.0	4/85
9.	जलपुट (ज॰ वि॰)	3×6=18	16.1	10/87
10.	गंटूर ब्रांच नहर (ज॰ वि॰)	2×2=4	7.3	10/88
11.	विजेश्वरम में गैस आधारित संयुक्त साइकल जी॰ टी॰ (ता॰ वि॰)	3×33=99	92.9	10/88
कर्नाटक				
1.	मंगलोर के निकट नन्दीकुर में ता॰ वि॰ केन्द्र (ता॰ वि॰)	2×210=420	595.5	2×85 (i) 4/87 (ii)
2.	वृन्दावन (ज॰ वि॰)	2×16—12	13.0	3/87
3.	बद्रा विद्युतघर (ज॰ वि॰)	1×6=6	6.0	1/89
4.	मद्दूर (ज॰ वि॰)	1×1.5	2.4	10/82
केरल				
1.	चालाकुड्डी चरण-दो (ज॰ वि॰)	2×40+2×60=200	139.5	10/82
2.	ब्रह्मपुरम (कोचीन) में तेल/गैस आधारित संयुक्त साइकल जी॰ टी॰ संयंत्र (ता॰ वि॰)	3×30=90	106.6	4/88

1	2	3	4	5
3.	अथीरापल्ली विद्युतघर (ज० वि०) (दूसरी संशोधित रिपोर्ट)	2×80=160	92.2	1/89
4.	अनक्यम (ज० वि० (संशोधित)	2×4=8	13.0	3/86 (i)
			16.0	2/89 (ii)
5.	कायमकुलम (ता० वि०)	2×210=420	525.0	8/87
6.	पोरिंगलकुथू बाया तट (ज० वि०)	1×16=16	9.02	9/88
तमिलनाडु				
1.	पारालयार (ज० वि०)	1×25=25	18.0	4/84
			26.5	6/88
2.	कुड्डालोरी (ता० वि०)	3×210=630	759.2	3/87
			829.7	3/88
3.	उत्तरी मद्रास ताप-दो (ता० वि०)	?×210=420	496 2	9/88
4.	कुड्डालोर में गैस आधारित संयुक्त साइकल गैस टर्बाइन संयंत्र	4×31.8 (जी० टी०)+ 2×34.37 (एस० टी०)= 196	225.0	9/88
5.	भुवनगिरी में जी० टी० संयंत्र की प्रतिष्टापना (ता० वि०)	1×5=5	10.1	1/89
6.	कोविलकलपल में जी० टी० संयंत्र की प्रतिष्ठापना (ता० वि०)	1×5=5	10.1	1/89
पांडिचेरी				
1.	करायकाल में जी० टी० संयंत्र (ता० वि०)	2×5=10	19.98	2/89
बिहार				
1.	त्रिवेणी लिंक नहर (ज० वि०)	2×1.65=3.3	6.0	1/86
2.	पटना (ता० वि०)	2×70=140	143.8	12/85
3.	पतरातू विस्तार (ता० वि०)	2×210=420	493.0	6/88
			570.8	12/88

1	2	3	4	5
4.	मुजफ्फरपुर (ता० वि०) विस्तार चरण-दो	2×210=320	516.0	8/88
5.	बाढ़ चरण-1 (ता० वि०)	2×500=1000	1404 0	10/88
6.	पटना गैस टर्बाइन (ता० वि०)	2×50 (जी० टी०)+ 2×30 (एस० टी०)= 160	187.0 (एच०एस०डी०) 191.0 (एल० एस० एच० एस०)	1/89
7.	बरौनी जी० टी० (ता० वि०)	—वही—	187.0 (एच० एस० डी०) 191.0 (एल. एस. एच. एस.)	
8.	कहलगांव चरण-1 (ता० वि०)	2×500=1000	1391.0	3/89
उड़ीसा				
1.	बलिमेला चरण-दो (ज० वि०)	2×60=120 2×110=220	57.0 80.0	8/88 8/88
पश्चिमी बंगाल				
1.	रमण चरण-1 (ज० वि०)	2×15=30 3×12=36	17.0 42.0	3/88 12/88
2.	डी० पी० एल० विस्तार (ता० वि०) यूनिट 7	1×210=210 1×110=110	220.6 181.3	4/85 8/87
3.	बक्रेश्वर (ता० वि०)	3×210=630	682.5	12/83
असम				
1.	अमगुड़ी में गैस आधारित ता० वि० केन्द्र की प्रतिष्ठापना (ता० वि०)	8×30 (जी० टी०)+ 4×30 (एस० टी०)=360	408.25	6/88
2.	लोअर कोपिली (ज० वि०)	2×50=100	147.0	12/88
अरुणाचल प्रदेश				
1.	सियांग बहुद्देशीय (ज० वि०)	40×500=20000	12171	2/89
2.	सुबनसरी बहुद्देशीय (ज० वि०)	12×400=4800	4201	2/89

1	2	3	4	5
3.	सीसा नालाह (ज० वि०)	3×0.5=1.5	1.0	
4.	नूरानांग (ज० वि०)	3×2=6	9.8	5/88
मणिपुर				
1.	लोकतक डाउन स्ट्रीम (ज० वि०)	3×30=90	168.0	9/88
2.	तिपायमुख बहुद्देश्यीय (ज० वि)	10×50=1500	1344.0	1/89
3.	थोबल (ज० वि०)	3×2.5=7.5	6.7	7/80
मिजोरम				
1.	सेरलूई-ख (ज० वि०)	3×3.5=10.5	29.0	8/87
नागालैंड				
1.	लिकीमरो (ज० वि०)	3×8=24	46.4	6/88
त्रिपुरा				
1.	बारामूरा जी० टी० में अपशिष्ट ऊष्मा रिकवरी संयंत्र (ता० वि०)	11×1=11	31.2	1/89
2.	अगरतल्ला डीजल केन्द्र कैपिटव संयंत्र का विस्तार (ता० वि०)	6.1	7.8	1/89
3.	रोखिया में अतिरिक्त जी० टी० सैट (ता० वि०)	10×7.5=75	71.4	4/87

शाहजहांपुर जिले (उत्तर प्रदेश) में ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र

5699. **श्री जितेन्द्र प्रसाद :**

श्री राम प्यारे पनिका : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शाहजहांपुर जिले में अधिकांश ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र गत दो वर्षों के दौरान अक्सर खराब रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन महीनों में प्रत्येक ग्रामीण सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र से कितनी टेलीफोन काल की गई ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) शाहजहांपुर जिले में 61 ग्रामीण पी० सी० ओ० है। प्रत्येक पी० सी० ओ० से पिछले तीन महीनों के दौरान बुक की गई कॉलों की संख्या इस प्रकार है :

क्रम सं०	स्टेशन का नाम	बुक की गई ट्रंक कालों की संख्या
1.	जयतीपुर	38
2.	खेड़ाभभेड़ा	15

अन्य 59 लंबी दूरी के पी० सी० ओ० से कोई कॉल बुक नहीं की गई जबकि ये पी० सी० ओ० सही हालत में हैं।

पंजाब में लघु क्षेत्र के रुग्ण एकक

[हिन्दी]

5700. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले अनेक वर्षों से पंजाब में लघु क्षेत्र के रुग्ण एककों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो 1986-87, 1987-88 और 1988-89 के दौरान अलग-अलग ऐसे रुग्ण एककों की संख्या क्या थी;

(ग) क्या पंजाब सरकार ने इस सम्बन्ध में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अप्रैल, 1988 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया था;

(घ) यदि हां, तो क्या समिति की रिपोर्ट इस बीच प्राप्त हो गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं; और

(च) सरकार द्वारा समिति की कौन-सी सिफारिशें अब तक लागू की जा चुकी हैं?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) बैंकों से सहायता प्राप्त रोगी औद्योगिक एककों के आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इकट्ठे किये जाते हैं। नवीनतम जानकारी के अनुसार, निम्नलिखित तारीखों को पंजाब में रोगी लघु उद्योग एककों की संख्या नीचे दी गई है :

निम्नलिखित के अन्त में	रोगी लघु उद्योग एककों की कुल संख्या
दिसम्बर, 1985	1345
दिसम्बर, 1986	1830
दिसम्बर, 1987	1834

(ग) पंजाब की राज्य सरकार ने लघु उद्योग क्षेत्र में रुग्णता के सम्बन्ध में अपनी ओर से कोई उच्चाधिकार समिति गठित नहीं की है।

(घ) से (च) प्रश्न नहीं उठते ।

आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में एस० टी० डी० सुविधा वाले टेलीफोन केन्द्र

[अनुवाद]

5701. श्री वी० तुलसीराम : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के महबूब नगर जिले में एस० टी० डी० सुविधा प्राप्त टेलीफोन केन्द्रों का ब्योरा क्या है;

(ख) उन टेलीफोन केन्द्रों का ब्योरा क्या है जहां अभी तक एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की गई है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या महबूब नगर जिले के सभी टेलीफोन केन्द्रों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान की जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) महबूब नगर जिले (आंध्र प्रदेश) के महबूब नगर टेलीफोन एक्सचेंज में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर दी गयी है।

(ख) और (ग) महबूब नगर जिले के अनेक टेलीफोन एक्सचेंज में सामग्री तथा वित्तीय संसाधनों की कमी के कारण एस० टी० डी० सुविधा प्रदान नहीं की जा सकी है।

तथापि महबूब नगर जिले के गड़वाल, जेईचांरेला तथा सादनगर टेलीफोन एक्सचेंजों में 1989-90 के दौरान एस० टी० डी० सुविधा प्रदान कर देने की योजना है।

आंध्र प्रदेश में छोटे समाचार पत्रों को दी गई सहायता

5702. श्री वी० तुलसीराम : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः महीनों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश में छोटे समाचार पत्रों को प्रदान की गई वित्तीय तथा अन्य सहायता का ब्योरा क्या है;

(ख) इन छोटे समाचार पत्रों द्वारा कृषि के क्षेत्र में तथा ग्रामीण निर्धन लोगों के विकास के लिए उपयोग में लाई गई उक्त सहायता का ब्योरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का इन समाचार पत्रों को और अधिक सहायता देने का विचार है, यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) प्रश्न में जिस प्रकार की सूचना मांगी गई है, सरकार उसका रिकार्ड नहीं रखती है। तथापि, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा लघु तथा मझोले समाचार पत्रों को प्रदान की जा रही सुविधाओं को दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है। यह भी, उल्लेखनीय है कि विभिन्न राज्यों में समाचारपत्रों को उपलब्ध विभिन्न प्रकार की सहायताओं तथा समाचार पत्रों द्वारा सहायता के उपयोग के बारे में सूचना एकत्र नहीं की जाती तथा रखी नहीं जाती है। संलग्न विवरण में दी गई रियायतों तथा सुविधाओं के अतिरिक्त, इस मन्त्रालय द्वारा किसी भी श्रेणी के समाचारपत्रों को कोई सहायता नहीं दी जाती है।

विवरण

इस मन्त्रालय के विभिन्न माध्यम एककों द्वारा छोटे और मझोले समाचारपत्रों को दी गई सुविधाएं।

पत्र सूचना कार्यालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं :

समाचार पत्र

लघु और मझोले समाचारपत्रों को अधिक से अधिक सेवा प्रदान करने की अपनी नीति के अनुसरण में, पत्र सूचना कार्यालय उन्हें अनेक विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। समाचार रिलीजों और लेखों जैसी अपनी सामान्य सेवाएं उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, यह अन्य प्रकार की समाचार सेवाएं तथा इबोनोइड ब्लाक, चर्बा (केवल उर्दू पत्रों के लिए) और फोटो सप्लाई करता रहा है।

समाचार सेवाएं

अपेक्षाकृत लघु समाचारपत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप अनेक सेवाएं चालू की गई हैं विज्ञान, आर्थिक विकास, कृषि, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में हुए विकास को कवर करते हुए सरल और कंप्सूल रूप में लिखी गई गहन कहानियां तैयार करके उन्हें, देश की सभी मुख्य भाषाओं में सप्लाई किया जाता है।

फोटो सेवाएं

पत्र सूचना कार्यालय लघु समाचारपत्रों को सचित्र फोटो लेख और इबोनाइड ब्लाक भी सप्लाई करता है। चर्बा सेवाएं, जिसमें उर्दू लिथो प्रिंट में उपयोग के लिए जिंक ब्लाक होते हैं, बहुत लोकप्रिय हो गई हैं।

विशिष्ट सेवा सेल

पत्र सूचना कार्यालय ने बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में प्रतिनिधित्व के साथ मुख्यालय में एक विशिष्ट सेवा सैल स्थापित किया है। इस सैल को क्षेत्र आधारित विकास कहानियां तैयार करने तथा उन्हें भाषायी समाचारपत्रों को उपलब्ध करने का काम सौंपा गया है। स्थानीय संगत फोटो, मानचित्र और इबोनाईड ब्लाक उपलब्ध करने पर अधिक जोर किया जाता है।

प्रेस दल

प्रेस के प्रतिनिधियों को देश के विभिन्न भागों में चल रही विकासीय गतिविधियों की प्रारंभिक जानकारी कराने के विचार से प्रेस दलों को केन्द्रीय सरकार की विभिन्न परियोजनाओं में ले जाना पत्र सूचना कार्यालय का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य है। विभिन्न समाचारपत्रों के प्रतिनिधियों को इस प्रकार के विशिष्ट अध्ययन के लिए जल्दी-जल्दी चुनींदा परियोजनाओं पर ले जाया जाता है। भाषायी तथा मझोले और लघु समाचार पत्रों को इन प्रायोजित दौरों में प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

प्रत्यायन

लघु और मझोले समाचारपत्रों को अधिक सुविधाएं देने के लिए प्रत्यापन नियमों में ढील दी गई है। नियमों के अनुसार केवल 5000 से अधिक प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचारपत्र प्रत्यायन के लिए पात्र है। तथापि, लघु समाचारपत्रों की सहायता करने के लिए इस शर्त में ढील दी गई है और

अब दो या अधिक लघु समाचारपत्र मिलकर सांझे संवाददाता के प्रत्यायन की मांग कर सकते हैं नियमों में यह भी व्यवस्था है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बन्धित समाचारपत्रों तथा पहाड़ी या पिछड़े क्षेत्रों या सूचना और संचार की दृष्टि से कम विकसित क्षेत्रों में प्रकाशित होने वाले समाचारपत्रों के प्रति विशेष ध्यान दिया जाए। पत्र सूचना कार्यालय की वितरण सूची में अब बड़ी संख्या में लघु और मझौले समाचारपत्रों के नाम तथा उनकी ओर से प्रत्यायित संवाददाताओं के नाम शामिल हैं।

उपर्युक्त सुविधाएं भाषायी समाचारपत्रों को भी दी जाती हैं।

2. **विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं**

(1) पहले निर्धारित 2,000 प्रतियों की न्यूनतम प्रसार की तुलना में अब 1,000 प्रतियों की न्यूनतम बिक्री प्रसार संख्या वाले समाचार-पत्र सरकारी विज्ञापन पाने के पात्र हो जाते हैं।

(2) पिछड़े, दूरदराज, आदिवासी क्षेत्रों में या आदिवासी भाषाओं में प्रकाशित पत्र/पत्रिकाएं अथवा आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत के पत्र/पत्रिकाएं सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के पात्र हैं जिनका न्यूनतम बिक्री प्रसार संख्या 500 प्रतियां है। यह छूट जम्मू और कश्मीर राज्य से प्रकाशित पत्र/पत्रकाओं के लिए भी उपलब्ध हैं।

(3) चार माह से लगातार प्रकाशित होने वाली पत्र/पत्रकाएं अब सरकारी विज्ञापन पाने की हकदार हैं जबकि इसकी तुलना में पिछली विज्ञापन नीति के, मैं यह सुविधा 6 माह की अवधि वालों को उपलब्ध थी।

(4) साप्ताहिक, पाक्षिक के प्रकाशनों के लिए पात्रता हेतु अपेक्षित मानक प्रिंट क्षेत्र को भी 1260 एस० सी० सी० एम० से कम करके 760 एस० सी० सी० एम० कर दिया गया है और मासिक एवं अन्य प्रकाशनों के लिए 1200 सी० एस० सी० एम० से घटाकर 940 एस० सी० सी० एम० कर दिया गया है। पिछड़े, सीमावर्ती और दूरदराज के क्षेत्रों या आदिवासी क्षेत्रों या से प्रकाशित पत्रों अथवा मुख्यतया आदिवासी पाठकों के लिए अभिप्रेत पत्रों के लिए कोई न्यूनतम प्रिंट क्षेत्र निर्धारित नहीं किया गया है।

(5) 2000 प्रतियों की प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों/पत्रिकाओं को चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने से छूट दे दी गई है।

(6) विज्ञापन दरों के मामले में, विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय छोटे और मझौले समाचारपत्रों को समुचित महत्व देता है।

भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक द्वारा दी गई सुविधाएं (1988-89)

(1) नियमित समाचार पत्र, जिनकी अखबारी कागज के लिए वार्षिक हकदारी 200 मीट्रिक टन है, को शत-प्रतिशत सीमा तक आयातित अखबारी कागज दिए जाने का विकल्प दिया गया है जो सामान्यतया स्वदेशी अखबारी कागज से सस्ता होता है।

(2) छोटे समाचार पत्रों से आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क दिये जाने की अपेक्षा नहीं होती है जो 550 रुपए प्रति मीट्रिक टन की दर से लिया जाता है।

(3) मध्यम श्रेणी के समाचार पत्रों से सीमा शुल्क 550 रुपए प्रति मीट्रिक टन के स्थान पर 275 रुपये प्रति मीट्रिक टन की दर से अदा किए जाने की अपेक्षा होती है।

(4) अखबारी कागज का प्राधिकार तिमाही आधार पर जारी किया जाता है ताकि समाचार पत्रों को भुगतान और भंडारण आदि से संबन्धित कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। परन्तु 50 मीट्रिक टन या इससे कम वार्षिक हकदारी वाले समाचार पत्रों को पूरी मात्रा एक या अधिक किस्तों में लेने का विकल्प दिया जाता है।

(5) आयातित अखबारी कागज का 25 प्रतिशत राज्य व्यापार निगम के बफर स्टाक में दिया जाता है। जिन समाचार पत्रों की वार्षिक हकदारी 50 मीट्रिक टन या इससे कम है, उन्हें पूरी मात्रा या आंशिक मात्रा बफर स्टाक से प्राप्त करने का विकल्प दिया जाता है।

(6) सामान्यतया, किसी समाचार-पत्र के निष्पादन प्रमाण पत्र को सनदी लेखापाल द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की अपेक्षा होती है। परन्तु 2000 प्रतियों या इससे कम प्रसार संख्या वाले समाचार पत्रों को इस अपेक्षा से छूट दी जाती है।

कम्पनियों द्वारा सावधि जमा-राशि का भुगतान

5703. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग ने दिसम्बर, 1988 से विभिन्न कम्पनियों को उनके द्वारा जमाकर्ताओं को रोक रखी गई सावधि जमा राशि का एक निर्धारित अवधि के भीतर भुगतान करने के लिए अनेक अनुदेश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ये कम्पनियां अभी भी इन अनुदेशों का उल्लंघन कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और छोटे जमाकर्ताओं/पूंजीनिवेश करने वाली जनता के हितों की रक्षा करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां। जमाकर्ताओं द्वारा की गई शिकायतों के आधार पर, कुल मिलाकर सम्बन्धित कम्पनियों को अधिकाधिक रूप से परिपक्व होने वाली तारीख के बाद भुगतान न की गई राशियों का वापसी भुगतान करने की सलाह दी गई है।

(ख) इस प्रकार के जमाकर्ताओं तथा कम्पनियों के ब्यौरों का संकलन सम्भवतः प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप न हो।

(ग) और (घ) कुछ कम्पनियों ने जमाराशियों का भुगतान कर दिया है। कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 1988 द्वारा यथा संशोधित कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 58क के संशोधित उपबन्धों में उक्त उपबन्धों को लागू हो जाने के बाद चूककर्ता कम्पनियों के विरुद्ध जमाकर्ताओं के हित की सुरक्षा की व्यवस्था की गई है।

विद्युत उत्पादन क्षमता

5704. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में विभिन्न विद्युत परियोजनाओं की वार्षिक विद्युत उत्पादन क्षमता कुल कितनी है;

(ख) वर्ष 1988-89 के लिये विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) इस वर्ष के दौरान वास्तव में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ;

(घ) क्या विद्युत उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है और यदि हां, तो इसमें कमी आने के क्या कारण है; और

(ङ) वर्ष 1989-90 के लिए विद्युत उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 31-3-1989 की स्थिति के अनुसार देश में विभिन्न परियोजनाओं से बिजली उत्पादन की क्षमता करीब 59092.1 मेगावाट थी।

(ख) से (ग) देश में 1988-89 के दौरान विद्युत ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य 226.5 बिलियन यूनिट था जबकि वास्तविक उपलब्धि 220.9 बिलियन यूनिट की हुई।

(घ) 1988-89 के दौरान वास्तविक बिजली का उत्पादन लक्ष्य से कम था। इसका कारण कम ताप विद्युत उत्पादन, कम प्रणाली मांग विशेषकर कृषि के क्षेत्र में तथा मानसून की अवधि में अच्छी-खासी वर्षा का हो जाना था।

(ङ) वर्ष 1989-90 के लिए निर्धारित विद्युत उत्पादन का लक्ष्य 251.3 बिलियन यूनिट है।

सातवीं योजना में आकाशवाणी का प्रसारण क्षेत्र

5705. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं योजना के अन्त तक पूरे देश में आकाशवाणी द्वारा प्रसारण सुविधा का लाभ पहुंचाने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ख) सातवीं योजना की शेष अवधि के दौरान देश में स्थापित किए जाने वाले आकाशवाणी केन्द्रों का ब्योरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों के चालू हो जाने पर कितने क्षेत्र में प्रसारण सुविधा का लाभ प्राप्त होने की आशा है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी की सातवीं योजना की स्कीमों में, देश की 97.5% जनता तथा 91% क्षेत्र को रेडियो कवरेज प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) देश में स्थापित होने वाले नये रेडियो केन्द्रों का ब्योरा तथा सातवीं योजना के शेष भाग के दौरान वर्तमान ट्रांसमीटरों की शक्ति को बढ़ाए जाने का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) इन परियोजनाओं के चालू हो जाने पर देश की 96% जनता तथा 88% क्षेत्र को रेडियो कवरेज प्राप्त होने की आशा है। इसका कारण है कि सातवीं योजना की कुछ परियोजनाएं आठवीं योजना में शामिल हो जाएंगी।

विवरण

(क) नए रेडियो केन्द्र, जिनके सातवीं योजना के अन्त तक चालू होने की उम्मीद है :

उत्तर क्षेत्र

1. अलवर
2. काठुआ
3. भटिंडा
4. पटियाला
5. बांसवाड़ा
6. झालावाड़
7. नागौर
8. सवाईमाधोपुर
9. कसौली
10. ओबरा

पूर्व क्षेत्र

1. जमशेदपुर
2. बारीपाड़ा
3. जोरहाट
4. पुर्णिया
5. हाफलांग
6. बेलोनिया
7. कैलाशहर
8. मुर्शिदाबाद
9. दोलनगीर
10. सिंहभूमि
11. सासाराम

दक्षिण क्षेत्र

1. वारंगल
2. निजामाबाद
3. चित्रदुर्ग
4. हसन
5. हासपेट
6. कुरनूल
7. कन्नानोर
8. तिरुपति
9. रायचूर
10. अनन्तपुर
11. कोचीन
12. मर्कापुरम
13. मर्कारा

पश्चिम क्षेत्र

1. बीड
2. बेतुल
3. छिंदवाड़ा
4. खंडवा
5. शहडोल
6. शिवपुरी
7. अहमदनगर
8. रायगढ़
9. बालाघाट
10. गोधरा
11. यवतमाल
12. अकोला
13. बिलासपुर
14. धुले
15. सतारा
16. नांदेड़
17. चन्द्रपुर
18. गुना

(ख) मीडियम वेव ट्रांसमीटर, जिनके सातवीं योजना के अन्त तक शक्ति बढ़ाए जाने की उम्मीद है :

	स्टेशन	से	तक
1.	सूरतगढ़	20 किलोवाट	300 किलोवाट
2.	जम्मू	50 किलोवाट	300 किलोवाट
3.	जालंधर	50 किलोवाट	300 किलोवाट
4.	बंगलौर	50 किलोवाट	200 किलोवाट
5.	अहमदाबाद	50 किलोवाट	200 किलोवाट
6.	विजयवाड़ा	20 किलोवाट	100 किलोवाट
7.	जबलपुर	10 किलोवाट	200 किलोवाट
8.	कलकत्ता	50 किलोवाट	100 किलोवाट
9.	जैपोर	20 किलोवाट	100 किलोवाट
10.	वाराणसी	20 किलोवाट	100 किलोवाट

उत्तर प्रदेश में रानीखेत सब-डिवीजन के ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवा

[हिन्दी]

5706. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा जिले के रानीखेत सब-डिवीजन में ग्रामीण क्षेत्रों में "मल्टी एक्सेस रेडियो रिले सिस्टम" के माध्यम से दूरसंचार सेवा में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है,

(ख) यदि हां, तो क्या उपरोक्त प्रस्ताव पर कार्य आरम्भ कर दिया गया है, और

(ग) यदि नहीं, तो उक्त प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। आधारभूत संरचना तैयार होने की स्थिति में है। उपस्करों की सप्लाई अभी शुरू नहीं हो सकी है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय राजसहायता निवेश

5707. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में कुछ उद्योगों को 22 सितम्बर, 1988 से पूंजी निवेश सम्बन्धी केन्द्रीय राज सहायता से वंचित किया गया है जबकि यह योजना 30 दिसम्बर, 1988 तक प्रभावी थी;

(ख) क्या इस सुविधा से उन उद्यमियों को भी वंचित रखा गया है जिन्होंने 22 सितम्बर, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 की अवधि के दौरान पूंजी निवेश किया था और जिन्हें केवल जिला

उद्योग केन्द्रों की स्वीकृति के बाद ही अपनी योजनाओं/विस्तार योजनाओं के लिए वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण उपलब्ध कराया गया था; और

(ग) यदि हां, तो सरकार उन उद्यमियों को केन्द्रीय राज सहायता से वंचित न रखने के लिये क्या कदम उठा रही है जिन्होंने 22 सितम्बर, 1988 से 30 सितम्बर, 1988 तक की अवधि के दौरान पूंजी निवेश किया था ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) सरकार ने 22-9-1988 से गैर उत्पादक कार्यकलापों के लिए केन्द्रीय निवेश राज सहायता समाप्त करने का निर्णय किया है। यह निर्णय देश में औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से लागू है।

उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिलों में पेट्रोल पम्प खोलना

5708. **श्री हरीश रावत** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ नगर में थाल में और पिथौरागढ़ जिले में धारचूला में और अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण कोसी और चौखटिया में पेट्रोल पम्प खोलने के सम्बन्ध में सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हाँ, तो यदि ये पेट्रोल पंप इन जिलों के किन किन स्थानों पर और कब खोले जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) उत्तर प्रदेश में पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा के सिविल जिलों में किये गये सर्वेक्षण के अनुसार थाल और धरचूला नामक दो स्थान खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप खोलने के लिए व्यवहार्य पाये गये। उन दो स्थानों को तेल उद्योग की 1986-87 की वार्षिक विपणन योजना में शामिल किया गया और इन दो डीलरशिपों के लिए चयन का कार्य भी आरम्भ कर दिया गया है।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू० एच० एफ०) टावर्स

5709. **श्री हरीश रावत** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में स्थित अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी (यू० एच० एफ०) टावर्स की क्षमता बढ़ाने का कोई विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसकी क्षमता कब तक बढ़ाई जायेगी ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस समय, मौजूदा यू० एच० एफ० टावर अथवा यू० एच० एफ० प्रणालियां, जो कि अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से काम कर रही है, में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बिजली की वास्तविक मांग और सप्लाई के बीच अन्तराल

[अनुवाद]

5710. **प्रो० के० वी० थामस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिजली की वास्तविक मांग और सप्लाई के बीच अन्तराल बढ़ रहा है क्योंकि परियोजनायें निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्वीकृति प्राप्त अनेक विद्युत परियोजनायें या तो समय पर शुरू नहीं हुई हैं अथवा कार्यक्रमानुसार पीछे चल रही है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण इन परियोजनाओं की लागत में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है; और

(घ) देश में बिजली की स्थिति सुधारने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं। बिजली की मांग एवं आपूर्ति के बीच अन्तराल कम हुआ है। यह 1987-88 के 10.9% की तुलना में 1989-90 में घटकर 7.7% हो गई है और आशा की जाती है कि 1989-90 में यह घटकर 6.8% हो जाएगी। यह निर्धारित कार्यक्रम से भी पीछे नहीं है, क्योंकि सातवीं योजना के लिए निर्धारित 22,245 मेगावाट क्षमता के लक्ष्य के प्राप्त हो जाने की प्रत्याशा है।

(ख) और (ग) विद्युत परियोजनाओं को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति दे दिए जाने के बाद कई अन्य पहलू परियोजना के अन्तिम रूप से शुरू होने में निर्णायक होते हैं जैसे ईंधन एवं जल जैसे विभिन्न निवेश, पर्यावरणीय एवं वन्य दृष्टि से स्वीकृतियां प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड एवं राष्ट्रीय विमान पत्तन प्राधिकरण से स्वीकृतियां, राज्य सरकार द्वारा निधि का आबंटन, अन्तर्राज्यीय विवादों का समाधान एवं जल का बंटवारा। इसलिए, के० वि० प्रा० द्वारा परियोजना को दी गई स्वीकृति की तिथि से परियोजना को दी गई स्वीकृति की तिथि से परियोजना-कार्यान्वयन में विलम्ब देखना और परिणामतः इस प्रकार के विलम्ब को लागत वृद्धि का कारण मानना उचित नहीं है।

(घ) देश में बिजली की स्थिति में सुधार लाने के लिए किए गए उपायों में से कुछ इस प्रकार हैं : आठवीं योजनावधि के दौरान करीब 38,000 मेगावाट उत्पादन क्षमता को जोड़ना, प्रतिष्ठापित क्षमता का ईष्टतम समुपयोजन करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण पारेषण एवं वितरण हानियों में कमी करना, कार्य कुशल भार प्रबन्ध एवं ऊर्जा संरक्षण।

बंगलौर शहर में सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (बूथ)

5711. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर टेलीफोन विभाग द्वारा बंगलौर शहर में कितने नये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों (बूथ) की खरीद की गई है,

(ख) इन नए केन्द्रों (बूथ) को खरीदने के लिए कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) प्रत्येक केन्द्र (बूथ) की लागत कितनी है,

(घ) ये सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र (बूथ) किस कंपनी द्वारा सप्लाई किए गए, और

(ङ) क्या इनके लिए निविदाएं मंगाई गई थीं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1988 89 के दौरान बंगलौर टेलीफोन ने !4 नये पी०सी०ओ० बूथ खरीदे हैं।

(ख) और (ग) इन पी०सी० ओ० बूथ प्राप्त करने में लगभग, 73,700 रु० व्यय हुए हैं। तीन अन्य मॉडल भी प्राप्त किए गये हैं जिन पर क्रमश: 4271 रु० 9600 रु० और 12858 रु० की लागत आई है।

(घ) और (ङ) ये बूथ मैसर्स टेक्नो इंडस्ट्रियल कंपोनेन्ट्स, बंगलूर तथा क्राफ्ट्समेन इंजीनियरी कोयम्बटूर से टेण्डर और कोटेशन आमन्त्रित करके मंगाए गए हैं।

बंगलौर में मारुति कारों और जीपों के लिए पंजीकरण

5712. **श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर शहर में मारुति कारों और जीपों के लिए कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किए गए हैं;

(ख) दिनांक 31 जनवरी, 1989 तक कितने पंजीकृत व्यक्तियों को मारुति कारों और जीपों के लिए स्वीकृति दे दी गई;

(ग) दिनांक 31 जनवरी, 1989 तक प्रतीक्षासूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज थे; और

(घ) प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को कब तक मारुति कारों और जीपों की स्वीकृति मिल जाएगी ?

उद्योग मंत्री (श्री जी० वेंगलराव) : (क) बंगलौर शहर में मारुति 800 और जिप्सी के लिए प्राप्त बुकिंग की कुल संख्या (नेट आफ कैंसीलेशन्स) निम्न प्रकार है :

	कुल संख्या
मारुति-800 (1986 बुकिंग)	5,512
जिप्सी-(1985 बुकिंग)	137

(ख) और)ग) बंगलौर शहर में मारुति-800 के लिए जनवरी, 1989 के अन्त तक डिलिवरी के लिए बुकिंग रिलीज की संख्या और लंबित बुकिंग की संख्या निम्न प्रकार है :

	बुकिंग रिलीज की कुल संख्या	लंबित बुकिंग की कुल संख्या
मारुति-800 (1986 बुकिंग)	3,225	2,287

जिप्सी के लिए 1985 में प्राप्त सभी बुकिंग को रिलीज कर दिया गया है।

(घ) मारुति-800 की प्रतीक्षा सूची मार्च, 1990 तक पूरी की जाने की आशा है।

बंगलौर में विवेकानन्द नगर और केम्रीगुप्पा में डाकघर खोलना

5713. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में विवेकानन्द नगर और केम्रीगुप्पा में डाकघर नहीं है;

(ख) क्या सरकार का निकट भविष्य में इन स्थानों में नये डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) केम्रीगुप्पा में एक डाकघर है परन्तु विवेकानन्द नगर में कोई डाकघर नहीं है।

(ख) और (ग) विवेकानन्द नगर में डाकघर खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यहां के डाक परियात में पर्याप्त विकास नहीं हुआ है।

कर्नाटक में एच० एम० टी० घड़ी का एकक स्थापित करना

5714. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 के दौरान कुल कितनी एच० एम० टी० घड़ियों का निर्माण किया गया ;

(ख) वर्ष 1987-88 के दौरान गैर-सरकारी क्षेत्र में घड़ियों का कुल उत्पादन कितना हुआ;

(ग) देश में प्रतिवर्ष घड़ियों की कितनी मांग है; और

(घ) क्या कर्नाटक में एच० एम० टी० घड़ी का एक नया एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) एच० एम० टी० ने 1987-88 में 49·41 लाख घड़ियों का निर्माण किया।

(ख) निजी क्षेत्र में 1·63 मिलियन घड़ियों का उत्पादन था, जिसमें लघु उद्योग क्षेत्र का उत्पादन शामिल नहीं है।

(ग) देश में घड़ियों की अनुमानित वार्षिक मांग लगभग 12·15 मिलियन नग है।

(घ) जी, नहीं।

महानगरों और राज्यों की राजधानियों में रसोई गैस के कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची

5715. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक महानगर और राज्य की राजधानी में रसोई गैस के कनेक्शनों के आबंटन हेतु 1 जनवरी, 1989 को प्रतीक्षा सूचियों में कितने व्यक्तियों के नाम थे; और

(ख) इन प्रतीक्षा सूचियों के सभी व्यक्तियों को उक्त गैस कनेक्शन कब तक दे दिए जाने की सम्भावना है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) महानगरों तथा राज्यों की राजधानियों सहित पूरे देश में तेल उद्योग द्वारा उपभोक्ताओं के नामांकन के अपने वार्षिक कार्यक्रम के अन्तर्गत चरणबद्ध रूप से नये कनेक्शन जारी करने का काम किया जाता है बशर्ते कि एल० पी० जी० की उपलब्धता में वृद्धि हो।

विवरण

क्रम सं०	राज्यों-संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियां/महानगरों	प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों की अनुमानित संख्या (1-1-89 को)
1.	बम्बई	0·665
2.	कलकत्ता	1·481
3.	दिल्ली	4·588
4.	मद्रास	0·832
5.	हैदराबाद	0·197
6.	इटानगर	0·001
7.	दिसपुर	0·074
8.	पटना	0·139
9.	पणजी	0·039
10.	गांधीनगर/अहमदाबाद	0·179
11.	चंडीगढ़	0·438
12.	शिमला	0·007
13.	श्रीनगर	0·059
14.	जम्मू	0·068
15.	बंगलूर	0·390
16.	त्रिवेन्द्रम	0·039
17.	भोपाल	0·107
18.	इम्फाल	0·027
19.	शिलांग	0·015
20.	आइजोल	0·026
21.	कोहिमा	0·009
22.	भुवनेश्वर	0·028

1	2	3
23.	जयपुर	0·830
24.	गंगटोक	0·010
25.	अगरतला	0·067
26.	लखनऊ	0·419
27.	पोर्टब्लेयर	0·004
28.	सिल्वासा	0·009
29.	दमन	0·031
30.	लक्षद्वीप	0·000
31.	पांडिचेरी	0·030

ट्रंक कालों की बुकिंग

5716. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ट्रंक कॉलों की बुकिंग में भारी हानि हो रही है;

(ख) क्या इसकी नियमित रूप से जांच और पर्यवेक्षण नहीं किया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस बारे में क्या सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) एस० टी० डी० नेटवर्क के विस्तार के बावजूद भी ट्रंक कॉलों से राजस्व में बढ़ोत्तरी हुई है जैसाकि निम्नलिखित आंकड़ों से देखा जा सकता है :

वर्ष	राजस्व
1986-87	300.65 करोड़
1987-88	390.09 करोड़
4/88 से 12/88 तक	322.20 करोड़

(ख) सभी स्तरों पर नियमित जांच तथा निगरानी रखी जाती है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

मारुति कारों के उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य

5717. श्री भद्रेश्वर तांती : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग लिमिटेड ने प्रति वर्ष एक लाख कारों के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए कितने कलपुर्जों का आयात किया जायेगा;

(ग) क्या स्थापित किये गये अतिरिक्त एककों के स्वदेशीकरण के बारे में कोई निर्णय लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड की परियोजना रिपोर्ट में 1988-89 तक प्रतिवर्ष एक लाख वाहन की उत्पादन क्षमता की परिकल्पना की गई है जिसमें 95.3% सकल स्वदेशी हिस्से पुर्जे होंगे। मारुति उद्योग लिमिटेड 1988-89 ने 105547 वाहन के उत्पादन स्तर को प्राप्त कर लिया है।

(ग) और (घ) मारुति उद्योग लिमिटेड स्वदेशी आटो-कम्पोनेन्ट इण्डस्ट्री की क्षमता के अनुसार प्रगामी स्वदेशीकरण के लिए एक चरणबद्ध निर्माण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। कार के बारे में 31-3-1689 तक प्राप्त सकल स्वदेशीकरण स्तर 86.23% है जिसके मार्च, 1991 तक बढ़कर 99% हो जाने की योजना है।

कागज उद्योग में माइक्रो प्रोसेसर नियन्त्रण प्रणाली लागू करना

5718. **श्री महेश्वर तांती** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज उद्योग में उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोप्रोसेसर नियन्त्रण प्रणाली लागू की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रणाली को लागू करने के बाद कितना उत्पादन बढ़ा है; और

(ग) कागज उद्योग में इस प्रणाली के लागू करने से पूर्व और बाद में कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) देश की कुछ कागज मिलें माइक्रो-प्रोसेसर नियंत्रित प्रणालियों की स्थापना करने के बारे में सोच रही हैं जो गुणवत्ता नियंत्रण और उत्पादकता प्रक्रिया के सुधार के लिए ऑन-लाइन नियामक साधन हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

फर्रुखाबाद (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन सेवा

5719. **श्री खुर्शीद आलम खां** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फर्रुखाबाद शहर (उत्तर प्रदेश) में टेलीफोन सेवा असंतोषजनक होने के बारे में अनेक शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) फर्रुखाबाद में टेलीफोन सेवाओं के बारे में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) उनके सुधार के लिए आवश्यक कार्यवाही की गयी है। फर्रुखाबाद स्थित मौजूदा मैनुअल टेलीफोन एक्सचेंज के स्थान पर आठवीं योजना के दौरान आई० सी० पी० क्रासबार टाइप का एक आटोमैटिक स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।

खाना पकाने की गैस की वितरण एजेंसियों का आवंटन

5720. **श्री सोमजी भाई डामर :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इंडियन आयल कारपोरेशन, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा 1 जनवरी, 1987 से अब तक स्थापित की गई खाना पकाने की गैस वितरण एजेंसियों के आवंटन की संख्या का कम्पनीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी गैस एजेंसियों द्वारा कितने ग्राहकों को गैस की सप्लाई की जाती है;

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासियों के व्यक्तियों को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा आवंटित की गई गैस एजेंसियों को खाना पकाने की गैस के कितने कनेक्शन दिए गए हैं;

(घ) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा स्थापित की गई अधिकतर गैस एजेंसियां घाटे में चल रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) 1-1-87 से 31-12-88 तक स्थापित किए गए एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

आई० ओ० सी०	—	235
एच० पी० सी०	—	138
बी० पी० सी०	—	103
	जोड़	476

(ख) इस प्रकार की सूचना इकट्ठी करने में लगने वाले प्रयास वांछित उद्देश्य की पूर्ति के अनुरूप नहीं होंगे ।

(ग) आदिवासियों को "अनुसूचित जाति" श्रेणी के अन्तर्गत शामिल किया जाता है । उपर्युक्त अवधि के दौरान बी० पी० सी० और एच० पी० सी० द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के एल० पी० जी० वितरकों को अलाट किए गये एल० पी० जी० कनेक्शनों की संख्या क्रमश: 22839 और 38229 है ।

(घ) वितरण केन्द्रों की व्यवहार्यता अनेक बातों पर निर्भर करती है जैसे शोरूम की लागत/गोदाम के लिए भूमि की लागत, गोदाम के निर्माण की लागत, अन्य आधार-भूत लागतें, मजदूरी आदि । एक बार एल० पी० जी० वितरण केन्द्र के चालू होने के बाद यह लगभग 3-4 वर्षों में व्यवहार्य स्तर तक पहुंचता है ।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

महाराष्ट्र में जयगढ़ में पेट्रो-रसायन परियोजना

5721. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में जयगढ़ में प्रस्तावित पेट्रो-रसायन परियोजना के सम्बन्ध में स्थानीय लोगों से कोई आपत्तिपत्र प्राप्त हुए हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रदूषण तथा पर्यावरण सम्बन्धी उत्तर प्रभावों के बारे में उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

महाराष्ट्र में जयगढ़ में पेट्रो रसायन कम्प्लैक्स

5722. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में जयगढ़ में पेट्रो रसायन परियोजना हेतु कुल कितने भू-क्षेत्र की आवश्यकता है;

(ख) इससे प्रभावित परिवारों को पुनर्वास के लिए क्या प्रस्ताव है; और

(ग) इस परियोजना से रोजगार की क्या संभावनाएं हैं और प्रभावित परिवारों को वरीयता के आधार पर परियोजना में रोजगार देने के लिए क्या प्रावधान किए गये हैं ?

उद्योग मन्त्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा-समय सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

दूरदर्शन कार्यक्रमों का आयोजन

5723. **श्री हुसैन दलवाई** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दूरदर्शन पर, सरकार द्वारा नियंत्रित समारोहों और कार्यक्रमों तथा अन्य मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए समय के आबंटन में असमानता बरती जाती हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और दूरदर्शन द्वारा कार्यक्रमों के बेहतर आयोजन के लिए क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी नहीं। दूरदर्शन पर समय का आबंटन, घटनाओं, यथा-सूचना, शिक्षा और मनोरंजन की दृष्टि से उनके महत्व और सार्थकता पर निर्भर करता है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में टेलीफोन कनेक्शन

5724. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के विदिशा, गंज बसौदा, सिहोर, सिरोंज, रायसेन और भोपाल शहरों में नये टेलीफोन कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में काफी व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) यदि हां, तो इन स्थानों पर नये टेलीफोन कनेक्शन देने के मामले में विलम्ब किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उक्त नगरों में नये टेलीफोन कनेक्शनों की मौजूदा मांग को कब तक पूरा किया जा सकेगा?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां। सिरोंज एक्सचेंज को छोड़कर जहां कोई प्रतीक्षा सूची नहीं है।

(ख) सातवीं योजना के लक्ष्य के अनुसार टेलीफोन प्रदान किये जा रहे हैं, जिसमें सातवीं योजना (31-3-90) तक बड़े आकार के एक्सचेंज के मामले में 1-4-87 तक पंजीकृत औसत टेलीफोन मांग के आधार पर और "मध्यम आकार" एक्सचेंजों के मामले में 1-4-88 तक तथा छोटे आकार के एक्सचेंजों के मामले में अधिकांशत: मांग के अनुसार टेलीफोन प्रदान किए जाने हैं बशर्ते कि सम्बन्धित उपस्कर उपलब्ध हों।

(ग) निम्नलिखित शहरों की वर्तमान मांग को उनके सामने दर्शाये गए वर्ष में पूरा कर दिए जाने की संभावना है :

क्रम सं०	नाम	वर्ष
1.	विदिशा	1993-94
2.	गंज बसोदा	1990-91
3.	सीहोर	1990-91
4.	रायसेन	1989-90
5.	भोपाल	1992-93

मध्य प्रदेश में नए टेलीफोन इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंजों की स्थापना

5725. **श्री प्रताप भानु शर्मा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश में नये इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने का क्या लक्ष्य रखा गया था;

(ख) इनमें से कितने एक्सचेंज कहां-कहां स्थापित किये गए हैं तथा कितनों ने कार्य करना आरम्भ कर दिया है; और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान नये एक्सचेंजों की स्थापना का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) वर्ष 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश में इक्कीस इलैक्ट्रोनिक एक्सचेंज स्थापित करने की योजना थी।

(ख) बीस एक्सचेंज स्थापित किये जा चुके हैं, सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) वर्ष 1989-90 में सैंतीस नये टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का प्रस्ताव है, बशर्ते कि एक्सचेंज उपस्कर उपलब्ध हों।

विवरण

वर्ष 1988-89 के दौरान मध्य प्रदेश में स्थापित टेलीफोन एक्सचेंजों की सूची

1.	खारगोन	600 लाइन एन. ई. ए. एक्स
2.	दतिया	400 लाइन एन. ई. ए. एक्स
3.	रीवा	1200 लाइन एन. ई. ए. एक्स
4.	सिधी	400 लाइन एन. ई. ए. एक्स
5.	जगदलपुर	800 लाइन एन. ई. ए. एक्स
6.	छिंदवाड़ा	1000 लाइन एन. ई. ए. एक्स
7.	झबुआ	400 लाइन एन. ई. ए. एक्स
8.	भोपाल	600 आर. एल. यू.

सी-डॉट 128 पोर्ट आर. ए. एक्स.

9.	बोहसिया
10.	मिसरोद
11.	अदमपुर
12.	सानवेर
13.	चन्नाटोरीया
14.	कुमहारी
15.	उलोकलहन
16.	जतवारा
17.	सरमौ
18.	मालनपुर
19.	मलाजखंड
20.	संघई

बड़ौदा, गुजरात में पाइप लाइन के माध्यम से गैस की सप्लाई

5726. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़ :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में बड़ौदा नगर निगम से घरेलू उपयोग के लिए पाइपलाइन के माध्यम से गैस आबंटित करने और सप्लाई की गई प्राकृतिक गैस के मूल्यों में कमी करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है; और

(ग) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) बड़ौदा नगर निगम ने घरेलू गैस की सप्लाई करने के लिए प्रतिदिन 30,000-40,000 घन मीटर गैस के सम्बन्ध में अतिरिक्त वचन देने और 1400 रुपए प्रति हजार घन मीटर के स्थान पर 500 रुपए प्रति हजार घन मीटर की रियायती दर पर गैस देने के बारे में अनुरोध किया है।

(ग) सरकार द्वारा इसकी जांच की गई और इसे सम्भव नहीं पाया गया।

राज्यों को कच्चे तेल और गैस की रायल्टी का भुगतान

5727. **श्री रणजीत सिंह गायकवाड़** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न तेल उत्पादक राज्यों की सम्बन्धित राज्यों से तेल और प्राकृतिक गैस के उत्पादन पर किस दर पर रायल्टी का भुगतान किया जाता है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : फिलहाल रायल्टी की दर कच्चे तेल पर 192 रुपये प्रतिटन तथा वैल-हैड पर प्राप्त प्राकृतिक गैस के मूल्य का 10 प्रतिशत है। यह दर पूरे देश में लागू है।

हिंदी का प्रयोग

[हिन्दी]

5728. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए वर्ष 1989-90 के लिए उनके मंत्रालय ने क्या कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में स्थित कार्यालयों में कितने प्रतिशत कार्य हिन्दी में करने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए वार्षिक कार्यक्रम राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है और केन्द्रीय सरकार के विभिन्न कार्यालयों में हिन्दी में किए जाने वाले प्रस्तावित कार्य का प्रतिशत भी उक्त विभाग द्वारा ही निर्धारित किया जाता है, जो अन्य बातों के साथ-साथ पत्राचार के मामले में इस प्रकार है—"क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों विभागों से "क" तथा "ख" क्षेत्रों में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के मामले में 90 प्रतिशत "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों आदि से "क" और "ख" क्षेत्र के केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्र आदि के लिए 100 प्रतिशत, और "क" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों से "ग" क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों को भेजे जाने वाले पत्रादि के लिए-10 प्रतिशत तथा "क" और "ख" क्षेत्रों में स्थित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के किसी भी कार्यालय या किसी व्यक्ति को भेजे जाने वाले पत्रादि के लिए-100 प्रतिशत, इसके अतिरिक्त हिन्दी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर अनिवार्य रूप से हिन्दी में ही दिया जाना होता है। ये प्रतिशत उस कार्य के अलावा हैं जिसे अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में या केवल हिन्दी में किया जाना होता है। इन मार्गनिर्देशों का इस मंत्रालय में तथा बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान में स्थित कार्यालयों में अनुपालन करने का प्रस्ताव है।

बिहार में दूरसंचार और डाक सेवा का विस्तार

5729. **श्री कुंवर राम** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार के पटना, गया नवादा और नालन्दा जिलों में वर्ष 1989-90 के दौरान कार्यान्वित की जा रही दूरसंचार और डाक सेवाओं के विस्तार की नयी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस अवधि के दौरान चालू परियोजनाओं में से कितनी परियोजनाओं को पूरा कर लिया जाएगा; और

(ग) उ से क्या लाभ प्राप्त होगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

अनुबन्ध

दूरसंचार विभाग

(क) 1989-90 के दौरान कार्यान्वित की जाने वाली परियोजनाओं का विस्तार

—पटना में 6000 लाइनों और पाटिलीपुत्र में 1800 लाइनों के एक्सचेंज के स्थान पर 10,000 लाइनों का ई-10 बी० एक्सचेंज लगाना।

—पटना के टेलेक्स एक्सचेंज को एस० पी० सी० इलैक्ट्रानिक टेलेक्स द्वारा एक एक करके बदलना।

—राजेन्द्र नगर टेलीफोन एक्सचेंज (पटना) का 9,000 से 10,000 लाइनों तक विस्तार।

—गया और बोध गया के बीच इन्टरडायलिंग।

—नवादा जिले के वारसेली गंज, हिसुआ और रजौली के बीच ग्रुप डायलिंग

—बिहार शरीफ एक्सचेंज (नालंदा) का 800 से 1000 लाइनों तक विस्तार

—राजगीर और नालंदा स्थित एम० ए० एक्स०-III के स्थान पर सी-डॉट एक्सचेंज लगाना

(ख) इस अवधि के दौरान जिन चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है उनकी संख्या।

पटना में 7000 लाइनों का ई-10 बी० तथा पाटिलीपुत्र में 3000 लाइनों का आर० एल० यू० एक्सचेंज।

(ग) इन परियोजनाओं से होने वाला लाभ

इन परियोजनाओं के चालू होने के साथ-साथ नये उपभोक्ताओं को दूरसंचार सेवाएं प्रदान का जाएंगी तथा आधुनिक तकनीकी का समावेश किये जाने के कारण वर्तमान दूरसंचार सेवाओं में सुधार होगा।

डाक विभाग

(क) 989-90 के दौरान लागू की जाने वाली परियोजनाओं का विस्तार

16 नये डाकघरों को मंजूरी दे दी गई है। ये डाकघर निम्नलिखित ग्रामों के लिए हैं :—

गया जिला : चरोखरीगढ़, हेमरा, ऐरा, माझीवान और सिलौंज।

पटना जिला : मलिकापुर, हुलासी टोला, नसरतपुर और कोशरी

नवादा जिला : मरारा

नालंदा जिला : भटगांव, गोरा बागर, सुहावनपुर, अम्बा, बेलछी और बालतपाड़ा।

(ख) इस अवधि के दौरान जिन चालू परियोजनाओं के पूरा हो जाने की संभावना है, उनकी संख्या

जिन डाकघरों की मंजूरी दी गई है उनके अप्रैल-जून, 89 की पहली तिमाही के दौरान खोले जाने की संभावना है।

(ग) इन परियोजनाओं से होने वाले लाभ

16 नये डाकघरों के खुल जाने के साथ ही इन जिलों की डाक सेवाओं में और सुधार होगा।

सोडा ऐश की मांग :

[अनुवाद]

5730. **श्री अनन्त प्रसाद सेठी :**

श्री एच. बी. पाटिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र की सोडा ऐश की क्या मांग थी,

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र की इस कुल मांग में सोडियम सिलिकेट और डिटरजेन्ट निर्माताओं, धोबियों और घरेलू सहकारी समितियों की अनुमानित खपत कितनी है, और

(ग) वर्ष 1989-90 के दौरान सोडा ऐश की मांग में अनुमानतः कितनी वृद्धि हुई है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास के विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम. अरुणाचलम) : (क) वर्ष 1987-88 और 1988-89 में सोडा ऐश की कुल अनुमानित मांग क्रमशः 12.00 और 13.20 लाख मी. टन थी। इसमें लघु क्षेत्र का शेयर लगभग 35 प्रतिशत था।

(ख) लघु क्षेत्र में सोडा ऐश के कुल उपभोग में सोडियम सिलिकेट व डिटर्जेंट उद्योग की खपत 70% से अधिक बनती है। धोबियों और औद्योगिक सहकारी समितियों के अलग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) 1989-90 में सोडा ऐश की मांग पिछले वर्ष की तुलना में 10% अधिक होने का अनुमान है।

आटोमोबाइल कल पुर्जा उद्योग का विकास

5731. **श्री विजय एन. पाटिल :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार का सशक्त और गुणवत्तोन्मुख आटोमोबाइल कल पुर्जा उद्योग को विकसित करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है,

(ख) इस क्षेत्र में कितने गैर सरकारी और सरकारी उपक्रम कार्य संलग्न हैं; और

(ग) स्वदेशी कल पुर्जा उद्योग को क्या क्या प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री(श्री एम. अरुणाचलम) : (क) से (ग) आटोमोबाइल कल-पुर्जा उद्योग गुणवत्ता तथा मात्रा दोनों की दृष्टि से वाहन क्षेत्र की आवश्यकता को कुल मिलाकर पूरा करता रहा है। देश में नये किस्म के वाहन शुरू हो जाने के कारण सरकार ने आटो कल पुर्जा उद्योग को अपनी प्रौद्योगिकी का उन्नयन व आधुनिकीकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इस प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा आटो कल पुर्जा उद्योग को लाइसेंस मुक्त करने, ब्राड-बैंडिंग, प्रौद्योगिकी का उदार आयात, राजकोषीय रियायतों, औजारों, डाइयों, जिग्स व फिक्सचर आदि के आयात शुल्क में कमी करने सहित अनेक उपाय किए गए हैं;

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में कोई स्वतंत्र आटोमोबाइल कल-पुर्जा एकक नहीं है। निजी क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में लगभग 250 एकक हैं जो आटो कल पुर्जा उद्योग कार्य में लगे हुए हैं।

दूरदर्शन नेटवर्क पर क्षेत्रीय भाषाओं में शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम

5732. **श्री विजय एन. पाटिल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दूरदर्शन नेटवर्क पर एक विशेष चैनल द्वारा राष्ट्रव्यापी शिक्षा संबंधी कार्यक्रमों के प्रसारण की योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कार्यक्रमों के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई गई है; और

(ग) ऐसे कार्यक्रम कब से प्रसारित किए जाएंगे ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल भगत) : (क) जी, नहीं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दूरदर्शन नेटवर्क के एक विशेष चैनल पर ऐसे कार्यक्रम टेलीकास्ट करने कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु राष्ट्रीय नेटवर्क तथा विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों से राष्ट्रीय एकता पर जोर देते हुए शैक्षिक कार्यक्रमों को नियमित रूप से टेलीकास्ट किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

कर्नाटक में ग्रामीण विद्युतीकरण योजना

5733. **श्री जी० एस० बासवराजू :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो कर्नाटक में कुल कितने गांवों का विद्युतीकरण किया जायेगा और

(ग) इसके लिये कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने मार्च, 1989 के अन्त तक कर्नाटक बिजली बोर्ड के लिए 225 स्कीमों की स्वीकृति दी है। जिनमें 206 60 करोड़ रुपये की ऋण सहायता निहित है। इन स्कीमों के अन्तर्गत 8537 गांवों के विद्युतीकरण और 3.86 लाख पम्पसेटों के अर्जन की परिकल्पना की गई है।

राष्ट्रीय पनबिजली निगम द्वारा ज्वारीय बिजली का विकास

5734. **श्री जी० एस० बासवराजू** :
श्री शान्ति लाल पटेल : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पनबिजली निगम देश में ज्वारीय बिजली विकास के क्षेत्र में प्रवेश करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम ने केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण से इन परियोजनाओं के लिए तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए कार्यवाही आरम्भ कर दी है;

(ग) क्या इस बारे में कोई ठोस प्रस्ताव तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अभी भी तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दी जानी है।

पंजाब में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना

5735. **श्री कमल चौधरी** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पंजाब में गैस पर आधारित उद्योगों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या उपाय किए गए हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) इस समय पंजाब में प्राकृतिक गैस उपलब्ध नहीं है। अत: उस राज्य में गैस-आधारित उद्योगों की स्थापना का प्रश्न नहीं उठता।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराए पर लिए गए अपतट सहायक जलपोतों के लिए किराया

5736. **श्री सतीश चंद्र सिन्हा** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किराये पर लिए गए भारतीय अपतट सहायक जलपोतों का उतना ही किराया दिया जाता है, जो विदेशी जलपोतों को दिया जाता है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

(ग) काम पर लगाए गए अपतट सहायक जलपोतों का ब्यौरा क्या है और देशी तथा विदेशी जलपोतों दोनों का प्रतिदिन किराया किस दर से दिया जाता है; और

(घ) भारतीय जलपोतों को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1984 में तत्कालीन महानिदेशक नौवहन की अध्यक्षता में गठित कार्यदल की रिपोर्ट में निहित पद्धति की शर्तों के अनुसार भारतीय झण्डे वाले जहाजों की चार्टर दरें निर्धारित की गई थीं। इस व्यवस्था को और तीन वर्षों तक बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में ओ.एन.जी.सी. के विचार की सरकार द्वारा जांच किए जाने तक ओ० एन० जी० सी० द्वारा उन जहाजों के लिए अंतरित दर दी जा रही है जिनकी अवधि उक्त पद्धति के अनुसार निर्धारित की गई दर संबंधी पांच वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है : विदेशी झण्डे वाले जहाजों को ओ० एन० जी० सी० के खुले टेण्डर में उनके द्वारा दी गई दरों पर अदायगी की जा रही है।

(ग) इस समय ओ. एन. जी. सी. ने चार्टर दरों पर भारतीय कम्पनियों के 25 जहाजों को लिया हुआ है इनकी दरें 25,000 रुपये से लेकर 65,800 रुपए प्रतिदिन हैं। काम पर लगाए गए विदेशी झण्डे वाले जहाज की दर 19,142 रुपए प्रतिदिन है।

(घ) तेल क्षेत्र सेवा क्षेत्र में आने की इच्छुक देशीय कम्पनियों को विदेशी बोली दाताओं के मुकाबले निर्यात लाभ मानकर कीमत में वरीयता देने जैसे विभिन्न प्रोत्साहन दिए जाते हैं।

केरल में त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यक्रमों के अन्तर्गत लाए गए जिले

5737. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के किन-किन जिलों में त्रिवेन्द्रम दूरदर्शन के क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण अभी भी नहीं होता है;

(ख) इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन जिलों में क्षेत्रीय कार्यक्रमों का प्रसारण कब से किए जाने की संभावना है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) केरल के कुल 14 जिलों में से 11 जिले इस समय त्रिवेन्द्रम, कोचीन और कालीकट के दूरदर्शन ट्रांसमीटरों द्वारा रिले होने वाली प्रादेशिक दूरदर्शन सेवा से पूर्णतः या अंशतः कवर होते हैं। सातवीं योजना के भाग के रूप में, कालीकट के मौजूदा अल्पशक्ति (100 वाट) दूरदर्शन ट्रांसमीटर की उच्च शक्ति (10 किलोवाट) ट्रांसमीटर से बदलने का कार्यक्रम है। इस परियोजना के चालू हो जाने पर केरल के दो और जिलों को पर्याप्त रूप से प्रादेशिक सेवा नेटवर्क के अन्तर्गत लाए जाने की उम्मीद है। चार जिलों में पहले से ही उपलब्ध सेवा में भी सुधार होने की उम्मीद है।

विद्युत परियोजनाओं की क्षमता बढ़ाने के लिए योजना आवंटन

5738. **श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ताप, जल और परमाणु ऊर्जा की संस्थापित क्षमता बढ़ाने के लिए सातवीं योजना अवधि के दौरान इनके लिए पृथक-पृथक कितनी धनराशि आवंटित की गई;

(ख) यदि कोई अतिरिक्त आवंटन किया गया, तो उसका ब्योरा क्या है; और

(ग) उन प्रमुख विद्युत परियोजनाओं का ब्योरा क्या है जो सातवीं योजना अवधि में पूरी हो गई है और जो योजना अवधि के अन्त तक पूरी होनी शेष है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) सातवीं योजना में विद्युत उत्पादन स्कीमों हेतु स्वीकृत परिव्यय 21302·63 करोड़ रुपये है जिसका अलग-अलग विवरण निम्नानुसार है :

	(करोड़ रुपये)
राज्य	13,254·67
केन्द्र	7,993·04
संघ शासित क्षेत्र	54·92
	21,302·63

फिर भी ताप विद्युत, जल विद्युत और न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन स्कीमों हेतु परिव्यय अलग-अलग नहीं दर्शाया गया था।

(ख) योजना आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार सातवीं योजना के दौरान विद्युत उत्पादन स्कीमों हेतु लगभग 6500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होगी।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 22,245 मेगावाट क्षमता को चालू करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें से लगभग 16,700 मेगावाट क्षमता को 31 मार्च, 1989 तक चालू/रोल किया जा चुका है। आशा की जाती है कि चालू वित्त वर्ष (1989-90) में शेष क्षमता को चालू किया जाना सम्भव होगा।

टायर के मूल्य

5739. **श्री सनत कुमार मंडल :**

डा० बी० एल० शैलेश :

श्री कमल नाथ : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो ने यह सिफारिश की है कि वह मोटर वाहनों के टायरों के मूल्य निर्धारित किए जाने को नियन्त्रित करें, और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो ने आटोमोटिव टायर उद्योग (फेज-II अध्ययन) संबंधी अपनी रिपोर्ट में 100% के कुल शुल्क पर खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत टायरों और ट्यूबों के आयात की सुविधा देने की सिफारिश की है। सरकार ने इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है और उपभोक्ताओं के विशेष वर्गों के लिए शुल्क की घटी दरों पर ट्रक और बस टायरों के विशिष्ट श्रेणियों के टायरों के आयात का पहले से ही खुले सामान्य लाइसेंस के अन्तर्गत रख दिया गया है।

दिल्ली में पेट्रोल पम्पों और रसोई गैस एजेंसियों का आवंटन

[हिन्दी]

5740. **श्री गंगाराम** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली में विभिन्न पेट्रोलियम कम्पनियों द्वारा कम्पनीवार कितनी पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(ख) इन पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियों में से कितने प्रतिशत अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को आबंटित किए गए हैं;

(ग) दिल्ली में, अब तक प्रत्येक पेट्रोलियम कम्पनी द्वारा आरक्षण के आधार पर कितने व्यक्तियों को पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के व्यक्तियों को जो आबंटन किया गया है वह निर्धारित कोटे से कम है;

(ङ) यदि हां, तो क्या भविष्य में खोली जाने वाली पेट्रोल पम्प और गैस एजेंसियां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को आबंटित की जाएंगी; और

(च) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) 31-3-1989 तक दिल्ली में तेल कंपनियों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों को दिये गये खुदरा बिक्री केन्द्रों (पेट्रोल/डीजल) की डीलरशिपों तथा एल० पी० जी० वितरण केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है :

	खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिपें			एल पी जी वितरण केन्द्र		
	जोड़	अ०ज०/ज०जा०	प्रतिशतता	जोड़	अ० ज०/ज०जा०	प्रतिशतता
आई ओ सी	83	3	3·61	137	13	9 48
बी पी सी	2	—	—	34	14	41·17
एच पी सी	1	--	—	18	—	—
आई बी पी	1	—	—	—	—	—
	87	3	3·44	189	27	14·28

(घ) और (ङ) 23-9-1977 से तेल कंपनियों द्वारा लागू किए गए एक समान दिशा निर्देशों के अनुसार सभी डीलरशिपों/वितरण केन्द्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के लिए 25% आरक्षण रहा है। इसे डीलरशिपों/वितरण केन्द्रों के लिए सभी वार्षिक विपणन योजनाओं में कायम रखा जा रहा है।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मैसर्स कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड की लाइसेंस शुदा क्षमता

[अनुवाद]

5741. **श्री कमला प्रसाद सिंह :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित टूथपेस्ट एवं टूथ पाउडर का उत्पादन करने के लिए मैसर्स कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड की स्वीकृत लाइसेंस शुदा क्षमता कितनी है,

(ख) क्या कोलगेट पामोलिव (इंडिया) लिमिटेड लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक मात्रा में उत्पादन करता आ रहा है,

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) मै० कोलगेट पामोलिव (इण्डिया) लि० की टूथ पाउडर तथा टूथ पेस्ट की लाइसेंस प्राप्त क्षमता इस प्रकार है—

टूथ पाउडर		771 मी० टन/वार्षिक
टूथ पेस्ट		
(क) मिलाना	85,000 (पाउण्ड)	एकल पारी के आधार पर
(ख) भरना	1,30,000 दर्जन	

टूथ पेस्ट की मिलाने की क्षमता को कुछ शर्तों के अधीन तीन पारियों के आधार पर 15,50,000 कि० ग्राम वार्षिक माना गया है।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) कम्पनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की है तथा सरकार को उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से रोकने के लिए स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया है। अतः मामला न्यायाधीन है।

पश्चिम बंगाल में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

5742. **डा० फूलरेणु गुहा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में जिलावार टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्ति शामिल हैं; और

(ख) प्रतीक्षा सूची में शामिल व्यक्तियों को कब तक टेलीफोन कनेक्शन मिल जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों के अनुसार, कलकत्ता महानगर जिले से 30-9-86 तक, पश्चिमी बंगाल के विस्तृत क्षमता वाले एक्सचेंज क्षेत्रों से 1-4-87 तक और सातवीं योजना अवधि के अन्त में 1-4-88 तक माध्यम आकार एक्सचेंज क्षेत्रों की औसत पंजीकृत मांग को पूरा करने का प्रस्ताव है। आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान शेष प्रतीक्षा सूची का निपटान चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा।

विवरण

1-3-1989 की स्थिति के अनुसार पश्चिमी बंगाल में जिलेवार प्रतीक्षा सूची

क्रम संख्या	जिले का नाम	प्रतीक्षा सूची
1.	बांकुरा	133
2.	बीरभूम	415
3.	बर्दवान	2451
4.	कूच बिहार	131
5.	दार्जिलिंग	827
6.	हावड़ा	84
7.	हुगली	354
8.	जलपाईगुड़ी	198
9.	माल्दा	34
10.	मुर्शिदाबाद	202
11.	मिदनापुर	856
12.	नादिया	132
13.	पुरुलिया	153
14.	24 परगना	37
15.	पश्चिम दीनजपुर	152
16.	कलकत्ता टेलीफोन जिला	30855

(हावड़ा, हुगली और 24 परगना जिलों के भागों सहित।)

नोएडा में डाक वितरण

5743. श्री कमल चौधरी : क्या संचार मंत्री नोएडा में डाक वितरण के बारे में 15 नवम्बर, 1988 के अतारांकित प्रश्न संख्या 642 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नोएडा काम्प्लेक्स डाकघर में काम निपटाने और डाक वितरण में सुधार लाने के लिए कितने अतिरिक्त पद मंजूर किए गए हैं;

(ख) क्या अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नोएडा के सेक्टर 37 में नया डाक वितरण उप-कार्यालय स्थापित किया गया है और इसने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस समय नोएडा के प्रत्येक सेक्टर में डाक समय पर नियमित रूप से प्रतिदिन वितरित की जाती है और डाक वितरण में होने वाले विलम्ब में कमी आई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) मंजूर किए गए अतिरिक्त पदों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) जी हां।

(ग) जी हां।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

नोएडा कम्प्लैक्स डाकघर (सेक्टर-2) और सेक्टर-37 के लिए स्वीकृत अतिरिक्त पदों को दर्शाने वाला विवरण।

पदों का विवरण	मौजूदा नोएडा कम्प्लेक्स (सेक्टर-2) डाकघर के लिए विस्तार	पदों का विवरण	सेक्टर-37 में नए वितरण डाकघर के लिए
एल एस जी डाक सहायक	1	एल एस जी डाक सहायक	1
समयमान डाक सहायक	8	समयमान डाक सहायक	6
विभागीय स्टैंप वेंडर	2	विभागीय स्टैंप वेंडर	1
सॉर्टिंग पोस्टमैन	2	सार्टिंग पोस्टमैन	2
ग्रुप 'घ' (2 विभागीय तार वाहकों सहित)	3	ग्रुप "घ"	1
पोस्टमैन	7	पोस्टमैन	8
कुल	23 पद		19 पद

मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत परियोजना

5744. श्री महेन्द्रसिंह : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार को ग्वालियर, गुना, झाबुआ और राजगढ़ प्रत्येक शहर में राज्य से गुजरने वाली हाजिरा विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन से प्राप्त गैस पर आधारित 450 मेगावाट की क्षमता वाली चार विद्युत परियोजनाएं स्थापित करने हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार को कोई आश्वासन दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और उक्त प्रस्तावों पर कब तक मंजूरी दिए जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को मध्य प्रदेश में गैस पर आधारित विद्युत केन्द्र स्थापित करने हेतु निम्नलिखित स्कीमें प्राप्त हुई हैं :

क्र०सं०	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)
1.	ग्वालियर गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ताप विद्युत केन्द्र	3×100 मे.वा. जी.टी. +1×150 मे.वा. एस.टी.	420·30
2.	झाबुआ गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ताप विद्युत केन्द्र	3×100 मे.वा. जी.टी. +1×150 मे.वा. एस.टी.	428·40
3.	राजगढ़ गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ताप विद्युत केन्द्र	3×100 मे.वा. जी.टी. +1×150 मे.वा. एस.टी	432·90
4.	गुना गैस टर्बाइन संयुक्त साइकल ताप विद्युत केन्द्र	3×100 मे.वा. जी.टी +1×150 मे.वा. एस.टी.	414·00

ईंधन लिंकेज सुनिश्चित कर लिए जाने, अपेक्षित निवेश सुनिश्चित कर लिए जाने और राज्य सरकार से आवश्यक स्वीकृतियां प्राप्त कर लिए जाने के बाद ही तकनीकी आर्थिक स्वीकृति/पूंजी निवेश संबंधी निर्णयों हेतु प्रस्ताव पर आगे कार्यवाही की जा सकेगी।

मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखानों की स्थापना

5745. श्री महेन्द्रसिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाने स्थापित करने पर विचार कर रहा है;

(ख) क्या भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तकनीकी दल ने इस परियोजना को

स्थापित करने के लिए नरसिंहपुर, होशंगाबाद और खंडवा जिलों में विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त) : (क) से (ग) आठवीं योजना के गठन के लिए पहले ही एक कार्यदल बनाया गया है जो देश में अतिरिक्त शोधन क्षमता के सृजन के लिए उचित सिफारिशें करेगा।

आरम्भिक कार्य करवाने के लिए सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विचार के लिए मध्य भारत में एक नई रिफाइनरी के लिए अध्ययन करने के वास्ते भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड से अनुरोध किया है।

भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के तकनीकी दल ने अनेक स्थानों का निरीक्षण किया है और निम्नलिखित संभावनापूर्ण स्थानों के बारे में सुझाव दिया है :

(1) हरदा—खिड़किया, जिला होशंगाबाद

(2) रामपुरी—खेरखेड़ा, खण्डवा के पास जिला पूर्वी निमार

(3) बगसपुर, जिला नरसिंहपुर।

विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर जिनमें कच्चे तेल की उपलब्धता, उस क्षेत्र में उत्पादों की मांग और पूर्ति में अन्तर तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट आदि शामिल है, रिफाइनरी के लिए वास्तविक स्थान संबंधी निर्णय लिया जाएगा।

तलचेर, उड़ीसा में ऐश ताल परियोजना का निर्माण

5746. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में तलचेर स्थित ताप विद्युत संयंत्र ने संयंत्र द्वारा मुक्त की गई ऐश और भूरभरान एकत्र करने के लिये ऐश ताल निर्मित कराने के लिये कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस ऐश ताल के निर्माण में क्या प्रगति हुई है;

(ग) ऐश ताल का निर्माण कब तक पूरा हो जायेगा; और

(घ) इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बक्रेश्वर ताप विद्युत संयंत्र को सहायता

5747. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या ऊर्जा मन्त्री बक्रेश्वर ताप विद्युत परियोजना के बारे में 23 अगस्त, 1988 के अतारांकित प्रश्न सं० 3858 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या सरकार बक्रेश्वर ताप विद्युत संयंत्र के निर्माण के मामले में पश्चिम बंगाल सरकार को द्विपक्षीय विदेशी सहायता देने पर सहमत हो गई है; और

(ख) यदि हाँ, तो उसकी वर्तमान अवस्था क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) इस समय सामान्य नीति यह है कि सरकार से सरकार के बीच द्विपक्षीय विदेशी सहायता केवल केन्द्रीय क्षेत्र की विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ही उपयोग की जा सकती है। पश्चिम बंगाल सरकार को स्थिति स्पष्ट कर दी गई थी, जिसने सूचित किया है कि बक्रेश्वर परियोजना को राज्य क्षेत्र में क्रियान्वयन हेतु हाथ में लिया जाना है।

बिहार के गांवों में विद्युतीकरण

5748. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अब तक राज्यवार कितने गांवों में बिजली लगाई गई है और वर्ष 1989-90 में कितने गांवों में बिजली लगाई जायेगी;

(ख) इस अवधि में बिहार के प्रत्येक जिले में कितने गांवों में बिजली लगी;

(ग) विभिन्न राज्यों में अतिरिक्त गांवों, राज्य में विभिन्न जिलों और जिले में विभिन्न ब्लाकों के चयन हेतु क्या मानदण्ड हैं; और

(घ) बिहार के पूर्णिया जिले में किन ग्राम पंचायत क्षेत्रों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) 28.2.1989 तक विद्युतीकृत तथा 1989-90 के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण-1 संलग्न है।

(ख) और (ग) बिहार में 31.3.1988 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांवों की जिले-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण-2 संलग्न है। जिले-वार एवं ब्लाक-वार लक्ष्यों का निर्धारण राज्य बिजली बोर्डों द्वारा उन्हें प्रदान की गई प्राथमिकता के आधार पर राज्य स्तर किया जाता है।

(घ) ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण से संबंधित आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

विवरण-1

क्रम. सं.	राज्य	28.2.89 तक विद्युतीकृत गांवों की संख्या	1989-90 के दौरान विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	26760	650
2.	अरुणाचल प्रदेश	1124	135
3.	असम	18516	1703
4.	बिहार	42898	2300
5.	गोवा	377	40
6.	गुजरात	17892	।

1	2	3	4
7.	हरियाणा	6745	—
8.	हिमाचल प्रदेश	16778	|
9.	जम्मू और कश्मीर	6056	100
10.	कर्नाटक	26429	30
11.	केरल	1219	|
12.	मध्य प्रदेश	54941	2700
13.	महाराष्ट्र	38797	150
14.	मणीपुर	1008	250
15.	मेघालय	1834	230
16.	मिजोरम	279	65
17.	नागालैण्ड	1097	—
18.	उड़ीसा	28903	785
19.	पंजाब	12342	—
20.	राजस्थान	24201	1010
21.	सिक्किम	330	38
22.	तमिलनाडु	15811	—
23.	त्रिपुरा	2429	160
24.	उत्तर प्रदेश	78044	2365
25.	पश्चिम बंगाल	24373	1560
जोड़ (राज्य)		449183	14231
जोड़ (संघ शासित क्षेत्र)		1084	—
जोड़ (अखिल भारत)		450267	14231

विवरण-2

क्रम सं०	जिला	31.3.1989 की स्थिति के अनुसार विद्युतीकृत गांव
1.	पटना	1357*
2.	नालन्दा	1013*
3.	गया	2758
4.	जहानाबाद	
5.	नवादा	927
6.	औरंगाबाद	1559
7.	भोजपुर	1278
8.	रोहतास	2218
9.	रांची	1183
10.	लाहरडागा	260
11.	पालम	1195
12.	सिंघभूम	1587
13.	गुमला	485
14.	हजारीबाग	1344
15.	गिरिडिह	988
16.	धनबाद	697
17.	भागलपुर	1593
18.	मुंगेर	1582
19.	दिओगार	950
20.	दूमका	888
21.	गोड्डा	540
22.	साहबगंज	676
23.	मुजफ्फरपुर	1286
24.	सितामढी	739
25.	वैशाली	1171

1	2	3
26.	पूर्वी चंपारन	897
27.	पश्चिमी चंपारन	832
28.	सरन	1257
29.	गोपालगंज	933
30.	सिवान	902
31.	दरभंगा	1020
32.	मधुबनी	995
33.	समस्तीपुर	1157*
34.	बेगूसराय	835*
35.	सहारसा	785
36.	मधेपुरा	345
37.	पूर्णी	1228
38.	कटिहार	682
39.	खगारिया	277*
	राज्य योजना के अन्तर्गत (रा० बि० बोर्ड द्वारा निर्धारण किया जा रहा है)	87

* नोट : गैर आबादी वाले गांव भी सम्मिलित हैं।

आठवीं योजना में कोयले का उत्पादन

5749. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले के उत्पादन की मात्रा का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्योरा क्या है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रस्तावित नीतियों का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) और **(ख)** आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के लिए कोयले के उत्पादन की आवश्यकता पर आधारित प्रक्षेपण अभी निर्धारित किया जाना है। अस्थायी

तौर पर यह अनुमान लगाया गया है कि कोयले के उत्पादन को आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान लगभग 50% तक बढ़ाना होगा।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना की अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निवेश समस्वीकृतियों के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट परियोजना प्रस्तावों को निष्पादित किया जाना आवश्यक है। पहले से ही स्वीकृत काफी परियोजनाओं में कोयले का उत्पादन आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में शुरू हो जाने की संभावना है और इस तरह अतिरिक्त उत्पादन की आवश्यकताओं को मदद मिलेगी।

सिक्किम में भू-ताप क्षमता का मूल्यांकन

5750. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिक्किम में भू-ताप क्षमता के आकलन के लिए कोई खोज कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का सिक्किम में विद्युत पैदा करने के लिए भू-ताप ऊर्जा का उपयोग करने सम्बन्धी प्रौद्योगिकी विकसित करने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार सिक्किम में विद्युत उत्पादन के लिए भूतापीय संभाव्यता अधिक नहीं है और इसलिए यह प्राथमिकता प्राप्त नहीं करती।

पूर्वी क्षेत्र में उच्च शक्ति के ट्रांसमीटर

5751. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी क्षेत्र में उच्च शक्ति के राज्यवार कितने दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन ट्रांसमीटरों के कार्यकरण का सामयिक मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1987-88 के दौरान और 31 मार्च, 1989 तक किए गए ऐसे मूल्यांकनों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) भविष्य में पूर्वी क्षेत्र में ट्रांसमीटरों के प्रभावशाली ढंग से कार्य को सुनिश्चित करने सम्बन्धी कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) देश में पूर्वी क्षेत्र में इस समय 17 उच्च शक्ति टी० वी० ट्रांसमीटर कार्य कर रहे हैं। इसका

राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

असम	—	3
बिहार	—	3
मेघालय	—	1
मणिपुर	—	1
नागालैंड	—	1
उड़ीसा	—	2
त्रिपुरा	—	1

पश्चिम बंगाल- 5 (जिसमें एक द्वितीय चैनल ट्रांसमीटर शामिल है)

(ख) और (ग) जी, हां। अन्य सभी जोनों की तरह, पूर्वी क्षेत्र में उच्च शक्ति ट्रांसमीटर संतोषजनक रूप से कार्य कर रहे बताए गए हैं। इन ट्रांसमीटरों के कार्य के आवधिक मूल्यांकन के आधार पर रेकार्ड किए गए वर्ष 1987, 1988 और 1989 (फरवरी तक) के दौरान विद्युत आपूर्ति बंद हो जाने, गीयर टूट जाने तथा अन्य कारणों की वजह से पूरी प्रसारण अवधि की तुलना में सेवा में आए व्यवधान के प्रतिशत का राज्यवार ब्यौरा निम्नलिखित है :—

राज्य	व्यवधान का प्रतिशत		
	1987	1988	1989 (फरवरी तक)
असम	0.16	0.45	0.18
बिहार	0.40	0.27	0.09
मेघालय	—	—	0.22
मणिपुर	0.23	0.58	0.29
नागालैंड	0.15	0.97	0.88
उड़ीसा	0.49	0.42	0.17
त्रिपुरा	2.05	1.24	1.06
पश्चिम बंगाल	0.64	0.58	0.50

(घ) आमतौर पर, नियमित निवारक अनुरक्षण, आवधिक विवरण तथा विभिन्न स्तरों पर निरीक्षणों के जरिये ट्रांसमीटरों के कार्य निष्पादन की उच्चतम कार्यकुशलता की निगरानी की जाती है।

सिक्किम में टेलीफोन टेलेक्स कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

5752. **श्रीमती डी० के० भंडारी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गंगटोक में 15 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में कितने व्यक्तियों ने नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदन किया है;

(ख) सिक्किम में 15 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार श्रेणी-वार कितने कनेक्शन जारी किए गए;

(ग) वर्ष 1989 के दौरान श्रेणी-वार कितने टेलीफोन कनेक्शन दिए जाने का विचार है;

(घ) क्या सरकार का सिक्किम में टेलेक्स एक्सचेंज की विद्यमान क्षमता को बढ़ाने का विचार है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) दिनांक 15 मार्च, 1989 की स्थिति के अनुसार सिक्किम में टेलेक्स कनेक्शन के लिए कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किये गये?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) 15-3-1989 की स्थिति के अनुसार गंगटोक में ओ. वाई.. टी के अन्तर्गत 36, विशेष कोटि के 17 और सामान्य कोटि में 138 आवेदनों के नाम पंजीकृत थे। 11-4-88 से 15-3-89 की अवधि के दौरान ओ० वाई० टी० कोटि के अंतर्गत 18 विशेष कोटि के 10 और सामान्य कोटि में 15 टेलीफोन कनेक्शन जारी किए गए। 31-3-1989 तक एक्सचेंज के विस्तार द्वारा उपरोक्त प्रतीक्षा सूची में से ओ० वाई० टी० कोटि के अंतर्गत 26 विशेष कोटि के 12 और सामान्य कोटि में 26 और कनेक्शन जारी किए गए। इस वर्ष के दौरान ओ० वाई० टी० और विशेष कोटि की प्रतीक्षा सूची संपूर्ण रूप से तथा सामान्य आवेदकों की प्रतीक्षा सूची में से अधिकांश को निपटा देने की संभावना है।

(घ) और (ङ) जी हां। गंगटोक और कलकत्ता के बीच अन्य 24 चैनल एफ.एम.वी.एफ.टी. प्रणाली के संस्थापन द्वारा गंगटोक के नोशनल तेलेक्स एक्सचेंज के विस्तार करने का प्रस्ताव है।

(च) 15.3.1989 की स्थिति के अनुसार गंगटोक में टेलेक्स कनेक्शन के लिए 8 नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज थे।

सिक्किम में टेलीफोन व्यवस्था के कार्य निष्पादन में सुधार करना

5753. **श्रीमती डी० के० भंडारी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और गंगटोक के बीच सीधे डायल करने तथा एक्सचेंज के माध्यम से डायल करने की व्यवस्था आमतौर पर खराब रहती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने सिक्किम में बेहतर संचार व्यवस्था हेतु टेलीफोन व्यवस्था के कार्य-निष्पादन में सुधार करने संबंधी अभियान के अन्तर्गत कतिपय उपाय किये थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन उपायों से सिक्किम टेलीफोन व्यवस्था के कार्य निष्पादन में कोई सुधार आया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) नई दिल्ली और गंगटोक के बीच एस० टी० डी० और मैनुअल टेलीफोन सेवाएं सामान्यतः संतोषप्रद हैं। मौसम के कारण माइक्रोवेव सर्किटों में व्यवधान आ जाने के फलस्वरूप कभी-कभी समस्यायें आ जाती हैं।

(ग) जी हां।

(घ) पुराने घिसे-पिटे और अक्सर खराब होने वाले उपकरणों को बदलने के लिए दूरसंचार विभाग ने मिशन बेहतर संचार के अंतर्गत पहले से ही एक अभियान चला रखा है। सिक्किम में टेलीफोन नेटवर्क के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं :

— पुराने टेलीफोन उपकरण बदलना,

— कमजोर ड्रॉप वायर बदलना।

— अक्सर होने वाले भूमिगत केबिलों को बदलना

— उपभोक्ताओं की फिटिंग और वितरण प्वाइंट में सुधार करना

(ङ) जी, हां।

(च) अप्रैल, 1986 में मिशन-बेहतर संचार के प्रारंभ होने से सिक्किम में दूरसंचार सेवाओं की गुणता में सार्थक रूप से सुधार हुआ है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है :

कार्य-निष्पादन मानदण्ड	स्थिति	
	मार्च, 86	मार्च, 89
स्थानीय सफल काल दर	80%	97%
एस. टी. डी. सफल काल दर	55%	71%
प्रतिमाह प्रति 100 स्थान टेलीफोन दोष दर	36	14
मैनुअल ट्रंक दक्षता	65%	79%

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड पर कर

5754. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड पर कर लगाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इन दो संगठनों की कुल आय पर लगाये जाने वाले प्रस्तावित कर का ब्यौरा क्या है और इससे सरकार को कितनी प्राप्ति होगी;

(ग) इस कर राशि का किस विधि से उपयोग किया जायेगा; और

(घ) सरकार यह किस तरह से सुनिश्चित करेगी कि इस कर से जनता पर अतिरिक्त भार न पड़े ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी हां। सरकार ने वित्त

मंत्रालय के राजस्व विभाग और व्यय विभाग से परामर्श करने के बाद महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड पर कर लगाया है। भारत सरकार के दूरसंचार क्षेत्र में भारत के महानगरों और अन्य बड़े शहरों तथा कस्बों की दूरसंचार प्रणाली ही फालतू राजस्व अर्जित करती है जिसका उपयोग ग्रामीण दूरसंचार के विकास और अन्य नेटवर्क विकास मे धन लगाने के लिए किये जाता है। चूंकि महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और विदेश संचार निगम लिमिटेड 1.4.86 से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हो गए हैं इसलिए दोनों संगटनों पर कर लगाने का यह निर्णय लिया गया है ताकि दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए विभाग के संसाधनों में वृद्धि की जा सके।

(ख) वित्तीय वर्ष 1987-88 के दौरान दूरसंचार सेवाओं पर प्रभार लगाकर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर उसके कुल अर्जित राजस्व पर 7 प्रतिशए का कर लगाया गया है। विदेश संचार निगम लिमिटेड के संबंध में 1987-88 के लिए यह कर 18 प्रतिशत था। उसी आधार पर वर्ष 1988-89 के लिए अस्थायी तौर पर महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर 7 प्रतिशत कर लगाने का निर्णय लिया गया है।

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड पर लगाए गए कर के फलस्वरूप अर्जित राशि इस प्रकार है :—

वर्ष 1987-88 के लिए	49.29 करोड़ रुपये
वर्ष 1988-89 के लिए	69.00 करोड़ रुपये

विदेश संचार निगम लिमिटेड के संबंध में वर्ष 1987-88 के लिए यह राशि 48 करोड़ रुपये (लगभग) है।

(ग) दोनों संगठनों से प्राप्त कर राशि का दूरसंचार विभाग द्वारा दूरसंचार नेटवर्क के विकास के लिए संसाधनों के बतौर उपयोग किया जाएगा।

(घ) न तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और न ही विदेश संचार निगम लिमिटेड के पास विभिन्न दूरसंचार सेवाओं की दरों में संशोधन करने की शक्ति है। दरों में संशोधन आम तौर पर, इसका औचित्य होने और ऐसा आवश्यक समझा जाने पर, प्रचालन की लागत सहित विभिन्न मुद्दों पर ध्यान रखते हुए, दूरसंचार विभाग द्वारा किया जाता है।

तमिलनाडु में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची

5755. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कोयम्बटूर, तिरुपुर सुलूर और पल्लाडाम में टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतीक्षा सूची में कितने व्यक्तियों के नाम दर्ज हैं;

(ख) इन स्थानों पर प्रति माह कितने व्यक्तियों को टेलीफोन कनेक्शन दिये जा रहे हैं;

(ग) इन स्थानों पर प्रति माह औसतन कितने व्यक्तियों के नाम टेलीफोन कनेक्शन के लिए पंजीकृत होते हैं और

(घ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इन स्थानों पर सामान्य श्रेणी के आवेदकों को टेलीफोन कनेक्शन दो वर्ष के अन्दर मिल जायें ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) प्रतीक्षा सूची नीचे दी जा रही है :—

1.	कोयम्बटूर	—	8049
2.	तिरूपुर	—	3306
3.	सुलूर	—	17[illegible]
4.	पल्लाडाम	—	124

(ख) प्रतीक्षा सूची को केवल एक मुश्त कनेक्शन देते समय अर्थात् उपर्युक्त एक्सचेंजों के चरणबद्ध तरीके से विस्तार के दौरान निपटाया जाता है ।

(ग) प्रत्येक माह इन स्थानों पर नये पंजीकरण की औसत सं० नीचे दी रही है ।

कोयम्बटूर	—	200
तिरूपुर	—	55
सुलूर	—	9
पल्लाडाम	—	4

(घ) संसाधनों की कमी के कारण यह निश्चित करना कठिन है कि सामान्य श्रेणी के सभी आवेदकों को दो वर्ष के भीतर कनेक्शन मिल ही जाएंगे। फिर भी एक्सचेंजों का निम्नलिखित विस्तार करने की योजना बनाई गई है ।

कोयम्बटूर : (i) पीलामेडू एम० ए० एक्स-I एक्सचेंज का वर्ष 1989-90 के दौरान 900 से 1500 लाइनों में विस्तार

(ii) वर्ष 1990-91 के दौरान 9500 लाइनों को क्षमता का ई-10 बी एक्सचेंज स्थापित करके कोयम्बटूर एक्सचेंज का विस्तार

तिरूपुर : तिरूपुर एक्सचेंज का वर्ष 1989-90 के दौरान 8,000 से 10,000 लाइनों में विस्तार

सुलूर : सुलूर एम०ए०एक्स०-II का वर्ष 1989-90 के दौरान 400 से 500 लाइनों में विस्तार ।

पल्लाडाम : पल्लाडाम एम० ए० एक्स-II का वर्ष 1989-90 के दौरान 400 से 500 लाइनों में विस्तार ।

तमिलनाडु में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज

5756. **श्री सी० के० कुप्पुस्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर, तिरूपुर और इरोड शहरों में इलेक्ट्रानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है और तथा इन नये इलेक्ट्रानिक एक्सचेंजों में कब तक कार्य आरम्भ हो जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है तथा इसे कब तक अन्तिम रूप दिया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) (1) कोयम्बतूर में 1990-91 तक 10,000 लाइनों का एक्सचेंज लगाये जाने का प्रस्ताव।

(2) तिरूपुर में 4000 लाइनें।

तथा

(3) इरोड में 7000 लाइनों के एक्सचेंज आठवीं योजना के दौरान लगाए जाने की योजना है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

दूरसंचार सेवाओं के स्तर में सुधार

5757. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार सेवाओं के स्तर का दर्जा बढ़ाने के लिये कोई उपाय किये हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार सेवाओं का दर्जा कब तक बढ़ाया जायेगा; और

(घ) उक्त लक्ष्य की प्राप्ति के लिए महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड द्वारा किए गये उपायों का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 1989-90 के दौरान 45 करोड़ रुपये तथा आठवीं योजना अवधि के दौरान महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड में दूरसंचार सेवाओं का उन्नयन करने के लिये 400 करोड़ रुपये निवेश किये जाने का प्रस्ताव है।

(ग) वित्तीय संसाधनों एवं सामग्री के उपलब्ध हो जाने पर सेवाओं का उन्नयन वर्ष 1995 तक किये जाने की आशा है।

(घ) इस सम्बन्ध में निम्नलिखित उपाय किये गए हैं :

(1) डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंजों की संस्थापना

(2) बटन दबाने वाले टेलीफोन उपकरणों की शुरूआत

(3) पुराने और जर्जर टेलीफोन एक्सचेंजों के स्थान पर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज लगाना और बाह्य संयंत्र का उन्नयन करना।

(4) जेली फील्ड केबिलों और केबिल डक्टों का प्रयोग

(5) जंक्शनों के लिए उच्च श्रेणी की मध्यम पी० सी० एम० और ऑप्टिकल फाइबर प्रणाली का प्रयोग करना।

(6) दोष ठीक करने, केबिल रिकार्डों और उपभोक्ता रिकार्डों आदि के लिए कम्प्यूटर संबंधी सहायता का उच्च स्तर पर प्रयोग करना।

लघु सीमेंट संयंत्रों में संकट

5758. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंहराज वाडियर** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक में "वर्टिकल शाफ्ट किल्न टैक्नोलोजी" का प्रयोग करने वाले लघु सीमेंट संयंत्र संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार ने उसके कारणों का पता लगाया है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन लघु सीमेंट संयंत्रों में से कुछ संयंत्र बन्द होने की स्थिति में है; और

(ङ) यदि हां, तो उन संयंत्रों को अपने कार्य निष्पादन में सुधार लाने तथा उन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए सहायता देने हेतु क्या उपाय किये गये है?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) कर्नाटक वी० एस० के० सीमेंट संयन्त्र संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कर्नाटक राज्य में टी० वी० के० एस० सीमेंट सयन्त्रों के समक्ष उत्पन्न समस्याओं का उल्लेख किया गया है। संघ ने विभिन्न राजस्व/वित्तीय प्रोत्साहनों की मांग की है।

वी० एस० के० लघु सीमेंट संयन्त्रों की आर्थिक जीव्यता में सुधार लाने के लिए, फैक्टरियों द्वारा वर्टीकल शॉफ्ट किलन का प्रयोग करते हुए तथा 200 मी० टन प्रतिदिन से कम कुल लाइसेंस प्राप्त क्षमता वाले उत्पादित सीमेंट के लिए 215 रु० प्रति मी० टन सामान्य उत्पाद शुल्क दर की तुलना में 1 मार्च, 1989 से 115 रु० प्रति मी० टन की एक रियायती दर निर्धारित की गई है।

केरल में टेलीफोन एक्सचेंजों का विस्तार

5759. **श्री टी० बशीर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में वेंजारमूद किलीमनूर और अटिंगल टेलीफोन एक्सचेंजों के विस्तार और विकास करने तथा एस० टी० डी० सुविधा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए है अथवा उठाने का प्रस्ताव है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) वेंजार मूद में 200 लाइनों के विस्तार का प्रस्ताव है। किलीमनूर एक्सचेंज के विस्तार का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है। अटिंगल एक्सचेंज का 31-3-1989 को 400 से 600 लाइनों में विस्तार कर दिया गया है। आगे और 100 लाइनों (600 से 700) का 1990-91 तक विस्तार करने का प्रस्ताव है। अटिंगल एक्सचेंजों को पहले ही एन० एस० डी०/आई० एस० डी० सुविधा प्रदान कर दी गई है। किलीमनूर और वेंजार मूद को एन० एस० डी०/आई० एस० डी० सुविधा प्रदान करने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) वर्ष 1989-91 के लिए बेंगलूर एक्सचेंज को इलैक्ट्रोनिक एम० ए० एक्स की 200 लाइनें आबंटित की गई हैं और इन्हें आठवीं योजना की प्रारम्भिक अवधि में स्थापित किये जाने की संभावना है। सिलीगुड़ी एक्सचेंज का इस समय विस्तार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। अटिंगल एक्सचेंज का आठवीं योजना अवधि के प्रारम्भिक चरण में विस्तार किये जाने की संभावना है।

विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी समझौते

5760. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी फर्मों के साथ तकनीकी समझौता करने की अनुमति देने के बारे में सरकार की क्या नीति है;

(ख) विदेशी फुट वीयर कम्पनियों के साथ अब तक किये गये तकनीकी समझौता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) लघु उद्योग क्षेत्र के स्वदेशी जूता निर्माता उद्योग पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी समझौते करने की अनुमति देने के लिए सरकार की नीति राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर आधारित है जिसमें घरेलू बाजारों के साथ-साथ निर्यात हेतु प्रौद्योगिकी का सामान्य उन्नयन शामिल है ताकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारी प्रतिस्पर्द्धा में सुधार किया जा सके।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान फुटवीयर क्षेत्र में स्वीकृत किए गये तकनीकी समझौतों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ग) लघु क्षेत्र में जूतों का निर्माण करने वाले स्वदेशी उद्योगों पर इस प्रकार के समझौतों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है, क्योंकि संगठित क्षेत्र के लैदर फुटवीयर एककों पर न्यूनतम 75 प्रतिशत निर्यात दायित्व की शर्त है। गैर लैदर फुटवीयर लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित नहीं है। इसके अलावा लघु एकक भी विदेशी कम्पनियों के साथ तकनीकी समझौतों का लाभ उठा सकते हैं।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान तकनीकी विदेशी सहयोग के लिए दी गयी स्वीकृतियों के ब्यौरे

क्रम सं०	कम्पनी का नाम	विनिर्माण की वस्तु	सहयोगकर्ता का नाम
1	2	3	4
		(चमड़े पर आधारित)	
1.	मै० फैशन स्पोर्ट्स इंडिया (प्रा०) लि०, बम्बई	जूते-चप्पल तथा चमड़े की अन्य वस्तुएं	मै० प्लेब्वाए इन्टरप्राइजिज इन्क० अमरीका
2.	मै० नानावति इण्डस्ट्रियल फुटवीयर एन्टरप्राइजिज (प्रा०) लि०: बम्बई	चमड़े के जूतों के ऊपरी हिस्से/जूते	मै० कॉम ट्रेडिंग कं० लि०, दक्षिण कोरिया

1	2	3	4
3.	मै० कृष्ण कौशल लेदर इन्डस्ट्रीज लिमिटेड	चमड़े के फुटवीयर	मै० इटलमैशीन प्लांट्स एस० पी० ए०, मिलानो (इटली) तथा मै० इटल-मैशीन इन्टरनेशनल, एस० ए० स्विटजरलैंड।
4.	मै० ताज ट्रेडर्स एण्ड ट्रांस-पोर्ट कं० लि०	चमड़े के जूते	मै० एच० डब्ल्यू० एस० सोहलेनफैब्रिक जी० एम० बी० एच० तथा मै० एम० एम० आ ई० जी० पी० एम० बी० एच० पश्चिम जर्मनी।
5.	मै० इन्डो-स्विस शू कं० लिमिटेड	चमड़े के फुटवीयर	मै० पीटर हबर एण्ड आई० फरमन, स्विट्जरलैंड (वित्तीय) तथा टैक्नो लीनिया एस० आर० एल०, इटली (तकनीकी)
6.	मै० सिमको लि०	चमड़े के जूतों के ऊपरी हिस्से	मै० टैक्सटिया आफ जी० डी० आर०
7.	मै० लारसन एण्ड टुब्रो लि०	चमड़े के जूते	मै० ह्यूमैनिक स्यूहफैब्रिक जी० एम० बी० एच०, आस्ट्रेलिया (यह मामला 1984 में स्वीकृत किए गए सहयोग में सहयोग-कर्त्ता बदलने का है।
	चमड़े से भिन्न वस्तु पर आधारित		
8.	मै० बाटा इंडिया लि०	रबड़ तथा कैनवस के खेल-कूद व विशेष प्रयोग के जूते	मै० आदिदास (पश्चिम जर्मनी)
9.	मै० करोना लि०	रबड़ तथा कैनवस के खेल-कूद व विशेष प्रयोग के जूते,	मै० प्यूमा रूडोल्फ डैसलर स्पोर्ट (प्यूमा), पश्चिमी जर्मनी।

शनिवार को दूरदर्शन पर फीचर फिल्मों का दिखाया जाना

5761. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुरुवार के बजाए शनिवार को सायंकाल दूरदर्शन पर फीचर फिल्में दिखाने का विचार है, ताकि अधिक दर्शक उसका लाभ उठा सकें;

(ख) यदि हां, तो यह परिवर्तन कब से लागू होगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली और इससे संबद्ध ट्रांसमीटरों द्वारा गुरुवार की सायं फीचर फिल्म टेलीकास्ट करने के लिए मौजूदा स्लाट को विभिन्न कार्यक्रम आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझा जाता है।

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों में हानि

5762. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कम्पनी को कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड को कुल कितनी हानि हुई;

(ग) क्या कुछ सहायक कम्पनियों को लगातार हुई हानि के कारणों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी यूनिटों के प्रबन्ध दल और उत्पादन को युक्तिसंगत बनाने के लिए कोई प्रयास किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) वर्ष 1985-86 से 1987-88 की अवधि के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड तथा इसकी सहायक कम्पनियों द्वारा कमाए गए लाभ/उठाए घाटे को नीचे दिया गया है :—

(+)=लाभ (—)=घाटा (करोड़ रुपए में)

	1985-86	1986-87	1987-88
ई० को० लि०	(—) 69.97	(—) 142.19	(—) 48.74
भा० को० को० लि०	(—) 159.36	(—) 87.71	(—) 112.01
से० को० लि०	(+) 83.24	(—) 68.67	(—) 90.43
ना० को० लि०	—	(—) 1.49	(—) 3.23

1	2	3	4
वे० को० लि०	(−) 99.05	(−) 0.68	(+) 8.22
सा० ई० को० लि०	—	(−) 30.06	(+) 21.48
के० खा० आ० डि० सं० लि०	(+) 1.62	(+) 1.21	(+) 1.44
को० इ० लि०	(+) 5.82	(−) 2.16	(−) 1.37
जोड़	(−)404.18	(−) 331.75	(−)224.64

(ख) कोल इंडिया लि० तथा इसकी सहायक कंपनियों द्वारा दिनांक 31-3-1938 की स्थिति के अनुसार उठाया गया आवर्ती घाटा 2259.65 करोड़ रुपए की राशि का था।

(ग) से (ङ) अप्रैल, 1985 में ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० के कार्य की सभी पहलुओं से जांच करने तथा इसमें सुधार लाए जाने की दृष्टि से सिफारिश करने के लिए श्री के० एस० आर० चारी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। जनवरी, 1986 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के सामने आयी विभिन्न समस्याओं का पता तथा उनके सुधारात्मक उपायों का पता लगाने के लिए कम्पनी के कार्यों का गहराई से अध्ययन करने की दृष्टि से श्री ए० एन० बनर्जी की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की गई। कोयला विभाग द्वारा समितियों की सिफारिशों पर कार्रवाई करने के निर्णय लिये गए हैं। इन अल्पावधिक तथा दीर्घावधिक दोनों प्रकार के निर्णयों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इन निर्णयों का कार्यान्वयन किये जाने से उपरोक्त कम्पनियों के कार्य निष्पादन में सुधार हो जाने की सम्भावना है।

टेलीफोन लाइन

5763. श्री सैयद शाहबुद्दीन : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के प्रत्येक दूरसंचार जिले की स्थापित लाइन क्षमता और स्थापित की जा रही अतिरिक्त लाइन क्षमता कितनी है, इनमें चालू लाइनों की संख्या कितनी-कितनी है तथा प्रत्येक में कितने आवेदक प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) देश में टेलीफोन लाइनों की पूरी मांग को किस वर्ष तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) प्रत्येक टेलीफोन जिले में, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में, वर्तमान लाइनों का ब्यौरा क्या है?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

सिट अल्काटेल कम्पनी से उपकरणों का आयात

5764. श्री अरुण नेहरू : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दस वर्षों के दौरान सिट-अल्काटेल कम्पनी द्वारा निर्मित कुछ उपकरणों का आयात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो आयात किये गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है, इन पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई और इन उपकरणों का आयात किस माध्यम से किया गया;

(ग) क्या इन उपकरणों की खरीद किसी कमीशन एजेंट के माध्यम से की गई; और

(घ) क्या इन उपकरणों के आयात के सम्बन्ध में सरकार को कोई वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे ?

संचार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में पेंशन योजना

5765. **श्री रेणुपद दास** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम पेंशनर्स एसोसिएशन चतुर्थ वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार न्यूनतम पेंशन दिए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्म दत्त) : (क) जी, हां।

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में भूतपूर्व एस्सो/कालटैक्स के पात्र कर्मचारियों को विदेशी तेल कम्पनियों की संबंधित पेंशन योजनाओं के अनुरूप पेंशन दी जाती है। यह पेंशन योजना सरकारी पेंशनरों के लिए लागू पेंशन स्कीम से भिन्न है; इसलिए चौथे वेतन आयोग की सिफारिशें एच० पी० सी० एल० के पेंशनरों के लिए न्यूनतम पेंशन के प्रयोजन से लागू नहीं होती।

पेटेंट्स के बारे में पेरिस कन्वेंशन

5766. **श्री सैयद शाहबुद्दीन** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पेटेंट्स के बारे में पेरिस कन्वेंशन में शामिल होने का निर्णय किया है;

(ख) इस कन्वेंशन में शामिल होने से उद्योगों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा; और

(ग) इस कन्वेंशन में सम्मिलित होने से क्या फायदे होंगे ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) भारत के पेरिस कन्वेंशन में शामिल होने के विरुद्ध दिये गए प्रमुख तर्क ये हैं कि इस समझौते को विकसित बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों के पक्ष में बहुत अधिक लाभदायी बताया गया है, इससे पेटेन्टयुक्त वस्तुओं के आयात पर एकाधिकार हो जाएगा और इसके परिणामस्वरूप मेजबान विकासशील देशों की आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकीय और औद्योगिक उन्नति में बाधा आएगी।

(ग) दूसरी ओर पेरिस कन्वेंशन में सम्मिलित होने का प्रस्ताव करने वाले ये तर्क देते हैं कि इससे विदेशी निवेशकर्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और मेजबान देशों की ओर तकनोलोजी के प्रवाह हेतु

उपयुक्त वातावरण तैयार होगा। वे इस बात की ओर भी संकेत करते हैं कि इस कनवेंशन में मेजबान देशों को अपने औद्योगिक संपत्ति कानूनों में अपने राष्ट्रीय उद्देश्य और प्राथमिकताओं को अपनाने हेतु पर्याप्त लचीलेपन की व्यवस्था है।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

[हिन्दी]

5767. **श्री बलवंत सिंह रामूवालिया :**

श्री दिनेश गोस्वामी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वर्ष 1989-90 के लिए अपने संबद्ध प्रशासनिक मन्त्रालय के साथ कोई नए समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे समझौतों को अब तक अन्तिम रूप न दिये जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन समझौतों को अन्तिम रूप कब तक दिया जायेगा है ?

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : (क) और (ख) सरकारी क्षेत्र के ग्यारह उपक्रमों अर्थात् भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, मारुति उद्योग लि०, भारी इंजीनियरी निगम लि०, एच० एम० टी० लि०, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, इण्डियन एयरलाइन्स, एयर इण्डिया, राज्य व्यापार निगम लि०, खनिज एवं धातु व्यापार निगम लि० और नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि०, जिन्होंने वर्ष 1988-89 के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, के अलावा सरकारी क्षेत्र के सात और उपक्रमों अर्थात् भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लि०, भारत अर्थ मूवर्स लि० कोल इण्डिया लि०, राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०, भारतीय तेल निगम लि०, भारत यन्त्र निगम लि० तथा इण्डियन पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लि० को वर्ष 1989-90 के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने हैं।

(ग) और (घ) 1989-90 के समझौता ज्ञापनों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और इनके अति शीघ्र सम्पन्न किये जाने की सम्भावना है।

एम्बेसडर कारों की किस्म में सुधार

[अनुवाद]

5768- **श्री गोपाल कृष्ण थोटा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एम्बेसडर कारों की किस्म में सुधार लाने के लिए कोई मार्ग निर्देश अथवा मानदंड निर्धारित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री० एम० अरुणाचलम) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी, कम्पनी अपने वाहन को उन्नत बनाने के लिये प्रयास कर रही है तथा इसे हाल ही में एम्बेसडर कार में प्रयुक्त होने वाले इंजन को अद्यतन बनाने के लिए परामर्श सेवाओं के आयात की अनुमति दी गई है ताकि इसकी शक्ति में वृद्धि की जा सके, ईंधन किफायत में सुधार हो

सके, एग्जास्ट उत्सर्जन और शोर को कम किया जा सके।

पैकेजिंग मशीनरी तथा इसके लिए कच्चा माल

5769. **श्री पी० आर० कुमारमंगलम** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तीसरे विश्व के देशों में पैकेजिंग मशीनरी तथा उपकरणों के मुख्य निर्माता के रूप में उभरकर सामने आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है;

(ग) क्या भारत में विकसित तथा प्रयोग की गई प्रिपैक और टेट्रा पैक मशीनें अब किसी रायल्टी की अदायगी के बिना पूर्ण रूप से स्वदेशी पैकेजिंग माल का प्रयोग करती है;

(घ) क्या इन मशीनों के लिए प्रयोग किया जाने वाला एल० डी० पी० ई० अथवा एच० पी० ई० अथवा कागज पूर्णतया स्वदेशी है; और

(ङ) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान पैकेजिंग मशीनों के लिए वर्षवार कितनी रायल्टी दी गई तथा कुल कितने मूल्य का आयात किया गया ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ङ) देश में संगठित क्षेत्र में 14 एकक हैं जो भिन्न-भिन्न उत्पादों के लिए पैकेजिंग मशीनरी बनाते हैं।

मै० हिन्दुस्तान पैकेजिंग कम्पनी जो दुर्गन्ध रहित पैकेजिंग के लिए परती कागज बना रही है, परती कागज बनाने के लिए स्वदेशी कागज का उपयोग कर रही है। पैकेजिंग सामग्री की कुल मांग को पूरा करने के उद्देश्य से, वास्तविक प्रयोक्ताओं के लिए खुले सामान्य लाइसेंस के अधीन दुर्गन्ध रहित कागज का आयात करने की अनुमति दे दी गई है। निम्न घनत्व पोलीथीलीन (एल०डी०पी० ई०) तथा उच्च घनत्व पोलीथीलीन (एच० डी० पी० ई०) का भी आंशिक रूप से आयात किया जाता है।

देश में पैकेजिंग मशीनों के आयात पर कोई रायल्टी नहीं दी जाती है।

नई भारतीय फिल्मों की चोरी-छिपे वीडियो फिल्में तैयार करना

5770. **श्रीमती किशोरी सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम एशिया को निर्यात करने के लिए चोरी-छिपे नई भारतीय फिल्मों की बड़े पैमाने पर वीडियो फिल्में तैयार की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां। इस बारे में रिपोर्ट सामयिक है।

(ख) प्रिन्ट और वीडियो पाइरेसी एक अन्तरर्राष्ट्रीय संकट हो गया है। जहां पाइरेसी होती है, उस देश के राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत इसका निपटारा किया जाना होता है।

चमड़ा प्रौद्योगिकी में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम

5771. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दस्तावेज में चमड़े के शोधन और परिष्करण के तरीकों में प्रौद्योगिकी सुधार लाने की आवश्यकता महसूस की गई है;

(ख) क्या निर्यात बाजार में अधिकतम मूल्य प्राप्त करने के लिए गुणवत्ता और उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी में सुधा· लाने का विचार था; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई ?

उद्योग मन्त्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) घरेलू तथा निर्यात दोनों आवश्यकताओं के लिए भारतीय चमड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण की आवश्यकता को, प्रौद्योगिकी में सुधार तथा गुणवत्ता उन्नयन को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक परिप्रेक्ष में तकनीकों को शुरू करने की दृष्टि से सातवीं योजना के चार वर्षों के दौरान निर्यात बाजार में भारतीय चमड़े की बढ़ती हुई पसंद इस तथ्य में प्रतिबिम्बित होती है कि तैयार चमड़ा तथा मूल्य वर्धित चमड़ा उत्पादों का निर्यात 1984-85 में 583.76 करोड़ रु० से बढ़कर 1988-89 में 1500 करोड़ रुपये (अनुमानित) हो गया है जो सातवीं योजना के अन्तिम वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्यों को भी पार कर गया है।

कम्पनियों द्वारा "फैक्टरिंग" का उपयोग

5772. **श्री समत कुमार मण्डल** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की जानकारी में यह बात आई है कि कम्पनी अधिनियम की धारा 370 में गत वर्ष किए गए संशोधन द्वारा अन्तर-कम्पनी निक्षेप पर लगाए गए प्रतिबन्ध से बचने के लिए कुछ कम्पनियां "फैक्टरिंग" का उपयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-कौन सी कम्पनियां हैं; और

(ग) कम्पनियों द्वारा अन्तर-कम्पनी निक्षेप पर लगे प्रतिबन्ध से बचने हेतु "फैक्टरिंग" के उपयोग को एक माध्यम के रूप में अपनाने के विरुद्ध सरकार का क्या उपाय करने का विचार है ?

औद्योगिक मत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 370 के संशोधित उपबन्ध अभी तक लागू नहीं हुए हैं। तथापि, इस प्रकार की कोई प्रथा सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

12·00 मध्याह्न

लोक सभा में जनता दल विधान मंडल पार्टी के गठनबारे में अध्यक्ष द्वारा घोषणा

अध्यक्ष महोदय : 10 मार्च, 1989 को मुझे प्रो० मधु दंडवते का एक पत्र मिला जिसमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित बातें कही गई हैं—

"21 फरवरी, 1989 को संसद में जनता पार्टी और लोकदल संसदीय दल की एक संयुक्त

बैठक मेरी अध्यक्षता में हुई और इन दोनों पार्टियों को मिलाकर संसद में जनता दल के गठन का निर्णय लिया है।

उसी दिन इससे पूर्व संसद में मिलकर बनने वाली दोनों पार्टियों की अलग-अलग बैठक में दोनों पार्टियों को मिलाने के बारे में निर्णय लिए गए··· मैं आप से अनुरोध करता हूं कि नवगठित जनता दल को लोकसभा में मान्यता दी जायें।"

मैंने प्रो० दंडवते के पत्र की एक प्रति लोकदल संसदीय पार्टी के नेता श्री मोहम्मद महफूज अली को इस बात की पुष्टि करने के लिए भेजी कि क्या लोकदल संसदीय पार्टी के सदस्यों ने जनता संसदीय पार्टी में विलय करने का निर्णय किया है और यदि ऐसा निर्णय किया है तो वे इस सम्बन्ध में लोकदल पार्टी द्वारा पारित संकल्प की एक प्रति तथा उक्त विलय का समर्थन करने वाले लोकसभा में लोकदल विधायी पार्टी के सदस्यों की घोषणा मेरे पास भेजें। मैंने प्रो० मधु दंडवते से भी लोकसभा (दल-बदल के आधार पर अनर्हता) नियम, 1985 के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी भेजने को कहा था। मुझे प्रो० दंडवते तथा श्री मोहम्मद महफूज अली खां से आवश्यक जानकारी/पुष्टि मिल गयी है और मैं संविधान की दसवीं अनुसूची में विलय की निर्धारित शर्तों के पूरा होने के सम्बन्ध में संतुष्ट हो गया हूं। इस लिए मैं दसवीं अनुसूची और उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के उद्देश्यों के लिए जनता दल को लोकसभा एक विधायी पार्टी के रूप में मान्यता देता हूं।

जनता दल के सदस्य और पदाधिकारी निम्नलिखित हैं :

1. प्रो० मधु दंडवते —नेता
2. श्री एस० जयपाल रेड्डी—उपनेता
3. श्री मोहम्मद महफूजअली खां—उपनेता
4. श्री हेतराम—महासचिव
5. श्री रामबहादुर सिंह—कोषाध्यक्ष
6. श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर—मुख्य सचेतक
7. श्री तम्पन थामस—उपमुख्य सचेतक
8. श्री एच० एम० पटेल
9. डा० वी० वेंकटेश
10. श्री एस० एम० गुरड्डी
11. श्री विजयकुमार मिश्र
12. श्री सम्भाजी राव ककाडे
13. श्री के० वी० शंकर गौडा
14. श्री शांतिलाल पटेल
15. श्री रामनरायण सिंह
16. चौधरी खुर्शीद अहमद

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक (पणजी) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं। नियमों के अनुसार वे एक संसदीय दल नहीं बन सकते वह दसवीं अनुसूची के लिए हो सकते हैं।

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री कल्पनाथ राय) : श्री वी० पी० सिंह के बारे में क्या है ? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। वह इस सदन के सदस्य हैं।

श्री सैयद शाहबुद्दीन (किशनगंज) : महोदय, मैं जनता पार्टी के सदस्य के रूप में चुना गया था, आप मेरी स्थिति जानते हैं। मैं जनता पार्टी के साथ सम्बद्ध हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप वही हैं।

श्री कल्पनाथ राय : क्या श्री वी० पी० सिंह जनता दल के नहीं हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे नहीं मालूम। मैंने आपको सूची दे दी है। आप सूची देखिए।

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि आपको श्री वी०पी० सिंह और अन्य लोगों से भी पत्र प्राप्त हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : जो मुझे करना था, वह मैंने कर दिया।

(व्यवधान)

श्री शांताराम नायक : नियमों के अनुसार, एक संसदीय दल के गठन के लिए 55 सदस्यों की आवश्यकता होती है और 30 सदस्यों की — —

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपको किसने बताया। आप बिना बताए मत करिए।

[अनुवाद]

यह असंगत है।

प्रो० मधु दंडवते : आप अपनी पार्टी की चिंता कीजिए। दूसरों के बारे में चिंता मत करिये।

— — — —

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटिल (कोपरगांव) : अध्यक्ष महोदय, 15 दिन से मनमाड स्टेशन पर वैगन पार्सल नहीं मिला है, वहां पर अंगूर सड़ रहे हैं, कोई कम्प्लेंट नहीं लेता है, रैलवे माल उठा नहीं रहा है।

[अनुवाद]

कृपया इस मामले को देखिए और रेलवे को आदेश दीजिए।

[हिन्दी]

श्री आरिफ मोहम्मद खां (बहराइच) : अध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव का नोटिस दिया है। जम्मू कश्मीर की परिस्थिति बहुत गंभीर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें लिखा है । हम कदम उठा रहे हैं ।

[हिन्दी]

अभी इनका करा है, फिर देखते हैं, बारीबारी करेंगे ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्टेट सबजैक्ट आ जाता है । ला एंड आर्डर में मुश्किल पड़ जाता है ।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित मत कीजिए । सभा पटल पर पत्र रखे जाने वाले पत्र ।

12.03 म०प०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

संसदीय कार्य मन्त्रालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी और अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(एक) संसदीय कार्य मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7718/89]

(दो) सूचना और प्रसारण मन्त्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें ।
[ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 7719/89]

तेल उद्योग विकास कर्मचारी (मृत्यु तथा निवृत्ति) उपदान (संशोधन) नियम, 1989, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगें

अतारांकित प्रश्न संख्या 1655 के 7 मार्च, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं ।

(1) तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत तेल उद्योग विकास कर्मचारी (मृत्यु तथा निवृत्ति) उपदान (संशोधन) नियम, 1989, जो 30 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 398 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)
[ग्रंथालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी०-7720/89]

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

(2) पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वर्ष 1989-90 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7721/89**]

(3) (एक) उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और दिल्ली में खाना पकाने की गैस की एजेंसियां खोलने के बारे में सर्व श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह तथा कम्मोदीलाल जाटव के अतारांकित प्रश्न संख्या 1655 के 7 मार्च, 1989 को दिए गए उत्तर में शुद्धि करने वाला तथा (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7722/89**]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं इत्यादि

वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग में राज्य मन्त्री (श्री बी० के० गढ़वी) : मैं श्री अजीत पांजा की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं।

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का० आ० 229 (अ), जो 27 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसमें सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 14 के अंतर्गत आयात और निर्यात का निर्धारण करने तथा भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क संगणित करने के प्रयोजनों के लिए कतिपय विदेशी करेंसी को भारतीय करेंसी में तथा भारतीय करेंसी को विदेशी करेंसी में संपरिवर्तन के विनिमय की दरें निर्धारित की गई हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7723/89]

(दो) सा० का० नि० 371 (अ), जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 25 मार्च, 1978 की अधिसूचना संख्या 70-सी० शु० तथा 2 जुलाई, 1980 की अधिसूचना संख्या 132 सी० शु० रद्द की गई है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) सा० का० नि० 372 (अ), जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1989 की अधिसूचना संख्या 106-सी० शु० में कतिपय संशोधन किए गए हैं ताकि नेपाल से आयातित विनिर्दिष्ट मूल उत्पादों और औद्योगिक उत्पादों पर उपबंधी शुल्क सम्बन्धी रियायतों को वापस लिया जा सके, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन। [**ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी 7724/89**]

(दो) आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 298 की उपधारा (4) के अन्तर्गत आय कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश 1989 जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 376 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[**ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7725/89**]

(3) दान-कर अधिनियम, 1958 की धारा 47 की उपधारा (2) के अन्तर्गत दान-कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 1989, जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 377 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए देखिए संख्या एल० टी० 7726/89]

(4) धन-कर अधिनियम, 1957 की धारा 47 की उपधारा (2) के अन्तर्गत धन-कर (कठिनाइयों का निराकरण) आदेश, 1989 जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 378 (अ) में प्रकाशित हुआ था, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7727/89]

(5) वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 41 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 366 (अ), जो 17 मार्च 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जो 20 से 21 मार्च, 1989 तक भारत आये बुरकीना फासो के विदेश कार्य मन्त्री, महामहीम श्री बोम्बा जीन मर्क पॉम तथा शिष्टमंडल के अन्य सदस्यों को विदेश यात्रा-कर के संदाय से छूट देने के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7728/89]

(6) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 374 (अ), जो 23 मार्च, 1989 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 25 फरवरी, 1971 की अधिसूचना संख्या 13/71-के०उ०शु० 24 मार्च 1989 से रद्द की गई है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7729/89]

दूरसंचार आयोग का गठन करने वाले संकल्प की प्रति

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरधर गोमांगो): मैं दूरसंचार आयोग का गठन करने वाले 10 अप्रैल, 1989 के सरकारी संकल्प संख्या 15/1/2/87-तार की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 7730/89]

पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड शिलांग का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की भी सरकार द्वारा समीक्षा आदि

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1987-88 के कार्यकरण सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) पूर्वोत्तर विद्युत शक्ति निगम लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1987-88 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०-7731/89]

12.05 म० प०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

64वां प्रतिवेदन

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का चौंसठवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

12.05½ म० प०

अधीनस्थ विधान संबंधी समिति

22वां प्रतिवेदन

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (डुमरियागंज) : मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का बाईसवां प्रतिवेदन हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण, प्रस्तुत करता हूं।

12.06 म० प०

मिलों में तालाबन्दी और उन्हें बन्द किए जाने आदि पर रोक लगाने वाला कानून बनाए जाने के बारे में याचिका

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : मैं तालाबन्दी, बन्दी, कम्प्यूटरों का अन्धाधुन्ध प्रयोग, रोजगार की ठेका प्रणाली, आदि पर रोक लगाने वाले विधान का अधिनियमन करने के बारे में अखिल भारतीय व्यापारिक तथा वाणिज्य कर्मचारी परिसंघ, कलकत्ता के महासचिव श्री रामपदा चक्रवर्ती तथा अन्यों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

12.06½ म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

मस्तिष्क ज्वर से हुई मौतों का समाचार

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वती पुरम) : मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्री महोदय का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस सम्बन्ध में वक्तव्य दें :—

"मस्तिष्क ज्वर के कारण आन्ध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम और विजयानगरम जिलों में तथा मध्य प्रदेश और बिहार के कुछ भागों में विशेष रूप से आदिवासियों की कथित मौतों तथा इस बीमारी की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय"

12.07 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (कुमारी सरोज खापर्डे): मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस फैक्टीरिया संक्रमण के कारण होता है और यह देश के अनेक राज्यों में बार-बार होता रहा है। पिछले चार वर्षों के दौरान जिन राज्यों में अपेक्षाकृत अधिक लोगों के इस रोग से ग्रस्त होने के बारे में नियमित सूचना मिलती रही है वे हैं— बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली। पिछले चार वर्षों के दौरान इसके रोगियों की संख्या तथा इसके कारण हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है :—

वर्ष	रोगी	मौतें
1985	15,755	2216
1986	10382	1898
1987	9,080	1596
1988	14,690	2289

2. वर्ष 1989 के दौरान आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र और दिल्ली नामक सात राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस रोगियों तथा इसके कारण होने वाली मौतों की सूचना दी है। इसके रोगियों तथा इसके कारण हुई मौतों की संख्या नीचे दी गई है :—

राज्य	रोगी	मौतें
आंध्र प्रदेश	792	136 (23-12-88 से 31-3-1989)
मध्य प्रदेश	1620	158 (1-1-89 से 3-4-89)
बिहार	अनुपलब्ध	185 (10-4-1989 तक)
उड़ीसा	2951	344 (2-4-89 तक)
गुजरात	586	102 (3-4-89 तक)
महाराष्ट्र	584	109 (4-3-89 तक)
दिल्ली	329	58

3. मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस मानव के मस्तिष्क को कुप्रभावित करता है। यह रोग समाज के उन निर्धन व्यक्तियों को कुप्रभावित करता है जो अस्वास्थ्यकर दशाओं में रहते हैं। यह रोग संक्रमित व्यक्तियों के नाक और गले से निकलने वाली सूक्ष्म बूंदों के कारण फैलता है।

4. मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस को रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं उनमें निम्नलिखित शामिल हैं :—

—पैरा-मेडिकल स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा रोगी की शीघ्र सूचना देना ताकि सभी रोग-संदिग्ध व्यक्तियों का अस्पतालों में उपचार कर लिया जाए।

— चिकित्सा दल गठित करना जो रोग प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करें और रोगियों का पता लगाएं और उनका निदान करें।

—क्रिस्टलीन बेन्जिल पैनिसिलीन और क्लोरमफेनिकाल नामक उपयुक्त औषधें देकर रोगियों का उपचार करना।

—अस्पतालों और कैजुअल्टी विभागों में रोगियों का इलाज करने वाले चिकित्सा और अर्ध-चिकित्सा कर्मचारियों को टीका लगाना।

—ऐसे व्यक्तियों को सल्फाडायजीन देकर सुरक्षा प्रदान करना जो रोगियों के सम्पर्क में आ सकते हैं।

5. हम महामारी को रोकने में वैक्सीनेशन की कोई भूमिका नहीं है। 2 वर्ष की आयु तक के बच्चों में वैक्सीन उपयोगी नहीं है और यहां तक कि प्रौढ़ व्यक्तियों को भी हर वर्ष बूस्टर खुराक लेनी होती है। बहरहाल, विशेषज्ञों द्वारा उन चिकित्सकों तथा अर्धचिकित्सा कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन की सिफारिश की गई है जो रोगियों की देखभाल करते हैं।

6. देश में मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस वैक्सीन का उत्पादन नहीं किया जाता और इसे आयात करना होता है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने आंध्र प्रदेश को वैक्सीन की 50,000 खुराकें तथा मध्य प्रदेश को 45,000 खुराकें सप्लाई की है।

7. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने 6 जनवरी, 1989 को स्थानिकमारी वाले राज्यों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी। मेनिंगोकोकल मेनिनजाइटिस की रोकथाम और नियन्त्रण के बारे में राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं।

8. राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के रोगप्रभावित जिलों का दौरा करने के लिए तथा निगरानी और उपचार के सम्बन्ध में राज्य सरकारों को परामर्श देने के लिए विशेषज्ञों को भेजा था। इस समय एक टीम उड़ीसा और बिहार के रोगप्रभावित जिलों का दौरा कर रही है।

9. होम्योपैथी की औषधियों द्वारा मेनिंजाइटिस के रोगियों के परीक्षण और उपचार के कार्य के लिए आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और उड़ीसा में केन्द्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद (सी०सी० आर० एच०) की यूनिटों को सक्रिय किया गया है। कार्य प्रगति पर है।

10. भारत सरकार लगातार राज्य सरकारों के साथ संपर्क स्थापित करके तकनीकी परामर्श

दे रही है तथा अस्पतालों और औषधालयों में रोगियों का उपचार करने वाले चिकित्सीय और अर्ध-चिकित्सीय कार्मिकों को देने के लिए वैक्सीन की व्यवस्था भी कर रही है।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा पढ़े गए वक्तव्य से व्यक्त होता है कि गत चार वर्षों के दौरान मस्तिष्क ज्वर से लगभग 10,000 मौतें हुई हैं। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि इस वर्ष भी दिसम्बर 1988 से अप्रैल, 1989 तक चार महीनों के दौरान इस भयंकर रोग के कारण लगभग हजार मौतें हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदय ने वक्तव्य में यह भी कहा है कि यह रोग समाज के उन गरीब वर्गों के लोगों को लगता है जो अस्वास्थ्यकर (गंदी) जगहों में रहते हैं। महोदय दुर्भाग्यवश आंध्र प्रदेश में मेरे ही चुनावक्षेत्र के वे दो जिले, जिनका मेरी सूचना में उल्लेख किया गया है—विजयानगरम और श्रीकाकुलम हैं—जहां इस रोग का बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। जो लोग इस रोग से मुख्यत: प्रभावित हुए है वे इन दो जिलों के जनजातीय लोग है।

उद्योग मंत्री (श्री जे० वेंगल राव) : हाल ही में मैंने भी इस क्षेत्र का दौरा किया।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : मुझे प्रसन्नता है कि माननीय उद्योग मन्त्री भी हाल के दौरों के दौरान प्रभावित क्षेत्रों में गए हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि पहला मामला दिसम्बर, 1988 में हुआ। पहली घटना 26 दिसम्बर को वाविवड़ी नामक एक ग्राम में हुई जहां एक ही दिन 12 जन-जातीय लोगों की मृत्यु हुई। यह बीमारी क्षेत्र विशेष में फैल चुकी थी। 18 जनवरी, 1989 को अधिकारियों को यह पता चला था कि इस बीमारी ने महामारी का रूप धारण कर लिया है। लेकिन राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान के निदेशक ने इन क्षेत्रों का 14 मार्च, 1989 को दौरा किया था। रोग का महामारी के रूप पता चलने और निदेशक के दौरे के बीच दो महीने का अन्तराल था। अधि-कारियों को पता चला कि मस्तिष्कावरण शोथ के के कारण ये मौतें हुई थीं। लेकि संस्थान के निदेशक ने इन क्षेत्रों का दौरा दो महीने बाद किया था।

उपाध्यक्ष महोदय, अपने विवरण के पैरा 5 में, मन्त्री महोदय ने कहा है कि इस महामारी को रोकने में टीकों का कोई महत्व नहीं है। यदि इस बीमारी को रोकने में टीके का कोई महत्व नहीं है तो टीकों को पैरा-मेडिकल कार्मिकों को क्यों भेजे जाते हैं? इसके अतिरिक्त उसी पैरा में यह भी कहा गया है :

> "यद्यपि पैरा-मेडिकल कार्मिकों को जो रोगियों की देखभाल करते हैं, विशेषज्ञों ने टीकों की सिफारिश की है।

इसी पैरा में परस्पर विरोध है। यह कहना ठीक नहीं है कि इस बीमारी को रोकने में टीकों का कोई महत्व नहीं है। टीकों का इस महामारी को रोकने में निश्चित रूप से महत्व है और आपने स्पष्टत: इसीलिए आंध्र प्रदेश को 50,000 और मध्य प्रदेश को 45,000 टीके भेजे हैं। यदि इन टीकों का इस बीमारी पर कोई असर नहीं था तो इन टीकों को भेजने का क्या मतलब था? विवरण में भी उल्लेख किया गया है कि दो वर्ष तक के बच्चों के लिए यह टीके लाभदायक नहीं है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि अब तक अधिकतर मौतें वयस्कों की हुई बच्चों की नहीं।

विवरण में दिए आंकड़ों से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश में लगभग एक सौ मौतें हुई थीं।

लेकिन मुझे जानकारी है कि कम से कम 250 लोग आंध्र प्रदेश के इन दो जिलों में मरे थे। यह क्षेत्र मेरे निर्वाचन क्षेत्र में है। मैं दस दिन की छुट्टी के दौरान वहां गया था जब संसद का सत्र नहीं था। मैं यह भी जानता हूं कि कई मामले प्रकाश में नहीं आए थे।

उपाध्यक्ष महोदय, इन क्षेत्रों के निवासियों में दशहत है। यह बीमारी नवें दशक के शुरू में दिल्ली के कुछ भागों में फैली थी। और मुझे बताया गया है कि इस बीमारी को नियन्त्रित और पूर्णतया समाप्त करने में पांच वर्ष लगे थे। यदि राजधानी में जहां बहुत सी मूलभूत सुविधाएं बहुत से डाक्टर और दवाइयां तथा लोगों की देखभाल करने के लिए राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, यहां इस बीमारी को रोकने में पांच वर्ष लगें तो आप इस दूर-दराज के पिछड़े क्षेत्रों में जहां गरीब जनजातियों के लोगों की दुर्दशा का आप भली प्रकार अनुमान लगा सकते हैं।

इस रोग के ठीक होने के बाद दूसरे रोग उत्पन्न हो जाते हैं जो कि अत्यन्त भयावह स्थिति होती है। मैं कुछ अस्पतालों में गया जहां 500 से अधिक रोगी थे जिन्हें यह बीमारी हुई थी। मुझे डाक्टरों ने बताया कि इस रोग के ठीक होने के बाद भी व्यक्ति पर इसका गम्भीर असर रहता है। इस रोग के दुष्परिणाम सब कन्जेक्टीवल हमरेज क्रेनियम पैरोलिसिज हैं जिनके कारण बहरापन, हृयीज, गठिया और मनोविकृति जैसे विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अन्य कई प्रभावों से विकलांग हो सकता है। इस बीमारी के घातक परिणामों से रोगी को बचाने का ही प्रश्न नहीं है बल्कि रोगियों को इसके उत्तरवर्ती प्रभावों से बचाने का भी प्रश्न है जिससे समाज के अत्यन्त गरीब वर्गों के लोगों को अपूर्णीय क्षति हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस विवरण में यह कहा गया है कि राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने आंध्र प्रदेश को 50,000 टीके भेजे थे। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं, मैं महसूस करता हूं कि यद्यपि इस टीके का काफी महत्व है तथापि मन्त्री जी ने स्वयं कहा है कि यह टीका प्रभावी नहीं है। चूंकि इन क्षेत्रों में जनता बहुत पिछड़े क्षेत्रों में बसी हुई है जहां अन्य लोगों के लिए पहुंचना कठिन है और इन लोगों को मेनिनजाइटिस (मस्तिष्क-ज्वर) और इसके अप्रत्यक्ष प्रभावों की पूरी जानकारी नहीं है वे जानने में समर्थ नहीं हो सकते और बीमारी का समय पर पता नहीं चल सकता। इसलिए मेरे विचार से सर्वप्रथम इस रोग से प्रभावित जनजातियों के लोगों को ही नहीं बल्कि उन क्षेत्रों के गैर-जनजातीय लोगों के लिए भी टीके भेजने चाहिए।

महोदय, मेरे गांव में प्राइमरी स्वास्थ्य केन्द्र है वहां लगभग 200 रोगी थे। बाहर वालों के लिए यह अस्पताल बंद था। यही बात अन्य अस्पतालों में भी थी। इस समस्या के कारण नियमित चिकित्सा राहत कार्य रुक गए थे। कोई नहीं जानता था यह स्थिति कब तक चलेगी।

दूसरा, मैं स्वास्थ्य मन्त्री से अपने सहयोगी कल्याण मन्त्री से बात करने की अपील करता हूं। दुर्भाग्य से या सौभाग्य से प्रभावित व्यक्ति जो मरे हैं, आम अस्पतालों में है मूलतः आदिवासी हैं— अधिकतर लोग एक विशेष समुदाय के हैं। आप कल्याण मन्त्रालय से धनराशि के रूप में कुछ केन्द्रीय सहायता प्राप्त कर सकते हो जिससे कि इन परिवारों को जो इस बीमारी से प्रभावित हुए थे या जिनके व्यक्तियों की मस्तिष्कज्वर के कारण मृत्यु हुई है, उनको पुनः बसाने या उन्हें पोषक आहार या अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। मुझे विश्वास है इससे इस बीमारी पर नियन्त्रण करने में काफी मदद मिलेगी क्योंकि मुझे बताया गया था कि कुपोषण रोगों का मूल कारण है।

[श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव]

इसी बीच वे उन्हें कैपसूल दे रहे हैं। विवरण में नाम का उल्लेख किया गया है:

"रोगियों का इलाज उचित दवाइयों अर्थात क्रिस्टलाइन बेनजाइल पेनिसलीन और क्लोराफेनीकोल द्वारा किया जा रहा है।"

मैं नहीं जानता कि क्या इन दवाइयों को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई किया जा रहा है।

अत: केन्द्रीय सरकार शायद सुनिश्चित कर सकती थी कि मस्तिष्क-ज्वर के विषाणु पर नियन्त्रण करने के लिए जब तक टीके उपलब्ध नहीं थे इन दवाइयों को भी भेज दिया जाए। लेकिन मैं मन्त्री जी से आश्वासन लेना चाहता हूं कि वह इन दो जिलों को जो बहुत ही पिछड़े हुए हैं, कम से कम पांच लाख टीके भेजेंगी। इन जिलों की जनसंख्या केवल 15 लाख से 20 लाख तक है। निश्चय ही क्षेत्र के लोग जो इस बीमारी से प्रभावित है अब बहुत आतंकित हैं। ऐसे लोगों की संख्या कम से कम पांच लाख है। मुझे बताया है कि प्रशीतन करने की भी आवश्यकता है। इसे एक विशेष तापमान पर रखना होता है। इस टीके को प्रभावी रखने के लिए तापमान पर नियन्त्रण करना जरूरी है। इस संदर्भ में जानना चाहता हूं मन्त्री जी क्या उपाय करेंगे। राज्य सरकार पहले ही इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। मुझे बताया है कि उन्होंने इस बीमारी से युद्ध स्तर पर लड़ने का निश्चय किया है। परन्तु इन टीकों के अभाव में उनके हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि ये आयातित टीके स्थानीय तौर पर उपलब्ध नहीं होते हैं। वे किन्हीं अन्य क्षेत्रीय केन्द्रों में भी उपलब्ध नहीं होते हैं। इन सभी टीकों को दिल्ली से ले जाया जाता है। अब यह समस्या अन्य राज्यों में भी फैल रही है। मध्य प्रदेश के मुख्य मन्त्री ने एक वक्तव्य दिया था। यह समस्या बिहार में भी चली गई है। आज यह समस्या आंध्र प्रदेश में है कल यह समस्या असम, पंजाब अथवा किसी अन्य राज्य में भी हो सकती है क्योंकि लोग यात्रा करते रहते हैं। और संचार सुविधाओं के विकास के साथ ही यह बीमारी भी फैल सकती है क्योंकि इसके लक्षण प्रकट होने की अवधि लगभग 10 दिन अथवा 15 दिन होती है। इस अवधि के दौरान आप यह पता नहीं लगा सकते कि यह कौन-सी बीमारी है। अन्तत: जब यह बीमारी लगती है तो मुझे यह बताया गया है कि बहुत से रोगियों को तेज बुखार होता है कभी-कभी वे उल्टियां भी करते हैं और 48 घंटों के भीतर उनकी मृत्यु हो जाती है अत: जब तक आप यह पता लगाते हैं कि ऐसा किस कारण हो रहा है और रोग निदान करते हैं तब तक कुछ भी कार्य उपचार करने के लिए बहुत देरी हो चुकी होती है। अत: यह एक अत्यन्त गंभीर खतरा है और इससे आदिवासियों अर्थात जातीय अल्पसंख्यकों को खतरा है। यदि इस बीमारी का एक महामारी के रूप में फैलना जारी रहता है तो इसे इन दोनों जिलों में इन जातीय अल्पसंख्यकों की जान को भी खतरा उत्पन्न हो सकता है।

अत: मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री हमें यह आश्वासन दें कि वे पर्याप्त मात्रा में टीके और अन्य मूलभूत सुविधायें हमें देंगी और कल्याण मन्त्रालय में अपने प्रतिरूप से भी यह कहेंगी कि वे इस बात पर ध्यान दे कि केन्द्रीय सहायता कोष से इन प्रभावित आदिवासियों को पर्याप्त सहायता मिले, जो सम्भवत: गृह मन्त्री अथवा कल्याण मन्त्री के स्वविवेक पर निर्भर करता है।

श्री एम० आर सैकिया (नवगांव) : उपाध्यक्ष महोदय, मन्त्री महोदया ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि वर्ष 1985 से 1988 तक बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल और केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली मे मेनिनजाइटिस के मामलों का पता लगा है। इस रोग के कारण मरने वाले व्यक्तियों की संख्या लगभग 8000 है।

यह बीमारी केवल उन क्षेत्रों में ही नहीं अपितु भारत के अन्य भागों में विशेष रूप से आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, में भी फैल गई है। इससे यह जाहिर होता है कि इस बीमारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई है। इससे यह बात भी स्पष्ट रूप से जाहिर होती है कि यह बीमारी उन क्षेत्रों में पहले 1985 में फैली और वर्ष 1989 तक फैलती ही रही और वर्ष 1989 में दिसम्बर से लेकर अप्रैल तक इस बीमारी से 1100 व्यक्ति प्रभावित हुए। ये सरकारी आंकड़े हैं। प्रभावित व्यक्तियों की संख्या इससे अधिक भी हो सकती है। इससे न केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों में अपितु आदिवासी लोगों में भी दहशत उत्पन्न हो गई है। तथा प्रभावित लोगों मे अधिकांश आदिवासी हैं। मन्त्री महोदय ने अपने वक्तव्य में यह कहा है कि इस महामारी को नियन्त्रित करने में टीकों का कोई महत्व नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि मन्त्री महोदय ने किन कारणों से ऐसा कहा है क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने यह उल्लेख भी किया है कि "राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान ने आन्ध्र प्रदेश को 50,000 टीके तथा मध्य प्रदेश को 45,000 टीके सप्लाई किए हैं।" क्या यह आत्म-विरोधात्मक कथन नहीं है? यदि इस महामारी को नियन्त्रित करने में टीकों का कोई महत्व नहीं है तो फिर आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश को टीकों की इतनी अधिक सप्लाई भेजने का क्या अर्थ है? अपने वक्तव्य में पृष्ठ 2 पर उन्होंने उल्लेख किया है:

मेनिंगकोकला मेनिनजाइटिस को रोकने के लिए निम्नलिखित उपचारात्मक कार्यवाही सम्मिलित है :—

> "अर्द्ध चिकित्सा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा मामलों के बारे में शीघ्रता से जानकारी देना ताकि अस्पतालों में उन सभी व्यक्तियों का इलाज किया जा सके जिनमें यह बीमारी होने की संभावना है, ऐसे मामलों का पता लगाने और उनका निदान करने के लिए प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए चिकित्सा दल बनाना।"

इस कार्य को वर्ष 1985 से ही आरम्भ किया गया था, परन्तु उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा 4 वर्षों के अन्तराल के बाद वर्ष 1989 में किया। हमारी सरकार इस प्रकार से कार्यवाही करती है। सबसे अधिक हैरानी की बात तो यह है कि राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान के निदेशक कुछ ही दिन पहले कुछ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और 4 वर्ष गुजरने के बाद वहां विशेषज्ञों का एक दल बीमारी की जांच करने के लिए भेजा। फिर अपने वक्तव्य में पृष्ठ 2 पर उन्होंने आगे यह उल्लेख किया है:

> "जो लोग रोगियों के संपर्क में आते हैं उन्हें सल्फाडाइजिन देकर उनके लिए सुरक्षा की व्यवस्था करना।"

आपका सुरक्षा का तरीका क्या है और आप लोगों को इस बीमारी के प्रभाव से कैसे बचा सकते हैं? क्या आप इसके बारे में उल्लेख कर सकते हैं? अत: मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि वह इस बीमारी के प्रभाव से लोगों को बचाने के लिए न केवल प्रभावशाली कार्यवाही करने के लिए आगे आए अपितु इस बीमारी को रोकने के लिए भी आगे आए ताकि यह बीमारी देश के अन्य भागों में और अधिक न फैल सके। इससे समाज के कमजोर वर्गों के लोगों में दहशत और तबाही उत्पन्न हुई है। अत: सरकार द्वारा न केवल इस बीमारी को रोकने के लिए अपितु लोगों को इस बीमारी के प्रभाव से बचाने के लिए भी कुछ प्रभावशाली कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि यह बीमारी देश के अन्य भागों में न फैल सके।

श्री पराग चालिहा (जोरहाट) : माननीय मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए विवरण में भयावह उल्लेख किया गया है। इस विवरण को एक बार देखने से ही पता लग जाएगा कि गत 4 वर्षों के समय में लगभग 50,000 मामलों का पता लगा है और इस बीमारी के कारण लगभग 10 हजार व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। और पृष्ठ 1 पर नीचे और भी भयावह आंकड़े दिए गए हैं कि चालू वर्ष के पहले 3 महीनों में लगभग 6 हजार से 8 हजार मामलों का पता लगा है और मृत व्यक्तियों की संख्या पहले ही लगभग 8 सौ हो चुकी है।

डा० कृपा सिंधु भोई (सम्बलपुर) : यह किस प्रकार की मेनिनजाइटिस है ?

श्री पराग चालिहा : यह यहां लिखा हुआ है। मैं आपकी भांति एक चिकित्सक नहीं हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप उन्हें विचलित क्यों कर रहे हैं ?

श्री पराग चालिहा : मैं एक चिकित्सक नहीं हूं। मैं जानता हूं कि यह मेनिनजाइटिस है। एक साधारण व्यक्ति को इसके बारे में यही जानकारी है और मैं आम आदमी का प्रतिनिधित्व करता हूं।

मृतकों की संख्या लगभग 8 सौ तक पहुंच गई है। इसमें असम का कोई उल्लेख नहीं किया गया है परन्तु गत महीने की 5 अथवा 6 तारीख को असम से मेनिनजाइटिस का एक मामला सामने आया था। निश्चित रूप से वह व्यक्ति किसी आदिवासी क्षेत्र अथवा किसी गरीब गांव से सम्बन्धित नहीं था। वह डिब्रुगढ़ में आयल इन्डिया लिमिटेड में कार्यरत एक अभियन्ता था। उस मामले को यहां लाया गया था। मैंने माननीय मन्त्री महोदय से सम्पर्क स्थापित करने की कोशिश की परन्तु दुख की बात यह है कि उस रोगी की मृत्यु हो गई। वह एक नवयुवक था कि जिसकी एक महीने बाद शादी होनी थी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि मेनिनजाइटिस असम तक पहुंच गई है। इस बारे में किसे जानकारी है ? हो सकता है कि वहां अधिक व्यक्तियों की मृत्यु हुई हो। यदि भयावह नहीं तो सबसे अधिक हैरानी की बात तो यह है कि इस बीमारी की रोकथाम के लिए टीकों से कोई लाभ नहीं मिलता है। जैसा कि विवरण में उल्लेख किया गया है। और मेरे दोनों पूर्व व्यक्तिओं ने कुछ आंकड़े उद्धृत किए हैं और यह कहा है कि 50 हजार अथवा 60 हजार मामलों के बारे में पता लगा है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह अनुरोध करता हूं कि वे इस बात पर ध्यान दें कि इस विशेष वैक्सीन का उत्पादन भारत में किया जाए। मुझे मालूम है कि एक वैक्सीन की कीमत लगभग 100 रुपये है जिसे खरीदना कमजोर वर्गों के साधन से बाहर है। अतः सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए तत्काल और प्रभावशाली कार्यवाही करनी चाहिए कि इन टीकों की कीमत को 5 रुपये अथवा 10 रुपये रखकर उन्हें सामान्य जनता के लिए उपलब्ध कराया जाए और यदि आवश्यकता पड़े तो आपातकालीन कार्यवाही के रूप में उनकी कुछ निःशुल्क सप्लाई की जाए।

दूसरे अनुसंधान और विकास प्रभाग अथवा जो भी संस्था है, उसे इस वैक्सीन को भारत में उत्पादित करने के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए, और यदि आवश्यक हो तो इस कार्य में किसी विदेशी फर्म अथवा विशेष प्रयोगशालाओं अथवा प्रसिद्ध प्रतिष्ठानों की सहायता भी ली जा सकती है।

तीसरे, इन वैक्सीनों और दवाइयों को दिल्ली से ही क्यों भेजा जाए ? यदि जिलावार और राज्यवार नहीं तो क्षेत्रीय अथवा प्रान्तीय स्तर पर इसके भण्डारण की सुविधा क्यों नहीं की जानी चाहिए ? निश्चित रूप से हम एक आदिवासी गांव में भण्डारण सुविधा की आशा नहीं कर सकते और

इस देश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां कुछ आवश्यक जीवन रक्षक दवाइयां प्राप्त करने के लिए लोगों को दिन भर पैदल चलना पड़ता है।

सरकार को इस सम्बन्ध में युद्ध स्तर पर कार्य करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि यह बीमारी अन्य क्षेत्रों में नहीं फैले। मैं माननीय मन्त्री महोदय और सरकार से इस बात का आग्रह करता हूं कि वे इस भयानक बीमारी के प्रभाव पर ध्यान दें। वर्ष 1988 में करीब 14,690 मामले इस सम्बन्ध में दर्ज किए गए थे और जैसा कि मेरे माननीय मित्र और सहकर्मी ने कहा है पर यह केवल सरकारी आंकड़े हैं। इस तरह के सैकड़ों, हजारों बिना दर्ज हुए मामले भी हो सकते हैं। यह भयानक स्थिति पर पहुंच रहा है, इसलिए मैं स्वास्थ्य मन्त्रालय से इस दिशा में तुरन्त कदम उठाने और कुछ ऐसे ठोस कार्य करने का आग्रह करता हूं जिससे इस बीमारी को और आगे फैलने से रोका जा सके। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष जी, इस विषय पर पिछले तीन सालों में तीसरी बार मुझे बोलने का मौका मिल रहा है और यह दुख की बात है कि जिस प्रकार की स्थिति शुरू में थी, आज भी सरकार के प्रयत्नों के बावजूद उसमें बदलाव नहीं आया है। पहले मच्छर मलेरिया फैलाने का काम करते थे अब मस्तिष्क ज्वर फैलाने का काम करते हैं। जितनी दवा छिड़की जा रही है इससे कम होने की बजाय बढ़ते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि जितनी बड़ी-बड़ी सिटीज हैं, उनमें मच्छरों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि उनको कंट्रोल में लाने के लिए सरकार कोई ऐसी इफेक्टिव मेडीसीन नहीं निकाल पा रही है कि मच्छरों को कंट्रोल किया जा सके। हर साल यह ज्वर फैलता है और इसके एरियाज करीब-करीब निश्चित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय में ऐसे एरियाज को आइडेंटीफाइ किया गया है जिनमें अमूमन हर वर्ष मेनीनजाइटिस फैलता है। अगर आइडेंटीफाइ किया है तो सरकार पहले से प्रिवेंटिव मैजर्स के रूप में वैक्सीन वगैरह उपलब्ध करवा सकती है। मेरे मित्रों ने भी यहां पर कहा और मैं भी उस बात को दोहराना चाहता हूं कि वैक्सीन आप जापान से आयात करते हैं। पिछली बार इस सदन में माननीय मन्त्री जी द्वारा यह कहा गया कि इस वैक्सीन को अपने देश में भी निर्मित करने के विषय में कोशिश कर रहे हैं और यह भी कहा कि एडवांस स्टेज में हमारे एफर्ट्स हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि कितनी संख्या में इस समय हम जापान से इसका आयात कर रहे हैं और हमारे एफर्ट्स किस स्थिति तक पहुंचे हैं। क्या हम यह कह सकने की स्थिति में हैं कि एक-दो साल के अन्दर मेनीनजाइटिस रोकने की वैक्सीन उपलब्ध हो जायेगी। कुछ अखबारों में यह बात आयी है और हमारे साथी भी बता रहे थे कि होम्योपैथी में ऐसी मेडीसीन है, जिसके उपयोग से एक सामयिक रिलीफ रोगी को दिया जा सकता है। लेकिन होम्योपैथी का उपयोग बहुत कम किया जा रहा है। जो एरियाज मेनीनजाइटिस प्रोन हो गए हैं उनमें होम्योपैथी डिस्पेंसरी खोलें ताकि एक बार इस बीमारी के रोगी को कुछ रिलीफ मिल जाए। इससे बहुत सारे लोगों को बचाया जा सकता है। इसके लिए आप क्या कदम उठाने जा रहे हैं। एपीडेमिक जहां भी फैलता है, उनको कन्ट्रोल करने में भारत सरकार मदद देती है। लेकिन आज तो भारत सरकार का जो डाइरेक्टर जनरल का आफिस है, वहां भी ब्यूरोक्रेटिकरण करते जा रहे हैं। आज हालत यह है कि एडीशनल डायरेक्टर रैंक के जो एक्सपर्टस होते थे, उनकी पोस्टस भी खाली रहती हैं यह उनकी जगह आइ० ए० एस० या अन्य ब्युरोक्रेटस को रखा जाता है। इससे न केवल एक्सपर्टस के अंदर नाराजगी है बल्कि हमको एक्सपर्टस से जो सहायता मिल सकती है, उससे भी हम

[श्री हरीश रावत]

वंचित रह जाते हैं। ब्यूरोक्रेट तो रूटिन वर्क कर सकता है लेकिन जो एक्सपर्टीज वर्क है, उनकी जानकारी की आवश्यकता लोगों को पड़ सकती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे पास एडीशनल डाइरेक्टर की कितनी पोस्ट्स हैं जिन मेडोसीन की लाइन से बाहर के लोग काबिज है। जहां मेनीनजाइटिस फैला रहा है, उन एरियाज में नकली दवा बेचने वाले बहुत हो गए हैं। इस कंट्रोल करने के लिए राज्य सरकारों से बातचीत की जानी चाहिए। बीमार को तत्काल रिलीफ के तौर पर जो कुछ मिल जाता है, वह उसको ग्रहण कर लेता है। मेडीसीन पर्याप्त संख्या में नहीं है। जहां उपलब्ध हो सकती है वहां कई तरह की दिक्कतें आ जाती है। गरीब आदमी उसको कहां से खरीदेगा लोगों में सेवा की भावना नहीं है। सरकार भी मुफ्त दवा देने की स्थिति में नहीं है। राज्य सरकारों को इसका खर्च वहन करना पड़ता है लेकिन वे वहन नहीं कर सकती हैं। ऐसी हालत में जो नकली दवाएं हैं, उनका बिजनैस चल निकला है। इस विषय में आप लोगों को एजुकेट करने के लिए क्या कदम उठाने जा रहे हैं और नकली दवाओं के प्रचलन को रोकने के लिए कम कर रहे हैं आपके यहां तो हालत यह है कि दिल्ली के अन्दर हर महीने करीब-करीब एकाध समाचार छपता है कि कंटेमिनेटड फ्लूड और ग्लूकोस के लगाने से लोगों की मृत्यु हुई है। मेरे पास यह एक बोतल है जिसमें साफ दिखाई दे रहा है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे ऐसे नहीं दिखा सकते है।

श्री हरीश रावत : अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसे माननीय मंत्री महोदय के सुपुर्द कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आप इसे उनके कार्यालय में दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत : मैं कहना चाहता हूं कि जब नकली ग्लूकोस से या कंटेमिनेटड फ्लूड के लगाने से लोगों की मृत्यु हुई है तो उसके बारे में आपने कहा कि हम जांच करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक जांच पूरी नहीं हुई। इस बोतल को देखने के बाद कोई भी आदमी यह देख सकता है इस तरह के ग्लूकोस लगाने से किसी के बचने का सवाल नहीं उठता। इस तरीके की मेडिसन आज बाजार में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है और खुलेआम बिक रही है, लेकिन उनको किसी का डर नहीं है। इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेनिंगजाइट्स की बीमारी की नकली दवायें दी जा रही हैं; इनको रोकने की जरूरत है, बल्कि इस तरह की बीमारियों की जो नकली दवायें दिल्ली में खुले आम आपकी नाक के नीचे बिक रही है और अस्पालों में लोगों को दी जा रही हैं इनको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे है? मेनिगजाइट्स की बीमारी की नकली दवायें दी जा रही हैं, इनको रोकने की जरूरत है, बल्कि इस तरह की बीमारियों की जो नकली दवायें दिल्ली में खुले आम आपको नाक के नीचे बिक रही हैं और अस्पतालों में लोगों को दी जा रही हैं, इनको रोकने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

[अनुवाद]

कुमारी सरोज खापर्डे : देश के अनेक भागों में मेनिनजाइटिस मेनिंगोकोकल के कारण हुए मौत

से, मैं सदस्यों की चिन्ता को समझती हूं भारत सरकार स्थिति का जायजा ले रही और राज्य सरकारों को इसकी रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह और रोगियों के रिश्तेदारों को दवाइयां देने तथा बीमारों के अस्पताल में उपचार की व्यवस्था भी कर रही है। भारत सरकार के नियमानुसार यह राज्यों का उत्तरदायित्व है कि वे जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और उपकेन्द्र खोलकर उन्हें डाक्टरी चिकित्सा प्रदान करें।

मेरे प्रिय मित्र, श्री वी० किशोर चन्द्र देव ने आंध्र प्रदेश के अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। उपचार सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने रोग-निदान सूचना और उपचार व्यवस्था के लिए एक डाक्टरी दल की नियुक्ति की है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिक्षा उपायों को भी अपनाया गया है जिससे कि रोगियों को उपचार के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जल्दी लाया जा सके।

जहां तक राज्य सरकार द्वारा विशेषज्ञों का दल भेजने का आग्रह था, जिसके बारे में माननीय सदस्य ने यह शिकायत की है कि यह दल आई० सी० डी० द्वारा दो महीने बाद भेजा गया था। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्य को सूचित करना चाहता हूं कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने माच, 1989 के महीने में विशेषज्ञों का एक दल भेजने का आग्रह किया था। और इस दल को 11 मार्च, 1989 को भेज दिया गया था। मैंने अभी-अभी सभा में जो वक्तव्य दिया उसमें मैंने यह कहा था कि इनमें टीके का कोई महत्व नहीं है और अब भी मैं उसी बात को दोहराऊंगी क्योंकि—विशेषज्ञों की राय के अनुसार टीका दो साल से कम आयु के बच्चों और वयस्कों के लिए भी लाभदायक नहीं पाया गया, इसके लिये प्रत्येक साल बूस्टर डोज की आवश्यकता होती है। लेकिन निवारण उपाय के रूप में टीका उन लोगों के लिए लाभदायक है जिनको इस बीमारी से ज्यादा खतरा है, जैसे – बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के परिवार के सदस्य, चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा अधिकारी जो कि रोगियों की देखभाल करते हैं······
(व्यवधान)

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, अगर मुझे हस्तक्षेप करने का अधिकार है, स्थिति इतनी गम्भीर और खतरनाक हो चुकी है कि अब यह बीमारी आग की तरह फैल रही है। इसलिये स्वाभाविक तौर पर मैंने कहा था कि टीका इसके लिए जरूरी है। दूसरी बात से आप सहमत होंगे कि बच्चों को यह बीमारी वयस्कों से लगती है। इसलिये, टीका बच्चों पर असरदायी नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों को यह बीमारी वयस्कों से लगती है। इसलिये अगर आप इस बीमारी को वयस्कों में फैलने से रोक सकते हैं, उनके सगे-सम्बन्धियों और व्यक्तियों जो कि उनके सम्पर्क में रहते हैं, उनमें फैलने से रोक सकते है तो स्वाभविक ही आप इसे बच्चों में फैलने से रोक सकते हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, चाहे वह बच्चा हो या फिर वयस्क जो भी इनके संसर्ग में आता है। हम हमेशा उनकी देखभाल करने की कोशिश करते हैं।

सभा के दूसरे माननीय सदस्य श्री सेठिया जी ने इस बीमारी से बचने के उपायों के बारे में कहा है। मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा कि इलाज करने वाले सभी केन्द्रों में पेनसिलिन, एमपिसिलिन इत्यादि के इंजेक्शन भरपूर मात्रा में उपलब्ध होने चाहिए ताकि स्थिति से निपटा जा सके। सभी अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी, डिसपेंसरियों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अधिकारियों को इस सम्बन्ध में ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और इस मेनिनजाइटिस मेनिंगोकोकल का शुरू में पता लगाने की कोशिश करनी चाहिए।···(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : लेकिन क्या यह किया जा रहा है ?

कुमारी सरोज खापर्डे : हां, हम इसे कर रहे हैं।

श्री नारायण चौबे : लेकिन आपने कहा है कि ऐसा किया जाना चाहिए।

कुमारी सरोज खापर्डे : हम अपने स्तर पर इसे करने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन मैं सब मानदण्ड और अनुदेश हमारे द्वारा दिये गए हैं।

श्री नारायण चौबे : गांवों में यह नियम उल्लंघन के लिए होता है न कि पालन करने के लिये।

कुमारी सरोज खापर्डे : महोदय, मैं यहां पर केवल यही कह सकती हूं कि हम गांवों में इस समस्या को सुलझाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। यह पूर्ण रूप से राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। हम उन्हें हर सम्भव तरीके से सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं। बस मैं इतना ही यहां कह सकती हूं। जब भी ऐसे मामले नजर में आते हैं, हम तुरन्त उनका उपचार अस्पतालों और डिस्पेंसरियों द्वारा करवाते हैं। हम सभी समाचार पत्रों के माध्यम द्वारा लोगों को शिक्षित करने और बीमारी का शुरू में पता लगाकर उसका अस्पताल या अन्य चिकित्सा सुविधाएं द्वारा उपचार करते हैं।

इस सभा के माननीय सदस्य श्री चालिहा जी ने इसके टीके के बारे में उल्लेख किया है। मैं उनके द्वारा उठाई गई एक-दो चीजों के बारे में कुछ कहना चाहूंगी।

जहां तक टीके की कीमत का प्रश्न तो मैं माननीय सदस्य को यह बतलाना चाहूंगी कि इसकी कीमत 8 रुपये प्रति खुराक है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान टीके का आयात करने के बाद इसे राज्य सरकारों को सप्लाई करता है। जो बाद में इसे अन्य जगहों पर भेजती हैं। श्री चालिहा ने सभा में इस बीमारी के बारे में कुछ टिप्पणियां इस टीके के देश में उत्पादन के स्तर के बारे में कहा है। मैं यहां कहना चाहूंगी कि यह टीका मुख्य तौर पर चिकित्सा और अर्ध चिकित्सा श्रमिकों तथा बीमार व्यक्ति के परिवार के सदस्यों को दिये जाने की सिफारिश की गई है। पिछले चार सालों में रोगियों की संख्या को देखते हुए, जो कि 10 और 20 हजार होगी, टीकों की आवश्यकता करीब-करीब एक लाख होगी। इतनी कम मात्रा में टीके का उत्पादन आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा। इसलिये, विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से आवश्यकतानुसार टीके को हासिल किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से टीका प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती है।

महोदय, इस सभा के एक बहुत विद्वान और सक्रिय माननीय सदस्य श्री हरीश रावत ने इस बीमारी के बारे में बोलते हुए कुछ टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा है कि मेन-जाइटिस मच्छरों के द्वारा होता है। महोदय, मैं इस सभा में आपके द्वारा यह कहना चाहती हूं कि मेनि-जाइटिस मच्छरों के कारण या उनके फैलने से नहीं होता है। लेकिन मैं कहूंगी कि मेनि-जाइटिस मनुष्य के दिमाग को असर करता है। जैसा कि मैंने अपने कथन में कहा है कि यह बीमारी समाज के गरीब लोगों में ज्यादा फैलती है, खासकर जो लोग अस्वास्थ्य कर दशा में रहते हैं और इसी प्रकार यह बीमारी फैलती है।

श्री बी० किशोर चन्द्र एस० देव : महोदय, मैं यह नहीं सोचता कि यह बीमारी केवल गरीब लोगों में ही फैलती है। बीमारी गरीब और धनी लोगों का भेदभाव नहीं कर सकती। यह हो सकता है कि यह अस्वास्थ्यकर दशा में ज्यादा तेजी से फैलती है। यह गंदी बस्तियों में आसानी से फैलती है। अभी तक कोई ऐसा उदाहरण नहीं है जिससे यह पता चलता हो कि इससे कोई धनी लोग मरे हैं।

कुमारी सरोज खापर्डे : मेरे कथनानुसार यह बीमारी कुल मिलाकर गरीब लोगों को ज्यादा प्रभावित करती है। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि यह बीमारी समाज के हर वर्ग को प्रभावित करती है।

महोदय, श्री हरीश रावत मेनिन्जाइटिस के होमियोपैथिक उपचार की बात कर रहे थे। यहां पर मैं यह कहना चाहती हूं कि होमियोपैथिक उपचार की बात कर रहे थे। यहां पर मैं यह कहना चाहती हूं कि होमियोपैथी में मेनिन्जाइटिस और प्रोफिलेक्टिक के इलाज की अनेक प्रभावकारी दवाएं हैं। सी० सी० आर० एच० ने अपनी भोपाल, जयपुर (उड़ीसा) और रांची की इकाईयों को निर्देश दिए हैं कि प्रभावित क्षेत्रों में दल भेजकर प्रोफिलेक्टिक के दवाइयों का वितरण किया जाए।

इस दल ने हाल में अपना कार्य शुरू कर दिया है। रोगियों के रोगलक्षण विज्ञान के मुताबिक रोग-निरोधक दवा का निर्णय लिया जाता है। एक क्षेत्र में काफी तादाद में रोगियों को दी जाने वाली दवा उस क्षेत्र के लिए 'रोग-निरोधक' है। हमने विशेषरूप से भोपाल में हाल ही में यह कार्य शुरू किया था।

महोदय, मैं समझती हूं कि माननीय सदस्य ने स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक (जी०जी०एच०एन०) कार्यालय में अतिरिक्त महा निदेशक के पद के बारे में मुद्दा उठाया है। माननीय सदस्य यहां कह रहे थे कि हमने बाहर से एक व्यक्ति को नियुक्त किया है। मैं यहां यह कहना चाहूंगी कि जी० जी० एच० एस० कार्यालय में बाहर से एक भी अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है।

माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए शेष मामलों के बारे में मैं नहीं समझती कि मुझे उनका उत्तर देना चाहिए। मैं उनके उत्तर देना चाहूंगी लेकिन माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए ये प्रश्न आज के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव से सम्बन्धित नहीं हैं।

12.56 म० प०

कार्य-मंत्रणा समिति नियम
69 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 10 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गए 69 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा कार्य मंत्रणा समिति के 10 अप्रैल, 1989 को सभा में प्रस्तुत किये गए 69 वें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रो० मधु दण्डवते : (राजापुर) महोदय, क्या उन्होंने ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन का शेष भाग सभा पटल पर रख दिया है?

उपाध्यक्ष महोदय : मैं समझता हूं कि यदि आपने कार्यसूची देखी है तो जो कुछ कार्य-सूची में है, वही हुआ है।

संसदीय कार्य मन्त्री तथा सूचना और प्रसारण मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : महोदय, यदि सभा सहमत हो तो 1 म० प० पर मध्याह्न भोजन के लिए सभा स्थगित हो सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा इस पर सहमत है कि यह 1 म० प० पर स्थगित हो और 2 बजे म० प० पर पुन: समवेत हो ?

अनेक माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है।

(व्यवधान)

श्री एच० के० एल० भगत : मैं मध्याह्न भोजन के लिए बैठक को स्थगित होने पर सहमति के लिए आपका अत्यधिक धन्यवाद करता हूं।

12.58 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) उड़ीसा के बोलनगीर जिले को पेय जल की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामले लेते हैं। श्री नित्यानन्द मिश्र बोलें।

श्री नित्यानन्द मिश्र (बोलनगीर) : उड़ीसा के बोलनगीर जिले में पीने के पानी की अत्यन्त कमी होने के कारण बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है। पिछले कई सालों से कम वर्षा होने और भयंकर सूखा पड़ने के कारण ऐसा हुआ है। सभी तालाब, बांध और जलाशय सूख गये हैं तथा भूमिगत पानी का स्तर बहुत नीचे चला गया है। विशेषज्ञों और इंजीनियरों ने इस पेयजल की कमी की आशंका व्यक्त की थी और जब दिसम्बर के मध्य में यह पाया गया कि जल-स्तर बहुत तेजी से अत्यधिक कमी होती आ रही है तो उन्होंने इसकी स्पष्ट चेतावनी भी दी थी। साठ हजार की आबादी वाले बोलनगीर नगर ने पहले ही काफी कठिनाई का सामना किया है, क्योंकि यहां की पेयजल वितरण प्रणाली, सामान्य आवश्यकता का पांचवा भाग वितरत करने में भी असफल रही है। विशेष तथा तकनीकी जानकारों द्वारा सुझाए गए उपायों पर अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है। गहरे ट्यूबवेल स्थापित करने के लिए जिला विकास बोर्ड ने एक आधुनिक खुदाई यन्त्र की मांग की थी जो कि अभी तक नहीं दिया गया है। बोलनगीर को पानी की सप्लाई बढ़ाने के लिए ही तुरन्त उपाय नहीं किए जाने चाहिए वरन पीने के पानी की सप्लाई और उसकी ढुलाई टैंकरों के द्वारा करने के लिए भी अविलम्ब वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर ध्यान दे और राज्य सरकार को आवश्यक सहायता प्रदान करे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब 1.00 म० प० बजा है।

सभा मध्याह्न भोजन के लिए स्थगित होती है और 2.00 म० प० पर पुन: समवेत होगी।

1.00 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

———

2.07 म०प०

(मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.07 म० प० पर पुन: समवेत हुई।)

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

नियम 377 के अधोन मामले-जारी

उपाध्यक्ष महोदय : श्री नन्द लाल चौधरी उपस्थित नहीं हैं, श्री वृद्धि चन्द्र जैन।

[हिन्दी]

(दो) राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के गांवों को केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत पानी की आपूर्ति किए जाने हेतु धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार एवं प्रदेश सरकारों ने छठी एवं सातवी पंचवर्षीय योजनाओं में देश के 1,61,722 समस्याप्रद ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की समस्या का स्थायी हल करने का प्रयास किया है और इस समस्या को हल करने के लिए केन्द्र सरकार ने केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अन्तर्गत काफी राशि का प्रावधान किया परन्तु इसके उपरांत भी देश में ऐसे कई कठिन और दुर्गम रेगिस्तानी और पहाड़ के क्षेत्र है जहां अभी तक पीने के पानी के लिए 10 से 15 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ता है और गर्मी के दिनों में टैंकरों से पानी लेना पड़ता है।

राजस्थान प्रदेश के बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों में करीब एक हजार गांव ऐसे है, जहां पीने का पानी अभी तक नहीं पहुंचा है। इन रेगिस्तानी क्षेत्रों में ढाणियों के समूह के नए रेवेन्यु ग्राम बने हैं, उन योजनाओं को राजस्थान सरकार ने अभी तक केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति के लिए नहीं भेजा है।

अत: केन्द्र सरकार से निवेदन है कि राजस्थान के विशेषत: रेगिस्तानी क्षेत्रों बाड़मेर, जैसलमेर एवं जोधपुर जिलों के सभी पुराने, नए गांवों और ढाणियों के समूह में जहां 250 से अधिक जनसंख्या है, सातवी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक पीने के पानी को पहुंचाने का प्रबन्ध करावें और इसके लिए 200 करोड़ रुपए राशि की आवश्यकता है, जिसका केन्द्रीय त्वरित ग्रामीण जल प्रदाय योजना के अंतर्गत प्रावधान करें।

(तीन) राजस्थान के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में नलकूपों के लिए राज्य सरकार की वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री शंकर लाल (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, भारत सरकार द्वारा राजस्थान भूजल विभाग को पाताल तोड़ (ट्यूबवैल) कुंओं की संभावना के अध्ययन एवं निर्माण हेतु मार्च 1988 से आर्थिक सहायता न देने के निर्णय से राजस्थान जैसे पिछड़े व सूखे से ग्रसित रहने वाले इलाके के किसानों को

तरक्की के जो द्वार बन्द हो गये हैं, उस पर गम्भीरतापूर्वक ध्यान देकर पातालतोड़ (ट्यूबवैल) कुओं के निर्माण हेतु अधिक धनराशि भारत सरकार द्वारा राजस्थान को ऋण व अनुदान के रूप में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया जाना अनिवार्य है अन्यथा इस सम्बन्ध में पूर्व में दी गई राशि का भी उपयोग नहीं रहेगा और योजना अधूरी रह जाएगी एवं किसान निरुत्साही होंगे।

(चार) कोयल-कारो पन बिजली परियोजना पर तत्काल कार्य आरम्भ किए जाने की आवश्यकता

श्री सरफराज अहमद (गिरिडीह) : बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में कोयल-कारो हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्थापित किया जाना 9 वर्ष पूर्व स्वीकृत हुआ था। इस प्रोजेक्ट से 710 मेगावाट विद्युत प्राप्त होने का अनुमान है। इसके लिए भूमि अधिग्रहण को लेकर उच्चतम न्यायालय में मामला गया। राज्य सरकार के हस्तक्षेप से भू-स्वामियों ने भूमि देना स्वीकार कर लिया किन्तु फिर भी मामले को न्यायालय में लटकाए रखा गया। अब न्यायालय का निर्णय हो चुका है जो सरकार के पक्ष में है। भूमि अधिग्रहण का मामला अब न्यायालय द्वारा निपटा दिया गया है तथा फैसला सरकार के पक्ष में गया है। अतः भूमि अधिग्रहण का कार्य तत्काल किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में विलम्ब होना खेदजनक है। इससे जहाँ लागत मूल्य में भारी वृद्धि होती है वही योजना के पूरा होने पर मिलने वाले लाभ से भी देश वंचित रह जाता है।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कोयल-कारो हाइड्रो इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए भूमि अधिग्रहण व अन्य आवश्यक कार्यवाही तत्काल शुरू की जावे।

(पांच) उत्तर प्रदेश में एटा जिले में पटियाली तहसील के गंज डुंडवाला में गंगा नदी के किनारों के साथ एक स्थाई बांध का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जिला एटा (उत्तर प्रदेश) में पटियाली तहसील मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में है यहां पर कादरगंज तथा गांव गंगा नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए हैं। वर्षा ऋतु में जब गंगा नदी में बाढ़ आती है तो ये गांव और इनकी फसलें नष्ट हो जाती हैं। गंगा नदी के किनारों के साथ साथ एक स्थाई बांध का निर्माण किए बगैर इन गांवों तथा इनकी फसलों को नष्ट होने से नहीं बचाया जा सकता है। भारत सरकार से अनुरोध है कि वह इन गांवों को बचाने के लिए नदी के साथ एक स्थाई बांध बनाये।

(छः) धुबरी जिले (असम) में चापर से चन्द्रदिगा तक ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किए जा रहे भू-कटाव की रोकथाम किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल हमीद (धुबरी) : धुबरी (असम) जिले में चापर से चन्द्रदिगा तक लगभग 10 किलोमीटर के क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा किए जा रहे लगातार भू-कटाव से यहां आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन व सम्पत्ति को भारी खतरा पैदा हो गया है। भू-कटाव से बहुत सा क्षेत्र पहले ही नष्ट होकर नदी में समा चुका है। हजारों लोग बेघरबार तथा भूमिहीन हो गए हैं। यहां तक कि मेरा गांव पुथीमारी भी नष्ट होने वाला है क्योंकि इसका ज्यादातर भाग ब्रह्मपुत्र नदी में बह चुका है। इस स्थान तथा यहां रहने वाले लोगों की रक्षा के लिए लगातार मांग किए जाने के बावजूद पिछले 20 वर्षों से केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही हैं।

यह क्षेत्र अत्यधिक आबादी वाला है तथा अधिकतर लोग कृषक हैं। लोग बहुत गरीब हैं और उन्हें बाढ़, सूखा, भू-कटाव तथा अन्य प्राकृतिक आपदाओं का हर समय सामना करना पड़ता है। लोगों के निर्वाचित प्रतिनिधि सहित इस क्षेत्र के लोग भू-कटाव से प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए काफी समय से मारे-मारे फिर रहे हैं लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है।

इसलिए मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं वह इस क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आगे आए और यहाँ की गरीब जनता के हितों की रक्षा करे।

(सात) केरल में पारपत्र जारी किए जाने में होने वाले विलम्ब को दूर किए जाने हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

प्रो० पी० जे० कुरियन (इदुक्की) : केरल में पारपत्र जारी करने में अत्यधिक देरी होती है। अन्य राज्यों में पारपत्र दो या तीन सप्ताह में जारी हो जाता है जबकि केरल में इसे जारी करने में तीन से छः महीने का समय लगता है। इस विलम्ब के कारण वे लोग अपने रोजगार से हाथ धो बैठते हैं जिन्हें विदेशों में रोजगार के प्रस्ताव मिले हुए होते हैं। इसके कारण राज्य के लोगों में बहुत असन्तोष फैला हुआ है।

कहा जाता है कि इसका एक कारण कोचीन के पारपत्र कार्यालय में कर्मचारियों की कमी है। यदि यह सच है तो इस कार्यालय में आवश्यक कर्मचारी नियुक्त करने के लिए तुरन्त कदम उठाए जायें।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह इस समस्या की गंभीरता को महसूस करे और सभी आवश्यक उपाय करे ताकि पारपत्र प्राप्त करने में विद्यमान देरी से बचा जा सके। ऐसे निदेश जारी किए जाएं कि केरल में आवेदकों को पारपत्र दो से तीन सप्ताह के अन्दर जारी कर दिए जाएं।

(आठ) बिहार के हजारी बाग जिले में कोलेश्वरी पहाड़ियों का एक पर्यटक स्थल के रूप में विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन इस महत्वपूर्ण विषय को यहां पर उठाना चाहता हूं—

बिहार में हजारीबाग जिलान्तर्गत हटरगंज प्रखंड में धार्मिक, सांस्कृतिक और सर्वधर्म सम्भाव के दृष्टिकोण से कोलेश्वरी पहाड़ बहुत ही महत्वपूर्ण केन्द्र है। छोटा नागपुर के सुरम्य पर्वतीय अंचलों में कोलेश्वरी देवी का मन्दिर जो उन्हीं के नाम सुविख्यात है, बहुत ही आकर्षक और पर्यटन की दृष्टि से दुर्लभ स्थान है। कोलेश्वरी देवी के नाम की चर्चा पुराणों में भी वर्णित है। दो-ढाई हजार फुट ऊंचे इस पर्वत पर शिलाखंड निर्मित कोलेश्वरी देवी का मंदिर प्रायः प्रतिदिन सैकड़ों लोगों को आकर्षित करता रहता है। न केवल हिन्दू बल्कि जैन तीर्थंकरों और बौद्ध मतावलंबियों के महान साधकों के लिए यह पर्वत शिखर तपोभूमि रही है। इस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ा जलाशय भी है, जिसका जलस्रोत शाश्वत बना रहता है। हजारों की संख्या में प्रत्येक वर्ष जैन एवं बौद्ध धर्मावलम्बी तीर्थयात्रियों का आवागमन बना रहता है परन्तु दुख का विषय है कि उस पहाड़ पर पहुंचने का जी० टी० रोड़ एवं चतरा से लगे मुख्य मार्ग से कोई समुचित रास्ता नहीं है और यात्रियों को वहां

तक जाने में अनेक कठिनाइयां झेलनी पड़ती हैं। पहाड़ के ऊपर मनोहारी छवि और प्रकृति के इस दुर्लभ परिवेश को पर्यटकों के लिए आकर्षण का केन्द्र बनाया जा सकता है।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि कोलेश्वरी पहाड़ को पर्यटक केन्द्र के रूप में विकसित किया जाए।

2.17 म० प०

ठक्कर आयोग के अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब श्री बूटासिंह द्वारा 10 अप्रैल, 1989 को पेश किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे चर्चा करेगी :—

"कि यह सभा स्वर्गीय प्रधानमन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के बारे में 27 मार्च, 1989 को सभा पटल पर रखे गए ठक्कर आयोग के अन्तरिम और अन्तिम प्रतिवेदनों तथा उन पर की गई कार्यवाही के ज्ञापन पर विचार करती है।"

श्री रामेश्वर नीखरा अपना भाषण जारी रखें।

[हिन्दी]

श्री रामेश्वर नीखरा : (होशंगाबाद) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल मैंने बात प्रारम्भ की थी और सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी, इस कारण से आज फिर से अपनी बात प्रारम्भ कर रहा हूं और मुझे इस बात की बहुत तकलीफ है कि यह सदन प्रजातन्त्र का सर्वोच्च मन्दिर माना जाता है, जहां पर चुनकर सारे लोग आते हैं और महत्वपूर्ण चर्चाएं होती हैं, इतनी महत्वपूर्ण बहस में हमारे विपक्ष ने वाक-आउट का सहारा लिया है। जब हम बाहर जाते हैं तो जनता हमसे पूछती है कि आप लोग संसद का समय इतना जाया क्यों करते हैं। जब आपको किसी रिपोर्ट पर बहस नहीं करनी होती है तो फिर उस रिपोर्ट को पेश करने की बात क्यों करते है। जब रिपोर्ट पेश हो जाती है तो आप उसका बहिष्कार करने की बात क्यों करते हैं। यह बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ होती है।

उपाध्यक्ष जी, इस दन में यह पहली बार नहीं हुआ है, करीब 9 वर्ष से मैं यही देख रहा हूं। जब कभी कोई भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा होती है और हमारे विपक्षी भाइयों को लगता है कि इस मुद्दे पर उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है तो वह सदन के बहिष्कार का सहारा लेता है और सदन का बहिष्कार कर देता जिससे वे अपने कुछ न बोलने की बात ताईद कर सकें, उसकी ताकीद कर सकें। पिछले दिनों भी इस सदन में यही हुआ, बोफोर्स इन्क्वायरी की मांग की गई कि संसदीय समिति से इसकी जांच कराई जाए। सरकार ने जब यह मांग मान ली तो कहा गया कि इसकी चेयरमैनशिप उनको दे दी जाए। जब संसदीय समिति की रिपोर्ट आई तो उसकी चर्चा का भी विपक्ष ने बहिष्कार किया। जिस बात को इन्होंने गांव-गांव तक पहुंचाया, सड़कों तक ले गए, गलियों में ले गए, हर जगह ले गए, जब इन्होंने देखा कि जनता पर विश्वास नहीं करती है और रिपोर्ट में किसी प्रकार की बात नहीं। आई जिससे कि आरोप-प्रत्यारोप लगाया जा सके तो उन्होंने इस चर्चा में भाग लेने से इन्कार कर दिया और सदन का बहिष्कार कर दिया। इस प्रकार से दूसरे आयोगों की रिपोर्टों की बात आई, उन पर भी इन्होंने यही किया। आज इन्होंने इस बात की मांग की थी कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट अखबारों में लीक हो गई है, इसको सदन में पेश किया जाए। जब संसद में पेश करने की

घोषणा कर दी गई तो आरोप लगाना शुरू कर दिया कि रिपोर्ट टैंपर हो जाएगी, बदल दी जाएगी, गलत रिपोर्ट पेश की जाएगी सही रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। जब सही रिपोर्ट पेश कर दी गई, पूरी रिपोर्ट पेश कर दी गई तो कहते हैं कि पूरी रिपोर्ट सदन में नहीं आई है, इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

इन दोनों मुद्दों को कल हमारे प्रधानमन्त्री जी ने जिस खूबी के साथ इस सदन में रखा है उससे हर देशवासी इस बात से सहमत हो गया कि पूरी रिपोर्ट वही है, विपक्ष गलत कह रहा है और इसके अलावा कोई बात नहीं है। परन्तु पिछले तीन बरस से इन लोगों ने चरित्र हत्या करने का बीड़ा उठाया हुआ है। अब कहते हैं कि रिपोर्ट पर बहस नहीं करेंगे, सड़क पर ले जायेंगे। मैं इनसे यह कहना चाहता हूं कि सड़क पर ले जाने से पहले इस देश की मानसिकता को समझें। यह देश पूरी तरह से जानता है कि स्वर्गीय इन्दिरा जी के प्रति आपकी क्या फीलिंग्स रही हैं। किस ढंग से आपने उनके जिंदा रहते हुए आरोप-प्रत्यारोप लगाए और किस ढंग से गलत बातें कीं। जब आप शासन में आए तो कितने आयोग उनके ऊपर बैठाए और कितने आयोगों के सामने उनको पेश किया। यह देश जानता है कि जनता ने उनको चिकमंगलूर से चुनकर भेजा और जनता की बात न मानकर उन्हें जेल भेजने की कोशिश की। आप सड़क पर ले जाएं, गलियों में ले जाएं या कहीं भी ले जाएं, देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि आपने जो इतना हल्ला मचाया, पबलिक मीटिंग्स कीं, वह केवल एक उद्देश्य से किया कि चुनाव आ रहा है। पांच साल में कोई ऐसा मुद्दा नहीं बना पाए कहीं कोई यह न कहने लगे कि तुम क्या करते रहे। कोई यह न कहे कि क्या आपका कोई सिद्धान्त या नीति है या आपने कोई मेमोरेन्डम बनाया है या किसी प्रकार की आपने गरीब आदमी की कोई भलाई की बात की है। कोई प्रश्न न पूछने लगे इसलिए चुनाव से पहले ऐसा मुद्दा उठा दिया। इन लोगों ने कांग्रेस पार्टी और राजीव गांधी जी की छवि खराब करने की कोशिश की। राजीव जी कांग्रेस पार्टी की इन्दिरा जी की कांग्रेस पार्टी से दूर करने की कोशिश की ताकि जनता में शक का वातावरण बना दिया जाए, मात्र इस उद्देश्य से रिपोर्ट को उठाया था। जब उन्होंने यह देखा कि इस रिपोर्ट से कहीं कोई फायदा नहीं निकलता है तो यह कह दिया कि ठक्कर ने धवन पर आरोप लगाया है और शंका की सुई छोड़ी है। मैं उनकी बात को तर्क के लिए मान भी जाऊं तो उन्हीं ठक्कर साहब ने रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि मैं इस बात की सिफारिश करता हूं कि केन्द्र सरकार जिस एजेंसी से उचित समझे उससे जांच कराएं कि शंका की सुई धवन पर रुकती है या नहीं। उस सिफारिश पर आनंद राम कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने भी रिपोर्ट दे दी कि धवन निर्दोष हैं। एक ओर ठक्कर साहब की इस बात को मानते हैं कि शंका की सुई धवन पर रुकती है और दूसरी ओर विपक्ष इस बात को नहीं मानना चाहते कि उन्होंने ही सिफारिश की थी कि कोई एक इंडीपेंडेंट कमेटी बनाई जाए। जब उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश की तो उसको मानने से इंकार करते हैं और केवल जनता में शंका का वातावरण पैदा करना चाहते हैं। केवल आम आदमी जो इस देश के प्रजातन्त्र का स्तम्भ है वह शंका करने लगे इस वजह से बाहर बातें कर रहे हैं। कल संसद में बहस में हिस्सा नहीं लिया और बाहर जाकर इन्होंने चर्चा की। अगर हिस्सा लेते तो बताते कि सरकार ने कहां गलती की है जिसका सरकार पूरी तरह से जवाब देती। लेकिन उनके पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिस पर उन्होंने बहस करना उचित समझा। हमारे कुछ साथी जो कल तक हमारे साथ बैठते थे, आज नैतिकता की दुहाई देकर वहां चले गए हैं। सन् 86 तक मन्त्रिमण्डल में थे। जब ठक्कर साहब ने रिपोर्ट पेश की तो यह सिफारिश भी की कि इसको जनहित में संसद में पेश करना उचित नहीं होगा। मन्त्रिमण्डल में बैठकर उस रिपोर्ट पर निर्णय लेकर वे संसद के अन्दर अमेंडमेंट ले आते हैं और अमेंडमेंट संसद के दोनों सदनों में मंजूर

[श्री रामेश्वर नीखरा]

हो जाता है। हमारे साथी जो यहां से उठकर वहां चले गए हैं उस समय कोई नैतिकता की दुहाई नहीं देते थे। आज तीन बरस बाद वे चाहते हैं कि यह सिद्ध कर सकें कि वे चले गए और नैतिकता की गलत दुहाई देकर रिपोर्ट पर आरोप लगाना चाहते हैं। उस नेता पर आरोप लगाना चाहते हैं जिस नेता के साथ रहकर उन्होंने मन्त्रिमण्डल के सदस्य के रूप में काम किया। उस नेता के ऊपर आरोप लगाना चाहते हैं, मैं ऐसे लोगों से कहता हूं कि नैतिकता की दुहाई देने वाली, अगर जरा-सी आप में नैतिकता थी तो 1986 के अन्दर भी इस बात को कह सकते थे कि यह रिपोर्ट पेश होनी चाहिए। 1986 के अन्दर भी 'इण्डिया टुडे' ने इसे लीक किया था, छापा था और 'स्टेट्समैन' ने भी इसे छापा था। परन्तु उस दिन उस पर बहस करने की बात नहीं की। वे जानते थे कि इसमें कुछ नहीं निकलेगा, चुनाव के समय उठायें तो कुछ मामला निकल जाये। मुझे बहुत तकलीफ हुई है, कल-परसों एक बड़ी पार्टी के अध्यक्ष का बयान पढ़कर उन्होंने बयान किया कि राजीव गांधी इस रिपोर्ट को लेकर राजनीति के माध्यम से चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं। रिपोर्ट तुमने पेश करने की मांग की, इसको मुद्दा तुम ने बनाया, तुम ने बहस करने की मांग की, तुमने गलत-गलत आरोप लगाए, अगर राजीव गांधी ने सही जवाब दे दिया तो आप कहते हैं कि चुनाव में फायदे के लिए इस बात को कर रहे हैं। इस देश की जनता इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि इन्दिरा गांधी के हत्यारों की वकालत किसने की थी, इन्दिरा गांधी के हत्यारों को जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय देकर उनके लिए फांसी की सजा दे दी तो कौन लोग थे जिन्होंने फांसी माफ करने की बात की थी। उन लोगों का कितना प्रेम इन्दिरा गांधी से रहा है यह देश की जनता भली-भांति जानती है। वह इनकी बातों में कभी नहीं आयेगी। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्रीजी से अनुरोध करूंगा कि जो विदेशी हाथ की बात आई है, उसका खुलासा किया जाये। जो विदेशी हाथ बीच में आया है कि उसके साथ मिलकर इन लोगों ने हत्या की साजिश की है, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो लोग बहिष्कार कर रहे हैं उनको शंका हो कि उनके एक या दो साथी गिरफ्त में आ जाएंगे, क्योंकि यह बात सामने आई है और सारा सदन इस बात को जानता है कि जनता दल के नेता बीजू पटनायक और जार्ज फर्नांडीज जी पाकिस्तान में जिया के मेहमान बने। उस जिया के मेहमान बने जो कि तानाशाही और फौजीशाही सत्ता का प्रतीक था। जिसकी हिन्दुस्थान के प्रति क्या भावना थी, यह सब जानते हैं। वहां जाकर ये दोनों उसके मेहमान बने और उसकी मेहमान नवाजी की तारीफ की। सारा सदन इस बात को जानता है। इनकी पार्टी के एक नेता सुब्रामण्यम स्वामी अमृतसर में हरमन्दिर साहब में रहकर आये, आपरेशन ब्लू स्टार से पहले, और बोले कि वहां पर हथियार नहीं हैं, कोई असला नहीं है। लेकिन उसके बाद जब आपरेशन हुआ तो यह सब निकला, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शंका की सुई इनके ऊपर पहुंच जाये इसलिए ये बहस में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। मैं मात्र यह कहना चाहता हूं कि इनकी हमेशा दो मुंही बात रही है। इस सदन में ठक्कर-नटराजन आयोग की रिपोर्ट पेश की गई थी। यह आयोग फेयरफैक्स की नियुक्ति की जांच करने के लिए बनाया गया था। उस आयोग ने रिपोर्ट पेश की, ठक्कर साहब और नटराजन साहब दोनों सीटिंग जज थे, जब सुप्रीम कोर्ट के दो सीटिंग जजेज ने रिपोर्ट पेश की तो इन्होंने इस रिपोर्ट को मानने से इन्कार कर दिया और उस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात कही। उस रिपोर्ट में आरोप लगाए गए थे कि फेयरफैक्स की नियुक्ति करके इस देश की सुरक्षा को बेचने का प्रयास किया गया, देश की सुरक्षा समाप्त करने का प्रयास किया गया तो इतनी गंभीर रिपोर्ट को इस विपक्षी दलों ने कोई मान्यता नहीं दी और उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने की बात की। जब उन्हीं ठक्कर साहब ने दूसरी रिपोर्ट पेश की तो उसके सम्बन्ध में इस तरह की बात करने

लगे कि वह पेश की जाये, पेश कर दी तो वह बहस नहीं कर रहे हैं बात नहीं कर रहे हैं, बाहर जाकर बात कर रहे हैं। इससे पता चलता है कि इनके सोचने का नजरिया देश के बारे में कोई नहीं है, न पहले था और न भविष्य में रहेगा ऐसा आज के वातावरण को देखते हुए लगता है। इसलिए इन्होंने सदन का पिछले दिनों जो समय जाया किया है कि रिपोर्ट पेश करो और पेश करने के बाद बहस करने से इनकार कर दिया है तो निश्चित रूप से इन्होंने प्रजातंत्र की हत्या की है। इन्होंने धमकी दी है कि हम इसे सड़कों, गलियों में ले जायेंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हम गांधी जी और नेहरूजी की पार्टी के लोग हैं, हम इन्दिरा गांधी के सिद्धांतों पर चलने वाले लोग हैं। अगर ये सड़कों पर ले जायेंगे तो हम सड़कों पर ही इसका जवाब देंगे, खेत-खलिहानों और गलियों में इनको जवाब देंगे। हम जानते हैं कि हिन्दुस्थान की संस्कृति कभी मां से बेटे को अलग नहीं कर सकती है, कभी कांग्रेस को इन्दिरा गांधी को हमसे अलग नहीं कर सकती है।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं कल सभा में दिये गए माननीय प्रधान मन्त्री के उस वक्तव्य का स्वागत करता हूं जिसमें हमें सूचित किया गया था कि उनकी सरकार ने एक समाचारपत्र के माध्यम से ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के लीक होने पर जांच करवाने का निर्णय लिया है। मैं इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं क्योंकि जो कुछ समाचारपत्रों में छपा है उससे मैं आजकल चिन्तित रहता हूं और मुझे इस प्रतिवेदन के लीक होने से बड़ी चिंता है। वास्तव में इस चर्चा में भाग लेना मेरे लिए आवश्यक नहीं था लेकिन ठक्कर आयोग के अन्तरिक और अन्तिम प्रतिवेदनों का अध्ययन करने के बाद मेरी आत्मा ने मुझे इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया।

प्रधानमन्त्री के वक्तव्य का महत्व बहुत अधिक है क्योंकि सभी लोगों को यह आश्चर्य था कि किस प्रकार से इस प्रतिवेदन के लीक किये जाने का एक विशेष समय था और यह इस प्रकार से कैसे लीक हो गया। इसमें पहले ही सभा का काफी समय लग चुका है। मुझे बड़ी खुशी है कि प्रधानमंत्री ने जांच गठित करने की पहल की है।

मैंने श्री गाडगिल का भाषण सुना तथा उनका यह तर्क भी सुना कि सरकार के लिए यह क्यों आवश्यक नहीं था कि आयोग के कार्यवाही वृत्तान्त को सभा पटल पर रखे। मैं काफी हद तक श्री गाडगिल से सहमत हूं। मुझे एक अन्य कारण से भी बहुत खेद है कि विपक्ष ने चर्चा में भाग नहीं लिया। उन्होंने अध्यक्ष से बलपूर्वक आग्रह किया था कि उनके अनुसार कार्यवाही वृत्तान्त सहित पूर्ण प्रतिवेदन को सभा में रखा जाए। लेकिन अध्यक्ष महोदय के विनिर्णय देने के बाद उन्हें उसका सम्मान करना चाहिए और यहीं होना चाहिए। मुझे यह रिपोर्ट पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। मैं समझता हूं कि ठक्कर आयोग की कुछ सिफारिशें बहुत जटिल हैं। मैं ठक्कर आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को समझने का प्रयत्न करता रहा हूं। मैं उन सिफारिशों को सकारात्मक सिफारिशें कह सकता हूं लेकिन उन सकारात्मक सिफारिशों में भी नकारात्मक तत्व हैं और इन नकारात्मक तत्वों ने मुझे परेशान कर रखा है। मैं समझता हूं कि न्यायाधीश ठक्कर काफी दबाव में कार्य कर रहे थे। वह सही निष्कर्षों पर नहीं पहुंच पाये। शुरू से ही ठक्कर आयोग दबाव में कार्य कर रहा था और यह रिपोर्ट से भी लगता है। चूंकि मैंने कहा था कि ये सिफारिशें सकारात्मक हैं, अतः मैं समझता हूं कि भारत सरकार ने पहले ही उन पर कार्यवाही कर ली है। वस्तुतः इनमें से एक मुद्दे पर, जोकि

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

श्री धवन से सम्बन्धित है एस० आई० टी० द्वारा गौर किया गया है। इसलिए कार्यवाही की गई है। मैं पृष्ठ 146 पर दी गई उनसे 3.5 सिफारिशों को सकारात्मक सिफारिशें मानता हूं तथा जिनमें सरकार को इस प्रकार या उस प्रकार कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। परन्तु मैं समझता हूँ कि इन सिफारिशों में नकारात्मक तत्व भी हैं। क्यों? यह इसलिए क्योंकि आयोग शुरू से ही श्री धवन से चिढ़ा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री आर० के० धवन को बिल्कुल भी नहीं जानता हूं क्योंकि 1983-84 में मेरी दिल्ली में जान-पहचान नहीं थी और उन तक नहीं पहुंचा जा सकता था। केवल कुछ दिन पहले ही किसी ने इशारा किया और मुझे बताया कि वह श्री धवन हैं। परन्तु जब मैंने रिपोर्ट में श्री धवन के बारे में पढ़ा तो मैंने महसूस किया कि मैं रिपोर्ट में भी श्री धवन के प्रति आयोग की नाराजगी को ही देख सकता हूं।

आपको आश्चर्य होगा कि पृष्ठ 146 पर जहां आयोग ने कुछ सिफारिशें दी हैं वहीं आयोग दो श्री धवन के बारे में पहले पैरे में ही कहा है :

"यह सिफारिश की जाती है कि केन्द्र सरकार रिपोर्ट के परिप्रेक्ष्य में स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के तत्कालीन विशेष सहायक श्री आर० के० धवन के इसमें शामिल होने के संबंध में उचित एजेन्सी से इस मामले की जांच कराये जाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करे।"

फिर एक टिप्पणी है और अन्य सिफारिशें हैं। दूसरी सिफारिश है :

"...कि केन्द्र सरकार श्री मार्क टुल्ली के मामले में अपनाए जाने वाले तरीके के प्रश्न के सम्बन्ध में गंभीरता से विचार करे।"

फिर तथाकथित "खालिस्तान गणतन्त्र" के प्रश्न से संबद्ध अन्य सिफारिश है। फिर पैराग्राफ 3.4 है—कि केन्द्र सरकार आतंकवादियों के प्रशिक्षण के स्कूलों के संबंध पर पूरी तरह से गौर करे।

आयोग ने श्री धवन का मामला पहले क्यों रखा है? यदि सरकार को आतंकवादियों की गतिविधियों तथा श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या में शामिल किसी विदेशी हाथ के प्रश्न पर गौर करना था और यदि इसे कई अन्य चीजों को देखना था तो श्री धवन को इन सब सिफारिशों में पहले क्यों रखा गया? आयोग ने किसी अन्य चीज से पहले श्री आर० के० धवन पर अपना ध्यान केन्द्रित किया है। कई पृष्ठों पर यहां वहां धवन ही धवन है।

केवल दो आरोप हैं जो आयोग ने श्री धवन के विरुद्ध लगाये हैं और जिनमें उन्हें फंसाया गया। मैं तो कहूंगा कि यह जानबूझ कर नहीं किया गया क्योंकि मेरी राय में आयोग दबाव में कार्य कर रहा था और उसकी बात में बाद में करूंगा। यह बहुत दुर्भाग्य पूर्ण है। एक प्रतिष्ठित न्यायाधीश ने यह जिम्मेदारी ली थी। मैंने पहले भी इस सदन में कहा है कि इसमें न्यायाधीश महोदय को बहुत जिम्मेदाराना भूमिका निभानी होगी। हम उच्चतम न्यायालय की इज्जत करते हैं, हम सभी न्यायाधीशों की इज्जत करते हैं। परन्तु जब कभी वे गलती करते हैं तो अकेले यह सभा ही उनसे प्रश्न कर सकती

है। मैं समझता हूं कि न्यायाधीश ठक्कर बहुत दबाव में कार्य कर रहे थे या हो सकता है उन्हें इसके लिए प्रेरित किया गया हो। शुरू से ही श्री धवन को आयोग से वार्षिक कराया गया और आयोग उस स्थिति से नहीं उबर पाया।

अंत में आयोग कहता है कि सन्देह की सूई श्री आर० के० धवन की ओर इशारा करती है। मैं कल्पना कर सकता हूं कि यदि आप एक चुम्बकीय छड़ी को अपने हाथ रखें और भले ही सुई को कांच से ढक दें तब भी सुई उधर ही जाएंगी जिधर भी आप चुम्बक को करेंगे कल प्रधान मन्त्री ने हमें आश्वासन दिया था कि वह एक आयोग का गठन करेंगे यह एक स्वागत योग्य घोषणा है और फिर हम देखेंगे कि सूई फिर स्वाभाविक रूप से कहां इशारा करती है लेकिन जो सूई आयोग के पास थी और श्री आर० के० धवन की तरफ इशारा कर रही थी, मैं समझता हूं कि इसमें किसी के पास चुम्बीय छड़ थी और सूई चुम्बक के मुताबिक इशारा कर रही थी और इस तरह के दबाव में आयोग कार्य कर रहा था सूई और कुछ नहीं सिर्फ श्री धवन की तरफ ही इशारा कर सकती थी।

अब श्री धवन को दो बातों के लिए फसाया गया है, एक यह कि उन्होंने जून 1984 में पुलिस उपायुक्त और वरिष्ट पुलिस अधिक्षक को प्रधान मन्त्री के नाम पर सिख सुरक्षा कर्मियों को महत्वपूर्ण स्थितियों पर तैनात करने के निदेश दिये थे। यह ठीक नहीं है। मैंने रिपोर्ट पढ़ी है। श्री आर० के० धवन प्रधान मन्त्री के नाम पर बोल सकते थे वह विशेष सहायक के रूप में कार्य कर रहे थे। आप एक प्रधान मन्त्री या एक मंत्री को प्रत्येक आदेश लिखित रूप में देने के लिएनहीं कह सकते जो वह इस तरह अपने निजी सहायक को देते है। इस रिपोर्ट में यह सिद्ध नहीं होता है कि श्री आर० के० धवन ने सुरक्षा संबंधो महत्वपूर्ण स्थिस्तियों पर सिखों को पुन: तैनात किया लेकिन लगता है कि श्री धवन ने प्रधान मंत्री के नाम पन निर्देश दिये कि सुरक्षा कर्मियों में जवान भी तैनात किये जाने चाहिए। उस मनहूस दिन जो षड्यन्त्रकारियों ने नियत किया था ऐसी बात नहीं है कि बेअन्त सिंह और सतवंत सिंह ने श्री आर० के० धवन के आदेशों के तहत अपनी स्थितियां बदलीं। आयोग यह नहीं कहता है। उन्होंने अपनी ड्यूटियां सुरक्षा के लिए कार्यरत अधिकारियों की सलाह से बदलीं। परन्तु श्री धवन ने ये निर्देश क्यों दियें कि सिख जवानों होने चाहिए। मैं समझता हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी बहुत निर्भीक महिला थीं। वह देश को कतिपय मानदंडों के अनुसार चलाना चाहती थी। धर्म निरपेक्षता में उनका बहुत अधिक विश्वास था। इसलिए उन्होंने सिखों को अपनी सुरक्षा से नहीं हटाया। मेरा मन कहता है कि उन्होंने शायद सुरक्षा कर्मियों को सीधे आदेश न दिये हों, हो सकता है श्री धवन को दिये हों कि चूंकि उन्हें कोई सिख सुरक्षा पर नजर नहीं आ रहा था अतः उन्होंने कहा है कि सिख तैनात किया जाना चाहिए मैं श्री ठक्कर के इस कथन को चुनौती देता हूं कि श्री धवन ने उन्हें महत्वपूर्ण स्थितियों पर तैनात किया। यह धारण बिल्कुल गलत है। श्री ठक्कर अभी भी विधि आयोग के अध्यक्ष है। मैं चाहता हूं कि वह आगे आयें और त्याग पत्र दें। मैं श्री ठक्कर की इस बात को सिद्ध करने के लिए चुनौती देता हूं कि वह सिद्ध करें कि श्री आर० के० धवन ने सिख सुरक्षा कर्मियों बेअन्त सिंह और सतवन्त सिंह को उन महत्वपूर्ण स्थानों पर तैनात किया था। प्रधान मन्त्री के इस सम्बन्ध में दिये अपने निर्देश में हो सकता है कि अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने सिख जवानों को लगाने की इच्छा की हो। अत: यह अतर्क संगत है और हम ठक्कर आयोग से इस बात पर सहमत नहीं हो सकते हैं कि श्री धवन को फंसाया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस तरह के निर्देश दिये हैं। दूसरे भले हो यह सच हो कि उन्होंने निर्देश दिये हों तो भी कोई भी श्री धवन को इसमें नहीं फंसा सकता है क्योंकि आयोग के पास इन तथ्यों को सिद्ध करने के लिए पर्याप्त सबूत होने चाहिएं।

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

आयोग ने श्री धवन को फंसाने के लिए दो बेतुके आधारों का सहारा लिया है कि उन्होंने महत्वपूर्ण स्थानों पर सिख सुरक्षा कर्मियों को पुन: तैनात किया था सिद्ध नहीं होता है, दूसरा यह है कि उन्होंने आयरिश दूरदर्शन साक्षात्कार का समय बदला था। यहां मैं महसूस करता हूं कि आयोग पर बहुत दबाव था कि श्री धवन को इसमें फंसाया जाये। मुद्दा यह है कि जहां तक इन साक्षात्कारों का संबंध है एक मन्त्री या प्रधानमन्त्री इन साक्षात्कारों के निर्धारित समय में परिवर्तन कर सकते हैं। आपकी कतिपय परिस्थितियां हो सकती है जिनकी वजह से आप किसी भी कार्यक्रम को स्थगित कर सकते हैं या पहले कर सकते हें। इससे नहीं बंधा होता कि उनके निजी सहायक क्या कहते हैं। वह स्वयं ही निर्देश देते हैं। आयरिश दल को सुबह 8.30 बजे आना था। इसमें देर हो गयी थी और फिर समय बदल कर सुबह 9 बजे कर कर दिया गया। भले ही यह श्री,धवन द्वारा किया गया हो, यह उनका एक काम था यह बूत कहां है कि इन्दिरा जी ने श्री धवन को यह नहीं बताया कि साक्षात्कार के लिए क्या समय होना चाहिए? आयोग के पास यह सबूत कहाँ है कि उन्होंने तत्कालीन प्रधान मन्त्री से क्या बात की जब वह पालम हवाई अड्डे से आ रही थी? आयोग के पास इन मुद्दों पर श्री धवन को फंसाने के लिए थोड़ा भी सबूत नहीं है। भले ही यह सच हो कि श्री धवन ने साक्षात्कार का समय बदला था तो भी यह श्री धवन और इंदिरा जी के बीच की बात थी। इस बात का भी कोई सबूत नही है कि प्रधान मन्त्री समय परिवर्तन के लिए सहमत नहीं थी। यह जो कुछ भी हो समय बदलना श्री धवन को इसमें फंसाने के लिए आधार नहीं है। वह तत्कालीन प्रधान मन्त्री के मौखिक आदेशों पर भी समय परिवर्तन कर सकते थे। प्रधान मन्त्री प्रत्येक चीज के लिए ऐसा करने या वैसा करने हेतु लिखित रूप से आदेश नहीं देती थी। यही वजह है कि साक्षात्कार के समय में में परिवर्तन ने स्थिति ही बदल डाली। बेअन्त सिंह और सतवंत सिंह वहां सुबह 7 बजे से थे। यदि इन्दिरा जी वहां से सुबह 8.30 बजे पर भी गुजरतीं तो भी स्थिति वही रहती क्योंकि षड्यंत्रकारियों ने उस दिन उनकी हत्या करने का निर्णय कर लिया था। इसलिए आयोग के पास श्री धवन को फंसाने का कोई आधार नहीं है। मेरा मन कहता है कि वह निर्दोष हैं और मैं जो यहां बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं केवल इसलिए कि उस निर्दोष व्यक्ति के सम्बन्ध में अपनी मन की कुछ बात कह सकूं।

अब मैं पृष्ठ 141 पर आता हूं। यह सिद्ध करने के लिए कि आयोग पर श्री धवन का कितना भूत सवार था और कैसे आयोग उन्हें इस मामले में लपेटना चाहता था इस पैरे को कार्यवाही वृतान्त में अवश्य शामिल किया जाना चाहिए, आयोग ने बिना उसका उद्देश्य बताये श्री धवन की ओर एक की सूई घुमाई है। यह सनसनी खेज सिफारिश कैसे की जा सकती है? यह पैराग्राफ कैसे लिखा जा सकता है? इसमें कहा गया है:

"जो स्वर्गीय प्रधान मन्त्री के तत्कालीन विशेष सहायक थे, जबकि श्री धवन के इस षड्यन्त्र में शामिल होने की सम्भावना के महत्वपूर्ण संकेत हैं, उनके मन में क्या उद्देश्य था वह अभी तक प्राप्त सामग्री से पूर्णरूपेणा साम्बित नहीं हुआ है। हत्यारे के मन में क्या उद्देश्य है यह जानना हमेशा आसान नहीं होता है। अक्सर हत्या के शिकार व्यक्ति को भी उद्देश्य मालूम नहीं होता। उदाहरण के तौर पर ईर्ष्यावश की गई हत्या के मामले को लिया जा सकता है। यहां तक की मृतक को भी इस बात की जानकारी नहीं हो सकती—औरों की तो बात ही छोड़िये—कि अपराधी किसी कारणवश उससे ईर्ष्या करता था। इसलिए कई बार उद्देश्य केवल हत्यारे को ही मालूम होता है और कोई दूसरा यह नहीं

जान सकता कि हत्यारे के मन में ऐसे दुरविचार कैसे आये। परिस्थितियों के अधीन यह नहीं कहा जा सकता कि उद्देश्य के सम्बन्ध में सबूत अक्सर जांच कर्त्ता की पहुंच से बाहर हो सकता है। साथ ही, उद्देश्य का पता लगाने की दृष्टि से लम्बी तथा गहन जांच से अभी बताई गई कठिनाइयों के बावजूद भी बेहतर परिणाम सामने आ सकते हैं।"

अत: न्यायाधीश को उद्देश्य की जानकारी नहीं है। परन्तु वह भारत के लोगों के मन में इस शक को गहरा बैठाना चाहते है कि श्री धवन को इस हत्याकांड में लपेटना है, चाहे कोई सबूत है या नहीं चाहे हम उनका उद्देश्य जानते हैं या नहीं और चाहे हम, यह सिद्ध कर सकते हैं या नहीं कि वह श्रीमती इन्दिरा गांधी से ईर्ष्या करते थे।

मैं इस पैराग्राफ तथा टिप्पणी को झूठा मानकर अस्वीकार करता हूं। मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि न्यायमूर्ति ठक्कर जैसे जाने माने व्यक्ति ने रिपोर्ट में ऐसी बातें क्यों कही।

महोदय, मैं यह सिद्ध करने के लिए आयोग के सिर पर श्री धवन का भूत सवार था, रिपोर्ट में से कई पैराग्राफ उद्धृत कर सकता हूं। परन्तु बात यह है कि आयोग ने ऐसा क्यों किया? ठीक है, एक कारण था। कुछ लोग श्री धवन को बाहर निकालना चाहते थे क्योंकि वे कुछ हिसाब चुकता करना चाहते थे। मैं यह कहना चाहता हूं कि जुगाड़ की राजनीति इनके लिए उत्तरदायी है।

इस सभा में श्री बूटासिंह राज्य सभा में और हमारे विद्वान और साथी श्री चिदम्बरम पहले ही यह कह चुके हैं कि श्री अरुण नेहरू की इस रिपोर्ट तक पहुंच क्योंकि वह तत्कालीन आन्तरिक सुरक्षा मन्त्री थे। इसलिए मैं यह महसूस करता हूं कि श्री अरुण नेहरू तथा उनके निकट सहयोगी श्री फोतेदार के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का मामला बनता है। इस सम्बन्ध में मैंने एक प्रस्ताव रखा है। परन्तु प्रधान मन्त्री जी ने कल आश्वासन दिया था और इसलिए शायद मैं इसे वापस ले लूंगा। परंन्तु मैं यह महसूस करता हूं कि श्री अरुण नेहरू और श्री फोतेदार के विरुद्ध विशेषाधिकार का रहा मामला है। जब वे सत्ता मे थे उस समय वे एक दूसरे के बहुत निकट थे और आयोग ने उनके दबाव में काम किया था। मेरी अन्तरात्मा भी ऐसा ही कहती है।

जहां तक श्री धवन को लपेटने का सम्बन्ध है, रिपोर्ट उसी समय ठीक हुई जब श्री धवन को सरकार में शामिल किया गया। मैंने श्री नेहरू और श्री फोतेदार के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा है यद्यपि मैं इस पर जोर नहीं दे रहा हूं। परन्तु मैं अब भी यही महसूस करता हूं कि उन्हें सफाई देने का एक अवसर लेना चाहिए, जब प्रधानमन्त्री जी ने उन्हें एक अवसर दिया है। यहां मुझे श्री कल्पनाथ राय से भी हमदर्दी है। मैंने सूर्या में छपा उनका साक्षात्कार तीन बार पढ़ा। मैं ईमानदारी से विश्वास करता हूं कि वह अपनी अन्तरात्मा से कह रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं। वह अन्तरात्मा से कह रहे हैं। उन्हें किसी कोने में ले जाइये और कहिए "अपनी मां के नाम पर कहिए, अपनी मां की कसम खा कर कहिए कि क्या आप इसे सही मानते हैं?" वह आपको बतायेंगे "हां, मैं अपनी अन्तरात्मा की चुभन महसूस कहता हूं कि यह सही है।" मैं उन्हें सलाह देता हूं कि वह पीछे न हटें और कहें कि उन्होंने कोई साक्षात्कार नहीं दिया था। इसे टेप पर रिकार्ड कर लिया गया है। मैं यह बात क्यों उठाता हूं? कृपया मुझे गलत न समझें। मैं व्यक्तिगत रूप से श्री फोतेदार या श्री अरुण नेहरू के विरुद्ध नहीं हूं। परन्तु एक बात में इस समय को याद दिलाना चाहता हूं कि मैं वर्तमान प्रधान मन्त्री जी को अब काफी समय से जानता हूं। मैं आपको बता सकता हूं कि वह सीधे, व स्पष्ट वादी राजनीतिज्ञ हैं और इस देश की राजनीति को राष्ट्रीय हित के अनुरूप चलाना चाहते हैं। श्री राजीव गांधी के बारे में मेरा यह विश्वास

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

है। मैं इस सभा को पुन: यह बात याद दिलाना चाहता हूं कि जगाड़ की राजनीति से कांग्रेस पार्टी को कोई लाभ नहीं होगा जिसके साथ इस देश की सेवा करने की बहुत पुरानी परम्परा जुड़ी हुई है। ऐसी जुगाड़ की राजनीति मे यह चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी सुरक्षित रहें। उनकी पार्टी में बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उन्हें जुगाड़ की राजनीति छोड़ देनी चाहिए।

[हिन्दी]

और इस जगह जिस वक्त ऐसे लोग साजिश करते हैं और ठक्कर कमीशन को लिखवाते हैं, तो मैं याद करता हूं उर्दू का एक शेर। मैं अभी खत्म नहीं कर रहा हूं दो मिनट मुझे और चाहिए :

खुदा बन्दा, ये तेरे सीधा दिल बन्द कहां जाएं।

इकबाल ने यह कहा है। खुदा बंदा, ये तेरे सीधे-सीधे लोग कहां जाएगें।

खुदा बंदा ये तेरे सीधा दिल बंदे कहां जाएं
कि दरवेशी भी अय्यारी है और सुलतानी भी अय्यारी।

जिसको मिनिस्टर बना देते हैं, बड़ा ओहदा दे देते हैं, बादशाह बना देते है, वह भी चालाकी करता है और जो दरवेश बना है, साधु बना है, वह भी चालाकी करता है।

اور اس جگہ جس وقت ایسے لوگ سازش کرتے ہیں اور ٹھکر کمیشن کو لکھواتے ہیں تو میں یاد کرتا ہوں اردو کا ایک شعر ۔ میں ابھی ختم نہیں کر رہا ہوں دو منٹ مجھے اور چاہئیں ۔

خداوندا یہ تیرے سیدھا دل بندے کہاں جائیں ۔

اقبال نے یہ کہا ہے ۔ خداوندا یہ تیرے سیدھے سادھے لوگ کہاں جائیں گے ۔

خداوندا یہ تیرے سیدھا دل بندے کہاں جائیں
کہ درویشی بھی عیاری ہے اور سلطانی بھی عیاری ۔

جس کو منسٹر بنا دیتے ہیں بڑا عہدہ دے دیتے ہیں بادشاہ بنا دیتے ہیں وہ بھی چالاکی کرتا ہے اور جو درویش بنتا ہے سادھو بنتا ہے وہ بھی چالاکی کرتا ہے ۔

[अनुवाद]

इसलिए मैं चाहता हूं कि श्री राजीव गांधी उन लोगों के साथ सुरक्षित रहें जो भारत की एकता और अखण्डता के प्रति वचनबद्ध हैं, जो राष्ट्रीय एकता से सम्बद्ध हैं और जो जुगाड़ की राजनीति नहीं खेलते हैं। आपको यह याद दिलाना जरूरी है क्योंकि आपकी पार्टी देश में सबसे बड़ी है। अभी तक

भारत के लोगों की आशा से आपके ऊपर टिकी हुई हैं। शायद कल लोग आपको वापस सत्ता में भेज दें, आपको राजनीति तथा धर्मनिरपेक्षता के मानदण्डों को बनाये रखने के लिए कठिन परिश्रम करना है। मैं आपको पहले ही याद दिला चुका हूं कि राजनैतिक पार्टी किस प्रकार देश में साम्प्रदायिकता फैलाने के लिए हेडगेवार जन्म शताब्दी समारोहों का इस्तेमाल कर रही है। मैंने कल आपसे अपील की थी कि आपकी पार्टी धर्मनिरपेक्ष है जो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के प्रति वचनबद्ध है और इसलिए कृपया अपनी पार्टी में जुगाड़ियों को सहन मत कीजिए। आपको नेहरू जी, गांधी जी और अब श्रीमती गांधी की विरासत को कायम रखना चाहिए। अब जब मैं जवाहर लाल नेहरू पर आ गया हूं तो मैं एक बात के साथ भाषण समाप्त करूंगा। आपको जानना चाहिए कि आपकी पार्टी कितनी महान थी और इस देश का नेता कितना महान था। अभी हाल ही में मुझे एक पत्र मिला था जो 1955 में लिखा गया था। मैंने उस पत्र को सुरक्षित रखा है। बर्ट्रेंड रसल ने आइनस्टाईन को 1955 में लिखा था कि विश्व में एक मात्र आशा जवाहर लाल नेहरू है। वह मेरे पास है। अणु बम बन जाने के बाद आइनस्टाईन तथा अन्य लोग अणु बम से होने वाले विनाश से सचेत हो गये कि विश्व में परमाणु युद्ध हो सकता है। उन्होंने सोचा कि आस-पास मनुष्य मात्र नहीं होगा। कोई जीवित प्राणी नहीं बचेगा। इसलिए यूरोप में रसल, आइनस्टाईन तथा अन्य दार्शनिक अपने मन में यन्त्रणा झेल रहे थे। मैं उस पत्र को उद्धृत कर सकता हूं परन्तु यह ठीक रसल के शब्दों में नहीं होगा जो उसने आइनस्टाईन को लिखा था, "चिन्ता मत करिये, तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा। शायद विश्व में परमाणु युद्ध नहीं होगा। एक पखवाड़े पहले मुझे एशिया के सबसे बड़े नेता जवाहर लाल नेहरू से बात करने का अवसर मिला था, उसने मुझे विश्वास दिलाया है कि वह मौके पर केवल संयुक्त राष्ट्र में ही नहीं बल्कि विश्व के सभी अन्य मंचो पर भी आवाज उठायेगा। वह मानवता के लिए आशा की एक किरण है।" अतः जो रसल ने आइनस्टाईन को लिखा कि नेहरू मानवता के लिए आशा की एक किरण है यही आपकी पार्टी की विरासत है। मुझे आशा है कि श्री राजीव गांधी, जवाहर लाल नेहरू की उस महान विरासत के सही उत्तराधिकारी बनने की ओर कोशिश करेंगे।

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ऐसे कुछ पहलुओं को उजागर करने के लिए इस वाद-विवाद में हस्तक्षेप करने के लिए खड़ा हुआ हूं जिन पर मेरे विचार में या तो ध्यान ही नहीं दिया गया था उन्हें साफ तौर पर समझा नहीं गया।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : अभी बहस खतम नहीं हुई है। अनेक माननीय सदस्यों को अभी भाषण देते हैं। अतः आप यह नहीं कह सकते कि कुछ पहलूओं पर ध्यान ही नहीं दिया गया।

श्री पी० चिदम्बरम : ठक्कर आयोग के गठन के समय, न्यायधीश ठक्कर के समक्ष एक विचारार्थ विषय स्वर्गीय प्रधान मन्त्री की हत्या से सम्बन्धित घटनाक्रम और सभी सम्बद्ध तथ्यों की जांच करना भी था। दूसरा मुद्दा यह था कि क्या हत्या की योजना तैयार करने और उसे मूर्तरूप देने के लिए कोई व्यक्ति या एजेंसी जिम्मेदार थी और क्या यह कोई षड्यन्त्र था और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

जैसा कि सभा को मालूम है, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या अनेक चश्मदीद गवाहों के सामने दिन दहाड़े कर दी गयी थी बाद में हत्यारों की पहचान की गई, वे थे सतवन्त सिंह और बेअन्त सिंह। तत्पश्चात बेअन्त सिंह की शीघ्र ऐसी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई जिनके विषय में न्यायाधीश ठक्कर ने

[श्री पी० चिदम्बरम]

अपनी अन्तिम रिपोर्ट में बताया है और सतवन्त सिंह तथा अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध जिस अदालत में मुकद्दमा चला था उसने भी यही स्वीकार किया। यद्यपि 31 अक्तूबर, 1984 को सतवन्त सिंह को पकड़ लिया गया था तथापि माननीय सदस्यों को मालूम है कि वह हस्पताल में था और जीवन-मौत के बीच जूझ रहा था। सतवन्त सिंह को 15 नवम्बर, 1984 को ही पुलिस ने विधिवत् गिरफ्तार किया। माननीय सदस्य जानते हैं कि नई दण्ड प्रक्रिया संहिता के अनुसार, इस प्रकार के अपराध की जांच गिरफ्तारी की तारीख से 90 दिन के भीतर पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा न होने पर अभियुक्तों को जमानत पर छोड़ना होगा। ऐसी स्थिति उत्पन्न होने देना लोकहित में नहीं था जिसमें सतवन्त सिंह को जमानत पर छोड़ देना पड़ता। वास्तव में इस देश की जनता यह स्वीकार न करती और यदि ऐसी स्थित उत्पन्न हो जाती कि प्रधान मंत्री की हत्या का अपराध जो कि प्रधान मंत्री के निवास पर दिन दहाड़े चश्मदीद गवाहों की उपस्थिति में हुआ हो और उसके अपराधी को पुलिस द्वारा जांच पूरी न कर सकने के कारण जमानत पर छोड़ दिया जाता है, तो प्रशासन की दक्षता और बुद्धिमता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता।

मैं आपको कुछ और संगत तारीखें बताता हूं। जैसाकि मैंने कहा सतवन्त सिंह को 15 नवम्बर 1984 को विधिवत् गिरफ्तार किया गया था। केहर सिंह को पहली दिसम्बर, 1984 को और बलबीर सिंह को 3 दिसम्बर, 1984 को गिरफ्तार किया गया था।

3.00 म० प०

सतवन्त सिंह की गिरफ्तारी की तारीख से 10 दिन की अवधि 13 फरवरी, 1985 को समाप्त होनी थी और दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 उपधारा (2) के अधीन जांच दल को अपनी रिपोर्ट यदि जांच पूरी कर ली गई है तो 13 फरवरी, 1985 तक प्रस्तुत करनी थी। ऐसा न होने पर सतवन्त सिंह की जमानत किसी भी प्रकार नहीं रोकी जा सकती थी।

जांच दल तत्काल अपराध की जांच पूरी करने में सफल रहा। तत्काल अपराध यह था कि दो व्यक्तियों द्वारा चश्मदीद गवाहों के सामने प्रधान मंत्री निवास पर इन्दिरा जी की हत्या की गई और दो व्यक्तियों को पकड़ा गया और उनकी पहचान कर ली गई। इसलिए, इन अभियुक्तों के मामले में 90 दिन की सांविधिक अवधि से पूर्व आरोप पत्र दाखिल करने में कोई अड़चन नहीं थी। इसी बीच सक्रिय जांच द्वारा दो अन्य अभियुक्तों केहर सिंह और बलबीर सिंह को भी इस मामले में गिरफ्तार किया गया।

जांच के दौरान विशेष जांच दल को कुछ जानकारी मिली थी कि इसमें कोई बड़ा षड्यन्त्र है और शायद इस षड्यन्त्र के पीछे ऐसे व्यक्ति हैं जिनका अभी पता नहीं लग पाया है और जिनके इस अपराध के एक या अनेक अभियुक्तों से सम्बन्ध हैं। परन्तु यह बात साफ थी कि यह बड़ा षड्यन्त्र प्रधान मन्त्री की हत्या तक ही समिति नहीं था बल्कि इसके व्यापक प्रभाव थे। इसके अन्यानेक उद्देश्य थे और शायद इसके अन्तर्गत बहुत से अपराध करने का षड्यन्त्र था। इन परिस्थितियों में विशेष जांच दल ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 173 उपधारा (8) का सहारा लिया जिसे 1974 में लागू किया गया था। 1974 से पूर्व इस कानून में यह उपबन्ध नहीं था और केवल 1974 में पहली बार यह उपबन्ध लागू हुआ। मैं केवल धारा 173 की उपधारा (8) को पढ़ना चाहता हूं ताकि इस आलोचना का

उत्तर दे सकूं कि विशेष जांच दल ने दूसरे षड्यन्त्र का पता लगाने और उस मामले में आरोप पत्र दाखिल करने में बहुत अधिक समय लिया। धारा 173 उपधारा (8) निम्नवत् है :

"इस धारा की कोई बात किसी अपराध के बारे में उपधारा (2) के अधीन मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट भेज दी जाने के पश्चात् आगे और अन्वेषण को प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी तथा जहां ऐसे अन्वेषण पर पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को कोई अतिरिक्त मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य मिले वहां वह ऐसे साक्ष्य के सम्बन्ध में अतिरिक्त रिपोर्ट या रिपोर्टें मजिस्ट्रेट को विहित प्ररूप में भेजेगा, और उपधारा (2) से (6) तक के उपबन्ध ऐसी रिपोर्ट या रिपोर्टों के बारे में, जहां तक हो सके, ऐसे लागू होंगे जैसे वे उपधारा (2) के अधीन भेजी गई रिपोर्ट के सम्बन्ध में लागू होते हैं।"

विशेष जांच दल ने 16 फरवरी, 1985 को एडीशनल चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट को बताया कि उन्होंने मृतक बेअंत सिंह समेत चार अभियुक्तों के विरुद्ध 11 फरवरी, 1985 को आरोप पत्र दाखिल किये थे और वे व्यापक षड्यन्त्र की जांच जारी रखना चाहते हैं क्योंकि अनेक षड्यन्त्रकारी फरार हैं। यह सच्चाई है जिसे मैं चाहता हूं कि इस सभा को भी बताया जाए ताकि इस ठीक या गलत धारणा का शमन किया जा सके कि सतवन्त सिंह और अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप-पत्र दायर करते समय विशेष जांच दल ने जानकारी अपने पास रोक ली थी। कोई जानकारी नहीं रोकी गई। सतवन्त सिंह अ-1, बलबीर सिंह अ-2, केहर सिंह अ-3 और बेअन्त सिंह (मृतक) के विरुद्ध 90 दिन की सांविधिक अवधि के भीतर 11 फरवरी, 1985 को आरोप पत्र दाखिल किए थे। एडीशनल चीफ मैट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट को 16 फरवरी, 1985 को सूचित किया गया कि विशेष जांच दल का व्यापक षड्यन्त्र की जांच जारी रखने का विशेष जांच दल को अधिकार था।

महोदय, अब यह सर्व सामान्य तथ्य है कि व्यापक षड्यन्त्र के अत्यन्त व्यापक उद्देश्य थे। जैसा कि मैंने विशेषाधिकार प्रस्ताव पर हुई बहस में संक्षेप में कहा था कि व्यापक षड्यन्त्र का उद्देश्य केवल इन्दिरा जी की हत्या करना ही नहीं था। इस व्यापक षड्यन्त्र में तोड़-फोड़, हिंसा, अपहरण, हत्या, विमान अपहरण, प्रतिष्ठानों को विस्फोटक सामग्री से उड़ाना, घृणा और साम्प्रदायिक दुर्भावना फैलाना था ताकि षड्यन्त्रकारियों के अनुसार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो जाएं कि भारत सरकार के पास खालिस्तान की मांग को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प न बचे। इस व्यापक षड्यन्त्र की चरम सीमा यह थी। षड्यन्त्रकारी दिल्ली से बम्बई, नागपुर, इंदौर, देवास, कलकत्ता, भोपाल, भारत-नेपाल सीमा तक होते हुए दिल्ली वापस लौटे। उन्होंने बम्बई, नागपुर और दिल्ली में बैठकें कीं। कई स्थानों पर उन्हें आश्रय मिला। उन्होंने समय-समय पर भिन्न-भिन्न नाम रखे। उनके अनेकानेक साथी थे। वास्तव में, आरोप-पत्र में विशेष जांच दल ने 311 साक्षियों की सूची दी थी। इनमें से कई साक्षियों ने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 के अधीन मजिस्ट्रेट के सामने बयान देकर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन अपने बयान का अनुसरण किया यह षड्यन्त्र जिसका पता चला है, शायद स्वतन्त्र भारत में सबसे बड़ा षड्यन्त्र है। देश के विरुद्ध इतना गम्भीर षड्यन्त्र आज तक नहीं रचा गया। इससे पहले कभी भी किसी षड्यन्त्र का उद्देश्य इतना भयावह नहीं था कि भारत के टुकड़े किए जाएं और धर्म पर आधारित एक स्वतन्त्र राज्य की स्थापना की जाए। इस प्रकार के षड्यन्त्र की जांच सावधानी पूर्वक करनी होती है ताकि बेकसूर लोग प्रभावित न हों।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम है, दो प्रमुख षड्यन्त्रकारी—एस० एस० मान

[श्री पी० चिदम्बरम]

और अतिन्द्र पाल सिंह । एस० एस० मान भारतीय पुलिस सेवा का एक पूर्व अधिकारी था और इस सेवा और स्थिति के कारण उसके पंजाब में और पंजाब के बाहर बड़ी संख्या में लोगों से गहरे सम्बन्ध थे।

आरोप पत्र के अनुसार दूसरा षड्यन्त्रकारी अतिन्दरपाल सिंह था, जिसे अमरीक सिंह द्वारा अखिल भारतीय सिख छात्र संघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। आपरेशन ब्लू स्टार के दौरान अमरीक सिंह के मारे जाने के बाद अतिन्दरपाल सिंह ने अखिल भारतीय सिख छात्र संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष का पद संभाला। 1984 में अखिल भारतीय सिख छात्र संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया और अतिन्दर पाल सिंह भूमिगत हो गया। दिसम्बर 1984 में एस० एस० मान को उस समय गिरफ्तार किया गया जब वह कुछ झूठे दस्तावेजों सहित भारत नेपाल सीमा को अवैध रूप से पार कर रहा था तथा सीमा पर कुछ लोगों को घूस देने का प्रयास कर रहा था। उसकी गिरफ्तारी के बाद, उसके विरुद्ध मामला चलाया गया और इस मामले पर इस समय बिहार राज्य के भागलपुर न्यायालय में सुनवाई चल रही है।

जहां तक श्री एस० एस० मान और उस मुकद्दमे में उनके विरुद्ध दिए गए आरोप पत्र का संबंध है, विशेष जांच दल को इस जांच के दौरान जो भी सामग्री मिली, उसे भागलपुर न्यायालय के समक्ष पहले ही पेश किया जा चुका है। आरोप पत्र के अनुसार अतिन्दरपाल सिंह दूसरा मुख्य षड्यन्त्रकारी था। जिसने जगमोहन सिंह उर्फ टोनी और एस० एस० मान को अपने साथ मिला लिया और नागपुर में हत्या का प्रयास करने के लिए नागपुर का सर्वेक्षण किया, जहां इंदिरा जी और श्री राजीव गांधी दोनों को दौरे पर जाना था। अतिन्दर पाल भूमिगत हो गया था और उसे 4 अक्तूबर, 1988 को ही गिरफ्तार किया गया था। जब तक मुख्य षड्यन्त्रकारियों को गिरफ्तार न किया जाए तब तक इस तरह के षड्यन्त्र का पूरी तरह भंडा फोड़ नहीं किया जा सकता और न ही जांच पूरी हो सकती है। जगमोहन सिंह उर्फ टोनी और दिलीप सिंह को किसी अन्य मामलों में गिरफ्तार किया गया था और मेरे विचार से कुछ शर्तों पर उन्हें जमानत पर छोड़ दिया गया था। बम्बई अथवा जहां भी न्यायालय ने उन्हें निदेश दिए वहां उनका उपस्थित रहना जरूरी कर दियागया था श्रीमान हिरासत में थे लेकिन अतिन्दर पाल फरार था। अतिंदर पाल को 4 अक्तूबर 1988 को ही गिरफ्तार किया गया। वास्तव में आप में से बहुत लोगों ने उसे टी० वी० पर उस समय देखा होगा जब गिरफ्तारी के बाद टेलीविजन के जरिए उसने कुछ बातें कहीं। तब हमें अतिन्दर पाल सिंह से पूछताछ करनी थी। हमें उसके कथन और अन्य गवाहों के कथनों की जांच करनी थी। हमें उन वस्तुओं को भी बरामद करना था जिसके बारे में उसने पूछताछ के दौरान बताया था। अतिन्दर पाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद जांच कार्य पूरा करने में कुछ समय लगा।

यही कारण था कि विशेष जांच दल का जांच कार्य जनवरी 1989 के दूसरे सप्ताह तक ही पूरा हो पाया। वास्तव में मैं विशेष जांच दल के अधिकारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने स्वतन्त्र भारत के सर्वाधिक घिनौने षड्यन्त्र का भंडाफोड़ करके एक विशिष्ट कार्य किया है। जनवरी 1989 के दूसरे सप्ताह में जांच पूरी होने के बाद, विशेष जांच दल ने अभियुक्त पर मुकदमा चलाने के लिए भारत सरकार से स्वीकृत मांगी क्योंकि मुकदमा चलाने के लिए कुछ धाराओं के अंतर्गत स्वीकृत लेना जरूरी है, जिसमें धारा 124क भी शामिल है, जिसके तहत देश के विरुद्ध युद्ध करने वालों पर विचार

किया जाता है मेरे विचार से, कुछ लोगों द्वारा जो आलोचना की जा रही है कि षड्यन्त्र की जांच और दूसरे आरोप-पत्र प्रस्तुत करने में विशेष जांच दल ने जान-बूझकर विलम्ब किया, इस गलत धारणा को दूर करने के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। सच्चाई को छिपाया नहीं जा सकता। हमें जान-बूझकर इस जांच में विलम्ब करने से कोई फायदा नहीं था। इसके विपरीत, सरकार और प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी का निश्चय था कि इस षड्यन्त्र तथा षड्यन्त्रकारियों के बारे में गहराई से जांच की जाए और उन पर कानूनी कार्यवाही की जाए साथ ही हम भी नियमों से बंधे हुए हैं। हमने किसी अभियुक्त द्वारा अपना बचाव करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं पहुंचाई है। संभवतः आपको किसी भी देश में ऐसे उचित मुकदमे का उदाहरण नहीं मिलेगा जितना उचित मुकदमा सतवंत सिंह, केहर सिंह और बलबीर सिंह पर चलाया गया। न्यायाधीश ने तीनों को दोषी ठहराया। उच्च न्यायालय की अपील बेंच, जिसमें तीन विद्वान जज थे, इन तीनों की दोषसिद्धि की पुष्टि की। सर्वोच्च न्यायालय में बलबीर सिंह को दोषमुक्त ठहराया गया था जबकि केहर सिंह और सतवंत सिंह दोष की पुष्टि कर दी गई थी। मैं गर्व से कहूंगा कि इसका श्रेय सरकार को है कि उसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया और इसकी पुनरीक्षा किए जाने की भी याचिका नहीं की। जब बलबीर सिंह को निर्दोष ठहराया गया था, तब हमने सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय स्वीकार कर लिया था। जब केहर सिंह और सतवंत सिंह को दोषी ठहराया गया था तब हमने सर्वोच्च न्यायालय का वह निर्णय भी स्वीकार कर लिया। तब भी हमने इसकी समीक्षा करने के लिए याचिका नहीं दी। उच्चतम न्यायालय ने जो भी निर्णय दिया, हमने उसे अंतिम निर्णय माना। हमने दोषी व्यक्तियों के मुकदमें में कोई बाधा नहीं डाली। और मुझे विश्वास है कि उनके मामले की हमारी तरह के किसी भी लोकतांत्रिक देश के विधिशास्त्र के अनुसार यथा सम्भव न्यायोचित जांच की गई।

मैं सभा को एक बार फिर आश्वासन देना चाहता हूं कि यद्यपि षड्यन्त्र की पोल खोलने और 4 दोषी व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने में 4 वर्ष से अधिक समय लग गया है—पांचवां दोषी मर चुका है—इन दोषी व्यक्तियों पर भी हमारे कानून के तहत यथा सम्भव निष्पक्ष मुकदमा चलाया जाएगा। उन्हें अपने बचाव के लिए हर तरह की सुविधा दी जाएगी। सरकार सुनिश्चित करेगी कि मुकदमा निष्पक्ष और उचित ढंग से चले और न्यायालय जो भी निर्णय देंगे सरकार उन्हें स्वीकार करेगी। इसी पृष्ठभूमि में हमें ठक्कर रिपोर्ट को प्रकाशित किए जाने के समय और ढंग तरीके पर विचार करना चाहिए। जब तक हमें इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता और विपक्ष का हर नेता हमें इस प्रश्न का ईमानदारी से उत्तर नहीं देता, यह वाद-विवाद सचमुच कभी समाप्त नहीं होगा। मुझे विश्वास है कि इस प्रश्न का उत्तर यही है कि ठक्कर आयोग की अंतिम रिपोर्ट के बहुत चुने हुए हिस्से इस तरह से प्रकाशित करने का उद्देश्य केवल एक बहुत बड़े षड्यन्त्र में लिप्त वास्तविक षड्यन्त्रकारियों पर से भारत की जनता का ध्यान हटाना था। उनका उद्देश्य किसी अन्य व्यक्ति पर संदेह करना था ताकि भारत की जनता उस खतरनाक स्थिति को न देखे जिससे इस देश की एकता और अखंडता को खतरा था, ताकि इस बड़े षड्यन्त्र पर संदेह और अफवाहों के बादल छाये रहें। सौभाग्य से संसद और अध्यक्ष अपनी बात पर दृढ़ रहे। चर्चा और वाद-विवाद में बाधा डालने के प्रयास किए गए थे और एक बार फिर हम इस असल मसले पर प्रकाश डाल पाने में सफल हुए हैं जिस पर इस देश में वाद-विवाद किया ही जाना है। वास्तविक मामला है एक बड़ा षड्यन्त्र और वे बल जिन्होंने भारत को अस्थिर बनाने का षड्यन्त्र रचा।

न्यायालय ठक्कर ने समझ लिया था कि ऐसा षड्यन्त्र रचा गया था किंतु स्थिति को देखते हुए

[श्री पी० चिदम्बरम]

उनके लिए षड्यंत्र की पोल खोलना संभव नहीं था। इसीलिए उन्होंने यह,जिम्मेदारी विशेष जांच दल ने अपनी जिम्मेदारी उल्लेखनीय ढंग से और तेजी से निभाई और इसी प्रयास के फलस्वरूप हम कुछ दिन पूर्व आरोप-पत्र दाखिल कर पाए हैं। मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि इस षड्यन्त्र के प्रकृति, हमारे विरुद्ध लगाई गई ताकतों; हमारे राष्ट्र और लोकतन्त्र पर आए खतरे पर विचार करें। केवल कुछ ही दिन पहले माननीय सदस्य श्री भगत द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर वाद-विवाद के समय बोलते हुए, मैंने पड़ौसी देश में एक एजेंसी के बारे में बताया था जिसने कुछ ऐसे बलों की मदद दी है और सहायता दी है जिनका उद्देश्य भारत में अस्थिरता की स्थिति पैदा करना है। हम जानते हैं कि ऐसे बल पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में हैं। मैंने पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटैलीजेंस के बारे में पता लगाया जो कि ऐसी एजेंसी है जिसके पंजाब में आतंकवादियों तथाकथित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के साथ संबंध हैं। यह सच है कि प्रधान मंत्री बेनजीर भुट्टो ने आई० एस० आई० को गतिविधियों पर नियन्त्रण के लिए कई कदम उठाए हैं लेकिन हमारा अनुमान है कि वह आई० एस० आई० पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाई हैं। आई० एस० आई० का राजनैतिक पक्ष समाप्त हो गया है, हो सकता है कि उस राजनैतिक पक्ष के कुछ अंश अभी भी सक्रिय हों। इस देश में भी ऐसे बल हैं जो विदेशों में स्थित हमारे शत्रुओं ने सहायता लेने में नहीं हिचकिचाएंगे। हमें इन बलों का पता लगाना चाहिए, उनके बारे में बताना चाहिए। संसद का कर्त्तव्य है कि उन सभी बलों की कलई खोले जिनके कारण भारत में अस्थिरता आ सकती और उसके टुकड़े हो सकते हैं। यह संतोष की बात है कि एक षड्यंत्र की पोल खोली गई है किन्तु हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भारत के विरुद्ध और ताकतें षड्यंत्र न रचें।

मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने भारत की एकता और अखंडता की रक्षा के भारत सरकार द्वारा की गई विभिन्न कार्यवाहियों की सराहना की है। मैं पुनः चाहूंगा कि इस सदन के सभी दल भारत की एकता, अखंडता और स्थिरता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करें और उन्हें सहयोग दें।

[हिन्दी]

श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी (कानपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट पर हम चर्चा कर रहे हैं, उस पर पहले तो मैं अपनी आपत्ति नोट कराना चाहता हूं। कमीशन की रिपोर्ट हिन्दी और अंग्रेजी दोनों में रखी जानी चाहिए थी, परन्तु उसका हिन्दी संस्करण नहीं रखा गया है। जब इतना समय मिल गया था तो अवश्य ही हिन्दी संस्करण भी पेश किया जाना चाहिए था।

इसके बाद मैं अपने प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी को, जो उन्होने कल ऐतिहासिक महत्व का भाषण दिया, उसके लिए सदन और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत करते हुए बधाई देता हूं। मैं समझता हूं कि आदरणीय प्रधान मन्त्री का कल का भाषण न केवल मार्मिक था, बल्कि नीतिमूलक और विचारात्मक भी था। शायद देश इतने विचित्र माहौल में अपने नेता का इतना सुन्दर, सन्तुलित और नीति-मूलक भाषण सुनकर और पढ़कर आश्वस्त हुआ होगा, क्योंकि आश्वस्ति में जो कमी थी, हमारे विरोधी दल के लोगों को उसका उत्तर बड़े अच्छे ढंग से मिल गया होगा।

ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट इसके पहले किसी के सामने चर्चा का प्रश्न नहीं था। कमीशन की रिपोर्ट हाउस में न रखी जाए, यह संशोधन भी पास हो गया था, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई।

जिन लोगों ने आज आपत्ति करते हुए यह कहा कि उन्हें तो कमीशन की रिपोर्ट दिखाई भी नहीं गई, आज उनकी इस आपत्ति पर मुझे तरस आता है। मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि मामूली से मंत्री के पद पर रहते हुए जो लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर के कुछ कह सकते थे, वह कहने का साहस अगर उनमें तब नहीं था तो विरोधी दल के नेता होकर देश के अधिकारों की बात कहने की हिम्मत तो कभी उन्हें मिलेगी ही नहीं। देश की जनता कभी उनका विश्वास नहीं करेगी। जिस बात को वह समझते हैं जिसे मंत्री बनकर वह कह नहीं सके, और आज वहां से हटकर कहेंगे और जनता उन्हें बहादुर, नैतिक, ईमानदार और प्रभावशाली मानकर उनकी बात पर चल जाएगी, ऐसा नहीं होना है।

हिन्दुस्तान की जनता और साधारण वोटर इस मामले में अधिक विवेकवान हैं, मुझे इसमें रत्ती भर भी संदेह नहीं है। इस देश का साधारण वोटर अपनी बुद्धि और विवेक का सही ढंग से इस्तेमाल करता है।

मैं एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि जस्टिस ठक्कर ने जिस प्रकार से धवन का जिक्र किया है, मुझे माफ करें, क्योंकि मैं न्यायमूर्ति का बहुत अधिक सम्मान करता हूं, चाहे जितने भ्रष्टाचार की चर्चा की जाए, लेकिन आज भी इस देश की न्याय-व्यवस्था, खासकर उच्चतम और उच्च न्याय-व्यवस्था सर्वोत्तम और श्रेष्ठ हैं। लेकिन जैसे ठक्कर साहब ने अपनी रिपोर्ट में धवन का जिक्र किया वह तो ऐसा लगा कि जैसे पुलिस का कोई साधारण-सा आदमी तफतीश करता है और शक की सुई अपने मन के अनुसार जिधर चाहता है, उधर घुमाता रहता है। मुझे लगा कि यह न्यायमूर्ति का स्वरूप नहीं है। अगर न्याय-मूर्ति का स्वरूप होता तो जिस रूप में वर्तमान कमेंट्स हैं, वह न आते।

एक बात मैं पूछना चाहता हूं कि "इंडियन एक्सप्रेस" के सम्पादक श्री अरुण शोरी ने जिन चीजों की व्याख्या कर दी अपने पत्र में, जिस प्रकार जिन तथ्यों को लोगों के सामने रख दिया, उसी को लेकर हमारे विद्वान और बुद्धिमान अपोजिशन के लीडर्स क्यों चर्चा करते रहे ? एक प्रकार से चर्चा की गई कि धवन ने समय बदल दिया, धवन डेढ़-दो फुट पीछे थे, धवन की डायरी का एक पन्ना छाप दिया गया, जिसमें 4 शब्दों को बहुत उछाला गया—फारेन मनी, बेअन्तसिंह, पी० एम० राजीव और इसके बारे में जो एक लम्बी सारी मनमानीगढ़ंत कहानी ठक्कर साहब ने गढ़ दी वह आश्चर्य-जनक है। मैं यह जानता हूं कि कोई भी जिम्मेदार आदमी जो अच्छे व्यक्तियों के साथ काम करते हैं जिन के सामने बड़ी गोपनीयता और बड़े महत्व के मुद्दे सामने होते हैं उनके एक-एक शब्द का महत्व क्या होता है व उसके पीछे कौन सी भावना होती है।

प्रोफेसर सोज साहब ने कहा कि वे धवन साहब से ज्यादा परिचित नहीं थे, अभी परिचित हुए हैं। लेकिन मैं उन लोगों में से हूं जो कि धवन साहब से बहुत दिनों से परिचित हैं। मैं जानता हूं अपने अनुभव से भी कि उनके जैसा ईमानदार, उनके जैसा क्रियाशील, उनके जैसा दूरदर्शी और अपने अधिकारी के प्रति इतना समर्पणशील और चरित्रिक दृढ़ता का व्यक्ति उस वक्त इन्दिरा जी के निकट उनके सहायक के रूप में तब भी कोई नहीं था। एक बात मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि सत्ता में रहकर वह ऐसे थे ही लेकिन सत्ता में न रहने के बाद भी इन्दिरा जी के प्रति उनके इन सम्पूर्ण गुणों में कभी कोई फर्क नहीं देखा गया।

जनता पार्टी की सरकार को बनाने वाले लोग आज जो बार-बार चर्चा करते हैं धवन जी को और ठक्कर कमीशन की भी, उन्होंने ही कानपुर में धवन को गिरफ्तार किया था। इन्हीं में से बहुत से लोग उस वक्त मिनिस्ट्री में बैठे थे। हम सब उस वक्त गिरफ्तारी देकर जेल काट रहे थे और जब

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

धवन साहब कानपुर गये थे एक दिन के लिए अपनी रिश्तेदारी में तो उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तब धवन प्यारे नहीं थे, तब धवन के बारे में उनकी भावना दूसरी थी।

एक बात और उठायी गई। ठक्कर का यह कहना कि फोरनमनी के बारे में पूछा गया तो कोई जवाब नहीं दिया गया। पी० एम०/राजीव एक अर्थ अरुण शौरी ने यह लगाया कि राजीव पी० एम० हो जाएंगे और इन्दिरा जी की हत्या हो जाएगी। मुझे यह देखकर ताज्जुब हुआ कि एक मामूली सी बात को इतनी गैर मामूली परिभाषा देकर। एक समाचार पत्र के एक सम्पादक का एक रुग्ण दिमाग ही ऐसा कर सकता है। यह भी मुमकिन है कि पी. एम. ने उनको कोई संदेशा दिया हो कि यह राजीव को दे देना या कोई बात राजीव जी से पूछ लेना। तो पी० एम०/राजीव का जो अर्थ होना चाहिए उसको न लेकर यह अर्थ लगाना ठीक नहीं है। इतनी ऊंची कल्पना की उड़ान लेकर किसी एक अच्छे, सच्चे और ईमानदार व्यक्ति पर इतनी धूल उड़ाना मैं समझता हूं कि यह बहुत अच्छी बात नहीं थी।

मैं एक बात निवेदन करता हूं। हत्या के समय के बहुत से तर्क लोगों ने दिए और कहा गया कि समय बदल दिया गया और बेअंतसिंह व सतवंतसिंह की ड्यूटी कैसे लगा दी। यह बहुत सामान्य बातें हैं। उस समय जो भी काम होता था वह बहुत सोच समझकर होता था। धवन पूर्ण विश्वसनीय व्यक्ति थे और सम्पूर्ण स्टाफ के साथ चर्चा होने के बाद काम होता था।

एक और चर्चा की गई कि वह डेढ़-दो फुट दूर चल रहे थे। मुझे अब तक यह नहीं मालूम और खास कर वह लोग जानते हैं जो स्वर्गीया प्रधानमन्त्री इन्दिरा गांधी जी को अक्सर मिलने आते थे और जो लोग मिलते रहे हैं वह इस बात को कह सकते हैं कि कोई भी सहायक अपने बॉस के साथ बिल्कुल अगल-बगल तो चलता ही नहीं है। मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा। अगर ठक्कर साहब के यहां ऐसे चलता हो तो बात दूसरी है। मैंने यह देखा है कि अब कोई बॉस के साथ कोई काम होता है तो सहायक पास में आते हैं, काम में पूछते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। यही तरीका तब धवन का था और यही तरीका हर आदमी का होता है। कोई भी बात इन्दिरा जी से पूछनी होती थी तो वह आगे बढ़कर आते थे और उनके कान के पास आकर पूछते थे लौटकर जवाब मिलता था तो वह फौरन एक डेढ़ फुट पीछे हट जाते थे। मैं नहीं समझता हूं कि इसमें शंका की गुंजाइश कहां से हो गई, टाइम बदलने में शंका की गुंजाइश कहां से हो गई, फारेनमनी शब्द में शंकर की गुंजाइश कहां से हो गई, राजीव /पी एम में शंका की गुंजाइश कहां से हो गई और अगर बेअंतसिंह के बारे में पूछ लिया कि वह जिन्दा है या मर गया है इसमें शंका की गुंजाइश कहां से हो गई।

जहां तक शंका का सवाल है इस देश का आज बहुत बुरा हाल हो गया है और देश की राजनीति वहां पहुंच गई है कि देश के महानतम नेता प्रधान श्री राजीव गांधी जी पर आज हिन्दुस्तान की पालियामेंट में जो अपोजिशन बैठता है वह उन पर भी शक, संदेह, भ्रष्टाचार, घूसखोरी और अन्ततः इतने नीचे दर्जे पर जा सकता है कि माता के हत्यारे का रक्षक करके भी चर्चा कर सकता है। हमारे देश की राजनीति कहां जा रही है। कौन आदमी इनको मानेगा। धवन पर यह चर्चा करके आप क्या कहना चाहते हैं। यही न कि धवन को 4 साल बाद जब राजीव गांधी ने रख लिया, उनकी पुनर्नियुक्ति कर ली। तो कहीं न कहीं राजीव गांधी भी इन्दिरा जी की हत्या में शामिल हो गये, यही कहना चाहते हैं, इतने नीचे दर्जे की बात कहना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इस तरह की

पोलिटिक्स आज हिन्दुस्तान में जगह-जगह शुरू हो गई है। समाचार-पत्रों ने जो भी स्तर दे दिया है उस स्तर से तो उबरने में हमें देर लगेगी और उससे हम तभी उबर सकेंगे, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कल अपनी अपील में कहा कि अगर हिन्दुस्तान की अखण्डता, हिन्दुस्तान की एकता, हिन्दुस्तान की सुरक्षा और हिन्दुस्तान का एक-एक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी धर्म का मानने वाला है।

हिन्दुस्तान में पूरी अस्मिता, इज्जत और सुरक्षा के साथ रहने का अधिकारी है और यह काम कांग्रेस की सरकार करेगी, इसके प्रति वचनबद्धता की उन्होंने कल फिर घोषणा की है इसलिए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई है। बहुत से काम ऐसे होते हैं जिनके बारे में बहुत सी चीजों का जवाब नहीं दिया जा सकता। मैं जिन-जिन लोगों को जानता हूं, उनके बात करने के तरीके को देखता हूं हमने फेयरफैक्स को देखा, मैं स्वयं था मैंने बोफोर्स की कमेटी को देखा, मैंने देखा जिन-जिन बातों को यहां उठाया, जिन-जिन बातों को हमसे कहा, उन-उन बातों की जब जांच की तो उनका कहीं कोई सिर-पैर ही नहीं था। आज भी वही बात, ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट रखिये, रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट पूरी रखिए, रिपोर्ट पूरी आ गई, रिपोर्ट में क्या हुआ है यह डिटेल भी रखिये, फिर बताइए कि जो कुछ डिटेल उसमें नहीं है, वह क्या बात हुई तो ठक्कर साहब को बुलाइए ताकि और भी बतायें। मैं तो समझता हूं कि इस अंधेर का तो कहीं ठिकाना नहीं है। आज दुनिया यह जानती है कि नीचे की अदालतों में, जहां केस चलते हैं, जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी अपीलें आती हैं तो कोई भी डिटेल पूरी नहीं आती है, केवल जजमेंट आता है और जजमेंट पर ही सारे फैसले हो जाते हैं। जब अन्तरिम रिपोर्ट और अन्तिम रिपोर्ट के दोनों महत्वपूर्ण अध्याय आपके सामने हैं, उसमें जो भी ठक्कर ने कहा है, वह सब सामने है, ठक्कर ने जिस-जिस मामले को उठाया है, वह सब आपके सामने है, उसके बाद भी आपको क्या दिक्कत पड़ गई कि आप उसकी बहस में भाग नहीं ले रहे हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आज तक जो इस लोक सभा में कभी नहीं हुआ, चुनाव का वर्ष होने के कारण अपोजीशन ने वह काम भी कर दिखाया। हिन्दुस्तान की लोक सभा में कभी किसी ने यह दृश्य नहीं देखा होगा कि स्पीकर की कुर्सी के सामने फ्लोर पर लोग लेट जाएं, लोग बैठ जाएं, लोग नारेबाजी करें, लोग कागज फाड़ें, संसदीय राज्य मंत्री के हाथ से कागज छिना लें, इस तरह के काम के बारे में असेम्बलियों में तो मैं पढ़ता रहता था, अखबारों में कि कहीं-कहीं जहां तहां हुआ होगा लेकिन हिन्दुस्तान के उच्चत लोकतन्त्र के आसन पर इस तरह का काम हुआ हो, ऐसा काम न कभी देखा, न कभी सुना और न कभी पढ़ा था, उस काम को भी हमारे अपोजीशन ने पूरा कर दिया और यह सब करने के बाद नैतिकता को, यह सब कहने के बाद भी डेमोक्रेसी की, यह सब करने के बावजूद भी सत्ता को हथियाने की चेष्टा कोई करता है, तो मुझे लगता है। कि हिन्दुस्तान का क्या होगा, अगर ऐसा। हो गया।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि ठक्कर साहब की रिपोर्ट का महत्व तो इसी से कम हो जाता है, जो कुछ उन्होंने अन्तरिम रिपोर्ट में कहा, उसका आधा स्वर तो अन्तिम रिपोर्ट में बदल गया और रही बची कसर थी वह उन्होंने विशेष जांच दल की बात कहकर समाप्त कर दी और विशेष जांच दल ने जब धवन को निर्दोष साबित किया, पूरी ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट में जिस पर शक की सुई बार बार घुमाई जाती है, विशेष जांच दल उसी को निर्दोष साबित करता है तो मैं तो यह मानकर चलता हूं कि उस रिपोर्ट का महत्व अपने आप कम हो जाता है। प्रोफेसर सोज से मैं सहमत हूं, न मालूम किस दबाव के कारण ठक्कर साहब ने इतने मुखर स्वरों में किसी व्यक्ति विशेष पर इस प्रकार की चर्चा की, अगर किसी न्यायमूर्ति ने किसी दबाव में आकर इस प्रकार चर्चा की तो मैं इसे भी शुभ संकेत नहीं मानता हूं।

[श्री नरेश चन्द्र चतुर्वेदी]

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हमें इस बारे में अधिक सावधान होना चाहिए। चिदम्बरम साहब ने रिपोर्ट के बारे में, कार्यवाही के बारे में जो बातें सफाई में कहीं और जो कुछ भी सरकार ने देर की, क्यों देरी हुई तथा कानून के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा, मैं उनसे सहमत हूं। मैं एक ही बात कह सकता हूं यह भारत सरकार का काम है न्याय व्यवस्था देना, अन्याय और अत्याचार का मुकाबला करना, जो अपराधी हैं, उनको दंड देना और जो निरअपराध हैं वे मुक्त रहें, यह काम आपका है। यहां भाषण देने के बाद ही काम समाप्त नहीं होता, चाहे देर से हो और चाहे जल्दी हो, इस देश की लोकतन्त्रात्मक पद्धति हमें वहां ले जाएगी जहां पर हम देश में सुरक्षित हैं। इस देश की महान नेता श्रीमती इंदिरा गांधी की चर्चा हम बारबार करते हैं। उन्होंने क्या कहा था, आज लोग बात करते हैं, जब उनकी नाम पर पत्थर मारा था लोगों ने और नाक से रक्त बहने लगा था तब उन्होंने कहा था—मेरे खून की एक-एक बूंद देश की सेवा और देश की अखण्डता तथा एकता के लिए बहे, मैं रहूं चाहे न रहूं। एक और यह भावना और दूसरी ओर अपनी उस चीज को मिसयूज करके किस ढंग से विरोधी दल करे, यह उचित नहीं है। जब वक्त आया तो अपने को यहां से बाहर कर ले ताकि सच्चाई का सामना न करना पड़े। मैं समझता हूं कि लोकतन्त्र की पद्धति में अपोजीशन का यह रोल कभी भी क्षमा योग्य नहीं होगा। भारत सरकार से मेरी अपील है कि वे लोग जो दोषी हैं, जो लोग भी इस देश को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जिस षडयन्त्र के बारे में अनेक चर्चाएं आपके पास आ चुकी हैं, सूचनायें आ चुकी हैं, उनको तत्काल समन होना चाहिए और दमन होना चाहिए।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : मुझे ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिए जाने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आरम्भ में मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष सत्य जानने का बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है। उनका एक मात्र प्रयास राजनीतिक लाभ उठाना है। जब हम इस मामले पर सदन में चर्चा करते हैं तो वे सदन में उपस्थित नहीं रहते है। उन्होंने इस चर्चा का बहिष्कार किया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वे वास्तव में सत्य जानने के इच्छुक नहीं हैं। किन्तु वे राजनीतिक खेल खेल रहे हैं।

हम इस सत्र के दौरान बहुत से विपक्षी सदस्यों का इस सदन में शोचनीय व्यवहार देख चुके हैं, आपने अनेक सत्रों में यह देखा है कि उनकी लोगों की वास्तविक मांगों में दिलचस्पी नहीं है। किन्तु वे कुछ मुद्दे ढूंढ लेंगे उन्हें घुमाएंगे फिराएंगे और इससे राजनीतिक लाभ उठाएंगें। इस सत्र के दौरान जब ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के कुछ उद्धहरण प्रेस में प्रकाशित हुए तो उन्होंने गुहार मरानी शुरू कर दी, हमने इस सदन में विपक्ष का क्रोधावेश देश देखा। उनकी मांग क्या थी ? उन्होने यह मांग की कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जानी चाहिए। जब यह मामला उठा तो माननीय प्रधान मन्त्री ने सदन में यह कहा कि रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी जाएगी। यदि उनकी मांग वास्तविक होती तो उन्होंने प्रधान मंत्री के इस निर्णय का स्वातग किया होता। उन्होंने उस वक्तव्य का स्वागत किया होता। किन्तु किसी ने ऐसा नहीं किया। ऐसा करने की बजाय कुछ विपक्षी सदस्यों ने कहा कि सरकार रिपोर्ट में हेराफेरी करेगी। यह दृष्टिकोण था। कुछ महत्वपूर्ण विपक्षी नेताओं ने ऐसे गैर-जिम्मेवाराना वक्तव्य दिए। जब रिपोर्ट सभापटल पर रख दी गई तब विपक्ष ने यह कहा कि यह रिपोर्ट पूरी नहीं है। हम सोये हुए लोगों को जगा सकते हैं। किन्तु सोने का बहाना करने वालों को जगाना सम्भव नहीं है।

महोदय, जब सदन में प्रो० मधु दण्डवते के विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा हुई थी तब माननीय

मंत्री श्री चिदम्बरम ने इस पक्ष को विस्तृत रूप से यह स्पष्ट किया था कि इसी प्रकार की रिपोटों के सम्बन्ध में मैं पहले क्या हो चुका है, इस सम्बन्ध में पूर्व उदाहरण क्या थे और पूरी रिपोर्ट में क्या-क्या होता है। प्रश्न यह है कि विपक्ष किसी भी तरह से संतुष्ट नहीं होगा। उन्हें कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता क्योंकि उनका लक्ष्य बहुत ही स्पष्ट है। वे इस मुद्दे को खींचना चाहते हैं क्योंकि यह चुनावी वर्ष है। इसलिए वे इससे राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह एक स्पष्ट राजनीतिक चाल है।

महोदय, अब विपक्ष हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री और महान नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या पर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। जनता यह जानती है कि वे क्या कर रहे हैं। जनता शासन के दौरान क्या हुआ था? हमारी महान नेता और स्वर्गीय प्रधान मंत्री को इस देश के राजनीतिक परिदृश्य से हटाने के लिए प्रयास किए गए थे। हम जानते हैं कि उन्हें गिरफ्तार किया गया था; उन्हें जेल में रखा गया था और अचानक उन्होंने कितने कष्ट सहे थे। उन्हें कितनी यंत्रणा दी गई थी। ये सभी विपक्षी नेता उसमें शामिल थे। इसके लिए वे सभी जिम्मेदार थे। जब वह चिकमंगलूर से निर्वाचित हुई तो इन्हीं विपक्षी पार्टियों ने श्रीमती इन्दिरा गांधी को सदन से निष्कासित किया था। हम सभी जानते हैं कि इस देश की जनता ने उनकी रक्षा की थी। जैसाकि मैंने पहले कहा इन्हीं विपक्षी नेताओं ने उन्हें जेल भेजा था। दोबारा, फिर इस देश की जनता ने ही उनकी रक्षा की थी। लोगों ने उनका साथ दिया। इस देश की जनता ही उन्हें सत्ता में वापिस लाई।

मैं दूसरे पहलू के बारे में कहना चाहूंगा। अब वे मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं। इन्दिरा गांधी की हत्या पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद विपक्ष का क्या रुख रहा? दो व्यक्तियों को दोषी पाया गया और उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया। क्या विपक्ष की ओर उन्हें मृत्यु दण्ड दिया गया। क्या विपक्ष की ओर से किसी ने कहा कि कानून और न्याय ने अपना काम किया? किसी ने भी ऐसा नहीं कहा। इसके विपरीत विपक्ष के अनेक महत्वपूर्ण सदस्यों ने इस देश में ऐसा वातावरण पैदा करने का प्रयास किया कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हत्यारों की न्यायायिक हत्या की गई है। यह था उनका रुख अब उनकी कार्यवाई क्या है? वे श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के पीछे व्यापक षड्यन्त्र से कतई चिन्तत नहीं हैं। वे देश में काम कर रही अस्थिरतावादी, विघटनकारी शक्तियों के बारे में बिल्कुल भी चिन्तत नहीं हैं। अब ये लोग श्री धवन के खून के प्यासे हैं। क्यों? इन लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्य के लिए श्री धवन को हटाने का भरकस प्रयास किया। किन्तु वे बुरी तरह असफल हो गए। इस प्रकार वे चरित्र हत्या का सहारा लेकर उसका भविष्य नष्ट करना चाहते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है और मैं उद्धृत करता हू:

"आयोग ने अपनी ओर से अपनी अन्वेषणात्मक कार्रवाई के दौरान कुछ सामग्री इकट्ठी की है और इसके आधार पर यह राय बनाई है कि श्री आर० के० धवन, स्वर्गीय प्रधान मंत्री के उस समय के विशेष सहायक के इस अपराध में शामिल होने के संदेह के युक्ति-युक्त आधार हैं।"

महोदय, इसकी भाषा देखिए। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह शाब्दिक-इन्द्रजाल है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार के महत्वपूर्ण प्रलेख में जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे से सम्बन्धित हो, इस प्रकार के शाब्दिक इन्द्रजाल के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस रिपोर्ट यह नहीं कहा गया है कि किसी व्यक्ति को फंसाने के लिए कोई प्रमाण या आधार है। किन्तु श्री ठक्कर श्री धवन, ऐसे व्यक्ति जो श्रीमती गांधी के प्रति अतल निष्ठावान था, ऐसे व्यक्ति को, जिसका श्रीमती इन्दिरा गांधी

[श्री टी० बशीर]

के साथ कार्य करने का अनुभव था, फंसाना चाहते थे। विशेष जांच दल ने इसकी पूर्णतः जाँच की और प्रधान मंत्री ने भी यह कहा है कि विशेष जाँच दल ने पहले ही श्री धवन को बरी कर दिया है। किन्तु विपक्ष अब कुछ राजनीति कर रहा है। वे इस रिपोर्ट का प्रयोग चरित्र हत्या के लिए करना चाहते हैं।

मैंने एक समाचार पत्र में यह पढ़ा है कि विपक्षी सदस्य इस रिपोर्ट पर कहीं किसी सभा में चर्चा करेंगे। जब सदन इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करता है तो वे यह इसमें भाग नहीं लेते हैं। उन्होंने चर्चा का बहिष्कार किया। और वे इस पर किसी सभा में चर्चा करना चाहते हैं। कितनी शर्मनाक बात है? मुझे याद है जब बोफोर्स मामला उठा और जब इस मुद्दे पर यहां चर्चा हुई थी तो विपक्षी सदस्य उस समय भी ज्ञापन देने स्वीडिश दूतावास में गए थे और उन्होंने ज्ञापन दिया। इससे यह पता चलता है कि उनमें समझ की भी कमी है। उन्हें इस संसद पर विश्वास नहीं है।

जैसा कि हमारे माननीय प्रधान मंत्री ने कल कहा था, कि उन ताकतों का लक्ष्य, जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के लिए कार्य किया, मात्र उन्हें रास्ते से हटाना नहीं था। बल्कि उनका लक्ष्य देश को अस्थिर करना था। उनका अनुमान यह था कि जब इन्दिरा जी की हत्या कर दी जाएगी तो इसका परिणाम यह होगा कि देश में राजनीतिक अनिश्चितता पैदा हो जाएगी और अस्थिरता हो जाएगी और इसके परिणाम स्वरूप देश का विघटन हो जाएगा। इन ताकतों का वास्तविक लक्ष्य यह था। किन्तु सौभाग्य से हमने उस स्थिति का सामना किया और यह इस देश का सौभाग्य है कि प्रधान मंत्री राजीव गांधी के रूप में हमें एक युवा नेता मिल गया। इस देश की रक्षा के लिए, इस देश की जनता के हितों की रक्षा के लिए तथा विघटनकारी ताकतों से इस देश की एकता और अखण्डता की रक्षा के लिए और इस देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने के लिए हमारे पास श्री राजीव गांधी के रूप में एक युवा नेता हैं।

विपक्ष क्या कर रहा है? वे इन दो तस्वीरों को नहीं देख रहे हैं। वे कांग्रेस को हटाना चाहते हैं। उनका एक मात्र लक्ष्य सत्ता हथियाना है। हमने विपक्ष में कुछ महत्वपूर्ण नेताओं का वास्तविक रूप देखा है। मैं जनता दल के कुछ नेताओं द्वारा की गई इस कार्रवाई को समझ सकता हूं; मैं भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाए गये दृष्टिकोण को समझ सकता हूं; किन्तु मैं वामपंथी दलों के दृष्टिकोण को समझने में असमर्थ हूं। वे कहते हैं कि वे एकता और अखण्डता को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं कि वे इस देश की एकता और अखण्डता का समर्थन करते है। किन्तु वे इसके लिए कार्य नहीं कर रहे हैं। यदि यह सच है, यदि वे वास्तव में इच्छुक हैं तो उन्हें आगे आना चाहिए और कुछ दलों की कार्यवाहियों को अस्वीकार करना चाहिए तथा देश की एकता तथा अखण्डता की रक्षा करने के लिए सरकार के प्रयासों में सरकार की सहायता करनी चाहिए।

विपक्ष के दृष्टिकोण से उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के दिवालिये पन का पता चलता है। उनका एक मात्र उद्देश्य सत्ता हथियाना है। इस खेल में विपक्ष निराधार आरोप लगाकर, अफवाहें उड़ाकर तथा सभी प्रकार से कीचड़ उछाल कर निःसंकोच भाव से चरित्र हनन कर रहा है। यही उनके कार्यक्रम है। इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं।

वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री प्रिय रंजन दास मुंशी) : सभापति महोदय, ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से सम्बन्धित इस विशेष वाद-विवाद ने देश की जनता में सच्चाई जानने के लिए

कुतूहल और जिज्ञासा पैदा कर दी है। किन्तु इसकी सबसे अधिक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विपक्ष सच्चाई का सामना करने से इतना घबराता है कि उन्होंने पूरी चर्चा का बहिष्कार कर दिया क्योंकि सच्चाई का सामना तो सच्चाई से ही किया जा सकता है, न कि झूठ या अर्द्ध सत्य से। सम्भवत: जो अर्द्ध-सत्य और झूठ को बढ़ावा देते हैं वे यह समझते हैं कि नहीं और छिपने का यही सुनहरी अवसर है न कि सच्चाई का सामना करने का।

भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी और राष्ट्र की प्रिय नेता पर हत्या पर केवल ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के जांच परिणामों के आधार पर ही नहीं देखा, और विश्लेषण किया जाना चाहिए कि भारत की प्रधान मंत्री, राष्ट्र की नेता, अब नहीं रहीं। किन्तु इसकी शुरूआत निश्चित रूप से वही से की जानी चाहिए जब उन्होंने तृतीय विश्व आन्दोलन को मजबूत करना शुरू किया था।

यदि मैं थोड़ा पीछे जाऊं और इतिहास को देखें तो 1971 के बाद इस उप-महाद्वीप, विश्व के सबसे बड़े लोकतन्त्र ने औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ताकतों के आक्रमण के खिलाफ जोर पकड़ना शुरू कर दिया था और इस देश को अस्थिर करने के उनके सभी प्रयासों तथा चालों के खिलाफ जोर पकड़ लिया था। आपको याद होगा कि जब 1971 में भारत-सोवियत समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे तो इससे सकारात्मक गति पैदा हो गई थी और न केवल भारत और सोवियत संघ में बल्कि सभी स्वतंत्रता प्रेमी राष्ट्रों में जो उस समय अपनी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे थे। आशा की एक नई किरण जगमगाई थी। वे यह देखकर बहुत प्रसन्न हुए थे कि एक तृतीय विश्व का नेतृत्व और एक पक्के समाजवादी देश का नेतृत्व अपनी महत्वाकांक्षाओं की रक्षा करने और अपने हितों की रक्षा करने के लिए मित्रता कर रहे हैं।

भारत-सोवियत समझौते का असर बाद में शिमला समझौते के नाम से जाने वाले भारत-पाक समझौतों पर पड़ा जिस पर स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा जी और पाकिस्तान के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री भुट्टो ने हस्ताक्षर किये थे और इसका असर स्वर्गीय इन्दिरा जी तथा स्वर्गीय शेख मुजीबुर्रहमान के बीच हुए भारत बंगला देश समझौते पर भी पड़ा।

इससे इस उप-महाद्वीप में विश्वास का नया वातावरण तैयार हुआ और उसी दिन से साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के लिए एक वास्तविक खतरा उत्पन्न हुआ। यदि आप अतीत में देखें, ज्यों ही भारत-सोवियत सन्धि पर हस्ताक्षर हुए, ज्यों ही भारत-बंगलादेश सन्धि हुई, ज्यों ही शिमला समझौता हुआ, यदि मैं गलत नहीं हूं तो उसी दिन से 1974 के अन्त से ही सरकार और तत्कालीन प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को भ्रष्ट व्यक्ति से रूप में बदनाम करना आरम्भ कर दिया गया और लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकार के विधायकों को त्याग-पत्र देने के लिए मजबूर किया गया। उन दिनों जो आन्दोलन के नाम पर कितने ही लोगों को हटाया गया। पटना, अहमदाबाद तथा अन्य स्थानों की सड़कों पर अर्द्ध-फासिस्ट वातावरण था। यदि मैं गलत नहीं हूं।

तो उन दिनों उपरि सदन में सभापति महोदय तथा इस सदन में सी० पी० आई० के प्रो० हीरेन मुखर्जी तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त हमसे सहमत थे और अर्द्ध फासिस्ट हमले का जबाब दिया; लोकतांत्रिक और प्रगतिवादी ताकतों ने लोकतांत्रिक संस्थाओं के महत्व को कम करने वाले लोगों तथा देश को अस्थिर बनाने में जुटे लोगों के प्रयत्नों का सामना किया यह सब उसी दिन से आरम्भ हो गया था। तत्पश्चात क्या हुआ ? 1975 में शेख मुजीबुर्रहमान के घर में पहली हत्या हुई, जैसाकि 9 वर्ष बाद श्रीमती गांधी के घर में हुआ। मुजीब की हत्या हो गई और उसका स्थान टैंकों, भारी तोपखाने

[श्री प्रिय रंजन दास मुंशी]

और सैनिक शक्ति ने ले लिया। लगभग उसी समय भारत में लोकतांत्रिक प्रणाली को अस्थिर बनाने का कुचक्र शुरू हुआ।** जो अब गुजरात विधान सभा में जनता दल के नेता हैं, गुजरात में कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री थे। उन दिनों आन्दोलन विपक्ष की ओर से चला और उन्हें भ्रष्टाचार का सरगना घोषित किया गया और छात्रों ने अपने आन्दोलन से ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि उन्हें त्याग पत्र देना पड़ा। सरकार भंग कर दी गई और अब वही ** जनता दल के प्रमुख रूप में विपक्ष की समझदारी के प्रतीक हैं। मैं यह सब इस लिए कह रहा हूं, कि अब भी इस देश को अस्थिर बनाने का प्रयास होता है तो उसकी पृष्ठभूमि में जाना चाहिए। यह दो तरह से किया गया—सड़कों पर नारे लगाकर देश तथा विदेश में विख्यात नेताओं का चरित्र हनन करके तथा अर्द्ध फासिस्ट तरीकों—जैसे विधायकों का घेराव करके उन्हें त्याग पत्र देने के लिए मजबूर करना या आतंक फैलाने के लिए हथियारों का इस्तेमाल तथा दूसरे हथकंडे इस्तेमाल करके लोकतान्त्रिक संस्थाओं के महत्व को कम करना। कुछ लाख रुपये के तूलमोहन राम लाइसेंस घोटाले के एक साधारण से मामले को लेकर एक या दो दिन तक नहीं, बल्कि महीनों तक इस सदन में शोर मचाया गया। यह पांचवीं लोक सभा में हुआ। महोदय, मुझे वह घटना पूरी तरह से याद है। सदन की कार्यवाही नहीं चलने दी गई? हमने विपक्ष की जांच के लिए, वह रिपोर्ट अध्यक्ष के कक्ष में दिखाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया। तो भी सत्य की तह तक जाने की अपेक्षा उन्होंने सड़कों पर चरित्र हनन का जेहाद जारी रखा और इसी घृणा में पटना में श्री ललित मिश्र की हत्या हुई। उसके पश्चात् सेना को विद्रोह करने का खुला निमन्त्रण दिया गया। और उस समय संविधान के अन्तर्गत आपातकाल घोषित करना पड़ा। लोग आरोप लगा सकते हैं, लोक प्रशंसा कर सकते हैं लोग उस दिन से लेकर आज तक इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं। किन्तु मैं बता रहा हूं कि यह कैसे हुआ और कांग्रेस सरकार सत्ता में वापिस नहीं लौट सकी। यह था पहला दृश्य। दूसरा दृश्य था कैम्प डेविड समझौते पर हस्ताक्षर, जिसकी मोरार जी सरकार ने सार्वजनिक रूप से स्वागत किया, यह एक ऐसा समझौता था जो दूसरायलियों को अपना कब्जा जारी रखने को प्रोत्साहन देता है। सभापति महोदय, आपको याद होगा। श्री मोरोदयान, अस्थिर बनाने के इस पूरे अभियान को समझने के लिए गुप्त रूप से दिल्ली आए। सरकार को उनकी यात्रा की जानकारी थी किन्तु उन्होंने लोगों को इस बारे में नहीं बताया तत्पश्चात वह चले गए। किन्तु सरकार अपनी ही गल्तियों के कारण टूट गई। किन्तु अस्थिर बनाने की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई। सभापति महोदय, आपको भी याद होगा उस समय अकाली नेता जनता पार्टी की सरकार में नहीं थे। आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव अभी सामने नहीं आया था। सिखों के अधिकारों तथा दूसरे मसले अभी इस सदन में नहीं उठाए गए थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री या भारत के राष्ट्रपति के समक्ष अभी कोई ज्ञापन भी नहीं रखा गया था।

4.00 म० प०

श्रीमती इन्दिरा गांधी जब फिर से सत्ता में आयी तो तृतीय विश्व आन्दोलन की भावना और मजबूत हुई, निशःस्त्रीकरण के विचार और मजबूत हुए, परमाणु शास्त्रों पर रोक सन्धि का उद्देश्य और मजबूत हुआ, विश्व शान्ति की भावना दृढ़ हुई। इस बार खालिस्तानी आन्दोलन के माध्यम से भारत की एकता पर सीधा प्रहार हुआ। यह खालिस्तानी आंदोलन कहां से आया? यह भारत में नहीं बल्कि विदेशों में, टोरन्टो, मानट्रियल में शुरू हुआ। उन सभी ने खालिस्तानी आंदोलन का समर्थन किया।

** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

मैं लॉस एंजिलिस ओलम्पिक खेल देखने गया। जो कुछ हुआ, मैं आपको उसका उदाहरण देता हूं श्री ** जो इस समय विपक्ष में हैं, वहां थे। भारतीय टीम हाकी मैच खेलने जा रही थी। दो दिन पहले उग्रवादियों ने पर्चे बांटे जिनमें भारत को गालियां दी गई थी, इंदिरा गांधी को मारने की धमकी तथा अन्य सभी प्रकार के नारे थे। किन्तु वहां की सरकार ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। भारतीय कप्तान अभ्यास करने मैदान में गए। उन पर पत्थर फेंके गए, टमाटर और अण्डे फेंके गए। खिलाड़ियों पर तरह-तरह की चीजें फेंकी गई और उन्हें गालियां दी गई। उस देश की ओर से कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया। हमने वापस आकर, तत्कालीन प्रधान मंत्री को बताया कि वहां पर क्या हुआ और वहां आतंकवादियों को किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जा रहा है और वह वहां अपने पैर जमा रहे हैं।

जब यह सब बातें हो रही थी तो क्या आप मुझे संसद के रिकार्ड या जनता दल के प्रो० मधु दण्डवते या भारतीय जनता पार्टी, सी० पी० आई० या सी० पी० आई० एम० के नेताओं के सार्वजनिक भाषणों में कुछ ऐसा दिखा सकते हैं जिनमें इन नेताओं ने अमरीका में ओलम्पिक खिलाड़ियों के साथ किए गए दुर्व्यवहार की सार्वजनिक रूप से निन्दा की हो? इस विषय में कोई चर्चा नहीं हुई। किसी ने भी इस विषय पर अध्यक्ष महोदय को नोटिस नहीं दिया कि वह इस बारे में बहस करना चाहते हैं। सभी चुप रहे। यह सब बातें होती रहीं। इसी दौरान हथियार आने शुरू हुए, आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया गया, उन्हें हथियार दिए गए। देश की अखण्डता और एकता के लिए आपरेशन ब्ल्यू स्टार हुआ। उनका उद्देश्य पहले देश को अस्थिर करना तथा दूसरे, तृतीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता की हत्या करना था ताकि तृतीय विश्व आन्दोलन को कमजोर किया जा सके। इस समय तक मुजीबुर्रहमान नहीं रहे थे, भुट्टो को फांसी दी जा चुकी थी और यदि इन्दिरा गांधी की हत्या कर दी जाती तो उनका अन्तिम उद्देश्य पूरा हो जाता।

हमें दूसरे कारणों का भी पता लगाना होगा। जब यह सब बातें हो रही थी तो अफगानिस्तान समस्या भी गम्भीर हो गई। अफगानिस्तान में गुरिल्लों और मुजाहिद्दीनों को प्रशिक्षित और हथियारों से लैस करने के लिए प्रयत्न किये गए।

4.03 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए एक रूप रेखा तैयार की गई और उसी रूप रेखा के आधार पर आपरेशन आरम्भ हुए। और इसीलिए यह टिप्पणी सही प्रतीत होती है कि विदेशी एजेंसियों के शामिल होने और उनके संबंधों को नकारा नहीं जा सकता। यदि मैं कहूं कि इंदिरा जी की हत्या उनके खेल की शुरूआत है अन्त नहीं। यह केवल शुरूआत थी, उसके बाद भी बहुत-सी बातें हुई और बहुत-सी बातें हो रही हैं और उसके लिए भारत के लोगों लोकतांत्रिक संस्थानों और सरकार को तथा देशभक्त ताकतों को सतर्क रहना होगा।

सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान उस अभियान की ओर दिलाना चाहता हूं जो आरम्भ हुआ एक ओर तो आतंकवादियों द्वारा देश को अस्थिर करने के प्रयत्न किए जाते रहे तथा दूसरी ओर भ्रष्टाचार समाप्त करने के लोकप्रिय नारों के अन्तर्गत एक समाचार-पत्र विशेष द्वारा सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए सेना को आमंत्रित किया गया। यह 1977 से पहले की बात थी। यदि आप देखें

** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

तो यही वही समाचारपत्र है। वही तथा कथित एक-या दो पत्रकार हैं जो आज भी तथा कथिक युद्ध जारी किए हुए है। मुझे आपको यह सूचित करते हुए बड़ा दुःख होता है कि यह संसद सदस्यों, चाहें वह पक्ष के हो या विपक्ष के, की गरिमा के अनुकूल नहीं है कि वह संसद में अपनी नीति तैयार करने के लिए एकत्र हो और उस बैठक में एक पत्रकार को उन्हें संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया जाए और वह उन्हें सलाह दें।

कल विट्ठलभाई पटेल हाउस में श्री अरुण शोरी से भावी कार्यवाही के विषय में सलाह ली गयी। सभापति महोदय, यह अभियान बोफोर्स सौदे से शुरू हुआ था। उन्होंने देश के सर्वोच्च पद अर्थात् भारत के राष्ट्रपति का उपयोग अथवा दुरुपयोग करने का प्रयास किया। वे असफल रहे क्योंकि लोकतांत्रिक संस्था के महत्व को सही ढंग से समझने में वे असमर्थ रहे। अन्त में वे ठक्कर आयोग की रिपोर्ट उसके निष्कर्षों और टिप्पणियों द्वारा चरित्र हनन पर उतारू हो गए।

सभापति महोदय, यदि यह मान लिया जाए कि श्री धवन ने अपने एक वक्तव्य में 4 माह पहले यह कहा होता कि षड्यन्त्रकारी कांग्रेसी नेता हैं जो कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य हैं। अगर वे ऐसा करने में सफल हुए होते और अपने इच्छानुसार काम करवा पाते तो वे जरूर आज इस सभा में आकर मांग करते कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट को सभा पटल पर न रखा जाए बल्कि सरकार से त्यागपत्र की मांग करते और वे श्री धवन को बचाने का प्रयास करते। लेकिन क्योंकि श्री धवन उनके इशारे पर नहीं चले, न ही वे विपक्ष के साथ मिले और उन्होंने हमेशा एक सच्चे सेवक के रूप में काम करते हुए अपने आत्म-सम्मान को बनाये रखा—और जब उन्हें पुनः प्रधान मन्त्री के मंत्रिमण्डलीय सचिवालय में वापस बुलाया गया तो यह एक बड़ा गुनाह हो गया।

विपक्ष के सदस्यों द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर प्रधानमन्त्री ने कल सभी मुद्दे स्पष्ट कर दिए। सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि अब यह आतंकवाद की सनक अकेले पंजाब तक ही सीमित नहीं है। पंजाब विधानसभा को इस आधार पर भंग किया गया कि उस सरकार का कोई मंत्री आतंकवादियों को खुले आम हथियार दे रहा था या देश के बाहर के आतंकवादियों को समर्थन दे रहा था या फिर उसकी आतंकवादियों के साथ किसी प्रकार की मिली भगत थी भारत के दूसरे भागों में भी यही हो रहा है। प्रधानमन्त्री श्री राजीव गांधी के प्रयत्नों के फलस्वरूप ही आज हम देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने में सफल हो सके हैं। यह सच है कि हम उनके सामयिक हस्तक्षेप के कारण ही दार्जिलिंग में एकता स्थापित कर सके हैं मैं प्रधान मन्त्री का आभारी हूं। उन्होंने महत्वपूर्ण बातें कही हैं जो कि महात्मा गांधी व पंडित नेहरू के आदर्शों के अनुरूप है और श्रीमती इन्दिरा गांधी के सिद्धांतों और विचारधारा के अनुकूल हैं। उन्होंने कहा है कि यदि हमने पश्चिम बंगाल की बहुसंख्या जनता की भावनाओं के अनुरूप कार्य करने का वचन दिया होता तो आज पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणाम कुछ और होते। हमें इस चुनाव में 42·5 प्रतिशत मत प्राप्त हुए। यदि हम श्री राजीव गांधी को बंगालियों का नेता बनाते तो हमें 4 प्रतिशत मत और प्राप्त हो जाते। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने उन्हें राष्ट्र का नेता बनाने का प्रयास किया। राष्ट्र के नेता के रूप में वह स्वतन्त्रता संग्राम में गोरखों के उत्तरदायित्व और भूमिका की उपेक्षा नहीं कर सके। उन्होंने कहा मैं उन्हें देश विरोधी तत्व कहकर उन पर दोषारोपण नहीं कर सकता। वे मेरे भाई, बच्चे और बेटे हैं। इस तरह से हमने एकता को बरकरार रखा पर पश्चिम बंगाल में क्या हुआ? राज्य सरकार ने

राज्य शस्त्र गृह से एक दल को इस आन्दोलन का मुकाबला करने के लिए हथियार दिए। क्या यह असंवैधानिक नहीं है ? क्या यह आतंकवादी भावनाओं को प्रोत्साहित नहीं करती जिससे देश में अस्थिरता पैदा होगी ?

सभापति महोदय, मैं यहां कोई विवाद उठाना नहीं चाहता हूं। मेरी मंशा किसी भी राज्य के मुख्य मन्त्री चाहे वह कांग्रेस के हों या गैर कांग्रेसी या किसी नेता के बारे में कोई अपशब्द कहने की नहीं है। मैं यह सविनय निवेदन कर यह कहना चाहूंगा कि आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी किसी व्यक्ति विशेष चाहे वह सरदार बूटासिंह हों या श्री संतोष मोहनदेव या फिर श्री चिदम्बरम की नहीं है। सभी राज्य सरकारों को सतर्क रहते हुए यह देखना होगा कि आतंकवादी कहां छिपे हैं। यदि यह सच है कि श्री समरनजीतसिंह मान और दूसरे आतंकवादी आपरेशन ब्लूस्टार के पहले या बाद में पश्चिम बंगाल में छिपे थे तो क्या यह उस राज्य के** का कर्तव्य नहीं था कि सही समय पर उन्हें गिरफ्तार किया जाए ? अगर **····वास्तविकता से अवगत नहीं थे, तो मैं कहूंगा कि वह **······। यदि वह वास्तविकता से अवगत थे फिर भी उन्होंने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो इससे राजनैतिक संदेह उत्पन्न होता है। यह मेरा अकेले का राजनैतिक संदेह और टिप्पणी है। मैं कहूंगा कि वे दोहरे मापदंड अपना रहे हैं। वे दिल्ली में तो राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं पर वे ही कनाडा में आतंकवादियों को सम्बोधित करते हैं, दिल्ली में राष्ट्रीय एकता की बात करते हैं और दार्जिलिंग में आतंकवादियों को हथियार देकर भड़काते हैं, राष्ट्रीय एकता की बात तो करते है लेकिन वे राष्ट्रीय विपक्ष के नाम पर **····का परित्याग नहीं करते। यह उनकी दोहरे मापदण्ड की नीति है जिसके द्वारा वे उन ताकतों के साथ साठ-गांठ करके देश में अस्थिरता फैलाना चाहते हैं यह मेरी टिप्पणी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहते हुए अपने भाषण का समापन करूंगा कि विपक्ष के सदस्यों ने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर जो हल्ला मचाया है जो हम सभापटल पर रख चुके हैं। मैं विपक्ष से एक बात जानना चाहूंगा। कल कांग्रेस के अनेक नेताओं ने कुछ ऐसी रिपोर्टों का उल्लेख किया था जो प्रकाश में नहीं आयीं। श्री गाडगिल ने विशेष तौर पर यह जानना चाहा था कि वी० बी० राय की रिपोर्ट कर्नाटक विधानसभा में क्यों नहीं रखी गयी थी। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि जांच आयोग अधिनियम के तहत पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने 1972 से 77 तक कांग्रेस शासन काल में किए गए भ्रष्टाचार और अपराधों की जांच के लिए तीन जांच आयोग नियुक्त किए थे। वे थे—अजय बसु आयोग, हरतोष चक्रवर्ती आयोग और शर्मा सरकार आयोग। अभी तक इनमें से कोई भी रिपोर्ट प्रकाश में नहीं आयी है, क्योंकि इन आयोगों के अध्यक्षों ने स्वयं घोषणा की थी कि उन्हें कहीं भी कोई सबूत नहीं मिला। **—के कुछ सम्बन्धियों ने परामर्शदाता के रूप से राज्य कोष से धन से लिया। लेकिन आयोग ने अपने निष्कर्ष अभी तक पेश नहीं किये हैं। अभी तक यह रिपोर्ट राज्य विधान सभा के सभा पटल पर नहीं रखे गए अतः विपक्ष के व्यवहार का यही तरीका है जहां भी उन्हें मौका मिलता वे मौके का लाभ उठाते हैं।

आज मैं प्रधानमन्त्री द्वारा वामपंथियों से की गई अपील का पूर्ण समर्थन करता हूं। यदि वामपंथी अपने आपको सही रूप में देशभक्त, साम्राज्यवाद विरोधी, आतंकवाद विरोधी और उपनिवेशवाद विरोधी मानते है; यदि वे अपने देश की एकता को बरकरार रखना चाहते हैं तो उन्हें स्पष्ट तौर पर जनता दल का परित्याग करना चाहिए जिसमें वह काली भेड़ शामिल है जो रिपोर्ट को लीक करती

** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी]

के लिए उत्तरदायी है उन्हें कहना चाहिए कि वे **—का परित्याग करते हैं। उन्हें ऐसे लोगों का परित्याग करना चाहिए जिन्होंने नैतिकता पर बल देते हुए दल-बदल विरोधी कानून बनाया और उसे पारित भी किया पर जब खुद दल बदला तो अपने पद से त्यागपत्र नहीं दिया। उन्हें ऐसे अनैतिक व्यक्तियों का परित्याग करना चाहिए। यदि वे अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं करते तो राजनैतिक दृष्टि से निश्चित रूप से यह जाहिर होगा कि वे भी किसी तरह के गुप्त समझौते से उन लोगों के साथ कार्यरत हैं जो देश में अस्थिरता लाना चाहते हैं।

महोदय, मैं गृह मंत्रालय से यह अपील करता हूं कि एस० आई० टी० द्वारा करायी गई जांच और टिप्पणियों के अलावा भी अनेक पहलू हैं जिनकी जांच करायी जानी चाहिए। हर्शमैन के पास कौन गया? हथियारों के अदनन खशोगी से कौन मिला? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या श्री अदनन खशोगी, श्री हरशपेन और **···जो जेनेवा में सम्पादक हैं—उनमें से एक या फिर सभी ने श्री।* को जेनेवा में भोजन पर आमन्त्रित किया था। क्या यह सच है कि लॉस एंजिलश में अनेक विपक्षी नेताओं ने श्री अदनन खशोगी से भेंट की और श्री हर्शमैन से सम्पर्क स्थापित किया? क्या यह भी सच है कि उनके इशारे पर वे इस देश में कार्यरत हैं? इसलिए आप देखेंगे कि इसमें एक अन्तर्राष्ट्रीय सूत्र स्थापित किया गया है और हम जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। पहले भी उन्होंने हमारे सुरक्षा बलों के मनोबल को गिराने का प्रयास किया था। यही कारण था कि शुरू में बोफोर्स के बारे में अभियान शुरू किया गया था। वे हमारे सेना के अधिकारियों पर आरोप लगाना चाहते थे। जब उन्हें इसमें ज्यादा जोखिम नजर आया तब वे अपना लक्ष्य प्रधान मन्त्री को बनाया। जब वे प्रधानमन्त्री के विरुद्ध कुछ नहीं जुटा पाए तब उन्होंने ठक्कर आयोग की ओर अपना ध्यान दिया। वे सम्बन्धित विषयों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे सम्बन्धित विषयों पर बात ही नहीं करना चाहते हैं। वे इस बात पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं कि देश सूखे की स्थिति के बावजूद भी अपनी अर्थव्यवस्था कैसे सुधार कर रहा है। जवाहर रोजगार योजना द्वारा कितने लोगों के लिए रोजगार जुटाया जा रहा है आठवीं योजना के दौरान स्थिति में कैसे सुधार किया जाएगा, कैसे महिलाओं के अधिकारों की रक्षा की जा रही है, इत्यादि पर चर्चा करने में उनकी कोई रुची नहीं है नहीं वे गरीब किसानों और बुनकरों की समस्याओं के बारे में चर्चा करने में रुचि रखते हैं।

वे तो देश भर में एक प्रकार का अभियान चलाना चाहते हैं जिससे कि वे देश के सम्मुख मुद्दों को उठाए बगैर ही लोगों के पास जा सकें। वे विदेशों से नियमित सम्बन्ध बनाए रखना चाहते हैं और आतंकवादी एजेंसियों से सम्बन्ध रखना चाहते हैं। महोदय, इस देश में मोशे दायान को रखने वाले कुदाल आयोग के अनुसार गांधी शांति संस्थान की धनराशि में हेरा-फेरी करने वाले, अदनान खाशोगी हर्शमैन के साथ सम्बन्ध रखने वाले, स्वर्णमन्दिर में छुपे आतंकवादियों की निन्दा न करने वाले 'ब्लैक थंडर' अथवा "आपरेशन ब्लू स्टार" जैसी सेना की कार्यवाहियों का स्वागत न कर सकने वाले पाकिस्तान जाने और उन दिनों में भारत के अत्यधिक विरोधी जिया-उल-हक तथा अन्य लोगों की प्रशंसा करने वाले तथा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर यहां समस्याएं उत्पन्न करने वाले लोगों को अपनी नेकनीयती प्रमाणित करनी चाहिए। आज उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगा हुआ है। न उच्चतम न्यायालय को और न ही संसद बल्कि भारत के लोगों को उनके बारे में निर्णय देना चाहिए

** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

उनके बारे में लोग सर्वोच्च लोकतांत्रिक मंच पर निर्णय लेंगे। यदि विपक्ष गंभीर है तो उन्हें यह निर्णय लेना चाहिए कि वह भारत के पक्ष में हैं। उन्हें आतंकवादियों की चालों की बजाय देश का बचाव करना चाहिए। यदि वे उनके साथ नहीं हैं तो उन्हें आतंकवादियों और उनके मित्रों तथा आज षड्यन्त्र कर रहे एजेण्टों का पर्दाफाश करना चाहिए। सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी विश्व शान्ति की एक अत्यन्त महान समर्थक है।

सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की धरोहर तथा विरासत अच्छी हो सकती है। लेकिन लन्दन में रजनी पाम दत्ता के द्वारा बनाई गई ब्रिटेन की कम्युनिस्ट पार्टी की विरासत राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान देश से गद्दारी करना था। देश के संकट के क्षणों में वे गद्दारी कर सकते हैं। वे कह सकते हैं, "हम लेनिन या सोवियत कम्युनिष्ट पार्टी की परम्परा का अनुसरण नहीं करते हम तो रजनी पाम दत्ता की विरासत का अनुसरण करते हैं, जिन्होंने हमें सिखाया था कि नेता जी सुभाष की बेइज्जती कैसे की जाए और ब्रिटिश शिविरों में क्रान्तिकारियों को कैसे लाया जाए।" इसलिए कम्युनिस्टों को निर्णय लेना होगा कि अब वे कौन सी विरासत का अनुसरण करें। यदि वे लेनिन से लेकर गोर्बाचोव तक की सोवियत संघ की विरासत का अनुसरण करते हैं तो उन्हें तुरन्त स्वयं को जनता दल **.....** श्री हर्शमैन तथा श्री अदनान खाशोगी से अलग कर लेना चाहिए। यदि वे सोचते हैं कि वे रजनी पामदत्ता तथा राष्ट्रीय आन्दोलन के बड़े गद्दारों की विरासत का अनुसरण कर रहे हैं तो उन्हें यह कहना चाहिए "हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन हमारी पुरानी परम्परा तो गद्दारी करने की है जो हमारे दिल में है, ऐसी गद्दारी जो हमारे लिए लाभकर हो। हमें और कुछ नहीं कहना है।"

इन शब्दों के साथ मैं गृह मन्त्रालय को इस बारे में बधाई देता हूं कि उनका बहुत अच्छा कार्य रहा है और उन्होंने सत्य के साथ संसद के सम्मुख आने का साहस किया है। मैं कल प्रधानमंत्री द्वारा अपना तथा सरकार का दृष्टिकोण बताने के लिए उन्हें बधाई देता हूं। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि संसद से बाहर लोग निर्णय लें कि षडयन्त्रकारी कौन हैं अथवा षडयन्त्र का मुकाबला कर रहे लोग कौन हैं।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

नागर विमानन और पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल) : 31 अक्तूबर 1984 को भारत ने अपना प्रधान मन्त्री और कांग्रेस ने अपना नेता खो दिया तथा हमने अपनी माता को खो दिया। जब स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्रीमती गांधी जिन्दा थी और देश के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही थी तो हमेशा ही छोटी छोटी बातों को लेकर या अकारण ही उनकी बहुत आलोचना की जाती रही। उन्होंने देश को आगाह किया था और लोगों को भी बताया था कि देश के अन्दर तथा बाहर ऐसी शक्तियां हैं जो देश का विभाजन करने तथा देश की एकता और अखंडता को तोड़ने पर आमादा हैं। उन्होंने तथा अन्य कई व्यक्तियों ने उस समय यह संकेत दिया था कि उनकी जिन्दगी को खतरा है। उस समय विपक्ष इस पर हंस दिया। वे कहते थे कि यह शासन की कमियां छुपाने के लिए है। लेकिन जब से उनके वक्तव्य पर हंस रहे थे और लोगों का ध्यान वास्तविक मुद्दे से हटा रहे थे, उस समय उनके तथा देश की एकता के विरुद्ध षड्यन्त्र कर रहे लोगों को स्वयं को तैयार करने और घातक हमला करने का अवसर मिल गया। हम इसका परिणाम जानते हैं। हमारे देश में उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी गई।

** अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

हम जानते हैं कि उन पर गोली किसने चलाई; हम जानते हैं कि उन्हें मारने वाले कौन थे। न्यायालय में मामला दर्ज किया गया। कुछ राजनीतिज्ञों तथा वकीलों ने अभियुक्तों का बचाव किया और यह दर्शाने का प्रयास किया कि अपराधी निर्दोष हैं। उन्होंने लोगों का ध्यान बटाने का प्रयास किया। उन्होंने यह दर्शाने का प्रयास किया कि जिन गोलियों से श्रीमती गांधी मारी गई थी, वे गोलियां किसी और द्वारा चलाई गई थी। उन्होंने उन वास्तविक अभियुक्तों को बचाने के सभी प्रयास किए जिनके हाथ खून में सने हुए थे और जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया था। यह जानने के लिए किसी दूर-दर्शिता या जानकारी की जरूरत नहीं थी कि गोली चलाने के लिए वास्तव में कौन उत्तरदायी थे और फिर भी एक पार्टी से सम्बन्धित विख्यात विधि वेत्ता लोगों का ध्यान वास्तविक अपराधियों से हटा कर अन्य मुद्दे पर लाने का प्रयास कर रहे थे।

फैसला दिया गया और यह अभियुक्तों के विरुद्ध था, उन्हें सजा दी गई। बाद में एक समाचार पत्र में एक लेख छपा और यह मामला सदस्यों ने इस सभा में उठाया। एक आन्दोलन शुरू किया गया। हम जानते हैं कि आन्दोलन किस तरह का है; हम जानते हैं कि यह मामला किस प्रकार से इस सभा में रखा गया। वे चाहते थे कि रिपोर्ट सभापटल पर रखी जाए; वे सभा के बीचों बीच बैठे रहे उन्होंने सभा में बजट पर चर्चा नहीं होने दी। इस सभा का मूल्यवान समय नष्ट हुआ और वे लगातार यही आग्रह करते रहे कि रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जाए। सरकार ने स्वयं ठक्कर आयोग की सलाह के मुताबिक रिपोर्ट को सभापटल पर नहीं रखा। रिपोर्ट को प्रकाशित न करने के कारण इस प्रकार हैं। रिपोर्ट के पृष्ठ 7 पर यह कहा गया है :

> "काफी विचार के बाद आयोग का यह मत है कि अन्तरिम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में कोई आपत्ति नहीं है, आम जनहित में इस रिपोर्ट (अन्तिम रिपोर्ट) को सार्वजनिक न किया जाए। इसे सार्वजनिक न करने के तीन अच्छे और उचित कारण हैं :—(1) पहला, रिपोर्ट को देखते हुए, रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों को देखते हुए सरकार जांच एजेंसी द्वारा इस बारे में जांच करवाना चाहेगी। रिपोर्ट का प्रचार करने से ऐसी जांच पर बुरा असर पड़ेगा अथवा यह पूर्वाग्रहित होगी। (2) दूसरा, ऐसे प्रचार से संदिग्ध व्यक्ति को परेशानी अथवा पूर्वाग्रह हो सकता है। ऐसा इसलिए भी है कि रिपोर्ट में टिप्पणियां एक जांच से पूर्व होने वाली पूछताछ की कार्यवाही के दौरान एकत्र जानकारी के आधार पर की गई हैं, यह अधिनियम की धारा 8 ख या नियमों के नियम 5 के अन्तर्गत आयोग द्वारा की गई जांच के आधार पर नहीं की गई है। (यह तरीका इस लिए अपनाया गया क्योंकि जांच एजेंसी द्वारा आगे जांच की जा सकती है और आयोग स्वयं ही उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच नहीं कर सकता जो कि एक मुकदमें के रूप में अधिक होंगे। (3) तीसरा, रिपोर्ट में एकत्रित तथा निहित जानकारी अनेक संवेदनशील मामलों से संबंधित है जो कि फिलहाल प्रकाशित करना जन हित में नहीं है।"

अब ये वे कारण थे जिनकी वजह से रिपोर्ट को सभा पटल पर नहीं रखा गया और ये उचित कारण थे। रिपोर्ट ने स्वयं यह कहा है कि अदालत में अभियुक्त के विरुद्ध जांच करने के लिए इस जांच में अभियुक्त की रक्षा करना आवश्यक था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि विदेशों से

सम्बन्धि कुछ संवेदनशील मामले भी हैं जिन्हें आपराधिक जांच समाप्त होने तथा मामले के दायर होने से पहले प्रचारित करना उचित नहीं है। ये उचित कारण है और वे फिर भी चाहते थे कि रिपोर्ट प्रतिवेदन सभापटल पर रखा जाए।

सभापटल पर रिपोर्ट न रखने से संभावित गलतफहमियों को दूर करने के लिए तथा विपक्षी सदस्यों की मांग को देखते हुए और सभापटल पर रिपोर्ट न रखने से उत्पन्न हो सकने वाली शरारत से बचने के लिए सरकार रिपोर्ट को सभापटल पर रखने के लिए सहमत हो गई। और फिर बाद में क्या हुआ, बाद में माननीय सदस्यों ने स्वयं चर्चा का ही बहिष्कार कर दिया। वे इस सभा को छोड़ कर बाहर चले गए। उन्होंने कहा कि जब तक आयोग की कार्यवाही का सारा रिकार्ड सभापटल पर नहीं रखा जाता वे इस पर चर्चा नहीं करेंगे।

हम सांसदों को यह पता है कि संसदीय समितियों के प्रतिवेदन भी संसदीय समितियों की कार्यवाही वृत्तांत के रिकार्ड के बिना सभापटल पर रखे जाते है। इस आयोग की नियुक्ति सदन से बाहर की गई थी। यह आयोग द्वारा की गई एक जांच रिपोर्ट थी। हमें किसी जांच रिपोर्ट, जांच के बाद की रिपोर्ट और एक न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय में अन्तर को पहचानना चाहिए। यह एक जांच रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया था कि इस रिपोर्ट को अथवा इस आयोग की कार्यवाहियों को साक्ष्य नहीं माना जा सकता। परन्तु इस मामले की जाँच का आधार बनाया जाना चाहिए और इस बारे में विशेष जांच का आधार बनाया जाना चाहिए और इस बारे में विशेष जांच आरम्भ की जानी चाहिए। बाद में विशेष जांच की गयी थी। यह भी उल्लेख किया गया कि न्याय के हित में इस रिपोर्ट को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए।

अब इन सभी वास्तविकताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए परन्तु फिर भी विरोधी दलों के सदस्यों ने बार-बार यह आग्रह किया कि न केवल इस रिपोर्ट को अपितु आयोग की कार्यवाहियों को भी सदन के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। यह बहुत ही संगत बात है कि इस बारे में आयोग ने रिपोर्ट में कहा है। पृष्ठ 6 पर रिपोर्ट में कहा गया है :

> "इस प्रकार की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप आयोग यह निर्णय ले सकता है कि न्यायालय में दाखिल किए आरोप-पत्र में दिये गये नामों के अलावा भी कुछ व्यक्ति अथवा एजेंसियां सम्भवतः इस अपराध को करने के कार्य में सम्मिलित हों। आयोग यह मत बना सकता है कि आयोग द्वारा एकत्रित सामग्री के आधार पर किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के सम्मिलित होने के बारे में शक किया जा सकता है। ऐसी संभाव्यता में आयोग के सामने यही रास्ता खुला होगा कि संगत सामग्री का उल्लेख किया जाये और इस मत पर पहुंचने के कारणों को स्पष्ट किया जाये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ० आई० आर०) अथवा आरोप-पत्र में उल्लिखित अपराधियों के अलावा भी कुछ अन्य व्यक्तियों के इस अपराध में सम्मिलित होने के आधार है और यह सिफारिश की जाये कि आयोग द्वारा अनुभव किये गये परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए जांच-एजेंसियों द्वारा इस मामले की और आगे जांच करवाने की आवश्यकता है।"

उन्होंने स्वयं कई बार यह कहा है कि इस रिपोर्ट के बारे में कोई निश्चयात्मकता नहीं है। उन्होंने यह कहा है कि इस बारे में जांच की जानी चाहिए। जांच के बाद जांच रिपोर्ट को न्यायालय में दाखिल करना पड़ता है। जांच के बाद प्राप्त होने वाली रिपोर्ट भी निर्णयात्मक नहीं होती है, केवल

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

न्यायालय ही इस बारे में निर्णय और फैसला दे सकता है। इस रिपोर्ट के बाद बहुत से स्तरों पर कार्यवाही की जानी थी। परन्तु फिर भी सदस्यों ने बार-बार यह आग्रह किया कि इस रिपोर्ट के कार्यवाही वृत्तांत सहित सदन के सभा पटल पर रखा जाना चाहिए। उन्होंने ऐसा क्यों किया? सदन में और सदन से बाहर सभी समझदार व्यक्तियों द्वारा यह प्रश्न पूछा जायेगा। वे चाहते थे कि इस रिपोर्ट को सभापटल पर रखा जाना चाहिए क्योंकि वे सोचते थे कि रिपोर्ट में ऐसी सामग्री होगी जिसका उपयोग सरकार, कांग्रेस दल और दल के नेता विरुद्ध किया जा सकता है। उन्होंने सोचा था कि इसमें ऐसी सामग्री होगी और वे उसका उपयोग कर सकेंगे। जब उन्हें इस रिपोर्ट में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली तो उन्होंने इस रिपोर्ट के बारे में चर्चा में ही भाग नहीं लिया।

क्या एक जिम्मेदार विपक्ष को इस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, क्या इसी तरीके में हमारे देश में लोकतन्त्र और संसदीय प्रणाली मजबूत होगी, क्या सच्चाई का पता लगाने और लोगों से साथ न्याय करने का यही तरीका है? क्या विरोधी पक्ष को सत्ता पक्ष के साथ अपना सत्ता पक्ष को विरोधी पक्ष के साथ इसी प्रकार व्यवहार करना चाहिए? इस प्रश्न को अनेक बार पूछा जायेगा। और इसका उत्तर यह है कि वे दल के नेता, सरकार और कांग्रेस दल को बदनाम करना चाहते थे, उनकी निन्दा करना चाहते थे। परन्तु जब उन्हें रिपोर्ट में ऐसी कोई सामग्री नहीं मिली तो उन्होंने चर्चा में भाग नहीं लिया। जब संसद के बाहर उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों का उत्तर देने के लिए कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है। उस समय वे सरकार को आलोचना करते हुए लम्बे-लम्बे भाषण देते हैं। वे अपने भाषण सदन में दे सकते थे ताकि उनके द्वारा उठाये गये मुद्दों की व्याख्या की जा सकती, उनका उत्तर दिया जा सकता और सच्चाई तक पहुंचने के लिए न्याय के हित में ऐसा किया जाना चाहिए था। ऐसा नहीं किया गया। वे ऐसे स्थानों पर भाषण देते है जहां वे अपनी इच्छानुसार भाषण दे सकें। और यदि वे यहां भाषण देते हैं तो उन्हें यहां उपस्थित उन सदस्यों के सामने भाषण देना पड़ेगा जो कि सच्चाई और झूठ की ओर उनका ध्यान दिला सकते हैं।

महोदय, विरोधी दल अवास्तविक मुद्दों को उठाता रहा है। उन्होंने उन सिद्धांतों की चर्चा नहीं की है। जिनके आधार पर हमारे लोकतन्त्र, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे समाज का सम्पूर्ण ढांचा खड़ा हुआ है। वे नीतियों अथवा सिद्धांतों की चर्चा नहीं करते, वे रक्षा नीतियों अथवा देश में सुरक्षा के वातावरण के बारे में चर्चा नहीं करते अपितु वे एक रक्षा सौदे पर चर्चा करने में रुचि लेते है। वे बड़े मुद्दों के प्रति रुचि नहीं रखते। उन्हें विमान से संबधित छोटे मुद्दों के प्रति रुचि है, सुरक्षा वातावरण, रक्षा नीति तथा देश की रक्षा कैसे की जानी चाहिए इस संबंध में क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। आदि बातों से सम्बन्धित मुद्दों में उन्हें रुचि नहीं है। परन्तु वे कुछ छोटे और बड़े ठेकों के प्रति रुचि रखते हैं। वे हमारी नयी नीतियों के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। गत चार वर्षों में सरकार ने बहुत-सी नई नीतियों नई शिक्षा नीति, नई सिंचाई नीति, नई स्वास्थ्य नीति, नई आवास नीति, देश के कृषि और औद्योगिक विकास के प्रति नये दृष्टिकोण नये औद्योगिक तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, शक्ति के विकेन्द्रीकरण और उसे लोगों तक ले जाने के लिए नये दृष्टिकोण को अपनाया है। जब बजट पर चर्चा की जाती है तो वे एक ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिस पर वे चर्चा करना चाहते है। जब बजट पर चर्चा समाप्त हो जाती है तो वह मुद्दा भी समाप्त हो जाता है। और वे सभा के बीचों-बीच बैठ जाते है। वे बजट पर चर्चा ही नहीं करते हैं। वे किसी ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहते हैं जिस पर वे अन्ततः चर्चा ही नहीं करते हैं। वे क्या कर रहे हैं? वास्तव में वे छोटी-छोटी बातों, अनुबन्धों

और व्यक्तियों के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। क्या छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देने से ही भारत जैसे देश में लोकतंत्र मजबूत बन सकता है ? क्या संकीर्ण, अदूरदर्शिता पूर्ण रवैये से भारत का सामाजिक और आर्थिक विकास किया जा सकता है ? एक ओर एक ऐसा नेतृत्व सरकार और ऐसा दल है जो कि अपनी परवाह न करके देश के विकास के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहा है, जो कि हमारी अर्थ-व्यवस्था, समाज और देश को मजबूत बनाने के लिये हमारे देश तथा अन्य देशों के फायदे के लिए विश्व भर में अच्छे संबंध स्थापित कर रहा है। और दूसरी ओर ऐसे सदस्य हैं जोकि सदैव छोटी-छोटी बातों और व्यक्तियों की ही चर्चा करके लोगों के ध्यान को बड़ी बातों से हटाकर छोटी-छोटी बातों की ओर मोड़ रहे हैं।

यह आंदोलन क्यों है ? जब हम देश में एकता और राष्ट्रीय एकता से संबंधित विषय पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे है तो विपक्ष के लोग छोटी-छोटी बातों की ओर लोगों का ध्यान बंटा रहे हैं और षड्यंत्र एवं षड्यंत्रकारियों की ओर से ध्यान हटाकर अन्यत्र ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। वे एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं जो श्रीमती गांधी के पूरे राजनैतिक-जीवन में प्रत्येक सुख-दुख: में उसके साथ रहा था, जब श्रीमती गांधी सत्ता में नहीं थी, वे उनके प्रति ईमानदार रहा, उसने उनके विरुद्ध, उनकी पार्टी के विरुद्ध उनके संबंधों के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा। विपक्ष उस व्यक्ति को फंसाना चाहता हैं। वे उसे फंसाना क्यों चाहते हैं। वे उसे इसलिए फंसाना चाहते हैं क्योंकि वे लोगों का ध्यान बड़े विषय से हटाकर छोटे-छोटे विषयों की ओर लाना चाहते हैं। यही नहीं, उन्होंने श्रीमती गांधी के नजदीकी लोगों को भी फंसाना चाहा। उन लोगों को भी फंसाना चाहा, जो उन्हें सबसे अजीज थे। मैं सोच भी नहीं सकता कि विपक्ष इतना नीचे भी गिर सकता है। विपक्ष को इन बातों से कुछ मिलने वाला नहीं है। विपक्ष को कांग्रेस पार्टी के नेता, कांग्रेस सरकार और कांग्रेस पार्टी के प्रति इस प्रकार का रवैया अपना कर कुछ मिलने वाला नहीं है। इतने निचले स्तर की राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमारे हृदय दुःख से भरे हुए हैं। सत्तारूप दल के बहुत से सदस्यों के हृदय दुःख से भरे हुए थे, उन पर फिर से प्रहार किया गया है, उन जख्मों को फिर से कुरेदा गया है। इस प्रकार दुःख पहुंचाने से विपक्ष को कुछ फायदा नहीं हो सकता। उन्हें गुमराह किया गया है।

इस देश के लोग इस घृणित खेल को अच्छी तरह समझते हैं। कतिपय अखबारों में जो कुछ छापा जा रहा है और विपक्षी सदस्यों द्वारा सदन में या सदन से बाहर जो कुछ कहा जा रहा है, उनसे वे गुमराह होने वाले नहीं हैं। हमारा जनता में पूरा विश्वास है। हमारा उनकी बुद्धिमता पर उनके निर्णय पर पूरा विश्वास है। और हम जानते हैं कि वे यह समझ सकते हैं कि क्या झूठ है और सच है, कौन किस कारण से क्या कार्य कर रहा है। वे उन लोगों को अच्छी तरह जानते हैं जो हर समय छोटी-छोटी बातों की ओर ध्यान बटाते हैं, जिनका व्यापक दृष्टिकोण नहीं है. जो समूचे राष्ट्र के बारे में नहीं सोचते, जो हमेशा नकारात्मक बातों पर ध्यान देते है, उनका रवैया कभी भी सहकारात्मक नहीं होता है, जो हमेशा दूसरों में खामियां ढूंढने का प्रयास करते हैं और जनता से कहते हैं, "हम उनसे अच्छे हैं क्योंकि उनमें कमियां हैं। नहीं उनका रवैया कभी भी सकारात्मक होता, वे अपने सिद्धांतों नीतियों के बारे में नहीं बताते कि वे देश के मसलों को कैसे सुलझाना चाहते हैं वे कहते हैं।" वे गलत है। अतः हमें उनके स्थान पर कार्य करने दिया जाना चाहिए।" इस देश के लोग इन सब बातों को अच्छी तरह समझ सकते हैं।

हमें बहुत अधिक दुःख है कि विपक्ष के कुछ सदस्यों ने इस विषय पर इस तरीके एव ढंग से चर्चा की है। मुझे इस विषय पर इससे अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल यह कहना चाहता हूं

कि प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है कि श्रीमती गांधी की हत्या किसी एक व्यक्ति की हत्या नहीं है। उनके कतिपय सिद्धांत और नीतियां थीं। वह देश में लोकतन्त्र के लिए प्रतिबद्ध थीं। वह देश के गरीबों की समर्थक थीं। वे आत्म-निर्भरता की समर्थक थीं। वह मानवता का सम्मान करती थीं। कुछ लोगों को वे सिद्धांत मान्य नहीं थे और उन्होंने सोचा कि उनकी हत्या करके वे इन सिद्धांतों को नष्ट कर देंगे, लेकिन उनका वह सोचना गलत था। हम उनके आशीर्वाद से उनके सिद्धांतों को नहीं छोड़ेंगे। हम एक इंच भी नहीं हिलेंगे। उन्होंने यह कहा था कि वह अपने देश के लिए अपनी जान तक दे देंगी और उनके खून का प्रत्येक कतरा इस देश को मजबूत करेगा। हम यही बात इस सदन में कहना चाहेंगे कि हम उनके सिद्धांतों पर अडिग रहेंगे, हम एक इंच नहीं हिलेंगे और अगर आवश्यकता पड़ी तो हम अपना सब कुछ बलिदान कर देंगे। हमारे खून की प्रत्येक बूंद इस देश की सुरक्षा के लिए होगी।

श्री शरद दिघे (बम्बई उत्तर मध्य) : सभापति महोदय, हम कल से ठक्कर आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। सत्ताधारी दल के बहुत से वरिष्ठ सदस्य इस पर पहले ही बोल चुके हैं। कल हमने प्रधानमंत्री के भावपूर्ण भाषण को भी सुना था। आज बहुत से मंत्रियों ने हस्तक्षेप किया था और चर्चा अब समाप्त होने वाली है। दुर्भाग्य की बात यह है कि विपक्षी पार्टियों ने जो ठक्कर आयोग की यह रिपोर्ट को सभापटल पर रखने पर जोर दे रही थी, इस वाद-विवाद में हिस्सा नहीं लिया है। मैं उनके इरादे समझ सकता हूं क्योंकि वे न तो रिपोर्ट का समर्थन करते हैं और न ही इसकी आलोचना कर सकते हैं। जब उन्होंने रिपोर्ट की विषय-सूची को देखा तो वे पूरी तरह से निराश हो गये। उन्हें रिपोर्ट से बहुत-सी बातों की आशा थी जिनका इस्तेमाल वे न केवल आज ही कर सकते थे, बल्कि चुनाव होने तक भी कर सकते थे।

लेकिन पूरी तरह निराश होने पर उन्होंने इस चर्चा में भाग नहीं लेने का निर्णय लिया। मैं नहीं जानता हूं कि क्या यह सच है। लेकिन अगर वे इसी विषय पर इस समय सदन से बाहर चर्चा करते हैं तो यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा और संसदीय लोकतन्त्र के विरुद्ध होगा। अगर किसी मंत्री द्वारा सदन से बाहर नीति से संबंधित एक भी वाक्य बोला जाता है तो वे इस बात का शोर करते है कि यह अनुचित था, कि जब सदन की बैठक चल रही हो तो आप सदन से बाहर कोई घोषणा नहीं कर सकते। जब हम उन मुद्दों का उत्तर देने के लिए यहां है, जैसा मंत्री जी ने अभी कहा है, वे जानबूझ कर ऐसा मंच चुनते हैं जहां इन मुद्दों का उत्तर देने के लिए कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हैं।

इसके अतिरिक्त महोदय, इस रिपोर्ट पर सदन से बाहर और सदन के भीतर कुछ पत्रकारों द्वारा भी टिप्पणी की गई है और उनमें से कुछ ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इस रिपोर्ट में ठोस एक काल्पनिक साक्ष्य के बीच भेद करने में यह आयोग असफल रहा है और रिपोर्ट के कई अंश कल्पना पर आधारित हैं। एक स्तम्भ लेखक ने यह भी टिप्पणी की है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या अपर्याप्त और अनिश्चित साक्ष्य के आधार पर ऐसे निर्णय पर कैसे पहुंच गये क्योंकि इस रिपोर्ट के अधिकतर अंशों से लगता है कि यह निर्णय पारिस्थितिकीय साक्ष्य के आधार पर नहीं बल्कि अनुमान और कल्पना के आधार पर किया गया है। अब यह रिपोर्ट सदन के पटल पर रख दी गई है। अंतरिम रिपोर्ट 19 नवम्बर, 1985 को प्रस्तुत की गई थी। अन्तरिम रिपोर्ट 27 फरवरी, 1986 को प्रस्तुत की गई थी। मेरा यह कहना है कि रिपोर्ट 1986 में ही लीक हो गई थी लेकिन तब विपक्ष ने इस विषय को उठाकर इसका लाभ लेने का उचित समय नहीं समझा। लेकिन आज उन्होंने सोचा कि इस विषय को उठाने से उन्हें कुछ फायदा होगा और इसलिए उन्होंने इस रिपोर्ट को सदन के समक्ष प्रस्तुत करने के

लिए काफी शोर मचाया तथा जब इस पर वास्तव में चर्चा शुरू हुई तो वे सदन से उठकर बाहर चले गये। वे इस बात से सहमत नहीं थे कि यह रिपोर्ट पूरी है क्योंकि जांच आयोग अधिनियम के अधीन उपबंधों, विशेषतया धारा 3 के खण्ड (5) के अनुसार, इस खण्ड के उद्देश्य के लिए पूरी रिपोर्ट में अंतरिम रिपोर्ट और आयोग की कार्यवाहियां भी शामिल होंगी। अतः यह केवल खण्ड 5 के लिए था। जब हमारे मंत्री जी श्री चिदम्बरम द्वारा इसे स्पष्ट किया गया तो भी वे इससे सहमत नहीं हुए। उन्होंने कहा "आम तो आम हैं।" प्रो० मधु दण्डवते ने कहा "आम तो आम हैं" और इसका अभिप्राय इससे भिन्न और कुछ नहीं है। लेकिन वह व्यक्ति जो कानूनी रूप से प्रशिक्षित है, जिसे विभिन्न धाराओं और विभिन्न अधिनियमों का कई बार निर्वचन करने का अवसर प्राप्त हुआ होता है, वे इस बात से तुरन्त सहमत होंगे कि अधिनियम के उपबंधों में वाक्यांशों को विभिन्न तरह से पारिभाषित किया जाता है। अगर परिभाषाओं को विशिष्ट खण्ड के अन्तर्गत परिभाषित किया जाता है तो सभी धाराओं और खंडों के लिए वही अर्थ अभिप्रेत होता है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस अर्थ को केवल कतिपय खण्डों के लिए ही सीमित किया जाता है, अगर आप संविधान के अनुच्छेद 2 को देखें तो आप पाएंगे कि अर्थ को किसी विशेष परन्तुक के लिए ही सीमित किया गया है, उस सम्पूर्ण खण्ड के लिए नहीं।

ऐसे अनेक उदाहरण हैं और इसके लिए आश्चर्यचकित होने की कोई बात नहीं है किन्तु जब कोई व्यक्ति न समझने का बहाना करे तब कुछ नहीं किया जा सकता। जब महान्यायवादी की भी यही राय थी और अध्यक्ष का विनिर्णय भी इसी पर आधारित था तब भी उन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया और अन्तिम क्षण में भी उन्होंने यही कहा कि "यह विकृत रिपोर्ट है। यही नहीं एक सदस्य ने तो यहां तक कहा कि रिपोर्ट में हेर-फेर किया गया है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि वे किसी भी मुद्दे से राजनीतिक फायदा उठाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं इसलिए मैं यह कहूंगा कि सदन में उनकी कार्यवाही का निर्धारण पत्रकार द्वारा किया जाता है। सदन में हमारा कार्य, कार्य-मंत्रणा समिति तय करती है किन्तु सदन में विपक्ष का सभा में किया जाने वाला कार्य हमेशा एक पत्रकार द्वारा निश्चित और निर्धारित किया जाता है जो कि सदन से बाहर का व्यक्ति होता है। अतः जहां तक विपक्षी सदस्यों का संबंध है उनकी स्थिति यही है।

अब जैसा कि मैं कह रहा था दुर्भाग्य से रिपोर्ट में कुछ ऐसी टिप्पणियां और आरोप लगाए गये हैं जो वास्तव में निश्चयात्मक सबूतों पर आधारित नहीं हैं। यही नहीं, ये आरोप कुछ मामूली बातों पर आधारित हैं, और इनका निष्कर्ष अनेक मामूली बातों के आधार पर निकाला गया है। इस रिपोर्ट का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग श्री धवन के खिलाफ लगाये गए आरोप हैं और इस रिपोर्ट में उसके खिलाफ बहुत सी बातें कहीं गई हैं। यदि हम इन सभी टिप्पणियों और तर्कों को ध्यान पूर्वक पढ़ें तो ये तर्कसंगत सिद्ध नहीं होंगे। ये रिकार्ड में आये किसी सबूत पर आधारित नहीं है और सभी मात्र अनुमान है तथा इन्हीं अनुमानों से सब बातों का निष्कर्ष इस प्रकार निकाला गया है जैसे कि सबूतों से ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले गये हों। आयोग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि रिपोर्ट जांच से पूर्व की गई पूछताछ पर आधारित है और यह जांच आयोग अधिनियम की धारा 8ख के अधीन जांच नहीं है जो न तो उपयुक्त है और न ही व्यवहार्य है।

महोदय, इसके बाद आयोग द्वारा श्री धवन के खिलाफ लगाये गए 4-5 आरोपों को लें। पहला साक्षात्कार के संबंध में स्वर्गीय प्रधान मंत्री और आयरिश दूरदर्शन के साथ तय किये गये समय में परिवर्तन करना है। इस संबंध में रिपोर्ट में पृष्ठ 45, 46, 49 और 54 पर चर्चा की गई है। पृष्ठ 45 पर आयोग कहता है :

[श्री शरद दिघे]

"अतः हमें इसी निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि यह परिवर्तन खुले ढंग से सामान्य तरीके से या साधारण तौर पर नहीं बल्कि गुप्त रूप से तथा रहस्यात्मक ढंग से किया गया था।"

इसके बाद पृष्ठ 4 में कहा गया है :

"इसलिए यह अनुमान लगाना तर्कसंगत ही है कि समय में परिवर्तन अहित करने के लिये किया गया था और ऐसी व्यवस्था किसी व्यक्ति ने अपराध को सुलभ बनाने के लिए की थी।"

महोदय, यह किसी तरह भी तर्क संगत नहीं है। इस मुद्दे पर चर्चा पूरी किए बिना कुछ निष्कर्ष और अनुमान लगा लिये गये हैं जैसाकि मैंने कहा यह बात युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि यदि साक्षात्कार का समय 8.3 बजे या 9.00 बजे या 9.10 बजे भी होता तो भी हत्यारे 7.00 बजे या 7.30 बजे ही मोर्चा संभाल चुके थे और इसलिए चाहे स्वर्गीय प्रधान मंत्री गेट से 8.30 बजे गुजरती या 9.00 बजे या 9.10 बजे गुजरती इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय परिवर्तन हत्यारों का इरादा नहीं बदल सकता था या न ही वे अपने लक्ष्य में चूक करते जो उनके दिमाग में था। अतः इस दृष्टि से इस निष्कर्ष का कोई आधार ही नहीं है। दूसरा आरोप यह है कि सिख गार्डों को लगाने के संबंध मे दिए गये अनुदेशों का मुख्यतः श्री धवन ने विरोध किया था। यदि आप अन्तरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 23 और 26 देखें तो उनमें दी गई टिप्पणियां बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इस संदर्भ में मैं सबसे पहले श्री कॉव के लिखित स्पष्टीकरण का जिकर करूंगा। जब श्री कॉव से यह पूछा गया कि उन्होंने सिखों को लगाने के संबंध में केवल श्री धवन के मौखिक अनुदेशों पर ही भरोसा क्यों किया यद्यपि उच्च स्तरीय समिति ने इसके विरुद्ध बहुत ही समझदारीपूर्ण निर्णय लिया था। उनसे पूछा गया था कि उन्होंने स्वयं प्रधान मंत्री से सम्पर्क करके क्यों नहीं पूछा। श्री कॉव द्वारा अन्तरिम रिपोर्ट के पृष्ठ 23 पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है :

"सिख सुरक्षा कर्मियों को प्रधान मंत्री के निकट से हटाने के आदेश को रद्द करने का निर्णय राजनीतिक निर्णय था। उनके अनुभव से यह पता चला है कि किसी राजनीतिक मामले पर प्रधान मंत्री द्वारा एक बार कोई निश्चय किये जाने और उस पर निर्णय लिए जाने के बाद उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा के विचार से भी उन्हें अपना निर्णय बदलने पर राजी करना कठिन था।"

अतः ऐसा संभव और युक्तियुक्त था कि श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस तरह के अनुदेश दिए होंगे क्योंकि वह अपने जीवन की कतई परवाह नहीं करती थीं। काव ने स्वयं पृष्ठ 26 पर कहा है। उन्होंने कहा कि एक अवसर पर उसने सुरक्षा के मामले में श्रीमती गांधी से बात की थी और स्वर्गीय प्रधान मंत्री ने बड़ी ही शिष्टता से उत्तर दिया था : 'काव साहिब—यह मेरी जिन्दगी है। मैंने ही इसे चुना है और मुझे इसके जोखिमों को भी स्वीकार करना चाहिए।" इसलिए, इस दृष्टि से मैं यह समझता हूं कि यह बहुत हद तक संभव है कि जहां तक इस बात का संबंध है, मौखिक हिदायतें दी गई थीं और उन्हें श्री धवन ने लागू करने के लिए कहा था। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है और इसके कारण कोई संदेह नहीं कर सकता।

एक दूसरी टिप्पणी यह थी कि वह (श्री धवन) गोली चलने से पूर्व वहां से हट गये थे। इस बात

की किसी ने भी पुष्टि नहीं की है। यहां तक कि न्यायालय के सामने दिये गए बयान से भी यह पता चलता है कि वह वहां से बिल्कुल नहीं हटा था। वह स्वर्गीय प्रधान मंत्री के साथ और इसलिए इस कारण से उस पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। उसने हत्यारों की हालत के बारे में पूछताछ की। इसमें क्या बुराई है? राष्ट्रीय महत्व की इतनी महत्वपूर्ण घटना घट चुकी थी और हर व्यक्ति इसके बारे में पूछताछ कर रहा था—हत्यारों का क्या हुआ, क्या उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया या नहीं, अन्ततोगत्वा हुआ क्या या किसी और ने तो उन्हें नहीं मार दिया गया और सारे सबूत नष्ट कर दिए, इस दृष्टि से ये सभी बातें महत्वपूर्ण थीं। इसलिए, छोटी-छोटी सारहीन बातों से हम संदेह नहीं कर सकते और इस सज्जन की ओर शक की सुई नहीं घुमा सकते। "प्रधान मंत्री स्टाफ के निकट सदस्य" के बारे में अन्तिम रिपोर्ट के पृष्ठ 81 पर मार्क टल्ली के लेख के बारे में आयोग कहता है :

> "उसने (टल्ली) सूचना के स्रोत का रहस्योद्घाटन करने से इनकार कर दिया और वह 'प्रधान मंत्री के स्टाफ के निकट सदस्य' का नाम बताने के लिए भी तैयार नहीं था।"

5.00 म० प०

उसका आरोप था "प्रधान मंत्री के स्टाफ के निकट सदस्य" ने उसकी ईमानदारी की तस्दीक की। "उसकी ईमानदारी" का अर्थ है हत्यारे की ईमानदारी। ऐसा कहकर आयोग ने तत्काल बाद यह कहा :

> "यह सर्वविदित है कि "प्रधान मंत्री स्टाफ का निकट सदस्य" अभिव्यक्ति का प्रयोग व्यापक तौर पर उस समय किया जाता था जब श्री धवन का हवाला दिया जाना हो।"

"प्रधान मंत्री स्टाफ का निकट सदस्य" शब्दों का प्रयोग किए जाने से ही आयोग सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंच गया इसका अर्थ केवल यही है और इसके अलावा कुछ नहीं है और इसमें कहा गया है :

> "यह सर्व विदित है कि "प्रधान मंत्री स्टाफ का निकट सदस्य" अभिव्यक्ति का प्रयोग व्यापक रूप से उस समय किया जाता था जब श्री धवन का हवाला दिया जाना हो।"

मेरा निवेदन यह है कि निष्कर्ष बहुत ही कमजोर अनुमान के आधार पर निकाला गया है और हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते।

कुछ डायरी प्रविष्टियां भी दिखाई गई हैं। एक ऐसे सज्जन जिसने अपनी जिन्दगी के बहुत से वर्ष प्रधान मंत्री के साथ बिताएं हों और जो बुरे दिनों में भी उनके प्रति निष्ठावान रहा हो, उसका क्या उद्देश्य हो सकता है? कौन-सा उद्देश्य हो सकता है? वह अपने बास की हत्या कराने में सहायता करके क्या प्राप्त कर सकता है?

उसके पास सारी शक्तियां थीं। उसके पास हर चीज थी। उसे कभी शक्तियों से वंचित नहीं रखा गया था। उसे क्या आवश्यकता थी? ऐसा जघन्य अपराध कौन करेगा। इतनी प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति से ऐसी संभावना कतई नहीं हो सकती।

केवल इतना ही नहीं। इसके बाद इसका उद्देश्य यह बताया गया है कि उसे सितम्बर, 1984 में फटकारा गया था। प्रधान मंत्री द्वारा सितम्बर, 1984 में उसे आंध्र प्रदेश की राजनीति में उसके द्वारा की गई कथित कार्रवाई पर उसे फटकारा गया था। अब मुझे ठीक से पता नहीं है किन्तु इस सलाह में अनेक अन्य लोगों के भी शामिल होने का आरोप है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हम ऐसा भी करते हैं।

श्री शरद दिघे : इसलिए इस बात की कोई संभावना नहीं है कि ऐसा इसी कारण हुआ था और जब वह अनेक वर्षों से प्रधानमन्त्री के साथ थे तो मेरे विचार में ऐसे अनेक अवसर आए होंगे जब श्रीमती गांधी ने उन्हें फटकारा होगा। जब वह इस देश के प्रधानमन्त्री को सलाह देने उसकी सहायता करने के लिए उनके इतना निकट था तो क्या यह सम्भव है कि उसे एक बार सितम्बर 1984 में डांटे जाने पर वह बदले का ऐसा ढंग अपनाता कि वह अपने उस मालिक की हत्या करवाता जिसके प्रति वह इतने वर्षों से निष्ठावान रहा हो ? ये सारी बातें कमजोर सबूतों पर आधारित हैं और इन घटनाओं से कोई भी सुलझे विचारों वाला व्यक्ति ऐसा अनुमान नहीं लगा सकता। इसलिए, मेरा निवेदन यह है कि जहां तक इस पक्ष का संबंध है, यह रिपोर्ट केवल अनुमानों पर आधारित है, अनुमान मात्र है और मुझे नहीं पता कि इसके आधार पर कोई आरोप लगाया जा सकता है या नहीं किन्तु जहां तक उनके इतने ऊंचे पद पर, अनेक वर्षों तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने का सम्बन्ध है हम यही कह सकते हैं कि उन्होंने सबूतों का मूल्यांकन करते समय, निष्कर्ष निकालते समय निर्णय लेने की अपनी समझ का प्रयोग नहीं किया, जिसकी कि इस प्रकार के न्यायाधीश से अपेक्षा की जाती है और जिस उम्मीद से हमने उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश को ऐसी जांच का कार्य सौंपा था।

हम ऐसा क्यों करें ? हमें विश्वास है कि वह अनुभवी व्यक्ति हैं और वह उचित अनुचित की जांच कर सही निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं और वह हर चीज के लिए प्रमाण को आधार मानते हैं और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा पूर्णत: निष्पक्ष निर्णय दिया गया है। किन्तु, मैं यह कहना चाहूंगा, कि जहां तक इस रिपोर्ट का सम्बन्ध है हम किसी न किसी कारण से उन गुणों का लाभ नहीं उठा रहे हैं। इस दृष्टि से मुझे खुशी है कि इसके बाद विशेष जांच दल ने श्री धवन को सभी प्रकार के आरोपों से मुक्त कर दिया। सरकार ने उन्हें पुन: उनके स्थान पर प्रतिष्ठापित करना उचित समझा सरकार ने, जहां तक इस हत्या का सम्बन्ध है, विशेष जांच दल की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों के खिलाफ भी आरोपपत्र जारी किए हैं जिनका संबंध बड़े पैमाने पर और व्यापक षड्यन्त्र से था। इस प्रकार सरकार ने उचित कदम उठाए हैं। आयोग स्वयं भी यही आशा कर रहा था कि इस पूर्ण जांच संबंधी कार्यवाही के बाद सरकार द्वारा कुछ किया जाएगा; आगे जांच की जाएगी और केवल तब ही कुछ कदम उठाए जाएंगे। सरकार ने ऐसा कर दिया है। मुझे इससे प्रसन्नता हुई है। इसलिए मैं एक बार फिर यह कहना चाहूंगा कि यदि विपक्ष इस चर्चा में भाग लेता और यहां अपने तर्क रखता, तो बहुत अच्छा होता, ताकि उन्हें यहां उत्तर दिया जा सकता और संसद इस बात से संतुष्ट हो गई होती कि यह रिपोर्ट मात्र अनुमानों और अटकलबाजी पर आधारित है। इससे हमारे विपक्षी सदस्य भी संतुष्ट हो गए होते। मैं ऐसी आशा करता हूं। किन्तु वे यह जानते थे कि इस चर्चा के बाद उत्पन्न होने वाली स्थिति आ जाएगी और उनके पास इस रिपोर्ट पर कहने के लिए कुछ नहीं बचेगा। इस-लिए उन्होंने इस रिपोर्ट पर चर्चा में भाग लेने का बायकाट करने की कार्रवाई का चयन किया। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री हरूभाई मेहता (अहमदाबाद) : महोदय, 31 अक्तूबर 1984 को स्वर्गीय प्रधान मन्त्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के रूप में भारत के लोगों पर विकराल संकट आ पड़ा जो कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद दूसरी ऐसी घटना से केवल एक दिन पूर्व अपने अन्तिम सार्वजनिक भाषण में श्रीमती इन्दिरा ने कहा था :

"मुझे विश्वास है कि मेरे खून का हर कतरा राष्ट्र के विकास में योगदान देगा और राष्ट्र को मजबूत बनाएगा।" अगले ही दिन उन्होंने राष्ट्रीय एकता के लिए, जिसके प्रति वह किसी अन्य बात और किसी अन्य व्यक्ति से भी अधिक वचनबद्ध थीं, अपना महान बलिदान दिया।"

राष्ट्र इस आघात को सहन करने की स्थिति में नहीं था। इस बीच भारत की जनता यह समझ सकती थी कि यह किसी एक व्यक्ति या यहां तक कि किसी उन्मादी मस्तिष्क या पागल व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य नहीं हो सकता बल्कि इसके पीछे कोई गहरी चाल थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उस समय भारत पर पहले ही बहुत अधिक अन्तर्राष्ट्रीय दबाव था। इस बात को समझते हुए भारत सरकार ने इन सभी बातों की जांच करने के लिए न्यायाधीश श्री एम० पी० ठक्कर के अधीन एक जांच आयोग नियुक्त किया था। आयोग ने 27 फरवरी 1986 तक अपना कार्य किया।

महोदय मैंने आयोग की रिपोर्ट को बहुत ही ध्यानपूर्वक पढ़ा है। रिपोर्ट का अवलोकन करने के बाद यद्यपि कोई सदस्य भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण अपना सकता है तथापि मेरा यह मत है कि आयोग ने अपने निष्कर्ष देकर बहुत बड़ा कार्य किया है। ऐसा सम्भव हो सकता है कि 'क' पहलू या 'ख' पहलू पर आयोग का प्रतिपादित किया जाना स्वीकार्य भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। किन्तु सामान्यत: कुल मिलाकर आयोग के निष्कर्ष बहुत ही मूल्यवान हैं। यह अच्छी बात है कि सरकार ने आयोग के निष्कर्षों पर आगे कार्य किया। हमारे पास आयोग की रिपोर्ट दो भागों में है। भाग-I अन्तरिम रिपोर्ट है और भाग-II अन्तिम रिपोर्ट है। संयोगवश जैसा कि श्री शरद दिघे ने अभी कहा लीकेज भी दो भागों में हुई है। पहले वर्ष 1986 में रिपोर्ट की अन्तरिम लीकेज हुई और आरोप पत्र जारी किए जाने से पूर्व कुछ दिन पूर्व अन्तिम लीकेज हुई। इससे पहले कि हम रिपोर्ट और इस पर की गई कार्रवाई की चर्चा करें इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा की गई गुहार को समझना संगत होगा। आरम्भ में सरकार ने स्वयं आयोग द्वारा रिपोर्ट के अध्याय I के पृष्ठ 7 के पैरा 1·9 में उल्लिखित आधारों पर रिपोर्ट उद्घाटित करने पर रोक लगाई थी। इस पर भी विचार किया जाना चाहिए। इस बात का उल्लेख अनेक सदस्य कर चुके है इसलिए मैं सदन का समय नहीं लूंगा। यह उल्लेख किया जा चुका है कि इसमें कुछ ऐसे संवेदनशील मामले है जो लंबित कारवाई या जांच कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं और इससे संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ चलाए जाने वाले मुकद्दमों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आयोग ने सरकार को रिपोर्ट प्रकाशित न करने की सलाह देना उचित समझा।

दुर्भाग्य से विपक्ष ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिसने सरकार को सदन के समक्ष रिपोर्ट रखने के लिए बाध्य होना पड़ा। मुझे पक्का विश्वास नहीं है कि क्या रिपोर्ट को पटल पर रखना अभी भी राष्ट्र के हित में है या नहीं। किन्तु अब जब रिपोर्ट हमारे सामने है तो इस पर ठीक ढंग से चर्चा की जानी चाहिए। दुर्भाग्य से वे अब सदन छोड़कर चले गए हैं जबकि सदन उस रिपोर्ट पर चर्चा कर सकता है जिसे वे सदन में प्रस्तुत करवाना और जनता को दिखाना चाहते थे। वे इस प्रकार बच निकले।

कौन थे वे लोग जिन्होंने ठक्कर आयोग की रिपोर्ट प्रकाशित करने की मांग की थी? क्या ये वे लोग थे जिन्हें स्वर्गीय प्रधानमन्त्री से प्रेम और लगाव था? नहीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति प्रेम और श्रद्धाभावना रखने वाले लाखों करोड़ों लोगों ने इस बात की कभी गुहार नहीं की कि रिपोर्ट

[श्री मरुभाई मेहता]

प्रकाशित की जानी चाहिए। जो लोग रिपोर्ट को तत्काल प्रकाशित कराना चाहते हैं क्या वे वही लोग हैं जो ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का ईमानदारी से लागू करने की मांग करते थे? नहीं। उनकी रुचि रिपोर्ट में नहीं है। उनकी रुचि तो रिपोर्ट का राजनीतिक प्रयोग करने में है। जिन लोगों ने रिपोर्ट को प्रकाशित करने पर जोर दिया था वे ऐसे लोग थे जिनके साथियों ने न्यायालय में हत्यारों या षड्यन्त्रकारियों का बचाव किया था और वह भी पेशे के आधार पर नहीं। वकील होने के नाते मैं समझता हूं कि अत्यधिक घृणित अपराध के आरोप में फसे लोगों की भी पेशे के आधार पर प्रतिरक्षा की जा सकती है। किन्तु एक बुद्धिमान वकील के वक्तव्य से यह स्पष्ट था कि यह पेशे की वकालत नहीं थी। वह उन हत्यारों का बचाव करके श्रीमती इन्दिरा गांधी और उनके समर्थकों से बदला लेना चाहता था। उसके साथी अब इस बात की मांग कर रहे हैं कि रिपोर्ट जनता को दिखाई जाए। ये वे लोग हैं जिनके एक साथी, जो एक दक्षिणी राज्य के पूर्व मुख्यमन्त्री थे, ने रिकार्ड रूप में यह कहा था कि केहरसिंह को फांसी देना घृणित अपराध था और यह एक प्रकार से राजनीतिक हत्या ही है। ये वही लोग हैं जिनके एक साथी, जो पिछले मंत्रालय में नहीं बल्कि 1977-80 के बीच पूर्व कानून मंत्री थे, ने कहा था कि उसे न्यायालय के निर्णय से निराशा हुई थी। उनके एक दूसरे साथी ने भी यह कहा था जो कि रिकार्ड में है, कि केहरसिंह की मृत्यु के लिए वह हर व्यक्ति दोषी है जिसने इस फांसी के खिलाफ आवाज नहीं उठाई।

महोदय, उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या को आक्रमण की विषय वस्तु नहीं बनाया। न्यायिक जांच के बाद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के लिए दोषी पाए गए व्यक्तियों को फांसी दिए जाने पर उन्होंने आंसू बहाए। उन्होंने भोग रस्म में उपस्थित होकर उनकी मौत पर दुःख जताया। दुर्भाग्य से मैं यह नहीं समझा कि विपक्ष स्वयं को उन लोगों से अलग क्यों नहीं कर सका जो अन्यथा भी ऐसे तत्वों के समर्थक हैं। मैं विपक्ष के कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो भारत की राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध खतरों या भारत में अस्थिरता पैदा करने वाले प्रयासों के बारे में और पश्चिमी साम्राज्यवादी ताकतों के प्रयासों और उनके 'ग्लोबल डिजाइन' के बारे में सचेत हैं। दुर्भाग्य से इस मामले में वे स्वयं को पूरे विपक्ष के दल से अलग नहीं कर सके विपक्ष में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सुनकर गलियों में मिठाइयां बांटीं थीं। और अब वे कहते हैं कि रिपोर्ट जनता को दिखाई जानी चाहिए।

मुझे खेद है कि उनमें से कोई भी यहां उपस्थित नहीं है। अन्यथा उनमें से कोई न कोई व्यक्ति इसकी आलोचना अवश्य करता। इसलिए उनकी इस रिपोर्ट की प्रकाशित किए जाने की वास्तविक मांग भी कम से कम इस समय उचित नहीं है।

हालांकि एक बात कही जा सकती है। हमारे देश में मुकद्दमा चलाने और फांसी देने का इतिहास हमारी न्यायिक और कानूनी प्रणाली की कमजोरी दर्शाता है। ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है। जहां अपने प्रधानमन्त्री की हत्या करने का आरोप लगे व्यक्तियों को अपराध के लिए दोषी पाए जाने पर भी हत्या के बाद साढ़े चार वर्ष की लम्बी अवधि बीत जाने पर ही फांसी पर चढ़ाया जा सकता है। ऐसा केवल भारत में ही हो सकता है। यह कहानी भोपाल गैस कांड के शिकार हुए लोगों की कहानी से भिन्न नहीं है। जहां भारत सरकार को समझौता करने पर बाध्य होना पड़ा क्योंकि इस देश की न्यायिक प्रणाली एक दशक तक भी पीड़ितों को न्याय दिलाने में असफल रहती।

इसलिए, इस पूरी कहानी से हमें यह सूचना मिलती है कि हमारी कानूनी और न्यायिक प्रणाली को और तेज किए जाने की आवश्यकता है।

आयोग ने हत्या करने में सहायक परिस्थितियों की अति सावधानी पूर्वक जांच की और यह पाया कि यदि उन उच्च अधिकारियों, जिन्हें प्रधान मन्त्री के जीवन के संकट और सुरक्षा ढांचे के संभव तथा संभाव्य स्रोतों की जानकारी थी; ने सुरक्षा ढांचे में सुधार करने के उपायों के बारे में सोचा होता और खतरों से निपटने के लिए सुरक्षा प्रणाली की संवीक्षा तथा समीक्षा की होती और खामियों को रोकने के उपायों पर विचार किया होता तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना को रोका जा सकता था।

मैं अपने मित्र श्री शरद दिघे की इस बात से सहमत नहीं हूं कि कुछ निश्चित लोगों की सुरक्षा गार्डों के रूप में तैनाती के प्रश्न पर श्री काओ ने प्रधानमंत्री से सलाह न लेकर ठीक काम किया। वह सुरक्षा प्रमुख था। यह उसकी जिम्मेवारी थी कि वह प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के पास जाकर उनकी डांट-डपट सुनने का जोखिम उठाता और उन्हें यह बताता कि उसे यह भी देखना है कि उनकी सुरक्षा कोई व्यक्तिगत सुरक्षा नहीं है बल्कि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा भी अन्तर्निहित है। इसलिए श्रीमती गांधी के पास जाकर निर्णय में परिवर्तन कराने की जिम्मेवारी उनकी थी।

फिर भी, इससे एक मुख्य बात का पता लगता है। यह केवल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ही कह सकती थीं कि चाहे मेरे जीवन के लिए कैसा भी जोखिम हो मैं गार्ड ड्यूटी में परिवर्तन के लिए इस आधार पर आदेश नहीं दूंगी कि वे एक समुदाय विशेष से संबद्ध है। इस तरह से उन्होंने राष्ट्रीय एकता और अखंडता को बरकरार रखा और यही कारण है कि उन्होंने सबसे बड़ा त्याग भी किया।

जहां तक श्री धवन की भूमिका का संबंध है एक अनुचित विवाद खड़ा किया गया लगता है एक व्यक्ति के बारे में भिन्न-भिन्न बातें करने के लिए आयोग को फटकारना न तो आवश्यक ही है न उपयोगी है। स्वयं आयोग ने उस पर अन्तिम रूप से कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। संयोग से फेयरफैक्स के मामले में हमारे मित्रों को इसी आयोग पर निर्भर रहना पड़ सकता है। हमें स्वयं रिपोर्ट देखनी चाहिए। यह क्या कहती है; रिपोर्ट में पृष्ठ 126 पर श्री धवन के इसमें शामिल होने के बारे में बहुत स्पष्ट कहा गया है। यह कहती है:

> "इस निष्कर्ष से नहीं बचा जा सकता है कि श्री धवन के इस अपराध में सहभागी होने या शामिल होने के लिए वजनदार कारण हैं।"

इसका मतलब है कि वजनदार कारण हैं। इससे यह भी आशय है कि इन कारणों को इस संबंध में प्राप्त उस सामग्री तथा सबूतों पर पूर्ण विचार विमर्श करके नकारा जा सकता है जो कि जांच के निष्पादन के दौरान इकट्ठे किए जा सकते है।

आगे आयोग की रिपोर्ट में यह बहुत स्पष्ट है कि यह धारा 8 ख के अन्तर्गत जांच नहीं है। धारा 8 ख को देखा जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करें।

श्री हरूभाई मेहता : यह एक ऐसा मामला नहीं है जिसे मैं दो या तीन मिनट में समाप्त कर पाऊं। मुझे अधिक समय चाहिए। यदि सदस्यों को अधिक समय देना आवश्यक है तो मंत्रियों को यह कहना ठीक होगा कि वे बार-बार हस्तक्षेप नहीं करें।

सभापति महोदय : वे पहले ही हस्तक्षेप कर चुके हैं।

श्री हरूभाई मेहता : उनके बार-बार हस्तक्षेप से आम सदस्यों का समय निकल जाता है।

सभापति महोदय । हम समायोजन करेंगे । हम भाषणों को काटकर छोट कर देंग ।

श्री हरूभाई मेहता : धारा 8 (ख) में कहा गया है :

"यदि जांच की किसी भी स्थिति में आयोग—

(क) किसी व्यक्ति के चाल चलन की जाँच करना आवश्यक समझता है; या

(ख) की यह राय है कि जांच द्वारा किसी व्यक्ति का खतरा प्रतिकूलत: प्रभावित होने की संभावना है तो,

आयोग को उस व्यक्ति को जांच के दौरान सुने जाने और अपने बचाव में सबूत देने के लिए उचित अवसर देने चाहिए।

अत: आयोग ऐसी किसी स्थिति पर नहीं पहुंचा है जहां एक उचित अवसर देने की आवश्यकता हो। उपबन्ध 8 (ख) को आवश्यक नहीं समझा गया था। आयोग का कथन एकतरफा विचार है। अत: इस पर कोई ठोस निष्कर्ष नहीं था। स्वयं आयोग जो कुछ अपनी सिफारिश के सम्बन्ध में कहता है वह इस तरह है : "कि केन्द्र सरकार को रिपोर्ट के स्वर्गीय परिप्रेक्ष्य में प्रधानमंत्री के विशेष सहायक श्री आर० के० धवन के इसमें शामिल होने के सम्बन्ध में उपयुक्त एजेंसियों से इसकी जांच करवाने के प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।" अत: महोदय, जो कुछ आयोग ने सिफारिश की है वह श्री धवन के विरुद्ध कार्यवाही नहीं है बल्कि इस मामले मे एक जांच है।

सभापति महोदय : श्री पाटिल पहले ही उल्लेख कर चुके है।

श्री हरूभाई मेहता : अत: एक जांच आवश्यक थी और जांच की गई। विशेष जांच दल की सिफारिश के परिणाम स्वरूप सरकार कतिपय निष्कर्षों पर पहुंची। अब महोदय एक राजनीतिज्ञ के रूप में मेरा सरकार की जांचों पर पूरा यकीन है। परन्तु एक वकील की हैसियत से मैं अपील करूंगा कि एक उचित समय पर सरकार इस सभा को यह बता सकती है कि जांच दल इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा कि क, ख, ग इसमें पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और निन्दा किये जाने के योग्य हैं। कारणों, सबूतों और सामग्रियों जिनके आधार पर सरकार निष्कर्ष पर पहुंची है को उचित समय पर सभा में बताना चाहिए। मैं यह सब इस समय पूछकर सरकार को प्रताड़ित नहीं करना चाहता हूं क्योंकि मामला तथा आरोप पत्र पहले ही दाखिल किये जा चुके हैं तथा मामला निर्णयाधीन है. लेकिन भारत के लोग उन कारणों और सबूतों को जानना चाहेंगे जिनके आधार पर श्री धवन या किसी अन्य संबद्ध अधिकारी को दोषमुक्त किया गया है। जैसे कि मैंने कहा था आयोग ने कभी भी श्री धवन पर अभियोग नहीं लगाया है लेकिन केवल यह चाहा है कि मामले की जांच हो और सरकार ने इसकी जांच की है।

दूसरा महत्वपूर्ण पहलू यह है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 137 में कहा है कि "आयोग ने इस संभावना का उल्लेख किया है कि हत्या में विदेशी हाथ की भूमिका रही है। हो सकता है कि विदेशी ऐजेन्सी उस समय के मौजूद माहौल से प्रेरित हुई हो कि आतंकवादियों को उकसा कर किसी भी ऐजेन्सी से अलग किया जा सके। आयोग ने यह भी बताया कि एक विदेशी ऐजेन्सी के तरे उनको

भी सहायता देने में भूमिका अदा की जो आतंकवादियों को प्रेरित, प्रोत्साहित, सहायता तथा प्रशिक्षण देकर भारत को अस्थिर करने में लगे थे।"

महोदय, अब मैं चाहता हूं कि सरकार सभा को बताये कि सरकार द्वारा क्या जांच कार्य किए गए हैं और इस सम्बन्ध में सरकार के क्या जांच परिणाम हैं और यह भी कि क्या इसमें कोई अंतर्राष्ट्रीय ऐजेन्सी शामिल है। महोदय, अन्ततः जो आरोप पत्र दाखिल किया गया है वह संकुचित विचारधारा का है, इसका अर्थ है कि यह अस्थिरता कुछ उन लोगों द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित तथा प्रेरित की जा रही है जो खालिस्तान की मांग करते हैं, परन्तु महोदय, षड्यन्त्र गहरा तथा बड़ा है और निस्संदेह सी० आई० ए० की तरफ इस दोष के लिए उंगली उठती है। क्या सरकार सभा को इस प्रश्न पर जानकारी देगी कि क्या श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या में सी० आई० ए० की संभावित भूमिका की जांच की गई है? महोदय, यह किसी सबूत के बगैर केवल एक कल्पना ही नहीं है। विकासशील देशों के विरुद्ध सी० आई० ए० की भूमिका तो सर्वविदित है। पीट्रिस लूमुम्बा का मामला और भंडारनायका का मामला लें और क्यूबा के राष्ट्रपति की हत्या करने का प्रयास भी देखें। इस पर जाने माने अन्तर्राष्ट्रीय पत्रकार बरियन फ्रीमेंटल की पुस्तक "द ओनरेबल कम्पनी" में सी० आई० ए० के इस प्रकार के प्रयासों पर बहुत अच्छी चर्चा की गई है। मैं इस पर देर तक नहीं बोलना चाहता हूं लेकिन महोदय; पीट्रिस लूमुम्बा का मामला और क्यूबा के राष्ट्रपति की हत्या करने के प्रयास सरकारी तौर पर दिखाये गए हैं। अमरीका के राष्ट्रपति को सरकारी तौर पर पीट्रिस लूमुम्बा की हत्या के प्रयास पर चिन्तित दिखाया गया है और इस पुस्तक में इसकी चर्चा की गई है।

महोदय, सभा जानती है कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरागांधी और पांच अन्य राज्याध्यक्षों ने संयुक्त रूप से पश्चिमी साम्राज्यवादियों के युद्ध करवाने के प्रयासों का खुलासा करने के लिए एक पांच महाद्वीपीय अपील की है तथा यह निरस्त्रीकरण था: महोदय, यह केवल एक दुर्घटना नहीं हो सकती—कि दो महान हस्तियां—प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और स्वीडन के प्रधानमंत्री श्री ओलेफ पाल्मे की जल्दी ही एक के बाद एक हत्या की गई। ऐसा कैसे हो सकता है?

5.24 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

यह केवल दुर्घटना नहीं हो सकती है। महोदय, भारत की स्वतन्त्र विदेशी नीति और शांति प्रयास, विश्व शांति तथा गुटनिरपेक्षता में भारत की भूमिका कतिपय स्वार्थपरक साम्राज्यवादी देशों को कष्ट पहुंचाती है। अत: महोदय, सरकार की राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी है कि वह इस हत्या में सी० आई० ए० की संभव भूमिका के बारे में एक पूरी जांच कराये। सी० आई० ए० और अन्य ऐजेंसियां धर्म और साम्प्रदायिक संवेदनाओं का दुराव, हत्या और हिंसा भड़काने में उपयोग करती हैं। अत: सरकार को इस संपूर्ण घटनाक्रम का पता लगाना चाहिए।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एक और हत्या का प्रयास किया गया था और यह अभी तक किया जा रहा है। यह श्रीमती इंदिरा गांधी की गरीबों के हित से जुड़ी आर्थिक नीतियों को नष्ट करने का प्रयास है। मैं सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सतर्क करूंगा कि वह इन्दिरा गांधी की गरीबों के हित वाली नीतियों से अलग नहीं हटें। हम आशा करते हैं और प्रधानमंत्री राजीव गांधी से आस लगाते हैं कि वह इन्दिरा गांधी के पुनरुत्थान को।

[श्री हरुभाई मेहता]

केवल वैसे ही बनाए रखेंगे बल्कि भारतीय जनमानस की राजनैतिक और आर्थिक भावना को भी बरकरार रखेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं सरकार को रिपोर्ट कार्यान्वित करने के लिए तत्काल उपाय करने हेतु धन्यवाद देता हूं और प्रधानमंत्री को कल एक प्रेरणादायक भाषण देने के लिए बधाई देता हूं किंतु विपक्ष के समस्त प्रचार को अंततः निरस्त किया जा सके।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट यहां पर प्रस्तुत की गयी है। इसके संबंध में बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार यहां पर प्रकट किये हैं। उस हिसाब से विरोधी दल के नेताओं ने जिस तरीके से इसको प्रस्तुत करने के लिए यहां पर झंझट पैदा किये और बाद में जब अब यहां पर इस पर डिस्कशन हो रहा है तो वे सब लोग गायब हैं। इससे इस बात का नतीजा निकलता है (व्यवधान) कि उनके इरादे खराब हैं। इसीलिए उन्होंने यहां पर पहले इस बात को रखने की कोशिश की।

श्रीमती इन्दिरा गांधी का मर्डर, असेसीनेशन जब हुआ और जिसके संबंध में अभी बहुत सारी बातें कही गयीं और ठक्कर कमीशन ने भी जिस प्रकार से संदेह और बातें अपने कमीशन की रिपोर्ट में प्रकट की हैं उन सब के संबंध में और उसी बेसिस पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने जिस प्रकार के निर्णय लिये और निर्णय ले कर के प्रधान मन्त्री जी की सिक्योरिटी के संबंध मे जिस प्रकार की व्यवस्था की, वह निश्चित तरीके से प्रशंसनीय है।

मैं समझता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं यदि पहले से होतीं तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि हमारी प्रधान मन्त्री के असेसीनेशन करने का जो मौका उनके हाथ में लगा, वह नहीं लग पाता। इस असेसीनेशन के बारे में ठक्कर कमीशन ने और उसके बाद हमारी स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम ने खास तौर पर बताया है कि इन प्वाइंट्स के ऊपर अगर सरकार तवज्जोह करती तो निश्चित तरीके से हमारी प्रधान मंत्री जी के असेसीनेशन में उन लोगों को सफलता नहीं मिलती। प्राइमिनिस्टर की सिक्योरिटी के बारे में हमारे गृह मंत्रालय ने बाद में जिस प्रकार के प्रबंध किये, व्यवस्थाएं कीं, अगर वे पूर्व में की जातीं तो बहुत बड़ा लाभ देश को मिलता और हमारी मैडम इंदिरा गांधी का असेसीनेशन नहीं हो पाता।

इसलिए मैं यह खास तौर पर निवेदन करना चाहता हूं कि इन व्यवस्थाओं को बहुत पहले से ही सक्रिय किया जाना चाहिए था। सिक्योरिटी के संबंध में जिन अधिकारियों को मुकर्रर किया जाता है, जो पुलिस के अधिकारी हैं जिनको कि इसका अधिकार दिया जाता है, इसकी व्यवस्था सुपुर्द की जाती है, उनकी व्यवस्थाओं में किसी का दखल नहीं होना चाहिए। यह उनका कर्तव्य है कि वे प्रधान मंत्री जी की किस प्रकार से सुरक्षा करें। अगर उनके कामकाज में किसी अधिकारी को दखल करने का अधिकार मिलता है तो निश्चित तरीके से उस व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होती है।

इसलिए इस व्यवस्था को आने वाले समय में खासतौर से गंभीरता से लेना चाहिए, ताकि इन व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, किसी की वजह से कोई अव्यवस्था पैदा न हो, ऐसा समय देश में फिर न आए जिसमें हमको इस प्रकार की असाधारण स्थिति का सामना करना पड़े।

फाइनल रिपोर्ट में जिस प्रकार की व्यवस्थाएं दी गई हैं, उसके ऊपर जो नोट गृह मंत्रालय की तरफ से हमको दिया गया है, उसमें खासतौर से यह कहा गया है कि जिन-जिन व्यवस्थाओं के बारे में ठक्कर कमीशन ने कहा है, उनकी जांच कराई जाए, चाहे धवन साहब का मामला हो, पुलिस या सिक्यूरिटी आफिसर्स का मामला हो, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरे तरीके से अंजाम दी या नहीं, डाक्टर्स के संबंध में, एंबूलेंस के संबंध में, ए० आई० आई० एम० एस० की व्यवस्थाओं के संबंध में, इतने बड़े व्यक्तित्व के मामले में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिएं, किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, इन सारी बातों की तरफ ठक्कर कमीशन ने ध्यान दिलाया है, उसके विशेषतौर से गृह मंत्रालय ने जो जांच की है, जो काम किया है, वह निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, इन व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से, माकूल तरीके से अमल में लाना चाहिए। आज जितने भी हमारे उच्चाधिकारी हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्चाधिकारी हैं, उनकी सुरक्षा का अगर उचित इंतजाम नहीं होगा तो बदइंतजामी की वजह से अव्यवस्थाएं पैदा होंगी और यह हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगा। इंदिरा जी का असेसीनेशन हमारे देश के लिए कितना घातक सिद्ध हुआ है, अगर राजीव जी नहीं होते तो हमारे देश को नेतृत्व मिलना मुश्किल हो जाता, इस प्रकार का व्यक्तित्व ढूंढना मुश्किल हो जाता। यह बात सही है कि दुनियां में एक जाता है तो दूसरा उन व्यवस्थाओं को संभालने के लिए आ जाता है, ऊपर वाला स्वयं भेज देता है, लेकिन ऐसा महान व्यक्तित्व जिसके हाथ में 11 साल तक देश का नेतृत्व रहा हो, उन्होंने जिस तरीके से देश को आगे बढ़ाया, एकता, अखण्डता, सांप्रदायिक एकता के लिए जिस तरह से उन्होंने काम किया, ऐसे व्यक्तित्व की पूर्ति करना निश्चितरूप से बहुत मुश्किल काम था। उनके हट जाने के बाद किस प्रकार की हालत सारे देश में हुई उनकी मृत्यु के बाद दिल्ली में और सारे देश में किस प्रकार की अव्यवस्था फैली, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनके नेतृत्व का लोगों पर कितना असर था, कितना आघात लोगों को पहुंचा। इसलिए कमीशन द्वारा बताई गई व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से अमल में लाना चाहिए, उसके अनुसार आवश्यक जांच कराई जानी चाहिए और उन व्यवस्थाओं को लागू करने की कोशिश की जानी चाहिए।

कांसपीरेंसी की बात जिस तरीके से की गई, चाहे विदेशी शक्तियां हों या देश के अन्दर की ताकतें हों, खालिस्तान वाले हों, इस बारे में सी० आई० डी० ने जिस प्रकार की छानबीन की है, ठक्कर कमीशन ने रिपोर्ट में जिस प्रकार की बात की है, इस पर निश्चित तरीके से जांच की जाए। इसकी जांच करके जिन 5 व्यक्तियों के खिलाफ चालान देने की बात की गई है, उनके खिलाफ कार्यवाही चल रही है। इस बारे में मुझे यह भी निवेदन करना है कि और भी अगर इस तरह की शक्तियां हों, चाहे बी० बी० सी० का आदमी हो या सी० आई० ए० का आदमी हो या कोई अन्य क्षेत्र में काम करने वाला आदमी हो, खालिस्तान समर्थक हो, पाकिस्तान की आई० एस० आई० का कोई हो या अन्य प्रकार की संस्थाएं जिन्होंने इस प्रकार की कांसपीरेसी की हो तथा देश की व्यवस्थाओं को बिगाड़ा हो, उनके खिलाफ भी निश्चित तरीके से छानबीन होनी चाहिए।

उनके खिलाफ कार्यवाही सख्ती से की जानी चाहिए ताकि हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्थाओं को किसी प्रकार का खतरा पैदा न हो जाए, इसलिए इस व्यवस्था को देखने की आवश्यकता है। अभी गृह राज्य मंत्री जी ने अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि एक एक्युज को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है। उस एक्युज को सैसन कोर्ट और हाई कोर्ट ने मौत की सजा दी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। क्या उनके खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम के अन्दर किसी प्रकार की जांच हुई कि वे भी उस कांसपिरेसी में शामिल थे। कांसपिरेसी में शामिल उस व्यक्ति को छोड़ दिया गया तो उसके खिलाफ भी कार्यवाही की

[श्री गिरधारी लाल व्यास]

जानी चाहिए। इस व्यवस्था को भी देखने की आवश्यकता है। अन्त में मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया है किन्हीं लीगल प्वाइंट्स की वजह से, अगर वह शामिल है तो उसके खिलाफ भी जांच की जानी चाहिए। इसको देखने की आवश्यकता है। कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन समय न होने की वजह से अपनी बात समाप्त करता हूं :

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ रथ।

श्री सोमनाथ रथ (आस्का) : उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राम सिंह यादव (अलवर) : महोदय, इस वाद-विवाद का समय और बढ़ा दिया जाए। हम गृह मंत्री महोदय से निवेदन करते हैं कि इस वाद-विवाद का समय बढ़ा दें।

श्री सन्तोष मोहन देव : जी नहीं, कल हम मांगों पर चर्चा करेंगे।

श्री राम सिंह यादव : यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

गृह मंत्री सरदार बूटा सिंह : उन्हें आरम्भ तो करने दीजिए।

श्री सोमनाथ रथ : उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि विपक्ष हर बात में बुराई देखता है। विपक्ष में कटुता पाई जाती है। महोदय, हम जानते हैं कि उन्हें इस देश के कानून तथा इस सदन के नियमों के प्रति न कोई प्यार है और न ही कोई आदर है। लोकतन्त्र में बहुमत की बात ही चलती है, और बहुमत निश्चय ही विपक्ष से सहयोग देने और चर्चा करने और संसद में वाद-विवाद करने के लिए कहेंगे। किंतु निश्चय ही विपक्ष सत्तारूढ़ दल को आदेश नहीं देगा।

महोदय, इस सदन में विपक्ष अनेक बातों की मांग करता है, उदाहरणत: उन्होंने मांग की कि बोफोर्स पर सदन की एक समिति होनी चाहिए और वास्तव में सरकार ने इसे स्वीकार भी किया और सदन की समिति नियुक्त की गई। फिर वे चाहते थे कि सदन के नियमों का पालन नहीं होना चाहिए, नियमों में जिस प्रकार अध्यक्ष के निर्णय दिए गए है उनका पालन नहीं किया जाना चाहिए और जो कुछ वे कहेंगे वही बात मानी जानी चाहिए। उन्होंने समिति का बहिष्कार किया। विपक्ष के एक सदस्य ने सदन के बाहर एक वक्तव्य दिया जिसमें बोफोर्स समिति के कतिपय उद्देश्यों का आरोप लगाया।

किन्तु, जब सदन में सत्तारूढ़ दल के सदस्यों ने मांग की कि उन्हें वह बात सत्यापित करनी चाहिए जो उन्होंने सदन के बाहर कही है तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने कभी भी इसको सत्यापित नहीं किया। अत: बोफोर्स समिति में सरकार के खिलाफ जो कुछ कहा गया, और प्रधान के खिलाफ तथा अन्य व्यक्तियों के खिलाफ जो कुछ कहा गया वह समाप्त हो गया।

महोदय, हम सभी जानते है कि आयोग की रिपोर्ट एक न्यायिक निष्कर्ष नहीं है। यह केवल तथ्य जानने वाली रिपोर्ट है। वे सभी अधिवक्ता जो दूसरी ओर बैठे हुए है उनमें से विशेषकर वह व्यक्ति जिसने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले में एक दोषी को बचाया, भली प्रकार जानते है कि पूछताछ करने वाले अधिकारी द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 162 के अन्तर्गत दर्ज ब्यानों को साक्ष्य नहीं माना जाता। केस डायरी को ब्रिटिश काल से ही असंबनीय माना जाता है। दंड

प्रक्रिया संहिता की धारा 161 और 162 के अन्तर्गत रिकार्ड किए गए बयानों को अभियोजन द्वारा बाद की साक्षी की बात का खण्डन करने के प्रयोग में लाया जाता है। यदि वह उससे भिन्न हो। यदि पूछताछ अधिकारी द्वारा रिकार्ड की गयी बात कोई सबूत नहीं है तो आयोग द्वारा कही गई सभी बातों को कैसे सबूत मान लिया गया और इस प्रकार की पूछताछ के आधार पर कोई कैसे किसी निष्कर्ष पर पहुंच गया? अत. मेरे विचार में श्री ठक्कर ने कुछ टिप्पणियां की है। मैं इन्हें निष्कर्ष या विपक्ष नहीं मानता हूं क्योंकि निर्णय तो केवल न्यायालय में ही हो सकता है। ठीक ही हुआ कि जब श्री धवन के खिलाफ कुछ टिप्पणियां की गई तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया।

किन्तु ठक्कर आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तीन वर्ष तक विशेष जांच दल ने पूछताछ की। इस दल ने आयोग द्वारा उल्लिखित सभी पहलुओं की ओर ध्यान दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंच गया कि श्री धवन निर्दोष हैं और आयोग द्वारा रिपोर्ट में की गई टिप्पणियां सही सिद्ध नहीं हुई। दूसरी ओर विशेष जांच दल ने देखा कि तीन आतंकवादी थे जो षड्यंत्रकारी थे और जिनमें से एक मर गया और न्यायालय में आरोप पत्र दिए गए हैं। विपक्षी दल के तथाकथित विख्यात अधिवक्ता उन अपराधियों को बचा भी सकता है जिस प्रकार उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले में दोषी को बचाया था। उनके लिए ऐसा करने का पर्याप्त अवसर है। जब श्रीमती इन्दिरा गांधी की हत्या के मामले पर मुकदमा चल रहा था तो अधिवक्ताओं को अपराधियों को बचाने और यह सिद्ध करने से किसने रोका कि वे यह सिद्ध कर दें कि वे व्यक्ति षड्यन्त्रकारी नहीं थे और जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी को गोली से मारा वे दोषी नहीं थे। उन्होंने न्यायालय में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया यद्यपि उन्हें ऐसा करने का पर्याप्त अवसर था। वे यह सिद्ध कर सकते थे कि दोषी कोई और थे। उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करके वे मुख्य मुद्दे को टालने के प्रयास में असफल हुए हैं। अब वे लाभ उठाना चाहते हैं और ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में से कहीं-कहीं कुछ अंश लेकर कुछ राजनीतिक लाभ उठाना चाहते है।

अब श्री धवन को ठक्कर आयोग में उल्लिखित सभी आरोपों से अथवा सभी टिप्पणियों से दोष मुक्त पाया गया, तो उन्हें उचित ही पुनः नियुक्त किया गया। यदि सरकार ठक्कर आयोग की रिपोर्ट का पालन करने से घबराती, तो सरकार उन्हें पुनः नियुक्त नहीं करती। यथार्थ तो यह है किस प्रकार श्री धवन के निर्दोष होने के संबंध में आश्वस्त थी। अत: उन्हें पुनः नियुक्त किया गया। जांच अनुसार सरकार को दोषी व्यक्तियों के बारे में पूरा विश्वास है और आरोप-पत्र भी दायर किए जा रहे हैं। विपक्ष अब यह मांग कर रहा है कि सारे रिकार्ड सभा पटल पर रखे जाएं, ताकि इसमें कोई रद्दोबदल न की जाए और रिपोर्ट में जो कुछ है उसका खंडन न किया जाए। अतः उद्देश्य यह है। अथवा 1986 में जब यह बात बाहर निकली तो वे क्यों चुप रहे? उस समय उन्होंने श्री धवन के विरुद्ध लड़ाई क्यों नहीं लड़ी? इसलिए कि वे जानते थे कि श्री धवन निर्दोष हैं।

उन्होंने उन्हें राजननीतिक लाभ के लिए लाने का भरपूर प्रयास किया जो श्री धवन ने स्वीकार नहीं किया होगा। अब वे इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं ताकि देश में भावी चुनावों के लिए छलावरण उत्पन्न करें। यह इनका एक मात्र लक्ष्य है। इन लोगों के पूर्ववृत क्या हैं? श्री बिजू पटनायक पाकिस्तान गए थे। उन्होंने कहा कि श्री जिया भारत पर आक्रमण नहीं करेंगे अथवा भारत को कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे और श्री जार्ज फर्नान्डीज जो उनके साथ थे उन्होंने भी कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु प्रगति आयुधानुकूल नहीं है। यही लोग अब इन्दिरा गांधी के लिए लड़ रहे है। वे मगर आंसू बहा रहे हैं। यही वे लोग हैं जो दिन-रात न केवल श्रीमती इन्दिरा गांधी की आलोचना करते थे अपितु किसी भी

[श्री सोमनाथ रथ]

प्रकार देश की अस्थिरता की मांग करना चाहते हैं। यही वे लोग हैं जो किसी न किसी प्रकार से सत्ता में आना चाहते हैं। सत्ता में आने का प्रयास करते समय उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी की निन्दा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी थी। वे श्रीमती गांधी की हत्या का अनुचित लाभ उठाना चाहते हैं।

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि उनकी हत्या के एक दिन पहले वह भुवनेश्वर में थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था: "मेरी हत्या हो सकती है किंतु मेरे रक्त की एक-एक बूंद राष्ट्र के विकास और भारत की एकता और अखंडता को शक्ति प्रदान करेगी।" उन्होंने यही कहा था। अगले ही दिन उनकी हत्या हो गई।

हम जानते हैं कि किन लोगों ने उनकी हत्या की। न्यायालय ने निर्णय दे दिया है। जो लोग इंदिरा गांधी की हत्या के मामले में अपराधियों का बचाव कर रहे थे, वे ही अब खालिस्तान का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने षड्यन्त्रकारियों को बचाया है और वे उन षड्यन्त्रकारियों को भी बचाएं जिनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किए गए हैं, उन्हें न्यायालय में सिद्ध करना पड़ेगा कि वे षड्यंत्रकारी नहीं है और इस षड्यत्र में कोई विदेशी हाथ नहीं है। विपक्ष के सदस्य सदन में वाद-विवाद कर सकते हैं और कह सकते हैं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट में त्रुटियां हैं और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे।

उन्होने ऐसा नही किया है। उन्होने वाद-विवाद का बहिष्कार किया है। क्योंकि उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। यह उनकी आदत है। उन्होंने सभी चीजों का बहिष्कार किया है। उन्होंने बजट चर्चा का भी बहिष्कार किया है। मैं गृह मंत्री से निवेदन करता हूं कि सरकार को केवल आरोप पत्र भरकर चुप नहीं रहना चाहिए जिसमें पूछताछ करने वाले अधिकारियों ने योग्यता के साथ 2-3 वर्ष लगाए। सरकार को स्पष्ट रूप से यही बताना चाहिए कि आयोग की रिपोर्ट के प्रकट होने में कौन जिम्मेदार है। क्योंकि यह गोपनीयता की शपथ और इस सदन द्वारा दिए गए इस आदेश के खिलाफ है कि इसको राष्ट्र के हित में प्रभावित नहीं करना चाहिए।

[हिन्दी]

सरदार बूटासिंह : उपाध्यक्ष जी, आज मान्यवर, सदन श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की निर्मम हत्या काण्ड के बारे में प्रस्तुत की गई ठक्कर कमीशन रिपोर्ट के ऊपर बहस कम्प्लीट करने जा रहा है। श्रीमन् 5 साल के इस अरसे में, जैसा कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इस सदन के सामने देश की भावनाओं को, सदन की भावनाओं को, माननीय सदस्यों की भावनाओं को और स्वयं की, खुद की भावनाओं को व्यक्त किया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी का वर्चस्व, उनका व्यक्तित्व और श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रति देशवासियों का प्रेम, अनन्तकाल के लिए, देशवासियों के मन में स्थाई तौर पर बैठा हुआ है। वे श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जो इस देश की सेवा में अपने जीवन का एक-एक क्षण, एक-एक स्वास, अर्पण करके गई हैं, उनको भुलाना या उनके दिए हुए आदर्शों को भुलाना देश के लिए बहुत ही हानिकारक होगा और जिस दिन देशवासी ऐसे पथ पर चलेंगे जिससे श्रीमती इंदिरा गांधी जी की याद उनके आदर्श हम से दूर हो जाएंगे, मुझे डर है कि हमारा देश, एक नहीं रह पाएगा, देश के टुकड़े हो जाएंगे और देश में हर प्रकार की विघटित वृत्तियां आगे आ जाएगी, भारत, भारत नहीं रहेगा। यह महानता है श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के व्यक्तित्व की, यह महानता है श्रीमती इंदिरा गांधी जी के इस देश के प्रति जो हमें देन है, उसकी। इस संदर्भ में, हमें उनके जीवन को, उनकी हत्या को और मरणोपरान्त देशवासियों की मानसिक हालत को देखना चाहिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी, कोई खाली एक लोक मत से चुनी हुई प्रधान मंत्री नहीं थीं, केवल एक राजनीतिक दल की नेता नहीं थीं, श्रीमती इंदिरा गांधी जी केवल एक कुशल शासक ही नहीं थीं, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी उन सभी मूलभूत तत्वों का, हमारे देश की जो सम्पदा है; राष्ट्र पिता महात्मा गांधी जी से लेकर जो हमारे देश ने एक अनूठा व्यक्तित्व हासिल किया है, जिसकी जड़ सदियों नहीं, बल्कि हजारों वर्ष से हमारे देश की संस्कृति में है, जिसमें पूरी मानवता समाई हुई है और जिसमें सभी धर्मों के, तमाम उत्तम उपदेश, उत्तम आदर्श, सही मायनों में मानवता स्वयं जिसमें पनपी है, उस समूचे विरसे को एक बहुत सुबक शरीर में, एक बहुत कर्मठ जीवन में, उन्होंने ढाला था।

जिसके फलस्वरूप हम लोग आज फख्र के साथ, गौरव के साथ पूरे विश्व में इस बात की चर्चा करते हैं कि हम हिन्दुस्तानी उस देश के वासी हैं, जिसके नेता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू और स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं। इसलिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी के व्यक्तित्व को जो कुछ भी सदमा हुआ, उनके ऊपर जो प्रहार हुआ, हमला हुआ, वह खाली उन पर ही नहीं हुआ, वह उन सभी हमारे देश की पुरातन, आदकालीन अथवा आधुनिक मान्यताओं पर हुआ है, जिनके ऊपर आज हमारा देश बड़े फख्र के साथ पूरे विश्व का सबसे बड़ा जनतन्त्र है; जिसमे हमे हमेशा उत्साह मिलता है। हमारा देश जो श्री राजीव गांधी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, एक दिन वह सपने साकार होंगे जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने परम उपदेश "वसुधैव कुटुम्बकम्" में देखे थे। भारतवर्ष को केवल भारतवासियों की सुख और शांति के लिए नहीं, पूरी मानवता की सुख और शांति के लिए उन्होंने अपने मन में विकल्प लिए थे।

यदि देखा जाए तो श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का जीवन स्वयं ही अपने आप में बहुत अद्भुत था। उनका जन्म स्वर्गीय माता कमला जी की कोख से हुआ, जो हमारे देश की महान् वीरांगना थीं, देशभक्त थीं, पं० जवाहर लाल नेहरू जो इस सदी के सबसे बड़े महान पुरुष, केवल नीतिवेत्ता ही नहीं कुशल शासक ही नहीं, एक बहुत उच्चकोटि के नेता ही नहीं बल्कि उन्होंने इस तरह से हमारे देश-वासियों के लिए, संसार के लिए हमारे देश का निर्माण किया कि आज हम जीवन के किसी पहलू में भी देखें, चाहे वह किसान खेत में हल चला रहा हो, मजदूर कारखाने में मजदूरी कर रहा हो, सड़क पर बजरी कूट रहा हो या कोई कलाकार, लेखक, वकील, इन्जीनियर, पाइलट कोई भी हमारे राष्ट्र का महत्वपूर्ण या साधारण व्यक्ति जहां कहीं भी करता है, उसकी जिन्दगी में कहीं न कहीं उसके जीवन में पं० जवाहरलाल नेहरू की छाप लगी हुई है। उन्होंने इस देश को सर्वदा के लिए जो मार्गदर्शन दिया, जो हमारे लिए उन्होने बहुत ऊंचे आदर्श कायम किए, कभी हम लोग इस बात का बड़ी गंभीरता के साथ अध्ययन करें कि किन परिस्थितियों में हमारे देश की स्वतंत्रता देश की आजादी का आगाज हुआ तो वह कैसा भारत था देश के कोने-कोने में आग लगी हुई थी, देशवासी एक-दूसरे के ऊपर प्रहार कर रहे थे, खून की नदियां बह रही थीं। सन 1947 के भारत को यदि देखा जाए तो कोई आदमी उमीद नहीं कर सकता था कि इस प्रकार से कटा हुआ, बंटा हुआ, अग्नि में झुलसा हुआ देश कभी यह स्वप्न भी देख सकता है कि एक दिन समग्र मजबूत राष्ट्र बन जाएगा। हम लोगों ने देखा है, बहुत बचपन में मैंने देखा था, जब हमारी आजादी आई तो क्या हमें देखने को मिला - पूरी की पूरी रेलगाड़ी लाशों से भरी हुई एक तरफ से जा रही है और दूसरी तरफ से आ रही है। नदी-नाले मनुष्यों की लाशों से भरे पड़े थे, गांव के गांव, शहर और बस्तियां जल रही थीं। किसको ख्याल था कि इस प्रकार के वाता-वरण में पैदा हुई हमारी आजादी एक दिन इतनी मुकम्मिल, इतनी मजबूत और इतनी सुदृढ़ हो जाएगी।

[सरदार बूटा सिंह]

6.00 म०प०

कि हम भी फख्र से कह पाएंगे कि कि हम एक आजाद देश के वासी हैं। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू की कृपा से राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने एक ऐसे महान पुरुष का चयन किया। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि मेरे आदर्शों को, मेरे दर्शन को मेरी फिलासफी को यदि कोई इस देश में सही मायने में अमल में ला सकता है तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू ला सकते हैं। ऐसी महान विभूति, ऐसे महान पुरुष के घर में पैदा हुई श्रीमती इंदिरा गांधी जी जिनको विरासत में देशभक्ति मिली, जिनको विरासत में इस देश का नवनिर्माण करने के लिए घर से ही ऐसा उपदेश मिला और न केवल उपदेश मिला बल्कि उन्होंने पूरा जीवन पूरी जवानी अपने परमपूज्य पिता की सेवा में लगायी। उस सेवा में क्या हासिल किया देश की सेवा हासिल की और उन्होंने पूर्णतया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के आदर्शों को ग्रहण किया और वह आदर्श हमारे देश के क्या हैं माननीय सांसद अच्छी तरह से जानते हैं। पंडित जी ने हमें दिया सैकुलरिज्म, पंडित जी ने हमें दिया सोशलिज्म, पंडित जी ने हमें दिया पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी, पंडित जी ने हमें दिया नान-एलाइनमेंट। यह ऐसे ऊंचे आदर्श हैं जिन पर आज सारा विश्व और सारा संसार चला आ रहा है।

मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि यह कुल शुभ गुण और साफ बातें श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के व्यक्तित्व में समायी हुई थीं जो उन्होंने अपने परम पूज्य पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ग्रहण की थीं। इन बड़े उसूलों को जो भी इस देश में लेकर चलेगा उसका इस देश में मान-सम्मान बढ़ेगा। कांग्रेस पार्टी, यदि मुझसे पूछा जाए तो मैं नहीं मानता हूं कि खाली राजनीतिक दल है। कांग्रेस पार्टी तो एक पवित्र गंगा की तरह है। जैसे गंगा हमारे देश के कोटि-कोटि लोगों के लिए एक जीवन धारा है और जैसे गंगा के जल की दो बूंदें हमारे जीवन को पूर्ण कर देती है इसी तरह से कांग्रेस पार्टी के आदर्श, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्श, स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का दिया हुआ मार्ग कांग्रेस पार्टी की जीवनधारा है। कांग्रेस पार्टी में समय-समय वक्त के मुताबिक बहुत से लोग आए बहुत से लोग चले गए, बहुत से लोग आयेंगे और चले जायेंगे। परन्तु जब तक कांग्रेस पार्टी के आदर्श, कांग्रेस पार्टी के जो मूल सिद्धांत हैं वह सामने रहेंगे मैं फख्र के साथ कह सकता हूं कि दुनिया में कोई ऐसी हस्ती पैदा नहीं हो सकेगी जो हमारे देश को कमजोर कर सके और हमारे देश को नीचा दिखा सके। यह कांग्रेस पार्टी के आदर्श थे जो इन्दिरा गांधी जी के व्यक्तित्व में समाए हुए थे और इन्हीं आदर्शों को लेकर वह आगे चली थीं। सौभाग्यवश पिछले 25 वर्ष में मैंने भी इसी सदन में उनको देखा। पहले पंडित जी को देखा उसके बाद शास्त्री जी को और उसके बाद इन्दिरा जी को इस देश का संचालन करते हुए इसी कक्ष में देखा।

मुझे यह बात कहते फख्र है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी ने जैसे ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के हाथ से मशाल पकड़ी इस देश का जो संचालन किया, इस देश को जो नेतृत्व दिया वह अपने पिता की तरह और कई क्षेत्रों में उनके दिए हुए रास्ते पर चलते हुए आगे निकलकर जो उन्होंने काम किये उससे कई फायदे हुए। पूरे विश्व में एक वातावरण पैदा हुआ और वह वातावरण पैदा होना स्वाभाविक था। जो देश के हितैषी थे उनके दिल में इसके प्रति श्रद्धा पैदा होती थी मगर जो शक्तियां अर्थात राजनीतिक शक्तियां विश्व या अन्तर्राष्ट्रीय पालिटिक्स में भारतवर्ष को मजबूत नहीं देखना चाहती थीं वह समझती थीं कि यदि हिन्दुस्तान को खत्म करना है तो यही एक व्यक्ति है जिसमें हिन्दुस्तान की जान है इसको खत्म किया जाए तो हिन्दुस्तान खत्म हो सकता है।

मुझे वह दिन याद है कि जब नान-एलाइनमेंट मूवमेंट उनके नेतृत्व में मजबूत हो गया था तो यूनाइटिड नेशन्स में गई और उन्होंने वहां नान-एलाइण्ड कंट्रीज की एक कान्फ्रेंस कर दी तो उसकी जो प्रतिक्रिया हुई कुछ बड़े-बड़े गुणों में, वहां कोशिश नहीं की गई।

कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का वर्चस्व, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की इमेज जो थर्ड वर्ल्ड में नैचुरली आगे बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड की लीडर श्रीमती इन्दिरा गांधी जी है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए पूरा वेस्टर्न प्रेस उनके पीछे पड़ गया, उनकी मीटिंग तक खत्म करने के प्रयास किए गए, बड़ी-बड़ी शक्तियों ने उसके पीछे काम किया परन्तु श्रीमती इंदिरा गांधी जी, जैसा मैंने कहा कि उनके शरीर में पण्डित जवाहरलाल नेहरू का जोश और पण्डित जी का नेतृत्व था, वे अपने उस मार्ग पर आगे बढ़ी और हिन्दुस्तान को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया जिससे बड़ी-बड़ी शक्तियां डर रही थीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी सैकुलरिज्म के लिए कहां तक आगे बढ़ गईं, मुझे अच्छी तरह याद है, बदकिस्मती की बात है कि ऐसे हालात पैदा हमारे देश में हुए, जैसे पंजाब में आज भी हैं, मैं तो कहता हूं कि दुर्भाग्यवश ऐसे हालात पैदा हुए। पंजाब का देश के स्वतन्त्रता संग्राम में अपना एक अनूठा स्थान है, पंजाबियों का एक स्थान है पंजाबियों ने कुर्बानी की है देश के लिए। जब मैं पंजाबी कहता हूं तो उसमें सभी आते हैं, हिन्दू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, सभी भाइयों ने मिलकर बहुत बड़ी कुर्बानी की, चाहे आजादी की शमा गोवा में जली तो भी वहां जाकर पंजाबियों ने शहादत हासिल की। मैं तो इसको ऐसा मानता हूं कि यह एक बहुत बड़ा षड्यन्त्र है जो आज पंजाब में हो रहा है। सही मानों में अगर इसको देखा जाए तो वह शक्तियां जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो हिन्दुस्तान के अस्तित्व को खत्म करना चाहती हैं, उन्होंने देखा कि इसका सबसे मजबूत बाजू पहले तोड़ा जाए इसीलिए शायद उन्होंने पहले पंजाब को चुना और वहां ऐसे हालात पैदा किए, ऐसा वातावरण पैदा किया कि पंजाब के लोगों के लिए इस प्रकार का वातावरण पैदा कर दिया जाए, हिन्दुस्तान के लिए उदासीनता हिन्दुस्तान के साथ नफरत पैदा कर दी जाए। उसी कड़ी में मैं देखता हूं जो पंजाब के लिए बदकिस्मती की बात है जो सन् 1984 में हुआ, सही मानों में यदि हम देखें, इस अपराध को, इन्दिरा जी की हत्या को तो यह जून, 1984 से शुरू होता है, वैसे तो पहले की बहुत बड़ी घटनाएं, जिनका मैंने थोड़ा सा उल्लेख किया, ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं।

सन् 1971 में बंगाल की सरहद पर जो हुआ है उसका परिणाम भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है, किस प्रकार से भारतवर्ष को उसका बदला दिया जाए, किस प्रकार से उसका हिसाब चुकाया जाए, इस तरह की प्रतिक्रियाएं बहुत सी साथ जुड़ी हुई हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी कांसप्रेसी, जो कि पण्डित जी के वक्त बल्कि कोई मुझसे पूछे तो महात्मा गांधी के वक्त की यह कांसप्रेसी है, जो नहीं चाहते हैं कि हिन्दुस्तान सही मानों में सैकुलर देश हो, जो चाहते हैं एक विशेष जाति का, एक विशेष तबके का राज यहां पर हो; वह इसके पीछे पड़े हुए हैं। पण्डित जी के वक्त में भी ऐसी प्रतिक्रियावादी शक्तियों ने, साम्प्रदायिक शक्तियों ने, ऐसी जातिवादी शक्तियों ने क्या-क्या प्रयास नहीं किए थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के बारे में तो आपको याद होगा कि जब वह पहली बार प्रधान मंत्री बनीं, और जैसी उन्होंने देश के अन्दर क्रान्ति लाई, चाहे वह हरित क्रान्ति थी, सही मानों में देखा जाए तो आज हमारे देश में किसान ने जो बल पैदा किया है, जो क्षमता पैदा की है, यदि इसका किसी एक व्यक्ति को श्रेय जाता है तो श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है। मुझे याद है कि 1965-67 में हमारे

[सरदार बूटा सिंह]

देश के कृषि मंत्री अमेरिका की बड़ी-बड़ी बिल्डिगों की सीढ़ियां चढ़ रहे थे, देशवासियों के लिए अनाज मांगने के लिए, उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि क्या करें, देश में भुखमरी पड़ने जा रही है इसलिए मैं बड़े-बड़े देशों से अनाज मांगने के लिए आ रहा हूं, पी० एल० 480 के नाम से यहां पर अनाज आया, सैकड़ों, हजारों करोड़ रुपया उसका हिन्दुस्तान में रहा और वह रुपया सारा का सारा हिन्दुस्तान के खिलाफ खर्च किया जा रहा है, आज भी किया जा रहा है, किसको मालूम नहीं श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह फैसला किया कि मैं अपने देश में कृषि का ऐसा विकास करूंगी कि मेरे देशवासियों को अनाज के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए किसी बड़े समृद्ध देश के सामने न जाना पड़े और उन्होंने ऐसा करके दिखाया। चन्द एक सालों में हिन्दुस्तान ने, जो खुराक में डैफीशिएण्ट कण्ट्री था, जिसको हमेशा अनाज इम्पोर्ट करना पड़ता था, करोड़ों और अरबों रुपये का अनाज इम्पोर्ट करना पड़ता था, आज हम फख्र के साथ यह कह सकते हैं कि यदि अफ्रीका में फेमिन हुआ तो हिन्दुस्तान के किसान का पैदा किया हुआ अनाज वहां जाकर वहां के लोगों की भुखमरी को दूर कर रहा है।

किसकी देन थी? श्रीमती इन्दिरा गांधी जी की देन थी। यही बातें तो थीं जो देश के शत्रुओं को अच्छी नहीं लग रही थीं। इसलिए मैं कहता हूं कि यह षड्यन्त्र सदियों से चला आ रहा है जब से हमारा देश आजाद हुआ है, तब से चला आ रहा। आज क्या नहीं हो रहा है। गांव-गांव में आज साम्प्रदायिक भावनाएं पैदा की जा रही हैं। एक जाति के नाम से लोगों को उठाया जा रहा है। आज कांग्रेस का विरोध करने वाले कौन हैं? वही हैं, जो जवाहरलाल नेहरू जी के वक्त थे, जिन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का विरोध किया। आज वे वही लोग हैं, जो श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के हत्यारों के साथ बैठे हुए हैं। मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम जी और प्रधान मन्त्री जी ने बार-बार उल्लेख किया कि इस बात का स्पष्टीकरण क्यों नहीं होता, आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन आज भी हमारे लिए एक प्रश्न लिए खड़ा है। उस हो रिजोल्यूशन में बू है देश के टुकड़े करने की। किसी भी विरोधी दल के नेता ने, मैं सबको नहीं कहता हूं, मगर कम से कम विरोधी दल के नेता जो इस बात के लिए इस सदन में बहुत ऊंचे-ऊंचे भाषण कर रहे हैं, उन्होंने आज तक आनन्दपुर साहब रिजोल्यूशन के बारे में अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया। आज भी उनके नेता जाकर उसकी वकालत करते हैं। देश में करते हैं, विदेश में करते हैं। कल प्रधानमंत्री जी ने उल्लेख किया कि अमरीका में जाकर जनता दल के एक नेता ने टेलीविजन के ऊपर इस बात की पुष्टि की और इसकी वकालत की।

आज भी बड़े-बड़े नेता उसका साथ दे रहे हैं। इसलिए यह षड्यन्त्र कोई खाली अक्टूबर, 1984 का षड्यन्त्र नहीं है, यह षड्यन्त्र बड़ी देर से चला आ रहा है और उसकी लपेट में आई श्रीमती इन्दिरा गांधी फिर यह ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट, यदि इसको देखा जाए तो इस रिपोर्ट का दायरा 31 अक्टूबर, सन् 1984 से लेकर जब तक यह एफ० आई० आर० रिपोर्ट फाइल नहीं कर दी गई और उसी दायरे में इसको देखना चाहिए, क्योंकि जितनी घटनाएं इस अपराध के साथ जुड़ी हुई हैं, जिसको हम इम्मिडिएट कांसपिरेसी भी कहते हैं, क्राइम भी कहते हैं। इस ठक्कर आयोग की जो भी जांच हुई है, यह सारी उसके ऊपर सीमित है। मगर इसके पीछे जो एक बड़ा षड्यन्त्र है और जिस षड्यन्त्र के अन्तर्गत आज भी श्री राजीव गांधी जी का कसूर क्या है। यही तो कसूर है कि उन्होंने पं० जवाहरलाल नेहरू जी के दिए हुए मार्गदर्शन पर, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के द्वारा जो दिए हुए प्रोग्राम्स हैं, उन को पूरी कर्मठता के साथ, चाहे वह नॉन-एलाइण्ड पॉलिसी की बात थी, चाहे वह देश के अन्दर

सैक्यूलर वैल्यूज को अप-होल्ड करने की बात है, चाहे देश के विकास की बात है, चाहे सैल्फ रिलायेंस की बात है, उस पर चले। मगर कुछ ऐसी शक्तियां हैं, जो नहीं चाहती हैं कि देश उस रास्ते पर चलकर एक बहुत मजबूत सैक्युलर देश बन कर खड़ा रहे। ये शक्तियां आज भी उसी तरह से जिस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के वक्त में थी, आज भी हैं। मुझे याद है वह दिन जब इन्दिरा जी 1977 में पावर में नहीं थीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी सबसे पहले उस वक्त के जो प्रधानमंत्री जी थे, उनके पास गई और उन्होंने एक बहुत निष्ठावान लोकतांत्रिक नेता के होने का सबूत दिया। उन्होंने स्वयं जाकर उस वक्त के प्रधानमंत्री जी से कहा—लोगों के फैसले के मुताबिक आप लोग आए हैं। आपको यह मौका दिया गया है, मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, विपक्ष की तरफ से आप लोगों को कहने के लिए आई हूं कि देश की सेवा के लिए, देश के सामूहिक विकास के लिए यदि आपको जरूरत पड़े तो हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। मैं पूछता हूं, जितने आज विरोधी दल के लोग हैं, कितने इनमें से ऐसे हैं जिन्होंने राजीव गांधी जी को कहा कि आपको देशवासियों ने अभूतपूर्व बहुमत देकर सदन में भेजा है, यदि आपको देश की सेवा में जरूरत पड़े तो हम आपके साथ हैं। एक भी दल कोई ऐसा बता दो। मैं मान्यवर, आपको उदाहरण देना चाहूंगा। हमारे देश में सबसे बड़ी विपदा सूखे की हुई। कई-कई प्रांतों में चार-चार और पांच-पांच साल बारिश नहीं हुई, जैसे गुजरात, आंध्रप्रदेश, राजस्थान और कर्नाटक के कुछ हिस्से, जहां के लोगों को अकाल जैसी परिस्थित का सामना करना पड़ा। मैं आपसे पूछता हूं, एक भी विरोधी पक्ष का नेता आया प्रधानमंत्री जी के पास, कि श्रीमन् यह देश की विपदा है, हम आपका साथ देंगे, बोलिए हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं।

उल्टा मैं ऐसे दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं कि प्रधान मंत्री जी स्वयं गांव-गांव गये पीड़ित लोगों की सहायता के लिए और मुश्किल से मुश्किल इलाके में गये, जहां पानी नहीं पहुंचता था और विरोधी पक्ष के नेताओं ने कटाक्ष किया, टिप्पणी की और उसको उन्होंने एक राजनीतिक प्रश्न बनाया कि श्री राजीव गांधी जी लोगों को राहत देने के लिए नहीं बल्कि अपने राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों में जा रहे हैं। मैं ऐसे बहुत से उदाहरण दे सकता हूं। चाहे असम में फ्लड्स आए हों या बिहार में फलड्स आए हों और चाहे वेस्ट बंगाल में फ्लड्स आए हों, वहां जाकर श्री राजीव गांधी जी ने प्रधान मंत्री होने के नाते, देश के नेता होने के नाते लोगों की सहायता की और इसका भी क्रिटिसिज्म हुआ। कई ऐसे प्रश्न राष्ट्र महत्व के आप देख लीजिए, किसी एक को उठाकर देख लीजिए, गोरखा लैंड का प्रश्न ले लीजिए, श्री राजीव गांधी ने, प्रधान मंत्री जी ने कल उदाहरण देते हुए कहा था कि यदि हमें राजनीतिक उद्देश्य को सिद्ध करना होता, तो हम कभी भी उस प्रश्न को हाथ नहीं लगाते। यह एक प्रान्त का सवाल था और उस प्रान्त पर उस प्रश्न को छोड़ देते और उसमें कभी भी हाथ नहीं डालते लेकिन श्री राजीव गांधी जी चाहते थे कि हम वेस्ट बंगाल के टुकड़े नहीं होने देंगे, हम वेस्ट बंगाल की जनता को मुसीबत का सामना नहीं करने देंगे। इसलिए अपनी पार्टी के हित को, अपने दल के हित को दूर रख कर और राष्ट्र के हित को सामने रखकर उस प्रश्न का हल निकाला। मान्यवर, आज यह बड़े दुःख की बात है कि ऐसे व्यापक और महान देश के उस महान नेता की हत्या के प्रश्न पर भी आज अपने राजनीतिक उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए उन्होंने मुंह नहीं खोला और उल्टे इसी में से अपनी राजनीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझ सकता हूं कि कुछ ऐसे दल हैं जो पहले से चले आए हैं और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जमाने से ऐसा करते चले आए हैं, जो प्रतिक्रियावादी हैं और साम्प्रदायिकतावादी है मगर मुझे दुःख हुआ जब अपने को बहुत ही प्रोग्रेसिव, सेक्यूलर कहलाने वाली पार्टियां भी उनके साथ मिल गई। सबसे बड़ा दुख इस सारे वाकयों में उन चन्द एक व्यक्तियों के बारे में है।

[सरदार बूटा सिंह]

जो व्यक्ति कल तक कांग्रेस पार्टी के नाम से, श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नाम से, श्री राजीव गांधी जी के नाम से देशवासियों से वोट्स मांग रहे थे, आज अपने इस किरदार की वजह से, मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं, अपने किरदार की वजह से उनके अन्दर जो सत्ता की भूख थी और मैं विशेषकर कुछ ऐसे व्यक्तियों का जिक्र करना चाहूंगा, जिन्होंने देश के नेता के साथ द्रोह किया, पार्टी के साथ बेवफाई की और देश के गद्दारी की, वे आज यहां पर बैठकर इस प्रश्न को इस तरह का रंग दे रहे हैं। श्रीमन्, अगर आप देखें, जिस ढंग से ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को देशवासियों के सामने ड्रामा करके पेश किया गया, मैंने पहले दिन भी कहा था जब मैं यहां पर बोला था थोड़े समय के लिए, कि ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट कोई नई नहीं है इस सदन के लिए। जब यह रिपोर्ट आई, तो उसके 20-22 दिन बाद ही सारी की सारी रिपोर्ट निकाल दी गई थी। उस वक्त किसी ने प्रश्न नहीं किया और जिनके पास यह रिपोर्ट 6, 7 महीने रही और इस रिपोर्ट के साथ जुड़े हुए सारे के सारे कागजात गृह मंत्रालय के उनके घर पर पड़े रहे, तो उस वक्त किसी ने प्रश्न नहीं उठाया। हमारे प्रधान मंत्री जी ने कल आदेश दिया है कि उसकी जांच की जाए, मैं किसी व्यक्ति को सामने रखकर नहीं कह रहा हूं, हम अपने प्रधान मंत्री जी के आदेशानुसार इसकी जांच सी० बी० आई० से करवाएंगे जरूर और तब यह पता चलेगा कि यह रिपोर्ट कहां से निकली और किस व्यक्ति के हाथों से रिपोर्ट के कुछ हिस्से समाचारपत्रों में कैसे आए मगर मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, मान्यवर, हमारी पार्टी के सदस्यों को अच्छी तरह मालूम है कि थोड़े से समय तब ये कुछ व्यक्ति हमारे साथ थे, वे सारे के सारे जो हुकूमत में थे, उधर चले गये, एक, दो को छोड़कर। यह बड़ी अजीब बात है और मुझे तो कहते हुए थोड़ी शर्म भी आती है कि श्रीमन्, जो यह कहते थे कि उनकी चार पीढ़ियों से ला मिनिस्टर चले आ रहे हैं, वे कैसे ला मिनिस्टर थे, स्वयं एक फैसले को सदन में रखने के लिए उन्होंने आर्डीनेन्स ड्राफ्ट किया और जो एमेंडमेंट हुई, वह भी उन्होंने क्लियर की एज ला मिनिस्टर। और इस सदन के सामने आकर के कहते हैं कि मैंने देखा कुछ नहीं।

मान्यवर, मैं सभी वकीलों के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं कहूंगा क्योंकि वह एक पार्लियामेंट को गुमराह कर देते हैं। जिस चीज को उन्होंने पढ़ा नहीं, देखा नहीं और उसको यहां पार्लियामेंट के सामने पेश कर दिया। जिस अमेंडमेंट को पढ़ा नहीं, देखा नहीं कि किसलिए मैं अमेंडमेंट कर रहा हूं उसके बारे में गवर्नमेंट को मश्विरा दे दिया और उस पेशे के कारण गवर्नमेंट को दे दिया। इसका जो दूसरा पहलू है उस नोटिफिकेशन की शुरूआत उस वक्त के मिनिस्टर आफ स्टेट इन्टरनल सिक्योरिटी ने की थी। आज वे दोनों उधर बैठे हुए हैं। ब्रीच आफ प्रिवलेज बूटा सिंह के खिलाफ आता है कि बूटा सिंह इसका ब्यौरा दें।

श्रीमन् तीसरे तो राजऋषि बनकर के आज ड्रामा कर रहे हैं और पूरे देशभर में कहते है कि मैं तो वैल्यु बेस्ड की बात कर रहा हूं, मैं तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अध्ययन कर रहा हूं। पिछले सप्ताह उनके भ्रष्टाचार का भंडा तो हमारे देश के स्मगलर हाजी मस्तान ने फोड़ दिया जब उसने कहा कि अरे विश्वनाथ प्रताप सिंह ने तो मेरे साथ बेवफाई की है, मैंने उसको पूरे देश के बड़े-बड़े लोगों से पैसा दिलवाया और मेरा पैसा लेकर के वह हमारी कम्युनिटी के खिलाफ हो रहा है। वह भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं जो देश के एक बहुत बड़े स्मगलर से पैसा लेकर के जो कहते हैं कि मेरा मोटर साइकिल तो पानी से चल रहा था, इलाहाबाद में, मैं तो पेट्रोल इस्तेमाल नहीं कर रहा था। जो लाखों रुपये उन्होंने वहां खर्च किये, अगर वह लोगों से मांगकर लिये होते तो राजऋषि की इस बात को लोग

मान लेते कि वह सचमुच भ्रष्ट नहीं है। उनके भ्रष्टाचार का भंडा फोड़ने के लिए हाजी मस्तान को स्टेटमेंट देना पड़ा।

श्रीमन यह जो मिनिस्टर आफ स्टेट इन्टरनल सिक्योरिटी थे, इन्होंने जितना थोड़ा समय काम किया, उन्होंने कहा कि सी० पी० ए० में जब यह मसला आया तो कागज नहीं देखे गये। किन्तु किसने रोका था? कम से कम नोट आफ डिसेंट लिख दिया होता और प्रधान मंत्री जी को कह देते साहब मैं तो कागज देखे बगैर अपनी राय नहीं दे सकता। आज वे पूरे देश के लोगों को जाकर के बहका रहे हैं, बरगला रहे हैं। इस प्रकार के किरदार के लोगों की मैं चर्चा कर रहा हूं।

श्रीमन् मिनिस्टर आफ स्टेट, इन्टरनल सिक्योरिटी के बारे में जितना कम कहा जाए, थोड़ा है। पार्टी में आते ही उन्होंने सबसे पहले पार्टी का सत्यानाश किया, वे बड़े-बड़े लोगों के साथ, जिन्होंने देश भर की स्वतंत्रता के लिए काम किया, कांग्रेस में काम किया, सेवा दल में काम किया, वे दुर्व्यवहार करते थे। चाहे वे किसी प्रांत के मुख्य मन्त्री क्यों न हो। यहीं विश्वनाथ प्रताप सिंह जी बाहर खड़े रहते थे और उनको आधे नाम से पुकारा जाता था, इस तरह से पुकारा जाता था जैसे कि उनके घर का चपरासी हों। आज वे बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, स्वाधीनता की बात कर रहे हैं, अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, इन्जेग्रिटी की बात कर रहे हैं।

श्रीमन्, उनके काम करने का जो तरीका था, मुझे दुःख है कि मैं वह शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता। किस तरह से वे दो आदमियों के दरम्यान नफरत पैदा करते थे। मैं स्वयं उन बातों को अच्छी तरह से जानता हूं। उन्होंने यही इन्टरनल सिक्योरिटी की एक नये किस्म की चीज पैदा करके किया। न तेरे उस वक्त के गृह मन्त्री को पूछा जाता था और न उसके पास कोई फाईल भेजी जाती थी। इसी ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट का आप उदाहरण ले लीजिये। छः महीने यह रिपोर्ट उनके घर में रही और गृह मन्त्री को कुछ नहीं मालूम। किस प्रकार से वे सत्ता का दुरुपयोग करते थे जिसके बारे में जितना कहा जाए थोड़ा है।

एजेंसियों की रिपोर्टों को तो सीमित रखना और इस तरह से कार्यवाही को चारो तरफ से घेर-घार कर रखना कि उनकी मर्जी के बगैर कोब कागज नहीं हिले।

मैं समझता हूं कि राजीव गांधी ने देश के ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है जब उनको पार्टी से बरखास्त किया है, बहुत राहत पार्टी को मिली। उनकी गतिविधियों को जो लोग बहुत नजदीक से जानते हैं कैसी उनकी सांप्रदायिक भावनाएं थीं कैसे वे संप्रदायों को उभारते थे इसका उदाहरण आपके सामने है और ऐसे बहुत से सांप्रदायिक लोग हैं जो विरोध पक्ष की तरफ से उस वक्त उनकी मदद कर रहे थे आज जिनके साथ वे बैठे हुए हैं, इसलिए मैं तो ऐसा मानता हूं कि ये 3-4 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने कांग्रेस में रहते हुए भी यह चाहा कि सत्ता उनके हाथ में आए, तरह तरह की बातें उन्होंने कीं, यह कहा कि मैं ही असली आदमी हूं और आज भी इसीलिए देश में यह राजनीतिक षड्यंत्र पैदा किया जा रहा है इस रिपोर्ट को लेकर यहां इस सदन में बहुत बड़ा हंगामा किया गया, इस बारे में श्री बनात वाला जी ने बिल्कुल ठीक कहा, अगर हमारी ईमानदारी किसी को देखनी है तो हमने वही रिपोर्ट पेश की है जिसमें यह सारा कुछ लिखा हुआ है जो कह रहे हैं और फिर लोगों को यह कहा जा रहा है कि रिपोर्ट को टेंपर किया गया है, इसके पन्ने फाड़ दिए गए है, पन्ने बदल दिए गए हैं।

इस व्यक्ति को वे इतना शक्तिशाली समझते हैं कि जितनी बार ये कह दें नामकर के राजऋषि जी कह दें तो लोग उसे मान जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा राजनीतिक बवंडर खड़ा करने की कोशिश

[सरदार बूटा सिंह]

की जा रही है। श्री राजीव जी ने अपने भाषण के दौरान इन सब चीजों के ऊपर अच्छी तरह से प्रकाश डाला है। हमें देश की एकता, अखंडता, प्रभुसत्ता को सामने रखकर इस ट्रेजडी को देखना है। श्री राजीव जी ने स्वयं अपने भाषण में कहा कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का विश्वास सेकुलरिजम में था, इसको उन्होंने सबसे आगे रखा है। आज मैं पुरानी रिपोर्टस देख रहा था तो एक विदेशी पत्रकार ने ब्लू स्टार के बाद उनसे प्रश्न किया श्रीमती इन्दिरा गांधी लोगों की नेता थी वे पूरे देश में जा जाकर लोगों में रह कर लोगों के विचारों को देखती थीं उनको मार्गदर्शन देती थी तो एक विदेशी पत्रकार ने उनसे कहा कि आपको इस बात का डर नहीं लगता, आज देश में जो घटनाएं खासकर ब्लू स्टार के बाद पंजाब में जो घटनाएं हो रही हैं, तो आपको अपनी सुरक्षा में किसी प्रकार का कोई संदेह या डर नहीं लगता तो दुर्भाग्यवश उन्होंने उसी हत्यारे की तरफ उंगली करके कहा कि जब तक मेरे साथ इस तरह के लोग हैं तो मुझे डरने की क्या जरूरत है। इससे साबित होता है कि उनमें सेकुलरिजम किस हद तक था, पूरे देश को वे एक परिवार मानती थीं, उन्होंने कभी किसी को जाति, शक्ल या सम्प्रदाय के नाम से नहीं देखा। श्रीमती इन्दिरा गांधी के निवास स्थान पर हजारों लोग रोज आते थे। आदिवासी, अल्पसंख्यक, सारे देश के लोग उनके पास आते। आज भी जब हम देश के दुर्गम इलाकों में जाते हैं तो जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, नदियों के किनारे बसे हुए हैं, वे आज भी विश्वास नहीं करते कि श्रीमती इन्दिराजी आज हमारे बीच में नहीं हैं। वे सही मायनों में इस देश की महान विभूति थीं, देश की आत्मा थीं, देश की मां थीं इसलिए श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के प्रति ठक्कर आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, इसके बारे में जो बहुत से प्रश्न अखबारों में पैदा हुए है उनका उत्तर मेरे सहयोगी श्री चिदंबरमजी ने दिया है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में देश का सामूहिक विकास हुआ, आर्थिक और सामाजिक विकास हुआ देश के नौजवानों और महिलाओं अल्पसंख्यकों के प्रति उनका विशेष ध्यान था। इस समय पर मैं एक बात का विशेषकर उल्लेख करना चाहूंगा, माननीय सदन को भी अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि जब 1980 में वे दोबारा प्रधानमन्त्री चुनकर आईं तो विज्ञान भवन में उन्होंने विशेष प्रबंध करके एक जलसा किया, जिसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि पूरे देशवासियों ने मेरा समर्थन किया हैं और उन्होंने विशेषकर पंजाब तथा सिक्खों का जिक्र किया।

उनके निधन के बाद जो शक्तियां चाहती थी कि देश के टुकड़े हो जाएं और देश में सिविल वार हो जाए। उसके फलस्वरूप कुछ मासूम लोगों की जाने गई हैं और कोई सबसे ज्यादा दुखी हुआ होगा तो शायद श्रीमती गांधी की आत्मा दुखी हुई होगी। वे तो देश को अपना परिवार और हर देश वासी को अपना बच्चा मानती थीं। कास्ट, कम्युनिटी और लैंग्वेज के नाम से देश को उन्होंने कभी नहीं देखा था। आज भी मुझे अच्छी तरह से याद है, जब ब्लू स्टार आपरेशन के बाद उन्होंने बहुत उदारता के साथ मेरे जिम्मे एक ड्यूटी लगाई और कहा कि पूरी श्रद्धा के साथ जो भी नुकसान अकाल तख्त साहब का हुआ है, उसे जल्दी से जल्दी मर्यादा के साथ पूरा कर दिया जाए। उनके आदेश के मुताबिक मैं वहां गया। जैसे-जैसे उन्होंने फरमाया था, उसके मुताबिक मैंने प्रबंध किए।

उस वक्त बाबा खड़क सिंह और बाबा हरबंस सिंह ने इस बात को अच्छी तरह से अनुभव किया कि हां हम यह मानते हैं। बाबा खड़क सिंह ने तो यहां तक कहा कि वह हमारी बेटी हैं। इसलिए ऐसी बातें राष्ट्र और परिवार के जीवन में अक्सर हो जाती हैं। हम इस बात को इसी ढंग से लेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इसकी मरम्मत हो जाए ताकि हम लोगों को बहुत जल्दी पूजा करने का मौका दे पाए। श्रीमती गांधी के आदेश के मुताबिक जब हम प्रयास कर रहे थे, तारीख मुझे अच्छी

तरह से याद नहीं है, शायद 7 या 19 जून की बात है ब्लू स्टार के 15-20 दिन के बाद की बात है। सारा कुछ तय हो गया था। केवल इतनी बात बाकी रह गई थी कि जो सैनिक हमारे अन्दर थे या तो उनको परिक्रमा की छत पर या मुख्य द्वार पर खड़े कर दिए जाएं ताकि अन्दर कार-सेवा शुरू हो जाए उनके आदेश के मुताबिक जब मैं अमृतसर पहुंचा तो ये ही श्रीमान् जिनका मैंने जिक्र किया, उस चीज को तारपीडो करने के लिए मेरे खिलाफ एक बयान दे दिया। ये नहीं चाहते थे कि पंजाब में एक शांति का वातावरण पैदा हो। अरुण नेहरू और इनके साथी अरुण सिंह थे जिन्होंने दूसरे दिन बयान दिल दिया। ढिल्लों साहब मेरे साथे। इकट्ठे गए थे। वह बयान दिलाकर इन्होंने हमारा सारा बन्दोबस्त अस्त-व्यस्त कर दिया जिससे हम फिर पीछे चले गए। उसके बाद आतंकवादियों ने नारा दे दिया कि हम इसकी मरम्मत नहीं होने देंगे। अगर मरम्मत हो भी गई तो हम इसको गिरा देंगे। मैं इस बात का दावा करता हूं कि अगर श्रीमती गांधी के उस फैसले को नहीं तोड़ दिया होता तो पंजाब में आज की परिस्थिति नहीं। पंजाब के हालात बहुत जल्दी सुधर जाते।

मैं उनको जिम्मेदार ठहराता हूं, जिन्होंने हमारे फैसले को बदला। मैंने इस बात का उल्लेख यहां इसलिए किया ताकि देशवासी समझ जाएं कि अगर हम आज पंजाब में खून की होली खेल रहे है तो किसकी वजह से खेल रहे हैं। उसका बहुत सा हिस्सा अरुण नेहरू के सिर पर आता है। यही वे तत्व हैं जो नहीं चाहते कि देश में सुखमय वातावरण पैदा हो। राजीव जी ने कितनी उदारता के साथ कहा कि हमारे देश के नागरिकों खासकर सिखों और हिन्दुओं के मन में ऐसा वातावरण पैदा न हों हम सबको एक समान माने हैं। पूरा देश उनका अपना देश है और वे चाहे जिस से जीवन निर्वाह करें और पूरी स्वतंत्रता के साथ रहें। लेकिन ये तत्व जो यहां पर बैठे हुए हैं और कुछेक में साम्प्रदायिक लोग बैठे हुए हैं जो नहीं चाहते कि हमारे देश की एकता और अखण्डता बनी रहे। हम चाहते हैं कि पंजाब में शांति का वातावरण हो। इसी प्रकार के तत्व जम्मू-कश्मीर में उमड़ रहे हैं जिनकी वजह से आज जम्मू-कश्मीर में जो अशांति पैदा हो रही है और जिसके बारे में सोज साहब ने अपने भाषण में कल जिक्र किया था मैं ऐसा मानता हूं कि इन तत्वों के साथ किसी किस्म का लिहाज नहीं होना चाहिए।

इनको जितनी सख्ती से कुचल दिया जाये, जो कि देश की एकता और अखण्डता के लिए खतरा है, जितनी जल्दी खत्म किया जाये, उतनी जल्दी देश की सुरक्षा हो सकती है। इसी नीति के अन्तर्गत हमारे प्रधान मंत्री जी ने एक बार नहीं अपितु अनेकों बार पार्टी मीटिंग में हमारे सामने और इस सदन के सामने इस बात को दोहराया कि हमारी केवल दो बातें हैं वह यह है कि वायलेंस को छोड़कर और संविधान के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी कोने से, किसी भी प्रान्त का, किसी भी भाषा का या सम्प्रदाय का हो वह यदि अपनी बात लेकर आता है तो हम उसके साथ बात करके समस्या का समाधान करने को तैयार हैं। उन्होंने इसी तरह कई समस्याओं को हल किया है जैसे असम की समस्या मिजोरम, त्रिपुरा और गोरखा लैंड की समस्यायें हैं। यही चीज प्रधान मंत्री जी ने पंजाब और जम्मू-कश्मीर तथा देश के अन्य हिस्सों के बारे में कही है। उन्होंने कहा कि जहां इस प्रकार की अशांति होती है तो उन सभी तत्वों के लिए इस सदन का मार्गदर्शन हमेशा हासिल है, सरकार का मार्गदर्शन हमेशा हासिल है। इसी तरह से प्रधान मंत्री जी का मार्ग दर्शन हमेशा हासिल है। श्रीमती इन्दिरा गांधी का यही उपदेश था हम सबके लिए कि इस देश की एकता और अखण्डता कायम रखी जाये, इस देश की धर्मनिरपेक्षता को आंच नहीं आने दी जाये। क्योंकि देश की सबसे बड़ी गारण्टी यही धर्मनिरपेक्षता है। अगर इसको खतरा हुआ तो हिन्दुस्तान एक नहीं रह पायेगा हमे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने उन कदमों पर चलकर उनकी जो

[सरदार बूटा सिंह]

दृढ़ता थी उसको ग्रहण करके और पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी ने जो इस देश को दिया है जिसके लिए सारा देश उनके प्रति समर्पित है उसी प्रकार देश को आगे बढ़ाया है।

ठक्कर आयोग के बारे में बहुत-सी बातें कही गई हैं। मैं केवल एक मुद्दे का जिक्र करना चाहूंगा। जैसे कि बड़े षड्यन्त्र की बात हुई। ब्लू स्टार से लेकर जो-जो दस्तावेज हमारे पास आये है उनको लेकर, मुझे पता चला है कि तीन सौ के करीब गवाहियां उसमें पेश होंगी और दो सौ के करीब डाक्यूमेंट्स होंगे।

जिनको पेश करके यह केस कचहरी में दिया गया है। एस० आई० टी० को रिपोर्ट के बारे में कहा गया। उसके बारे में मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम जी ने कहा है कि वह कचहरी में चली गई है। दूसरे षड्यंत्र का केस हमारे सामने पेश किया गया था इसकी जरूरत नहीं थी, कानून के जानने वाले यहां पर बैठे हुए है वे जानते हैं कि कोई भी तफ्तीश करता हो पुलिस कर्मचारी तो जरूरी नहीं कि वह सरकार के पास आये, वह सीधे जाकर कचहरी में चालान पेश कर सकता है। लेकिन इसमें कानून की ऐसी धारायें अंकित है जिसमें अनिवार्य है कि वह भारत सरकार से या राज्य सरकार से उसके बारे में मंजूरी ले। इस संदर्भ में जब हमारे पास रिपोर्ट आई, जिस रिपोर्ट की बिना पर यह चालान पेश होना था, क्योंकि ठक्कर आयोग के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, देश में इस पर चर्चा हुई है, विरोधी दलों के लोगों ने इस पर चर्चा की थी जब पूछा गया कि जिनका नाम इतना उभर कर आया है उनका तो कहीं जिक्र भी नहीं है। तो उन्होंने संकेत से, नीडल आफ सस्पिशन, कंजक्चर्स और न जाने क्या-क्या आमिस, प्रिमाइसिस में मुझे तो अंग्रेजी ज्यादा आती नहीं है, जितना भी कहा गया था श्री आर० के० धवन के बारे में, इंवेस्टीगेशन टीम अपना कार्य कर रही थी तो धवन के पास जाकर रिगरेस जांच की गई और इस जांच के दौरान मुझे नहीं कहना है कि श्री धवन पर पुलिस ने जो उनके तरीके होते हैं, क्या-क्या उन्होंने उन पर इस्तेमाल किये। उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति, उनके संबंधियों के प्रति, सहचरियों के प्रति जहां कहीं भी वह जाते थे उनके बारे में पूरी जांच-पड़ताल की जाती थी। अब तक विरोधी दल का एक भी सदस्य यह नहीं कह पाया। उन साढ़े तीन-चार साल के समय में जब रिगरेज इंवेस्टीगेशन चल रही थी सरकार की तरफ से कोई ढिलाई या लिनेंसी नहीं की गई। इस जांच के बाद जब उन्होंने पाया कि कोई सुबूत नहीं मिला, मैं उन सुबूतों पर नहीं जाना चाहता कि क्या इनकी डायरी या कापी में लिखा था, क्या कोई सदस्य अपनी डायरी में यह लिख देगा कि वह सी० आई० ए० का एजेंट है और मुझे बाहर से पैसा मिला है।

कोई कह सकता है कि मुझे बाहर से पैसा मिल रहा है। इस प्रकार की जितनी बातें कहीं गयीं ठक्कर कमीशन में उन सबकी जांच हुई, विधवत् जांच की गयी, लाॅ के मुताबिक जांच हुई और जांच के उपरान्त, मेरे ख्याल में जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते की बात है, जबकि सरकार की स्वीकृति के लिये, सरकार की तरफ से सैंक्शन देने के लिये सारा केस मेरे सामने आया तो पता करना मेरा कर्तव्य था, कुदरती था, स्वाभाविक था कि मैं उनसे पूछता कि आपने इस षड्यंत्र की जांच के दौरान क्या-क्या पहलू बारीकी से देखे, किन के खिलाफ चालान पेश कर रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह विधवत् ढंग से जांच हुई थी, उसके आधार पर मुझे बताया कि इस अपराध के साथ, जितने भी संकेत उन्हें मिले हैं, नीडल्स या कंजेक्चर्स उनके सामने आये, उन्होंने सबकी तह में जाकर देखा और श्री आर० के० धवन का किसी किस्म का कोई संबंध नहीं पाया। इसलिए हम उनको इस षड्यन्त्र में शामिल नहीं कर सकते।

श्रीमन्, मुझे यह सौभाग्य हासिल है, हालांकि श्री आर० के० धवन किताबों में तो सरकारी कर्मचारी हैं परन्तु मुझे 1977 के वे दिन याद हैं जब श्रीमती इंदिरा गांधी पावर से कुछ समय के लिए हटी थीं तो उस समय उनके निवास स्थान पर केवल एक व्यक्ति ही दिखाई देता था—श्री आर० के० धवन, जिन्होंने अपनी सर्विस की परवाह न करके, अपना पूरा जीवन उनके साथ क्या-क्या सख्ती नहीं कीं, कमीशन, कचहरी, पुलिस स्टेशन के माध्यम से उन पर, उनके पूज्य पिताजी, भाई और बहनों के विरुद्ध क्या-क्या सख्तियां नहीं की गयीं परन्तु इस सब के बावजूद वह आदमी जैसे सोना कुठाली से होकर निकलता है, वैसे ही खरा निखर कर बाहर निकला। आज दुर्भाग्यवश फिर से उन्हें वैसी ही कठिनाइयों से होकर गुजरना पड़ रहा है। उन दिनों मुझे भी उनके साथ काम करने का मौका मिला, पार्टी का अदना सा अधिकारी होने के नाते, श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में, मैंने जो कुछ देखा उसके आधार पर कह सकता हूँ कि श्री आर० के० धवन जिस लोहे के बने हुए हैं, मेरी तो भगवान से प्रार्थना है कि ऐसा इम्तहान किसी दूसरे आदमी का फिर न लेना क्योंकि कैसा भी मजबूत आदमी क्यों न हो, टूट सकता है गिर सकता है लेकिन वे सच्चे इंसान की तरह खड़े रहे उन्हें अपने आप पर विश्वास था, अपने नेता पर विश्वास था और मैं समझता हूं कि आज उनकी आत्मा ही उन्हें बचाकर यहां तक लाई है। इसलिए आज कुछ लोगों द्वारा उन पर संदेह करने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि उनका कोई और मकसद नहीं, वे तो चाहे कोई षडयंत्र करें, उनका एक ही मकसद है सत्ता में आना, सत्ता पर कब्जा जमाना। आप उनके किरदार तो देखिए। देश के वित्त मंत्री होते हुए उन्होंने एक फौरेन एजेंसी के साथ अपने संबंध जोड़े न कैबिनेट को मालूम, न प्रधानमंत्री को मालूम और न इस सदन को मालूम। किस प्रकार का राजनीतिज्ञ वे अपने आप को कहते हैं। ऐसे लोगों की तरफ से यदि आज श्री धवन जैसे व्यक्ति पर उंगली उठायी जाती है जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए, नेता के प्रति, दल के प्रति समर्पित कर दिया, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। मैं समझता हूं कि ठक्कर आयोग की रिपोर्ट से कोई दूसरा लाभ मिला या नहीं, यह लाभ अवश्य मिला कि लोगों के सामने इनके चेहरे उजागर हो गये। लोग जान गये कि ये अपना राजनीतिक मकसद सिद्ध करने के लिये कोई भी नीच काम तक कर सकते हैं। इस लिए, श्रीमन् मैं चाहता हूं कि यह सदन विशेषकर श्री राजीव गांधी के प्रति और श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रति, जिन्होने इस देश को अपने प्राणों की आहुति देकर बचाया, श्रद्धांजलि अर्पित करे, उनके कार्यों और बलिदान को हमेशा-हमेशा के लिए प्रिजर्व करके रखे ताकि हमारा देश अटूट रहे, अखण्ड रहे और इसकी प्रभुसत्ता हमेशा बनी रहे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म० पू० पर पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

6.44 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 12 अप्रैल, 1989/22 चैत्र, 1911 (शक) के ग्यारह बजे म० पू० तक के लिए स्थगित हुई।

— — — —

मुद्रक : सनलाईट प्रिंटर्स 2265 डा० सेन मार्ग, दिल्ली